

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

औद्योगिक उत्पादन

आठ साल की सबसे बड़ी गिरावट

नई दिल्ली, 11 नवंबर (भाषा)।

जनसत्ता संवाददाता

नई दिल्ली, 11 नवंबर।

अतिथि थे। एआइसीटीई

परिसर के बाहर जेएनयू

छात्रावास की फीस में

वृद्धि और रात में वापस

आने के समय को लेकर

जबरदस्त प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की वजह से

समारोह में पहुंचे मानव

(एचआरडी) मंत्री रमेश

पोखरियाल निशंक कुछ

घंटे एआइसीटीई परिसर

में फंसे रहे इस वजह से

संसाधन

विद्यार्थियों

विकास

के विद्यार्थियों

घरेलू अर्थव्यवस्था में नरमी बनी हुई है। इसका अंदाजा औद्योगिक उत्पादन के ताजा आंकडों से लगता है।

विनिर्माण, खनन और बिजली क्षेत्रों में उत्पादन में गिरावट के चलते सितंबर महीने में औद्योगिक उत्पादन में 4.3 फीसद का संकुचन हुआ। यह आठ साल में सबसे बड़ी गिरावट है। तीनों व्यापार-आधार वाले क्षेत्रों पूंजीगत वस्तुओं, टिकाऊ उपभोक्ता, बुनियादी ढाँचा व निर्माण वस्तुओं के उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद

(एआइसीटीई) के सभागार में सोमवार को

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) का

तीसरा दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ।

उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू समारोह के मुख्य

कुई घंटों तक

एआंइसीटीई

मुख्यालय में ही रहना

पड़ा एचआरडी मंत्री

रमेश पोखरियाल

निशंक को

पुलिस ने छात्रों

पर पानी की बौछारें

कीं, कुछ को हिरासत

में लिया

बाकी पेज 8 पर

सांख्यिकी मंत्रालय के सोमवार को जारी आंकड़े के अनुसार औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आइआइपी) के आधार पर आकलित औद्योगिक उत्पादन में सितंबर 2019 में 3 फीसद व वित्त वर्ष 2018-19 की दूसरी 4.3 फीसद की गिरावट आई जबिक सितंबर तिमाही में 5.3 फीसद की वृद्धि हुई थी। 2018 में 4.6 फीसद की वृद्धि दर्ज की गई थी। अगस्त 2019 में इसमें 1.4 फीसद की गिरावट कारण विनिर्माण क्षेत्र की कमजोरी है। सितंबर

नीचे आया। इसके कारण आइआइपी में अक्तूबर 2011 के बाद सबसे बड़ी गिरावट है। उस दौरान इसमें 5 फीसद की गिरावट आई थी। तिमाही

फीस वृद्धि: जेएनयू छात्रों का प्रदर्शन, कुछ देर फंसे रहे मंत्री

आधार पर 2019-20 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में आइआइपी में 0.4 फीसद की गिरावट आई जबकि पहली तिमाही में इसमें

औद्योगिक उत्पादन में गिरावट का मुख्य महीने में विनिर्माण क्षेत्र में 3.9 फीसद की गिरावट यह लगातार दूसरा महीना है जब आइआइपी अाई जबिक एक साल पहले इसी महीने विनिर्माण क्षेत्र में 4.8 फीसद की वृद्धि हुई थी। बिजली उत्पादन भी आलोच्य महीने में 2.6 फीसद घटा जबिक एक बाकी पेज 8 पर

शिवसेना नाकाम, अब राकांपा को आमंत्रण

मुंबई, 11 नवंबर (भाषा)।

महाराष्ट्र में सरकार गठन के लिए सोमवार को पूरे दिन नाटकीय घटनाक्रम जारी रहे। कांग्रेस और राकांपा ने खुल कर शिवसेना का समर्थन करने के बजाय कहा कि फैसला लेने से पहले उन्हें अभी आपस में और बातचीत करना है। दोनों पार्टियों के इस रुख के के कारण शिवसेना राज्यपाल को इन दलों के समर्थन की चिट्ठी सौंपने में नाकाम रही। इसके बाद राज्यपाल ने एनसीपी को सरकार

बनाने का न्योता दे दिया। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे और एकनाथ शिंदे सोमवार देर शाम राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करने राजभवन पहुंचे लेकिन उन्होंने

समर्थन पर असमंजस रहा कायम समर्थन जुटाने के लिए राज्यपाल से और समय की मांग की। राज्यपाल ने और समय देने से इनकार करते हुए तीसरी सबसे बड़ी पार्टी राकांपा को सरकार बनाने का न्योता दे दिया।

उद्भव ने पवार से

मुलाकात और सोनिया

को टेलीफोन कर

सरकार बनाने में

सहयोग मांगा लेकिन

राकांपा नेता अजित पवार ने इसकी पृष्टि करते हुए कहा कि उनके पास राजभवन से फोन बाकी पेज 8 पर

कांग्रेस ने नहीं खोले पत्ते



जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 11 नवंबर।

महाराष्ट्र में सरकार गठन के लिए शिवसेना को समर्थन देने या नहीं देने के मुद्दे पर सोमवार को दिनभर की माथापच्ची के बावजूद कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई और उसके बाद कहा गया कि महाराष्ट्र की स्थिति पर कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में विचार विमर्श के बाद कांग्रेस अध्यक्ष गांधी ने बाकी पेज 8 पर

अरविंद सावंत का इस्तीफा

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 11 नवंबर।

शिवसेना नेता अरविंद सावंत ने सोमवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार से इस्तीफा दे दिया और भाजपा पर सत्ता में बाकी पेज 8 पर



अधिकारियों के एक दल को शीर्ष

अदालत के फैसले का विस्तार से

अध्ययन करने को कहा गया है ताकि

अदालत के निर्देश के अनुरूप ही

बाकी पेज 8 पर

महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर जारी राजनीतिक घटनाक्रम हिस्सेदारी के तय फार्मूले से मुकरने के बीच केंद्र में भारी उद्योग मंत्री व का

'विकास में गंभीर बाधा सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट था अनुच्छेद 35 ए' बनाने की प्रक्रिया शुरू की

नई दिल्ली, 11 नवंबर (भाषा)।

अनुच्छेद 35 ए को समाप्त करने को सही ठहराते हुए केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यह प्रावधान भेदभावपूर्ण था और सामाजिक-आर्थिक विकास में गंभीर बाधा था।

बताते चलें कि अनुच्छेद 35 ए पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य के निवासियों को विशेष अधिकार प्रदान करता था। हालांकि, इसके तहत राज्य के बाहर के लोगों से विवाह करने वाली

प्रदेश की महिलाओं से भेदभाव होता था। गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव ज्ञानेश कुमार द्वारा शीर्ष अदालत में दायर बाकी पेज 8 पर

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में

दाखिल हलफनामे में कहा

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार राम जन्मभूमि मामले में मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है और

कुछ अधिकारियों की टीम अदालत के फैसले का विस्तृत अध्ययन कर रही है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। उक्त न्यास के गठन पर विधि मंत्रालय और अटॉर्नी जनरल की राय ली जाएगी।

नई दिल्ली, 11 नवंबर (भाषा)।

ट्रस्ट का गढन किया जाए यह ट्रस्ट ही अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की रूपरेखा तैयार करेगा। एक अधिकारी ने बताया कि अधिकारियों के एक दल को शीर्ष अदालत के फैसले

सीएनजी पंप पर युवक की हत्या

उनके कुछ कार्यक्रम रद्द करने पड़े। एचआरडी

मंत्री ने बाद में कुछ विद्यार्थियों से बात कर उनकी

समस्याओं का उचित हल निकालने का

आश्वासन भी दिया। उपराष्ट्रपति पहले ही वहां से

निकल गए थे। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारी

फरीदाबाद, ११ नवंबर (जनसत्ता)।

राष्ट्रीय राजमार्ग पर मेवला महाराजपुर मोड़ स्थित सीएनजी पंप पर मोटरसाइकिल सवार दो बदमाशों ने सोमवार सुबह कार सवार एक युवक जितन की गोली मारक हत्या कर दी। घटना के दौरान युवक कार में सीएनजी भरवा रहा था।

वारदात के बाद दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए।

मोटरसाइकिल सवार दो युवकों ने दिया वारदात को अंजाम

जतिन के परिजनों ने उसकी पूर्व पत्नी और उसके प्रेमी पर हत्या करवाने का संदेह जताया है। पुलिस ने

मृतक के जीजा के बयान पर मृतक की पूर्व पत्नी, उसके प्रेमी और अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।

पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह के मुताबिक, सेक्टर-21 डी में रहने वाले सौरभ शाह ने अपनी बाकी पेज 8 पर शिकायत में



लता मंगेशकर आइसीयू में भर्ती

छात्रावास की फीस में वृद्धि और रात में वापस आने के समय को लेकर जेएनयू छात्रों का प्रदर्शन।

मुंबई, 11 नवंबर (भाषा)।

सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद सोमवार तड़के ब्रीच कैंडी अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई (आइसीयू) में बाकी पेज 8 पर

वित्तीय मामलों पर संसद की स्थायी समिति के लिए मनमोहन नामित



नई दिल्ली, 11 नवंबर (भाषा)।

राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य मनमोहन सिंह को वित्तीय मामलों पर संसद की स्थायी समिति के लिए नामित किया है। बाकी पेज 8 पर

आयकर छापे

3,300 करोड़ के हवाला रैकेट का खुलासा

नई दिल्ली, 11 नवंबर (भाषा)।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सोमवार को दावा किया कि आयकर विभाग ने 3,300 करोड़ रुपए के गैरकानूनी हवाला धंधे में लगे गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गिरोह का जाल दिल्ली, मुंबई और

हैदराबाद जैसे शहरों में फैला हुआ था। इसका बुनियादी संरचना क्षेत्र में कारोबार आंध्र प्रदेश के एक नामी गिरामी व्यक्ति को 150 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान करने के भी सबूत मिले

करने वाले कई शीर्ष कॉरपोरेट घरानों से संबंध है।

सीबीडीटी ने एक बयान में कहा कि कर चोरी के इस बड़े खेल को उजागर करने के

लिए दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, इरोड, पुणे, आगरा और गोवा में 42 परिसरों पर इस महीने के पहले सप्ताह में छापेमारी की गई। उसने कहा कि इन छापेमारी से बुनियादी संरचना के शीर्ष कॉरपोरेट घरानों द्वारा फर्जी अनुबंधों तथा बिलों के जरिए कर चोरी के बड़ें रैकेट का पता चला। हालांकि सीबीडीटी ने उन निकायों का नाम नहीं बताया, जिनके परिसरों पर बाकी पेज 8 पर

जंगलों की आग की प्रकृति का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञ का दावा

अध्ययन भारत में रेकॉर्ड बारिश पिछले महीने के मध्य तक भी नहीं थमी थी

देर से लौटे मानसून से आस्ट्रेलिया के जंगलों में आग

मेलबर्न, 11 नवंबर (भाषा)।

आस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी विनाशकारी आग के पीछे कुछ हद तक भारत से मानसून का देर से लौटना भी जिम्मेदार है। जंगलों की आग की प्रकृति का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञ ने यह बात कही है।

एबीसी न्यूज ने रविवार को खबर दी कि मेलबर्न विश्वविद्यालय से जुड़े और ईंधन, मौसम व भौगोलिक स्थितियों के वास्तविक चित्रणों का प्रयोग कर जंगलों की आग की संरचना व प्रकृति का अध्ययन करने वाले ट्रेंट पेनहम ने कहा कि आस्ट्रेलिया में लगी इस बाकी पेज 8 पर आग को

epaper.jansatta.com

मेलबर्न विश्वविद्यालय के ट्रेंट पेनहम ने कहा, वैश्वक तंत्र आपस में जुड़े हैं ।

यह सोचना मुश्किल, 10,000 किलोमीटर का मौसम असर डाल सकता है



आस्ट्रेलिया में तेजी से फैल रही आग, आपातकाल घोषित

कैनबरा, ११ नवंबर (एपी)।

आस्ट्रेलिया के सर्वाधिक आबादी वाले राज्य ने सोमवार को जंगलों में लगी आग के चलते आपातकाल की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अधिक कदम उठाए जाने की जरूरत पर जोर दिया जाने लगा है।

आस्ट्रेलिया के उत्तर-पूर्वी भाग में जंगलों में लगी आग की चपेट में आने से तीन व्यक्तियों की मौत होने बाकी पेज 8 पर

अनुपम अवसर

नॉन-लिंक्ड पॉलिसियों की पुनर्चलन अवधि 5 वर्ष तक और लिंक्ड पॉलिसियों की 3 वर्ष तक विस्तारित



अपनी कालातीत पॉलिसी को पुनः चालू करें



विस्तारित पुनर्चलन अवधि का लाभ उताएं




लाइफ कवर जारी रखें



अपना मोबाइल नं., एनईएफटी विवरण और ई-मेल पंजीकृत कराएं

आपके द्वारा विवेकपूर्ण ढंग से प्रदान किया गया लाइफ कवर



देखें www.licindia.in; हमें फोलो करें : 🚮 Yu 🛅 🗾 LIC India Forever नकली / फर्जी फोन कॉल से सावधान रहें। माईआरडीएआई किसी भी प्रकार के बीमा पॉलिसियों की बिक्री, बांनस की घोषणा या ग्रीमियम का निवेश जैसी गतिविधियों में शामिल नडी डोला है। इस तरह के फोन कॉल ग्रम करने वाले लोगों से अनुरोध किया जाता है कि इसकी सूबना तुरत पुलिस को दें

IRDAI Regn No.: 512

हब पत आपके भाध

नई दिल्ली

जनसत्ता

क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I, Shashank Shekhar Uniyal S/o Sh. Mantri Prasad Uniyal R/o-7, Manjila Sree Sanatan Dharam Mandir, Tilak Nagar, New Delhi-110018 have changed my name from Shashank Uniyal to Shashank Shekhar Uniyal for all future purposes. 0040519596-1

that I, Mukesh Kumar S/o Shyam Singh R/o-193/5 Gali No.5, Roshan Vihar, Karawal Nagar, North East Delhi-110094,inform that name of mine hasbeen wrongly written as Sarvesh Kumar in my minor son Vishal Kumar(14-Years) School Record. The actual name of mine is Mukesh Kumar respectively

which may be amended

0040519644-1

0040519644-2

accordingly

It is for general information

It is for general information that I, Anita Raj D/o Poonam Chand W/o Late Raj Kumar R/o-144-C Pocket-J&K, Dilshad Garden, East Delhi-110095, inform that name of mine hasbeen wrongly written as Anita Kumari Raj in my Service Record(MTNL).The actual name of mine is Anita Raj respectively which may be amended accordingly

, Vishnu S/o Kailash Chand Khandelwal R/o Plot No.106, 2nd Floor, Khasra No.150-155, Rajpur Khurd Extn., Chattar pur, Delhi-110074 have changed my name to Vishnu Khandelwal. 0040519653-4 l, Vinti Chaurasia, D/O-Vijay

Kumar Arya, R/O-J-16, Sector-11, Noida U.P, Have Changed My Name To Vinti Arya For, All 0040519632-5 Purposes. I, Tushar Singh s/o Sanjay

Kumar Add-H-34, Police-Colony, Sarojini-Nagar, New Delhi-110023., changed my name to Tushar Kumar. 0040519653-2

I**,** Swati Agarwala D/o Sandip Agarwal R/o-BG-6/223-A, Paschim-Vihar, N.Delhi-110063 have changed my name to Swati Agarwal. 0040519653-6 I, Swati Agarwala D/o Sandip

Agarwal R/o-BG-6/223-A, Paschim-Vihar, N.Delhi-110063 have changed my name to Swati Agarwal. 0040519653-6 l**,** Surabhi Mittal W/o Abhishek

Mittal R/o 1801, Block-J, Sector-107, Great Value Sharanam, Noida, UP-20301 have changed my name from Kumari Surabhi to Surabhi Mittal for all purposes.

I**,** Sunita Sodhi W/o Rakesh Mehta R/o-H.No.-E-5/11 Krishna Nagar Delhi-110051, have changed my name to Sunita Mehta for all purposes.,Sunita Sodhi & Sunita Mehta is one & the same 0040519644-3 person

l**,** Sukhdrashan Kaur Toor/ Sukhi Toor W/o Padam Preet Toor R/o-469, Sector-37, Noida (U.P.),have changed my name to Sukhi Singh for all future purposes.

I**,** Savita Dalal W/o Sukhbir Singh R/o-A-503,Prateek Wisteria, GH-001, Sector-77, Noida, have changed my name to Savita Rani permanently.

I**,** Yashdeep S/o Apvinder Singh R/o-A-1/244-A, Sector-6, Rohini Delhi, have changed my name to Yashdeep Singh.

, Satprakash Sharma S/o Maichand R/o 1158, Chabbu Pana Pooth Khurd, Delhi-

110039, have changed my name to Satyaprakash Sharma. 0040519648-4 l**,** Sarvendra Singh S/o Ishwar

Singh, residing at.H.No.254A, D.D.A.M.I.G Flats Metro-Apartment, Jahangir puri North.West.Delhi Delhi-110033, have changed the name of my minor son Tejasav aged-11Years and he shall hereafter be Known as lejasav Kadiyan. 0040519653-8

I**,** Sachin Kumar S/o Shakun Chand Chauhan R/o Muzaffarpur Poes Baghpat, UP-250611, changed my name to Sachin Kumar Chauhan. 0040519648-7 I, SHIVANI D/o yash pal R/o-D-

392 new sanjay amar-colony shahdara Delhi-32.have lost my original-certificate class-10th year-2017 Rollno-8611032 CBSE-Delhi. 0040519653-11 I, Ramesh Chander S/o Gajraj

Singh R/o Y-2023, Mangolpuri, Delhi-110083, have changed my name to Ramesh Chand. 0040519648-3

I, Virender Kumar S/O Shri Nathi Ram H. No.R-211/A, Vani-Vihar, Uttam, Nagar, New-Delhi-110059. Have Changed my Name to Virender Dhiman. 0040519648-10

, Vipen Kumar S/O-Ranvir Singh, R/O-Village And Post-Badheri, Muzaffarnagar, U.P, Have Changed My Name

To Vipen Kumar Panwar For, All Purposes

l Bharat Bhardwaj S/O-Dushyant Kumar, R/O-Hno.163, Sec-12, Vasundhara-Ghaziabad(UP)-201012, Have Change My Name Bharat Kumar To Bharat Bhardwaj For All Purpose.

epaper.jansatta.com

0040519648-2

I, Pawanjeet W/o Apvinder Singh R/o-A-1/244-A Sector-6, Rohini, Delhi, have changed my name to Pawanjeet Kaur. 0040519648-5

I, Pawan Kumar S/o Amar Bahadur R/o-House.No. 1029, Sector-18, Faridabad, Haryana -121002 have changed my name to Pawan Kumar Singh. 0040519632-9

I, Palkan D/o Vishal Sharma R/o: Flat No. 7 Sitaram Apartments I.P. Extension, New Delhi-92, have changed my name to Palkan Sharma.

0040519616-1 I, Nidhi Bhardwaj R/o house no 17B JC Block Hari Nagar, South West Delhi, Delhi-110064 have changed my name to Nidhi Rahul Arora.

0070682887-1 I, Naseema Jahan, W/o Mr. Mohammad Yusuf, R/o 1196, Gali Chowkidar Wali, Haveli Hisamuddin Haider, Ballimaran, Delhi-110006, have changed my namefrom Nasim Jahan to Naseema Jahan for all future purposes.

0130013452-1 I, Naresh Kumar Bhardwaj, S/o

Sish Pal R/o-188 School Wali-Gali Azadpur Delhi-110033, have changed my name to Naresh Bhardwaj. 0040519648-9 I. Naresh Chander Grover S/O

Gurbachan Singh Grover R/O-296, 2nd-Floor, Sainik-Vihar, Pitampura, Delhi-34.Have Changed My Name To Naresh 0040519632-2 Grover. **I,** Mukesh Kumar Jangir S/o

Shri Sanwar Mal R/o. Flat No. 48, EverGreen Apartment, Plot No 9, Sector-7, Dwarka, New Delhi-110075, Do here solemnly affirm and informs that I have changed my name from Mukesh Kumar Jangir to Mukesh Kumar for all purposes. 0040519629-1 I, Mr.Sanjeev Vedi R/O-C-229,

II-Floor.Tagore Garden-Extension, Delhi-110027, have changed my minor son name Kavya Vedi to Kushagr Vedi., for all purposes. 0040519632-4

I, Mohd Rinku S/o Mojibur Rahman R/o Y-1189 1st Floor, Mangol puri, N-Block, Delhi-110083 have changed my name from Mohd Rinku to Rahbar Alam for all future purposes. 0040519597-**I,** Meena Kumari Singh W/o

Harmider Singh R/o Flat No. 175, Pocket-4, Sector-24, Rohini, Delhi-110085 have changed my name from Meena Kumari Singh to Meena k Singh for all purposes. 0040519587-1 I, Manisha D/o Raj Kumar R/o

1/9257A, Street No.7, Rohtash

Nagar, Shahdara, Delhi-110032, have changed my name to Manisha Chawla permanently. 0040519653-3 I, Majid Khan S/o Abdul Mabud Khan R/o 24A/4, Gali No-15,

have changed my name from Majid Khan to Majid Ali for future purposes. 0040519588-1 I. MD. Imran Rabbani S/o Iliyas Rabbani R/o-RA-75, 3rd-Floor, Inderpuri, N.Delhi-110012.have changed my name to Imran

chauhan Bangar, Delhi-110053

Rabbani permanently. **I,** Joshvir Khurana S/o Ramneet Kaur R/o 9825 Sector C, Pocket 9, Vasant Kunj, New Delhi, have changed my name to Josh Vir

Singh Khurana for all

purposes.

I, JAINNY PETER W/o Sh. Suresh Peter R/o House No. 71, Church Colony, Mehrauli, New Delhi-110030. Have changed my name from JAIN-NY PETER to JENNY PETER for 0040519598-1 all purposes.

I, Hemant Kumar S/o Sh. Yoginder Chhbra R/o-House.No.56/1,Devi Lal Colony, Gurgaon, Haryana-122001, have changed my name to Hemant Chhabra for all future purposes.

I, Dharm Pal Singh S/o Tal Singh R/o Rz B 109, B Block Dabri Ext. East, New Delhi 110045, have changed my name to Dharam Pal Singh for all purposes. 0040519608-1

Surender Kumar Bakshi R/O-359, Dda-Flats, New Ranjeet-Nagar, Patel-Nagar, Delhi-008, Have Changed My Name To Bhushan Bakshi. 0040519648-1

I. Bhooshan Bakshi S/O

I. Ayub Ahmed S/o Mohammad Islam R/o 30, Street No.4B, Shastri Nagar Delhi-110031, changed my name to Ayyub 0040519648-8 I, Ashok Kumar S/o Devinder

Singh R/o A-940, Shyam Colony, Budh Vihar, Phase-2, Delhi-110086, have changed the name of my minor daughter from Anushaka to Anushka for all purposes. 0040519627-1

I, Vinti Arya, R/O-J-16,Sector-11, Noida-U.P, Have Changed My Minor Daughter's Name From Ananya Kishore Chaurasia To Ananya 0040519632-6 Chaurasia.

I Hitherto known as Rani W/o Surender Kumar R/o-G-112 Jhuggi Safeda Near Block-9,Geeta Colony Delhi-110031, have changed my name and shall hereafter be known as Shashi Bala

0040519644-4 I Harjinder W/o Amninder Singh R/o-C-81, Kh.No-16/12 Uday-Vihar Nilothi-Extn., Nangloi Delhi have changed my name to Harjinder Kaur. 0040519632-10

ट्यक्तिगत

I, Arti Sachdev D/o Parashuram Sachdev R/o G-22/291, Sector-7, Rohini, Delhi-110085, have changed my name after marriage to Ritika Kukreja W/o Kishor Kumar for all purposes.

0040519624-1 I, Shubham Kumar Singh s/o-Vijender Singh R/O-DTC-Depot Dichoan Kalan Delhi-110043.have lost my originalcertificate class-10th Rollno-8253246 Year-2017 CBSE-Delhi

0040519653-10

I Vinod Kumar Tomar S/o Mahinder Singh R/o House No-239, Ashoka Enclave Part-1, Sector-34, Faridabad, Haryana-121003, my name is wrongly written as Vinod Kumar Tomer in my Official Record of MTNL instead of Vinod Kumar Tomar

0070682883-1 I Umang Basista S/O Mahinder Basista H.No-10 Near-By M.C.D-Primary School-Sarai Kale-Khan Hazrat., Nizamuddin., Delhi-110013. Changed Name To Umang Bashista. 0040519632-3

I Rupali Singh s/o Sanjay Kumar Add-H-34, Policecolony, Sarojini-Nagar, New Delhi-110023., changed my name to Rupali. 0040519653-1

I Rahul S/o Rajesh Sharma R/o 1/281 Flat No.S-2, Vasundhara Ghaziabad UP-201012 have changed my name from Rahul to Rahul Sharma for all 0040519617-1 purposes.

I Parvin Kumar s/o Dharam chand r/o B3/86 2nd floor sector 11 Rohini Delhi 85 changed name to Parveen Gupta.

0040519632-1 I Neha Mansukhani Alias Neha Kumar D/o Kuldeep Kumar W/o Sahill Gulleriya R/o WZ-C/8, Patel Garden, Dwarka More, Uttam Nagar, Delhi-110059, have changed my name to Vrinda Guleriya

I, Deepika Goel W/o Abhishek Goel R/o H.No.21, Ram Nagar, Meerut, UP-250002 have changed my name to Deepika Garg. 0040519633-1 I Kamala Ratnam Chinthirala

0070682882-1

D/o Raju R/o 77-17/1-1A, Prakash Nagar, Payakapuram Vijayawada Urban, Krishna, Andhra Pradesh-520015, have changed my name to Keerthana Sharon Chinthirala 0070682884-

I Jahid Mohammad S/o Noor Mohammad R/o A-2/17, Hastsal Road, Uttam Nagar Delhi-110059, have changed my name to Zahid Khan

I Harish Pal,S/O: Satyapal Add:B-60A, Gali.No.6/4, Near Mayur-Modren Public-School, Rama-Garden Karawal-Nagar North/East, Delhi-110094. changed name to Harish Gautam. 0040519632-8 I, Rushali D/o Shri Pradeep Sharma R/o 564, Ground Floor, Sector-5, Vaishali, Ghaziabad,

U.P.-201010. Have changed my name from Rushali to Rushali Sharma for all future 0040519733-1 purposes.

It is for general information that I Leela Saini state that name of my husband was written as Shree Krishan Saini in Ration Card, Krishan Saini in school records of my children, Krishan Kumar in OBC Certificate, Shree Krishan Saini ir Death Cerificate and in Aadhar Card and Shree Krishan Kumar in his School/college Certificates whereas his actual name was Krishan Saini R/o RD-163, Dharam Pura Extn. Najafgarh, New Delhi-110043 which may be amended accordingly.

PUBLIC NOTICE General Public is hereby informed that client Sh. Amir Singh son of Late Sh Tarlochan Singh, R/o WZ-36B, Gali No. 16 Krishna Puri, Tilak nagar, New Delhi h lisowned/debarred/ discarded his daughte namely Jaspreet Kaur w/o Shri Surind Pal Singh and her daughter my clien grand daughter namely Eknoor Kaur, R/c VP-56 D, Pitampura, New Delhi Near Hot City Park fro his movable and immovable assets and has also ceased all relations i every respect. It is further declared that an person whosever deal with them will d entirely at his/her own costs, risks and esponsible for dealing with them.

KHERA BHUPINDER SINGH (Advocate

4, New Guru Nanak Market

PUBLIC NOTICE Be it known to all that my clients -Mr. Ashok Kumar Goel s/o Late Mr. Parmeshwari Das Goel and Mrs. Kusum Goel w/o Mr. Ashok Kumar Goel both no 106, Fourth Floor, Meera Enclave, Chowkhandi, Delhi-110018 have severed their all relations with their son namely Mr. Rachit Goel and daughter-inlaw - Mrs. Aastha Goel (w/o Mr. Rachit Goel). My clients have discovned and disinherited them from their all moveable and immoveable properties. My clients are not responsible for any of their

Neeraj Goyal, Advocate, KP-155, Pitampura, Delhi-110034

PUBLIC NOTICE The Public at large is hereby informed that Late Sh. Satya Paul Bawa S/o Late Ram Das Bawa, R/o 83, Navjiwan Vihar, New Delhi, was having commercial property at Vatika Trade Centre, Unit No. 205-2nd Floor Admeasuring 500 Sq.Ft. And Unit No. 2109 21st Floor, Admeasuring 750 Sq.Ft., which his legal heirs viz. Mrs Chanchal Bawa (wife) Mr. Sachin Bawa (son) And

Chanchal Bawa Any person having any objection on this please may contact the company officer details as under within 15 days after which No Claim would be accepted.

Mrs. Ritu Budhiraja (daughter)

requested the company, to be

transferred to his wife Mrs

Vatika Limited Vatika Triangle, 4th Floor, Sushant Lok-I, Block A, MG Road, Gurgaon, Haryana,

Rahul Rai (Advocate) For 'Lex Practica' (Advocates & Legal Consultant)

खोया+पाया

मैं, रजनीश परशर पुत्र जगन्नाथ प्रसाद परशर, मेरे आवंटन पत्र और मूल भुगतान रसीद, पताः टावर बी-2, फ्लैट-004 अवलोन होम्स, भिवाड़ी अलवर बाईपास रोड, तिजारा, अलवर राजस्थान कहीं गुम हो गए हैं, जिसे मिले 24 घन्टे में संपर्क करें:- 9971194579

Lost original Perpetual Lease Deed, Allotment Letter, **Possession Letter of Property** No. GI-43, Lawrence Road, Delhi. Founder inform Mohit Gupta Mobile:9313119782.

0040519585-1

Lost.Property Ownershippapers-Perpetual Lease, Deed dated 20th-February,1971-and Supplementary-Deed dated-12th February,1976 in respect of S-26, Badli Industrial-Estate, Badli, Delhi. Use of, these for, any purpose. by any person, shall be illegal and entail consequences.If found-contact.TARUN DUA 9810034001. 0040519639-4

Lost all original property papers of Ground Floor House No. WZ-170F, Plot No. 134, Gali No. 5, Virender Nagar, New Delhi-110058, belonging to Manpreet Kaur W/o Darshan Singh. FIR lodged vide LR No. 1857466/2019 dated 8-11-2019. Founder inform at: 9213619787. Use by anybody of these papers will be invalid. 0040519585-2

I,Ram Narain Kaira,s/o-Late Shri Tulsi Dass Kaira wish to inform,the general-public that I, have lost, my original share-certificate for-284,equity-shares issued by M/s. SRF-Limited, Block-c, Sector 45, Gurugram, Haryana. If anyone, have found. the same, kindly contact, at

phone-numbers

9810034292,011-45005700. I, RACHNA D/o-Ashok Kumar, R/oh.no-532 village-& post-office nangal thakran

delhi-39have lost my originalcertificate class-10th(2015) Rollno-2134227 Class-12th year-2017 Rollno-2629673 ,CBSE-Panchkula. 0040519653-9 I, Rakesh Pandey S/o Narayan

Pandey R/o 370, Prem Nagar-3, Agar Nagar, Kirari Suleman Nagar, Delhi-110086, has been lost original Educational Certificate of 10th Class (CBSE) Year-2012. Roll No. 873546, Vider LR No. 1693217/ 2019 dt:- 07.10.2019 0040515292-4

certificate no. 509907 for 200 Equity Shares of Rs. 10/- (Rupees Ter Only) each bearing folio no MS140604, distinctive no fron 43153939 to 43154138 of United Spirits Limited (Old Name: Mo Dowell & Co.), registered in the name of Sankara Ramar Naravanan, has been lost and applied to the company to issu duplicate certificate(s). Any persor who has any claim in respect of the said shares certificate(s) shoul lodge such claim with the company at its registered office at UB Tower UB City, No. 24, Vittal Mallya Road Bangalore-560001, within 15 days of the publication of this notice, after which no claim will be entertained and the company will proceed t issue duplicate share certificate(s).

PUBLIC NOTICE CHANDRA CHATTERJEE R/O 266, DELH BENGALI HINDU CO-OP. HOUSING BUILDING SOCIETY LTD., TAGRORE PARK, DELHI owne of PLOT/ PROPERTY NO. 266, DELHI BENGA HINDU CO-OP. HOUSING BUILDING SOCIET Deed of the above property have been lost. An F LR. No. 1857167/ 2019 dated 08.11.2019 to thi effect has been lodged in Police Station Crim Branch, Delhi. Any person(s) claiming any right, interest, ha any objection or found in possession of origin document, may write/contact with above name person at above address/ phone No. 96509823 notice. The person claiming any right, interest objections with respect to this property of personally inform or write to Dy. Director (CHB C Block, Second Floor, Vikas Sadan, INA, N

> SURENDER KUM/ Enrl No. D/152/

PUBLIC NOTICE The general public at large is hereby informed that my clients (1) Shri Shyam Sunder Mehra S/o Late Shri H.L. Mehra (2) Smt. Santosh Mehra W/o Shri Shyam Sunder Mehra, both R/o DG-II/121-A. Vikas Puri. New Delhi. Vide publication dated 14.11.2011 my clients had severed al their relations with their son Shri Sudhii Mehra and their daugthter-in-law Smt Rashmi Mehra W/o Shri Sudhir Mehra and minor child Kavya Mehra aged about 11 years D/o Shri Sudhir Mehra who were residing separately. Now al the disputes have been settled. Now my son Sudhir Mehra has come back to me after obtaining the divorce from competent court from his wife Rashm My son is now residing with me happily with my consent. The publication dated 14.11.2011 is therefore withdraw and be treated as null and void.

Sd/- SURINDER SINGH POPLI, ADVOCATE Ch.No. X-17 A, Civil Wings, Tis Hazari Court, Delhi

अदालती सूचना

IN THE HIGH COURT OF **DELHI AT NEW DELHI** (ORDINARY ORIGINAL CIVIL JURISDICTION) In the matter of : CS(COMM) Toptime Network Pvt. Ltd. & Anr.

Versus Toptime Biz Limited & Ors.

Proposed Defendants Sh. Nitin Gupta. JG-II/285, IIIrd Floor, Janta Flat Vikas Puri, New Delhi-110018. Sh. Manish Kumar Kapoor, JG-II/285, IIIrd Floor, Janta Flat Vikas Puri. New Delhi-110018 WHEREAS the above name plaintiff has instituted a sui against you for DECLARATION, PERPETUAL INJUNCTION AND DAMAGES. AND WHEREAS it has been

shown to the satisfaction of the Court that it is not possible to serve you in the ordinary way therefore, this notice is given by publication directing you to make appearance before the Joir Registrar(Judicial) of this Cour on 17.12.2019 at 11:00 a.m. Take notice that in default of you appearance on the day above mentioned, the suit will be hear and determined in your absence. Given under my hand and the seal of the Court, in terms of order dated 17.10.2019.

> Assistant Registrar (O) for REGISTRAR GENERAL

दिल्ली सहित 14 शहरों की हवा आज पहुंच सकती है गंभीर दर्जे में

100 शहरों में से 14 शहरों की हवा सेहत के लिए बहुत खराब दर्जे की पाई गई

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली,11 नवंबर।

राजधानी सहित देश के 14 शहरों की हवा फिर बहुत खराब हो गई है। प्रदूषण व मौसम निगरानी संबंधी सरकारी प्रणाली सफर के मृताबिक मंगलवार को इसके और खराब होकर गंभीर दर्जे में पहुंचने की आशंका है। हालांकि 425एक्यूआइ के साथ पानीपत की हवा की गुणवत्ता अभी से खतरनाक दर्जे की हो गई है। सफर ने बताया कि उत्तरी पछुवा हवा चलने की वजह से दिल्ली तक पराली का धुंआ जमा हो गया। इसके बाद ठंडक के साथ हवा की रफ्तार घट कर आठ किलोमीटर प्रतिघंटा रह गई जिससे प्रदेषण यहां से तितर-बितर नहीं हो पा रहा है। केंद्रीय प्रदषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की

ओर से मापे गए कुल 100 शहरों में से 14 शहरों की हवा सेहत के लिए बहुत खराब दर्जे की पाई गई। इनमें दिल्ली के अलावा नोएडा, ग्रेटर

संहत का ध्यान रखें सफर ने कहा है कि मंगलवार को हवा की रफ्तार

और कम होगी। इसके साथ ही कोहरा भी होगा। इससे एक्यूअआइ खतरनाक स्तर तक पहुंच जाएगा। अनुमान है कि दिल्ली के कई इलाकों में मंगलवार को एक्यूआइ ४०० से ५०० के बीच रहेगा। लोगों को सेंहत संबंधी जरूरी एहतियात बरतने को कहा गया है।

नोएडा, गाजियाबाद, गुरूग्राम मंडीगोविंदगढ़, करनाल, फरीदाबाद, मानेसर, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, हिसार और बुलंदशहर हैं जबिक 30 शहरों में हवा खराब स्तर की है। सीपीसीबी के आंकड़ों के मृताबिक सोमवार

गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 331 दर्ज किया

गया जो शाम चार बजे तक बढ़ कर 360 पहुंच

गहरा करने के लिए की जा

रही खुदाई के दौरान निकली

जहरीली गैस के संपर्क में

आने से तीन मजदूरों की मौत

हो गई।

सुबह 10 बजकर 37 मिनट पर दिल्ली की वायु

पुलिस उप निरीक्षक

प्रदीप डागा ने बताया कि

बांसला गांव में कुंए को गहरा

करने के लिए एक मजदुर

कुंए में उतरा। उसके बाहर

गया था। रोहिणी, बवाना और आनंद विहार में सुबह एक्यूआइ क्रमशः 380, 375 और 373 दर्ज किया गया जो शाम तक बढ़ कर क्रमशः 414, 414, 408 तक पहुंच गया। अशोक विहार में यह 398, अलीपुर में 378, आयानगर में 369, बुराड़ी में 383 व अन्य इलाकों में भी कमोबेस यही हाल रहा। दिन में कई बार इन इलाकों में एक्यूआइ 500 और इसके पार भी पहुंचा।

सफर के अनुमान के मुताबिक वायु गुणवत्ता मंगलवार को 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच सकती है। रविवार को औसतन एक्यआइ 321 दर्ज किया गया था। वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के, नोएडा में एक्युआइ 358 जबकि गाजियाबाद में एक्यूआइ 364 दर्ज किया गया। ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव और फरीदाबाद में सुबह एक्यूआइ क्रमशः 346, 304 और 306 दर्ज किया गया जो शाम तक क्रमशः 371, 326 व 341 पहुंच गया। गाजियाबाद की हवा 391 एक्युआइ के साथ बहत खराब दर्जे की रही।

नहीं निकलने पर दूसरा

मजदूर उसे देखने के लिए

कुंए में उतरा। दोनों मजदूरों

के बाहर नहीं आने पर तीसरा

मजदूर कुंए में उतरा।

जयपुर, 11 नवंबर (भाषा)। जहरीली गैस से तीन मजदूरों जिले के धोरीमन्ना थाना क्षेत्र की मौत में सोमवार को एक कुंए को

सार्वजनिक सुचना पूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल श्री मदन लाल खुराना सुपुत्र श्री नानकचंद, निवासी-56/1, अशोक नगर, तिलक नगर, नई दिल्ली-110018 ने अपने पुत्र मुदुल खुराना उर्फ गोलु से अपने सारे संबंध विच्छेद कर लिये हैं तथा उसे अपनी सभी चल-अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया है। मेरा मुवक्किल अपने पुत्र मृदुल खुराना के किसी भी कार्य के लिए भविष्य में जिम्मेदार नहीं होगा। यदि भविष्य में कोई व्यक्ति मृदुल

> PARDEEP KUMAR Enrolment No. D/2443-B/99

ख़ुराना से किसी भी प्रकार का लेनदेन करता है तो

इसकी जिम्मेदारी मेरे उपरोक्त मुवक्किल की नहीं होगी

तथा लेनदेन करने वाला स्वयं जिम्मेदार होगा।

सार्वजनिक सूचना पर्व साधारण को सचित किया जाता है कि नारायन व (2) श्रीमति निर्मल देवी पत्नी श्री मुकेश चन्त गणेश पुरा त्रीनगर, दिल्ली ने अपने पुत्र विकास गुप्ता इसकी पत्नी रिचा गोयल से इनके ग कत्यों/दरव्यवहार के कारण अपने सभी सम्बंध विच्हें कर लिये है तथा इनको अपनी समस्त चल-अच सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है। भविष्य में यदि के व्यक्ति इनसे कोई भी सम्बंध रखता/बनाता है या को लेन-देन करता है या इन पर कोई पुलिस केस/कोर्ट हो है तो मेरे मुवक्किलों की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

> (अधिवक्ता Chamber: 439-A, Western Wing. Tis Hazari Courts, Delhi-11005

ओ.पी. शम

PUBLIC NOTICE This is to bring to notice of all concerned that my clients Sh. Bhoop Singh S/o Sh Chunni Lal R/o H.No. 18/82/83 East Mot Bagh, Srai Rohilla. Delhi, have severed all relations with his son Mr. Narender Singh @ Pintu. My clients have disowned Mr. Narender Singh @ Pintu from their all movable and immovable properties. Any person dealing with him shall do so it his own risk and consequences. My above named clients will not be responsible for his act of omissions. Rajesh Kumar (Advocate)

2148, LGF, Outram Line, Dr. Multharjee Nagar, Delfii-03

सार्वजनिक सूचना

दद्वारा सचित किया जाता है मेंसर्स प्रन्ता होम्स प्रा. लि. (पूर्ववर्ती मंशर्स विरुद्धम ट्रेडकॉम प्रा. लि. के रूग में जात) पार्टिशन बीड पंजीकृत दिनाक 20.08.2018 के साथ पंजित बिकी विलेख पंजीकरण दिनांक 02,05,2018 माध्यम से इस्ट पटेल नगर ल्ली में स्थित सम्पत्ति स 45 एरिया परिमाप 200 वर्ग यार्ड, ब्लॉक 45 में छत / टैरेस अधिकार के साथ सम्पूर्ण प्रथम तल सम्पूर्ण द्वितीय तल वं सम्पूर्ण तुलीय तल "कं मालिक लिक आगे उपरोक्त कथित सम्पर्ी "सम्पूर्ण द्वितीय तल" को बेचने म्येति को आईहीबीआई बैक लि नुपालैन में स्वर्गीय एस वारयम सि नुनी उत्तराधिकारी के जीवित सदक हम् यह सार्वजनिक सूचना देते हैं वि दि किसी व्यक्ति को कृथित सम्परि यामित्व और/या इसे आईडीबीआइ क लि के पक्ष में पंचक रखने पर को देनों के मीतर नीये दिये गये पते क अधोहस्ताक्षरी को लिखित में अपन Juris NextGen Law Offices E-56, Greater Kailash Enclave

Part-1, New Delhi-110048 PUBLIC NOTICE This is for information of general publ

that My clients Sh.Rajesh Srivastava & Dr. Jenny Shabnam (absolute owne in possession of Entire Second Floo with terrace rights), Dr.Jenny Shabna (absolute owner in possession of Ent Basement/Lower Ground Floor) & Sh Aiit Sharma (Owner of Entire Groun Floor & First Floor) of Property bearing No.07, Street No. 05, NDSE, CHE also known as Sarvapriya Vihar, New Delhi had not received the Origina Conveyance Deed dated 01.06.2000 xecuted by DDA in favour of Sh Sudhanshu Sharan, duly registere with No.7852 before Sub-Registrar VI at the time of purchase of respective floors and the said document misplaced/lost. If any person/s finds the abovestated document, it is requested undersigned. And if any person/s has any claim whatsoever with respect t the abovestated property, he/she required to give notice of the same t the undersigned within 10 days from the date of publication hereof, together with copies of documents forming basis of such claim, failing which it shall b concluded that there is no clai whatsoever against the abovesai property and my clients can procee with their intended object pertaining the abovestated property.

> Rajesh Gupta Advocat F-43, Dilshad Colony Rlegal2013@gmail.com

"IMPORTANT" Whilst care is taken prior to

acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

सांभर झील क्षेत्र में सैकड़ों प्रवासी पक्षी मृत पाए गए घटनास्थल का दौरा किया और लगभग 15 प्रजाति के

जयपुर, 11 नवंबर (भाषा)।

राजस्थान के बाड़मेर

जयपुर के पास सांभर झील क्षेत्र में एक दर्जन से अधिक प्रजाति के सैकड़ों प्रवासी पक्षी मृत पाए गए हैं। अधिकारियों ने पक्षियों की मौत दुषित पानी के कारण होने की आशंका जताई है लेकिन वास्तविक कारणों का खुलासा विसरा जांच के बाद ही हो पाएगा। सांभर झील के आसपास पांच से सात किलोमीटर

के क्षेत्र में रविवार को लगभग 1,500 पक्षी मृत पाए गए। सांभर झील का क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय महत्त्व का प्रसिद्ध आर्द्रभमि क्षेत्र है। यह हजारों प्रवासी पक्षियों के लिए महत्त्वपूर्ण शीतकालीन क्षेत्र है। मृत पक्षियों के बारे में स्थानीय लोगों से सचना मिलने के बाद राजस्व. वन और पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने

1,500 पक्षियों के शव बरामद किए। इनमें नार्थन शाउलर, रूडी शेलडक, फ्लोवर्स, अडोसेट्स प्रजाति के पक्षी शामिल है। वन विभाग के अधिकारी ने बताया कि पशुपालन

विभाग के दल ने नमूने ले लिए हैं। नमूनों को भोपाल के नेशनल इंस्टीट्यूट आफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजिज सेंटर भेजा जाएगा। जांच रिपोर्ट 4-5 दिन में आने की संभावना है। पक्षियों के शवों को दफना दिया गया है और क्षेत्र को साफ किया जा रहा है। जोधपुर के खिंचन के बाद यह दूसरी घटना है। खिंचन क्षेत्र में 37 कुरजां (घरेलू) सारस गत गुरुवार को मृत पाए गए थे। विसरा को जांच के लिए भेजा गया है और रिपोर्ट आने पर वास्तविक कारणों का खुलासा हो पाएगा।

नेकां ने कश्मीरी नेताओं की रिहाई की मांग दोहराई

जम्मू /श्रीनगर, 11 नवंबर (भाषा)।

राजनीतिक गतिविधियों को बहाल किए जाने की बहाल की जाएंगी।

अप्रत्याशित और अलोकतांत्रिक बताते हुए नेशनल करने की याचिका को मंजूरी दे दी। कॉन्फ्रेंस के सचिव रतन लाल गुप्ता ने कहा केंद्र लोकतांत्रिक चरित्र के खिलाफ है।'

अवीवा लाइफ इंश्योरेंस के खिलाफ दिवालाशोधन प्रक्रिया शुरू करने के आदेश

नई दिल्ली, 11 नवंबर (भाषा)।

राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सोमवार ने अवीवा लाइफ इंश्योरेंस के खिलाफ दिवाला एवं को सभी राजनीतिक नेताओं की रिहाई और ऋणशोधन प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। एनसीएलटी ने एपीजें ट्रस्ट द्वारा दायर शिकायत के अपनी मांग दोहराई। दूसरी ओर पांच अगस्त से आधार पर यह आदेश दिया है। न्यायमूर्ति आरडी खरे घाटी में निलंबित की गईं ट्रेन सेवाएं मंगलवार से और न्यायमूर्ति सुमित पुरकायस्थ की एनसीएलटी दिल्ली की दो सदस्यीय पीठ ने अवीवा लाइफ इंश्योरेंस के राजनीतिक नेताओं को हिरासत में लिए जाने को खिलाफ दिवाला संहिता के तहत ऋण समाधान शुरू

पीठ ने कंपनी के रोजाना के मामलों को देखने के द्वारा जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले धारा लिए एक अंतरिम दिवालाशोधन पेशेवर की भी नियुक्ति 370 के प्रावधानों को रद्द करने के बाद पांच अगस्त कर दी है। एपीजे ट्रस्ट ने अवीवा लाइफ इंश्योरेंस को से जिन नेताओं और अन्य लोगों को हिरासत में मुंबई के वाशी में स्थित संपत्ति पट्टे पर दी है। उसने रखा गया है, उन्हें रिहा करना ही चाहिए। राज्य के परिचालन के लिए वित्तीय मदद मुहैया कराने वाले तीन पूर्व मुख्यमंत्री नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष ऋणदाता के तौर पर अवीवा लाइफ के खिलाफ 27.67 फारूक अब्दुल्ला व उनके बेटे उमर अब्दुल्ला और लाख रुपए के भुगतान में चूक का दावा किया है। ट्रस्ट पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती उन प्रमुख का आरोप है कि उसे आखिरी भुगतान पांच अक्तूबर राजनेताओं में शामिल हैं, जो इस समय हिरासत में 2017 को मिला है। एनसीएलटी ने कहा कि परिस्थितियों हैं। गुप्ता ने एक बयान में कहा, 'राजनीतिक पर गौर करते हुए न्यायाधिकरण इस याचिका को स्वीकार नेताओं को हिरासत में लिया जाना देश के करती है और दिवाला एवं ऋणशोधन प्रक्रिया शुरू करने का आदेश देती है।

शिवसेना नेता संजय राउत की एंजियोप्लास्टी हुई

मुंबई, 11 नवंबर (भाषा)।

राउत की सोमवार को लीलावती अस्पताल में एंजियोप्लास्टी हुई। उन्हें कुछ घंटे पहले ही सीने में

अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दोपहर बाद अस्पताल आए थे। राउत के भाई और अस्पताल के शिवसेना के चर्चित नेता संजय अधिकारियों ने यह जानकारी दी। सुनील राउत ने कहा कि राउत की महाराष्ट्र में मौजूदा राजनीतिक हालत पर रोजाना अपनी पार्टी के हृदय में दो अवरोध मिले। रुख से मीडिया को अवगत कराने एंजियोप्लास्टी की जा रही है और दर्द की शिकायत के बाद वाले राउत नियमित जांच के लिए उनका स्वास्थ्य स्थिर है।

राज्यसभा सदस्य के भाई पहले एंजियोग्राफी की गई जहां



New batch: Nov. 15-Dec. 30 [2.30-4.45pm]

Answer Writing Practice | Tests | Model Answer support Namission on 'hist-come-hist-served' basis Next similar batch: Mar. 02-Apr. 15 (2,30-5,00pm) A/41, Old Resinder Magar, Bada Bazar Road, Near Shankar Road, N. Delhi- 60 www.rameshsingh.org | ph. 98182-44224; 80767-48812

Contact for Advt. Booking: M/s Friends Publicity Service Ph.23276901, 23282028 (M): 9212008155, 9212665841.

हरकी पैड़ी उड़ा देने की धमकी, एक गिरफ्तार जनसत्ता संवाददाता

देहरादून, 11 नवंबर।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के मोबाइल फोन पर हरिद्वार स्थित हरकी पैड़ी को बम से उड़ाने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने सोमवार को हरिद्वार के शहर कोतवाली क्षेत्र से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है।

हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सेंथिल अबूदेई ने बताया कि आरोपी युवक केशवानंद पौड़ी जिले के आनंताखोली तहसील चैंकी सैंड, पटरी काण्डारस्यू का रहने वाला है। वह फिलहाल प्रेमनगर देहरादून में रहता है। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि 2016 में आधार कार्ड न बन पाने के कारण पौड़ी में मुख्यमंत्री के जनता दरबार में गया था। लेकिन उचित कार्रवाई नहीं हो पाई। इसके कारण गरसे में 17 फरवरी, 2016 को श्रीनगर फोन करके कहा कि मेरा आधार कार्ड न बनने पर मैं सीएम को नुकसान पहुंचा दूंगा।

नई दिल्ली

न्यूनतम- 14.4 डि.से.

(Figures in lakhs)

जनसत्ता, नई दिल्ली, 12 नवंबर, 2019 3

ईपीसीए ने दिए निर्देश

वर्ड दिल्ली 🔨

प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग कल तक रहेंगे बंद

पताः 616/18, बस स्टैंड के सामने,

पताः 1154, हुडा, सेक्टर-6, बहादुरगढ़

पताः 1154, हुडा, सेक्टर-6, बहादुरगढ़

7. श्री ललित कपूर, पुत्र ठाकुर दास

स्थानः बहादुरगढ़

6. श्रीमती मंजू डागर, पुत्री श्री रण सिंह डागर

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली,11 नवंबर।

प्रदूषण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से अधिकार प्राप्त प्रदूषण रोधी प्राधिकरण (ईपीसीए) ने सोमवार को कहा कि दिल्ली और उसके उपनगरीय इलाकों में ज्यादा प्रदुषण फैलाने वाले ईंधन से चलने वाले उद्योग 13 नवंबर की सुबह तक बंद रहेंगे। साथ ही अन्य प्रदूषणकारी गतिविधियों पर रोक को बुधवार तक के लिए बढा दिया गया है। राजधानी में प्रदुषण एक बार फिर खतरनाक स्तर की ओर तेजी से बढ़ने के मद्देनजर ईपीसीए ने यह रोक बढाई है।

पर्यावरण प्रदुषण (निरोधक एवं नियंत्रण) प्राधिकरण ने दिल्ली-

एनसीआर में हॉट-मिक्स प्लांट्स और स्टोन क्रशर पर पाबंदी सहित कई अन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध को बुधवार सुबह तक बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चार नवंबर को क्षेत्र में अगले आदेश तक निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर रोक लगा दी थी। साथ ही दिल्ली में फैले कचरा व मलबे को 13 तक हटा लेने का आदेश दिया था।

सोमवार को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में ईपीसीए प्रमुख भूरे लाल ने कहा कि कोयला और दूसरे ईंधन से चलने वाले उद्योग, जिन्होंने प्राकृतिक गैस या कृषि-अवशेषों का

पर्यावरण के प्रति गंभीर नहीं हैं राज्यों के पर्यावरण मंत्री : गहलोत

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 11 नवंबर।

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सरकारें पराली को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री की ओर से 11 नवंबर को बुलाई गई बैठक में इन राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों की अनुपस्थिति चिंता का कारण है। यह बैठक रोडमैप तैयार करने के लिए केंद्र की ओर से बुलाई गई थी। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद भी संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव नहीं आए। उन्होंने कहा कि वे संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर पराली जलाने के मुद्दे को उठाएंगे। गहलोत ने कहा कि दिल्ली के भीतर प्रदुषण के प्रमुख स्रोतों में से सड़कें भी एक हैं। ज्यादातर सड़कें एमसीडी के अंतर्गत आती हैं। खाली जमीन के पैच जो डीडीए करता है, उससे भी धूल उठती हैं। बैठक में न तो एमसीडी कमिश्नर और न ही डीडीए वीसी और अधिकारी मौजूद थे।

इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया है, वो फरीदाबाद, गुरुग्राम, गाजियाबाद, नोएडा, बहादुरगढ़, भिवाड़ी, ग्रेटर नोएडा, सोनीपत, पानीपत में 13 नवंबर की सबह तक बंद रहेंगे। दिल्ली में जो उद्योग पाइप से आने वाले प्राकृतिक गैस ईंधन (पीएनजी) से नहीं चल रहे हैं वो भी इस दौरान बंद रहेंगे। सोमवार को आयोजित एक समीक्षा बैठक में भारतीय मौसम विभाग ने सीपीसीबी के अगुआई वाले वाले 10 सदस्यीय कार्यबल को बताया कि पश्चिमोत्तर से आने वाली हवाओं और पराली जलाए जाने के बढ़े मामलों की वजह से वायु गुणवत्ता बिगड़ी। मौसम विभाग ने कहा कि दिल्ली और आसपास की वायु गुणवत्ता बुधवार तक खराब से गंभीर दर्जे के बीच बनी प्रदुषण का स्तर घटेगा।

रहेगी। विभाग ने कहा कि 13 नवंबर के बाद तेज हवाओं के चलने से

दयानंद नगर, थाना सदर के सामने, मुख्य दिल्ली-रोहतक रोड,

जनसत्ता संवाददाता

नई दिल्ली, 11 नवंबर।

सविधाए बेहद सीमित हैं।

संसदीय समिति ने कैंसर के बढ़ते मामलों के

मद्देनजर देश में इसके जांच व इलाज केंद्र बढ़ाने

की वकालत की है। विज्ञान व प्रोद्यौगिकी और

पर्यावरण संबंधी संसद की स्थायी समिति ने

सोमवार को अपनी रिपोर्ट में केंद्र सरकार से कहा

है कि देश में कैंसर के रोगियों की संख्या में

बेतहाशा बढ़ोतरी को देखते हुए इलाज की

देश में विशिष्ट इलाज केंद्र (ट्रीटमेंट हब) बनाने

की दरकार है। विशिष्ट इलाज केंद्रों की जगह

चिह्नित करने के लिए समिति ने सरकार से एक

लिहाजा इस समस्या से निपटने के लिए पूरे

बहादुरगढ़, झज्जर-124507, टेली. नं. 01276-231039

कब्जा सूचना

{ प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(1)} (अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के अधिनियम 54) के अंतर्गत आन्ध्रा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना जारी कर नीचे वर्णित ऋणधारक (कों) को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था। ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित तिथि को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभृति

का कब्जा कर लिया है। ऋणधारक का ध्यान प्रतिभृत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है। विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतदुद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय नीचे वर्णित राशि के लिये आन्ध्रा बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति

ऋणधारक ⁄गारन्टरों) का नाम मांग सूचना तिथि। मै. साई ट्रिनिटी ऑर्गेनाइजेशन . भूमि तथा भवनः मैन बस स्टैंड, दिल्ली–रोहतक रोड, बहादुरगढ़, जिला झज्जर, हरियाणा, पिन 124507 के सामने श्री राम रु. 36582726/-(रु. तीन करोड़ निवास सहरावत, पुत्र श्री मांगे राम, निवासी एच. नं. 616/18 की खाता में बहादुरगढ़ की एमसी लिमिट्स के भीतर रामबाग गारन्टर (रों): कॉलोनी में स्थित बहादुरगढ़ की राजस्व सम्पदा के भीतर खसरा न. 2364 एव 2365, खवत न. 377, खाता न. 519, खसर

अधोलिखित में शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा 2. सुश्री सुनीता सहरावत, पुत्री उमेद सिंह, पत्नी धरमवीर 1. भूमि तथा भवनः मैन बस स्टैंड, दिल्ली-रोहतक रोड, बहादुरगढ़, जिला झज्जर, हरियाणा, पिन 124507 के सामने पताः एच नं. 410, हुडा सेक्टर-10, रोहतक, हरियाणा-1240001 श्री राम निवास सहरावत, पुत्र श्री मांगे राम, निवासी एच. नं. 616/18 की खाता में बहादुरगढ़ की एमसी लिमिट्स के 3. श्री राम निवास सहरावत, पुत्री श्री मांगे राम सहरावत भीतर रामबाग कॉलोनी, बस स्टैंड के सामने, दिल्ली रोहतक मैन रोड, बहादरगढ 124507 में स्थित बहादरगढ की राजस्व पताः 616/18, बस स्टैंड के सामने, बहादुरगढ़ सम्पदा के भीतर खेवत नं. 377, खाता नं. 519, खसरा नं. 2365/1 (0-11) एवं खाता नं. 520 एवं खसरा नं. 2364 4. श्री धरम वीर, पुत्र श्री मांगे राम सहरावत (0-13) में शामिल आवासीय, माप 200 वर्ग यार्ड्स तथा चौहद्दीः पूर्वः स्कूल, पश्चिमः अन्य सम्पत्ति, उत्तरः प्रवेश गली, पताः एच नं. 410, हुडा, सेक्टर-10, रोहतक, हरियाणा-124001 5. श्रीमती सत्यवती, पत्नी श्री रण सिंह डागर

चौहद्दीः पर्वः अन्य सम्पत्ति, पश्चिमः अन्य सम्पत्ति, उत्तरः रोड, दक्षिणः सम्पत्ति का शेष भाग।

अधोलिखित में शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्साः 1. भुमि एवं भवनः साई ट्रिनिटी आर्गनाईजेशन की खाता में ग्राम लोहारू, तहसील लोहारू, जिला भिवानी, हरियाणा पिन-127201 की राजस्व सम्पदा के भीतर खेवत नं. 828/769, मस्तिल नं. 156 एवं किला नं. 12/2(4-17) 13/1(2-5), 13/2/1(2-17), 18/1/4(0-19), 18/2/2(3-3), 19/1(6-4), 22/2(6-6), 23/1(3-8) एव

नं. 2365/1 (0-11), खाता नं. 520, खसरा नं. 2364 (0-13) में स्थित आवासीय, माप लगभग 517,33 वर्ग यार्डस तथा

मुस्तिल नं. 164 एवं किल्ला नं. 2/1/2(2-3) तथा 00 कनाल 17 मरला भूमि जो खेवत नं. 829/770, मुस्तिल नं. 156 एवं किल्ला नं. 13/2/2(0-13) एवं 18/1/3(0-4) में शामिल अचल सम्पत्ति कुल माप 32 कनाल 02 मरला भूमि अर्थात् लगभग 326700 वर्ग फीट। चौहद्दीः पूर्वः कृषि भूमि, पश्चिमः प्रवेश, उत्तरः कृषि भूमि, दक्षिणः कृषि भूमि एजीएम/ मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी, आन्ध्रा बैंक

कार्यबल का गठन करने की सिफारिश भी की ने सोमवार को राज्यसभा के सभापति एम है। जिससे मरीजों को एक ही स्थान पर कैंसर वेंकैया नायडू को समिति की रिपोर्ट सौंप दी। के इलाज की सुविधा मिल सके और उन्हें लंबी दुरी तय कर इलाज के लिए महानगरों में न विषय पर आधारित इस रिपोर्ट में भारत में

कैंसर की जांच और इलाज केंद्र बढ़ाने की वकालत

समिति के अध्यक्ष सदस्य जयराम रमेश बढाने की विस्तृत सिफारिश की गई हैं।

परमाणु ऊर्जा विभाग की विस्तारित भूमिका कैंसर के इलाज की सुविधाओं का दायरा

DELTA INDUSTRIAL RESOURCES LIMITED

Regd. Office: Shop No. 325, Third Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14, Rohini, New Delhi-110085 Website: www.dirl.in. E-mail: deltaindltd@gmail.com, Ph. No. 011-27860681 Extracts of the Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter and

Half Year Ended 30th September, 2019

			-		
SI. No.	Particulars	3 months ended 30.09.2019	Correspond- ing 3 months ended 30.09.2018 in the previous year	Year to date figures for Current period ended 30.09.2019	Previous year ended 31.03.2019
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1.	Total Income from Operations	8.94	12.40	16.39	638.72
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	4.70	8.09	7.94	(14.13)
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	4.70	8.09	7,94	(14,13)
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	3.49	5.99	5.90	(14.13)
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	3.39	6.10	5.95	(14.68)
6.	Equity Share Capital	539.30	539.30	539.30	539.30
7,	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	(35.73)	(21.05)	(35.73)	(21.05)
8,	Earnings Per Share (for continuing and discontinued operations) - 1: Basic: 2. Diluted	0.06 0.06	0.11 0.11	0.11 0.11	(0.26) (0.26)

Note:

The above unaudited financial results were reviewed & recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their Meeting held on 11th November, 2019 and subjected to Limited Review Report as required under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 has been completed on the detailed Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2019 received by the Statutory Auditors of the Company.

The above is an extract of detailed format of Quarter and half yearly unaudited financial results filed with the stock exchange under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 The Full Format of the Statement of Unaudited Financial Results are available on the Company's website (www.dirl.in) and on websites of Stock Exchanges i.e. BSE Limited (www.bseindia.com) and MSEI (www.msei.in).

The above results have been prepared in compliance with the recognition and measurement principles of Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015 as amended by the Companies (Indian Accounting Standard Amendment Rules, 2016) prescribed under section 133 of the Companies Act,

2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable Figures for the previous period have been regrouped/reclassified wherever necessary, to conform to

> For and on behalf of Delta Industrial Resources Limited

Place: New Delhi Date: 11.11.2019


Kiran Mittal (Director) DIN: 00749457

੧ਓ ਸ਼ੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ Punjab & Sind Bank पंजाब एण्ड सिंध बैंक (A Govt. of India Undertaking)

पताः 2556/11, नवयुग हाई स्कूल के निकट, नेहरू कॉलोनी, रोहतक, हरियाणा

तिथि: 5.11.2019

छब्बीस मात्र)



30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही/छमाही के लि	ए समीक्षित	अलेखापरी	क्षित वित्तीर	। परिणाम
विवरण	समाप्त तिमाही 30.09.2019 (समीक्षित)	समाप्त वर्ष छमाही 30.09.2019 (समीक्षित)	समाप्त वर्ष 31.03.2019 (लेखा परीक्षित)	समाप्त तिमाही 30.09.2018 (समीक्षित)
परिचालनों से कुल आय	222257	446048	938695	240941
अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)(कर, असामान्य तथा/या असाधारण मदों से पहले)	-72193	-78692	-85877	-24322
अवधि के लिए कर से पहले शुद्ध लाभ/(हानि)(असामान्य तथा/या असाधारण मदों के बाद)	-72193	-78692	-85877	-24322
अवधि के लिए कर के बाद शुद्ध लाभ/(हानि)(असामान्य तथा/या असाधारण मदों के बाद)	-46873	-49901	-54348	-10923
अवधि के लिए कुल व्यापक आय [(अवधि के लिए सम्मलित लाभ/(हानि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद)]	-46873	-49901	-54348	-10923
भुगतान किया इक्विटी शेयर पूँजी	60206	60206	56491	56491
आरक्षितियां (पुनर्मृल्यांकन आरक्षितियां को छोड़कर) जैसा कि पिछले वर्ष के तुलन पत्र में दर्शाई गई	420668	420668	420668	477073
प्रति शेयर अर्जन (प्रत्येक 10/- रुपये के) (जारी तथा बंद किये गये परिचालनों के लिए) -				
1. मृलभृत:	-7,79	-8.53	-9.62	-1.93
2. डाइल्युटेड :	-7.79	-8.53	-9.62	-1.93

टिप्पणी: स्टॉक एक्सचेंजों के पास सेबी के अधिनियम 33(सुचीबद्ध तथा अन्य प्रकटन अनिवार्यताओं) , अधिनियमीं , 2015 के अंतर्गत दायर तिमाही/इयर टू डेट के वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारुप का उक्त सार है।स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.nseindia.com, www.bseindia.com और बैंक की वेबसाइट www.psbindia.com पर तिमाही/इयर ट् डेट के वित्तीय परिणामों का विस्तृत प्रारुप उपलब्ध है।

> कृते एवं निर्देशक मंडल की ओर से चरन सिंह

एस. हरिशंकर फरीद अहमद प्रबंध निदेशक एवं सीईओ कार्यकारी निदेशक

फोन या ईमेल के माध्यम से अपने इंटरनेट बैंकिंग ब्यौरे, जैसे युजर आईडी/पासवर्ड या

अपने क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड के नंबर/सीवीवी/ओटीपी किसी को ना बताएं।

टॉल फ्री नं: 1800 419 8300

अध्यक्ष (गैर-कार्यकारी)



IN AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL DESILIT

(Rs. in Crore)

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended 30.09.2019 (Un-Audited)	Half Year Ended 30.09.2019 (Un-Audited)	Quarter Ended 30.09.2018 (Un-Audited)
1	Total Income from Operations	508.69	1,032.19	541.26
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional and/ or Extraordinary items)	69.13	128.75	35.97
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and/or Extraordinary items)	69.13	128.75	35.97
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and/or Extraordinary items)	58.74	97.46	24.36
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	58.62	96.70	25.74
6	Equity Share Capital (Face value of Rs. 5/- each)	24,39	24.39	24.39
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet	705.71 (As at 31.03.2019)	705.71 (As at 31.03.2019)	572.87 (As at 31.03.2018)
8	Earnings Per Share (of Rs. 5/- each) (for continuing and discontinued operations) (not annualized)-			
	Basic:	12.04	19.98	4.99
	Diluted:	12.04	19.98	4.99

- 1 The above is an extract of the detailed format of quarterly and year ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly and year ended Financial Results are available on the Company website www.sheelafoam.com and on the website of stock exchanges www.nseindia.com and www.bseindia.com.
- 2 The above Consolidated Financial Results have been reviewed by the Audit Committee of the Board in its meeting held on November 11, 2019 and approved and taken on record by the Board of Directors of the Company in its meeting held on November 11, 2019. Further in accordance with the requirements of Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Statutory Auditors have carried out the Limited Review and the Limited Reviewed Report has been approved by the Board.

3 Previous quarter/year figures have been regrouped/restated wherever necessary.

Key St	andalone financial information is given below:			(Rs. in Crore)
Sr. No.	Particulars	Quarter Ended 30.09.2019 (Un-Audited)	Half Year Ended 30.09.2019 (Un-Audited)	Quarter Ended 30.09.2018 (Un-Audited)
1	Total Income from Operations	422.79	868.60	456.49
2	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and/or Extraordinary items)	59.80	113.42	33.27
3	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and/or Extraordinary items)	52.08	86.71	22.02

For Sheela Foam Limited

Noida, November 11, 2019

(Rahul Gautam) Chairman and Managing Director

SHEELA FOAM LIMITED Regd. office: C-55, Preet Vihar, Vikas Marg, New Delhi-110092 · Corporate Office: 37/2, Site IV, Sahibabad Industrial Area, Ghaziabad-201010 • Tel: 0120-4162200, Fax:0120-4162282 • Web: www.sheelafoam.com • CIN L74899DL1971PLC005679



EK KOSHISH, MAA JAISA AARAM DENE KI...

A Sheela Foam Product

www.sleepwellproducts.com • Toll Free: 1800 103 6664

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक: 11,11,2019

जनसत्ता, नई दिल्ली, 12 नवंबर, 2019 4

खबरों में शहर

इलाज के अभाव में थम गईं नवजात की सांसें

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 11 नवंबर।

इलाज के लिए भटकते नवजात की दिल्ली से लखनऊ जाने के रास्ते में मौत हो गई। बिस्तर न मिलने से शिशु को भर्ती नहीं किया गया जिससे उसको बचाया नहीं जा सका। दिल में सुराख व सिकुड़े वाल्व के साथ पैदा हुए इस बच्चे को लिए उसके परिजन तीन दिन तक एक शहर से दूसरे शहर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के बीच भटकते रहे। लेकिन कहीं भी एनआइसीयू का एक बिस्तर नहीं मिल सका। शादी के दस साल बाद पैदा हुए इस शिशु को बचाने की जद्दोजहद में हार चुकी मां सदमें से बीमार पड़ गई है।

नवजात को कूड़े में फेंका, गिरफ्तार

फरीदाबाद, ११ नवंबर (जनसत्ता)।

खेड़ी पुल पुलिस थाना इलाके की भारत कॉलोनी में एक युवक के ऊपर नवजात को कूड़े के ढेर में फेंकने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक, एक किशोरी के साथ सहजीवन में रह रहे युवक ने शनिवार की रात पैदा हुए बच्चे को छुपाने की बात कहकर घर से ले गया और कूड़े के ढेर में फेंक आया। पुलिस ने युवक पंकज को गिरफ्तार कर लिया है। नवजात की मौत हो गई है।

सैनिकों के लिए 200 यूनिट रक्त एकत्रित

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 11 नवंबर।

न्यू अशोक नगर स्थित दिल्ली पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टिट्यूट कैंपस में सशस्त्र बल ट्रांसफ्यूजन सेंटर के सहयोग से जवानों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर तेज राम मीना, सूबेदार लक्ष्मण,

एफटीसी की तकनीकी टीम, डीपीएमआइ के फैकल्टी सदस्य और अन्य मौजूद रहे। शिविर में 200 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया। दिल्ली पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हर वर्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री व अधिवक्ता शांतिभूषण के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर आयोजित करती है। डीपीएमआइ के चेयरमैन विनोद बछेती ने कहा कि रक्त का घायल सैनिकों के इलाज में उपयोग किया जाएगा।

101 कन्याओं का सामुहिक विवाह संपन्न

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 11 नवंबर।

कन्यादान–महादान के मिशन पर समाजसेवा में कार्यरत आदर्श धर्मार्थ सामूहिक विवाह समिति की ओर से पिछले दिनों मादीपुर चौक के डीडीए ग्राउंड में 101 कन्याओं का सामूहिक विवाह संपन्न हो गया। समिति 14 वर्षों में 1500 से अधिक गरीब परिवारों की कन्याओं का विवाह करवा चुकी है। इस मौके पर वर-वधू पक्ष के हजारों परिचितों और रिश्तेदारों ने भरपूर आनंद लिया। पूर्व सांसद

सज्जन कुमार ने अपने संदेश में नवविवाहित जोड़ों के सुन्दर और सफल भविष्य की कामना की वहीं समारोह में मौजूद पूर्व सांसद रमेश कुमार, मालाराम गंगवाल, कांग्रेस नेता जगप्रवेश कुमार के अलावा समाजसेवी रूप बंसल, विनोद सिंघल, केएल जैन और जयसिंह वाल्मिकी भी मौजूद थे।

राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन

जनसत्ता संवाददाता नोएडा, ११ नवंबर।

सेक्टर- 24 स्थित केंद्रीय विद्यालय (केवी) में 27वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस (एनसीएससी) के आगरा संभाग का आयोजन किया गया। दो दिवसीय इस कार्यक्रम में आगरा संभाग के 38 विद्यालयों के 218 विद्यार्थियों ने भाग लिया। आयोजन के मुख्य अतिथि केंद्रीय विद्यालय के सेवानिवृत्त सहायक आयुक्त एचसी चावला थे। विद्यार्थियों ने विभिन्न विषय जैसे पारिस्थितिकी तंत्र सेवा, अपशिष्ट से संपदा, पारंपरिक ज्ञान प्रणाली, समाज संस्कृति आजीविका, स्वास्थ्य स्वच्छता और आरोग्य प्रबंधन आदि पर मॉडल प्रदर्शित किए। कार्यक्रम में प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय ग्रेटर नोएडा करुणाकर उपाध्याय और सेक्टर- 24 केवी के प्राचार्य मुकेश कुमार शामिल रहे।

अध्यापन सेवा है, पेशा नहीं : सिसोदिया

जनसत्ता संवाददाता

नई दिल्ली, 11 नवंबर।

निरंतर और 360 कोण में चलता है। यही चीज अध्यापन को अन्य सेवाओं से अलग करती है। गुरु गोबिंद इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में आयोजित 'मिलेनियम डेवलपमेंट गोल २०३० : रोल ऑफ एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटीज' कार्यशाला के मुख्य

अध्यापन सेवा है, पेशा नहीं। शिक्षक का कार्य

अतिथि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ये बातें कहीं। कार्यशाला में आइपी के कुलपति प्रोफेसर महेश शर्मा के अलावा विवि के संस्थापक कुलपित प्रोफेसर केके अग्रवाल और एनसीटीई के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर एमए सिद्दीकी भी मौजूद थे।

ओखला में ट्राला से हुई कार की भीषण टक्कर

तीन की मोत, चालक गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 11 नवंबर।

ओखला औद्योगिक थाना क्षेत्र में एक ट्राला चालक ने कार में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि हादसे में एक शख्स घायल है, जिनका मैक्स अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे की जानकारी रविवार देर रात करीब 11 बजे पुलिस को मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने पाया कि हादसे में चार लोग घायल हो गए हैं। सभी को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने अरुप सरकार (35), सुशंकर राय (42), सिद्धार्थ राय (45) को मृत घोषित कर दिया। वहीं, हालत गंभीर होने की वजह से रूपम मंडल (43) को साकेत मैक्स अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। दक्षिणी पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त ने बताया कि चालक मैनपुरी, उत्तर प्रदेश निवासी राम रतन (32) को गिरफ्तार कर लिया गया है।

उपायुक्त ने बताया कि रविवार रात को पुलिस ने सभी घायलों को पीसीआर और निजी वाहनों से अलग-अलग अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया अरुप सरकार कार का मालिक और और वह कैब चलाता था। मुलरूप से उत्तर प्रदेश के पीलीभीत का रहने वाला था। वहीं,

नाले में गिरने से एक नाबालिग समेत तीन की मौत

नई दिल्ली। निहाल विहार थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह आठ बजे नाले में डूबने से तीन लोगों की मौत हों गई। जान गंवाने वालों में एक नाबालिंग भी शामिल है। इलाके में गश्त कर रही पुलिस टीम ने देखा कि एक मोटरसाइकिल नाले के पास दुर्घटनाग्रस्त पड़ी हुई है। पास गए तो पुलिसकर्मियों ने देखा कि तीन लोग नाले में डूबे हुए थे। पुलिस टीम ने इसकी जानकारी पीसीआर को दी। सूचना मिलने पर सभी को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां तीनों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान हजरी (22), कपिल (15) और विशालुद्दीन उर्फ विशाल (20) के रूप में हुई है। शुरुआती छानबीन में पता चला कि मोटरसाइकिल विशाल की है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है।(जसं)

यह शंकर राय और सिद्धार्थ राय के जीजा थे। सुशंकर राय मध्य प्रदेश में रहते थे। वह अपने भाई सिद्धार्थ से मिलने के लिए दिल्ली आए थे। सिद्धार्थ भी ओला कंपनी की कैब चलाता था। घायल रूपम मंडल सिद्धार्थ का दोस्त है।

टैंकर से कुचलकर बच्ची की मौत, गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 11 नवंबर।

नरेला थाना क्षेत्र में सोमवार को पानी टैंकर चालक ने वाहन पीछे करते समय दो साल की बच्ची को कुचल दिया। हादसे में बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के समय बच्ची घर के बाहर गली में खेल रही थी। बच्ची की पहचान आलिया (2) के तौर पर हुई है। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि हादसे के समय आरोपी चालक ने ईयरफोन लगा रखा था। इस कारण उसे अन्य लोगों की अवाजें सुनाई नहीं दे रही थीं। लोगों ने आरोपी चालक को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल नरेला थाना पुलिस ने आरोपी चालक नीरज (19) को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है।

मिली जानकारी के मुताबिक, आलिया अपने परिवार के साथ पॉकेट-8, ए-5 में रहती थी। बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी अवैध पानी टैंकर चालक ने बच्ची को कचल दिया। हादसे के समय चालक टैंकर को पीछे की तरफ ले जा रहा था।

एक्सप्रेस-वे हादसा, सात की मौत

क्षतिग्रस्त कार को नहीं पहचान पाए दूसरी कार में सवार परिजन

जनसत्ता संवाददाता ग्रेटर नोएडा, 11 नवंबर।

ईस्टर्न पैरीफेरल एक्सप्रेस-वे पर सिरसा के पास रविवार देर रात हुआ सडक हादसा इतना भयानक था कि उसके पीछे चल रहे परिवार के दो वाहन अपने ही परिवार की कार को पहचान नहीं सके। बाद में जब वे पीछे लौटे तो कार में सभी परिजनों को बुरी तरह घायल पाया। सोमवार को मृतकों की संख्या बढ़कर सात हो गई है। हादसे में घायल छह वर्षीय बच्ची अक्शा की इलाज के दौरान मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल तीन का इलाज एम्स दिल्ली ट्रामा सेंटर में किया जा रहा है। तीन अन्य का कासना स्थित अस्पताल में भर्ती हैं। मरने वाले सभी ईको वैन में सवार थे। दुर्घटना से पहले परिवार के सदस्य तीन अलग-अलग वाहनों में सवार होकर बल्लभगढ़ से लौट रहे थे। इनमें से दो वाहन काफी पीछे चल थे।

बताया गया कि तीनों वाहनों में ईको वैन सबसे आगे चल रही थी। ईस्टर्न पैरीफेरल एक्सप्रेस-वे पर ग्रेटर नोएडा के थाना साइट पांच इलाके में सिरसा गांव के पास किसी अज्ञात वाहन ने ईको वैन में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि वैन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। अन्य दो गाड़ियों में सवार परिजन व रिश्तेदार

काफी दूर थे इसलिए उन्हें हादसे की जानकारी नहीं हुई। हालांकि इन्हीं में से एक गाड़ी ने घटनास्थल से गुजरते हुए दुर्घटनाग्रस्त हालत में ईको वैन को देखा था लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला कि यह गाडी उन्हीं के परिजनों की है। घटनास्थल से काफी दूर जाने के बाद यासीन मेवाती के कहने पर चालक ने गाडी मोडी, दोबारा देखने पर पता चला कि उन्हीं की ईको वैन हादसे की शिकार हुई है। इस बीच सूचना मिलने पर पलिसकर्मी मौके पर पहंचे।

बुलंदशहर के थाना गुलावठी इलाके के गांव मीठापुर निवासी यासीन मेवाती की दो भांजियों की रविवार को बल्लभगढ फरीदाबाद में शादी थी। यासीन मेवाती परिवार के अन्य सदस्यों और रिश्तेदारों के साथ तीन गाडियों में सवार होकर गए थे। ईको वैन में यासीन के छोटे भाई आसीन (48), समसीरा (60) पत्नी इकरामुद्दीन, शुमाइला (15) पुत्री यासीन, चालक शाकिर (25) पुत्र जाकिर, रिहानी पुत्री यासीन, फरजाना उर्फ भूरी पत्नी जाहिद निवासी मेरठ, फरहान पुत्र आसिफ, रिहान (16) पुत्र आसिफ, रुबियान पुत्र यासीन, शबनम (38) पत्नी आसिफ, अक्शा (6) पुत्री यासीन, मुशर्रफ पुत्र यासीन, सिदरा (11) पुत्री यासीन समेत कुल 13 लोग सवार थे। परिवार के अन्य सदस्य और रिश्तेदार अन्य दो गाडियों में सवार थे।

पत्नी को चाकू से गोदकर खुद भी किया खुदकुशी का प्रयास

गाजियाबाद, ११ नवंबर (जनसत्ता)।

घंटाघर कोतवाली क्षेत्र के बालूपुरा में पति ने अपनी पत्नी की चाकु गोदकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने खुद को भी चाकू मारकर खुदकुशी करने का प्रयास किया है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को घायल अवस्था में नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। जहां चिकित्सकों ने उसकी हालत को गंभीर बताते हए दिल्ली रेफर कर दिया है।क्षेत्राधिकारी धर्मेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि बालूपुरा निवासी विकास और घुकना की रहने वाली पूजा की शादी 2015 में हुई थी। शादी के बाद दोनों में किसी बात को लेकर मनमुटाव हो गया और पूजा ने विकास के खिलाफ कोर्ट में तलाक का एक मुकदमा दायर किया था। दोनों का मामला कोर्ट में विचाराधीन था। इसी बीच बालुपुरा पहुंचकर विकास ने अपनी पत्नी पूजा

को चाकु मारकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद खुद को भी चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर लिया। इसकी सुचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुँची तो पुजा और विकास लहुलुहान हालत में जमीन पर पड़े हुए थे। इसके बाद दोनों को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही पूजा ने दम तोड़ दिया। जबिक विकास की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। उसकी हालत बिगड़ते हुए देख चिकित्सकों ने उसे दिल्ली रेफर कर दिया है।उधर, पूजा के पिता ने बताया कि उन्होंने अपनी लाड़ली बेटी की शादी विकास से की थी। शादी के बाद से ही विकास दहेज में बाइक के लिए दबाव बनाने लगा। इस बात को लेकर दोनों में तकरार भी हुई। जब उन्हें इसकी जानकारी मिली तो सगे संबंधियों के साथ पंचा करते हुए फैसला करा दिया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से पुजा के साथ मारपीट की जाने लगी।

पूरे शिक्षा तंत्र में बदलाव की आवश्यकता: नायडू

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 11 नवंबर।

'भारत को ज्ञान और नवोन्मेष का केंद्र बनाने के लिए अध्यापन कला से लेकर शोध तक संपूर्ण शिक्षा तंत्र में बदलाव की आवश्यकता है'। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनय) के तीसरे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने कहा कि भारत एक समय विश्व गुरु रहा है और भारत के समक्ष एक बार फिर से शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक केंद्र बनने का मौका आया है। दीक्षांत समारोह में 430 विद्यार्थियों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। समारोह में मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रोफेसर डॉक्टर वीके सारस्वत और कुलपति एम. जगदीश कुमार भी मौजूद थे।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि इसके लिए हमारे विश्वविद्यालयों और शिक्षा के उच्चतर संस्थानों को अध्यापन के तरीकों की नई दिशा और जेएनयू दीक्षांत समारोह

अनुसंधान पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। भारतीय सभ्यता में, शिक्षा की समग्र एकीकृत दृष्टि पर हमेशा जोर दिया गया है। हमें सीखने के लिए इस बहु-विषयक दृष्टिकोण को वापस लाना होगा। उन्होंने इस तथ्य पर खुशी जताई कि महिलाओं के लिए विशेष दाखिला नीति के कारण संस्थान में कुल विद्यार्थियों में 51 फीसद छात्राएं हैं और अधिकतर छात्र-

छात्राएं दूरदराज के इलाकों के और वंचित वर्ग से हैं। नायड़ ने कहा कि मैं संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए समृचित आरक्षण मृहैया कराकर उनके राजनीतिक सशक्तिकरण पर भी जोर देना चाहुंगा। इस मौके पर एचआरडी मंत्री ने जेएनय को उत्कृष्टता के नए स्तर पर ले जाने के लिए विद्यार्थियों की प्रशंसा की।

बिल्डर कंपनी के निदेशक समेत तीन पर मामला दर्ज

जनसत्ता संवाददाता नोएडा, ११ नवंबर।

थाना सेक्टर- 49 पुलिस ने शुभकामना बिल्डटेक के निदेशक समेत तीन लोगों के खिलाफ 10.28 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। पीड़ित से बिल्डर परियोजना में निवेश कराने के नाम पर 10.28 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

सेक्टर-51 निवासी डॉ राजीव रंजन के पास जनवरी, 2012 में उनके मित्र पीयूष तिवारी आए थे। पीयूष ने बताया कि वह शुभकामना बिल्डटेक में निदेशक हैं। नई परियोजना शरू होने वाली है। इसमें धनराशि निवेश करें, तो लाभ होगा। राजीव रंजन इसके लिए तैयार नहीं हुए। अक्तूबर, 2012 में पीयूष तिवारी ने डॉ राजीव रंजन को लाजपत नगर दिल्ली निवासी शरद सूरी से मिलवाया। बताया गया कि शरद सूरी ब्रांडेड चुनचुन स्टोर के मालिक हैं और नोएडा, दिल्ली समेत कई शहरों में उनके शोरूम हैं। शरद सूरी और पीयूष तिवारी ने निवेश कराने के लिए राजीव रंजन को विश्वास में ले लिया।

दिसंबर, 2012 से लेकर सितंबर, 2013 के बीच राजीव रंजन ने 10 करोड 28 लाख रुपए निवेश कर दिए। इसके एवज में ग्रेटर नोएडा की परियोजना में 20 फ्लैट उनके नाम आबंटित करना था। आरोप है कि पहले इनमें फर्जीवाडा कर दूसरे को फ्लैट आबंटित कर दिए।

आम्रपाली के खरीदारों को मिलेगा मालिकाना हक

जनसत्ता संवाददाता नोएडा, ११ नवंबर।

लंबे इंतजार के बाद आम्रपाली के खरीदारों को मालिकाना हक मिलने जा रहा है। नोएडा में पहले चरण में सैफायर-1 और 2 के खरीदारों की रजिस्टी होगी। इसके बाद अन्य परियोजनाओं के खरीदारों की सत्यापन के बाद रजिस्ट्री शुरू की जाएगी। पहले चरण की रजिस्ट्री 18 व 19 नवंबर से शरू होने की उम्मीद है।

आम्रपाली बिल्डर के करीब 10 हजार फ्लैट खरीदारों को मालिकाना हक दिलाने के लिए कोर्ट ने एक रिसीवर नियुक्त किया है। अदालत के आदेश के तहत आम्रपाली समृह की परियोजनाओं के खरीदारों का सत्यापन किया जा रहा है। सत्यापन का काम प्राधिकरण की टीम कर रही है। जो मौके पर जाकर लोगों का सत्यापन कर रही है। सैफायर-1 और 2 के खरीदारों का सत्यापन कार्य पुरा किया जा चुका है। सत्यापित खरीदारों को मालिकाना हक दिलाने के लिए रजिस्टी प्रकिया

नोएडा व ग्रेटर नोएडा में खरीदारों का क्रमवार सत्यापन रोस्टर हुआ तय। आम्रपाली के करीब 10 हजार खरीदारों की होनी है रजिस्ट्री

शुरू करने की तैयारी है। 18 व 19 नवंबर से इन दोनों परियोजनाओं की रजिस्ट्री शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। रजिस्टी प्रक्रिया के दौरान अन्य परियोजनाओं के खरीदारों का सत्यापन कार्य भी जारी रहेगा। हालांकि इस मामले पर गत दिनों प्राधिकरण और रिसीवर के बीच एक बैठक हुई थी। जिसमें रिसीवर ने प्राधिकरण को पत्र जारी कर स्पष्ट किया था कि पहले सभी परियोजनाओं का क्रमवार सत्यापन किया जाए।

उसके बाद रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू हो। बताया गया है कि सत्यापन के क्रम में केवल एनबीसीसी ही बदलाव कर सकती है। वहीं, जो खरीदार सत्यापन के दौरान मौजूद नहीं है, वे आरडब्लूए या अपार्टमेंट एसोसिएशन के जरिए कागजों का सत्यापन कराएं।

बकाएदारों के लिए बिजली विभाग की पहल

जनसत्ता संवाददाता नोएडा, 11 नवंबर।

बिजली निगम की ओर से शुरू की गई आसान किश्त योजना से जिले के 76,750 उपभोक्ताओं को राहत मिलने वाली है। यदि वह इस योजना में अपना पंजीकरण कराते हैं तो उन्हें 65.22 करोड़ रुपए के सरचार्ज से छुटकारा मिलेगा। इस योजना का लाभ चार किलोवॉट और उससे नीचे के कनेक्शन लिए उपभोक्ताओं को ही मिलेगा जिनका बकाया है। सभी बकाएदारों द्वारा पैसा जमा करने पर बिजली निगम को 147.45 करोड रुपए का राजस्व मिलेगा। इसके लिए सोमवार से पंजीकरण शुरू हो गया है जिसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2019 है।

बिजली निगम का प्रदेश में करीब 18 हजार करोड़ रुपए बकाया है। इसकी वसूली के लिए शासन की ओर से निगम को आदेश जारी हो चुके हैं। इसी कड़ी में निगम ने सबसे पहले कम लोड वाले उपभोक्ताओं से बकाया वसूलने की योजना बनाई है। आसान किस्त योजना चार किलोवॉट तक के घरेलु ग्राहकों के लिए है। इसके तहत बकाया बिजली बिल की धनराशि शहरी उपभोक्ता 12 किश्तों में व ग्रामीण उपभोक्ता 24 किश्तों में जमा करा सकते हैं।

डीयू: बहुमंजिला इमारत निर्माण के विरोध में शवयात्रा निकाली

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 11 नवंबर।

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) उत्तरी परिसर में विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के पास निर्माणाधीन 39 मंजिला इमारत के विरोध में सोमवार को विद्यार्थियों और शिक्षकों ने मिलकर विश्वविद्यालय परिसर में एमसीडी, डीएमआरसी और बिल्डर की शवयात्रा निकाली। इस इमारत के निर्माण के विरोध में डीयू एसी के पूर्व सदस्य भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं।

डीयू एसी सदस्य और परिसर डेवलपमेंट समिति के मीडिया संयोजक डॉ रसाल सिंह ने बताया कि ओबीसी और ईडब्लूएस आरक्षण के बाद डीयू में छात्रों की संख्या लगभग दोगुनी हो चुकी है। कक्षाओं, छात्रावासों और पुस्तकालयों की भारी कमी है। ऐसे में क्यों न इस इमारत की जगह छात्रावास का निर्माण किया जाए। उन्होंने कहा कि हमारी एक ही मांग है- बिल्डर भगाओ, कैंपस बचाओ, हॉस्टल बनाओ।



संघर्ष समिति के विद्यार्थी संयोजक और अनशन कर रहे राजा चौधरी ने कहा कि इमारत का निर्माण एक सामाजिक मुद्दे के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा भी है। यह न केवल डीयू की संस्कृति, सुरक्षा एवं शांति का उल्लंघन करती है, बल्कि निकट स्थित रक्षा अनुसंधान

एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) की सुरक्षा एवं गोपनीयता का भी उल्लंघन करती है। इस भूमि का उपयोग सार्वजनिक कार्य के लिए ही किया जाना चाहिए। भूख हड़ताल पर बैठे प्रोफेसर हंसराज सुमन ने कहा कि वर्तमान में तेजी से बढ़ती विद्यार्थियों संख्या को देखते हुए

एबीवीपी और एनएसयुआइ भी सडक पर उतरे

दिरोध में एबीवीपी और एनएसयूआइ के कार्यकर्ता सोमवार को सडक पर उतरे। दोनों संगढनों के कार्यकर्ताओं ने कला संकाय से विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन तक मार्च किया। डीयू छात्र संघ और डीयू के विभिन्न कॉलेजों के छात्र संघ के नेतृत्व में विद्यार्थियों ने डीयू के कला संकाय पर जमा होकर निर्माण के खिलाफ मार्च किया।

वंचित वर्गों एससी. एसटी और ओबीसी के छात्रावास बनाए जाने चाहिए। इसके अलावा उत्तर पूर्व राज्यों से आने वाले विद्यार्थियों को भी छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। टास्क फोर्स के सदस्य प्रो बिपिन तिवारी ने कहा कि डीयू एकीकृत परिसर निर्माण के लिए प्रतिबद्ध और गंभीर है।

वकीलों ने काम का किया बहिष्कार

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 11 नवंबर।

दिल्ली की जिला अदालतों में वकीलों ने दो नवंबर को पुलिस के साथ हुए झड़प के विरोध में सोमवार को भी काम का बहिष्कार किया। नई दिल्ली जिला अदालत बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्य आरके वाधवा ने कहा कि वकील जज के समक्ष उपस्थित नहीं हुए, इसलिए जिला अदालतों में कोई काम नहीं हुआ। ऑल डिस्टिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन ने हडताल का आह्वान किया था। ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन के महासचिव धीर सिंह कसाना ने कहा कि रविवार को ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एसोसिएशन के सदस्यों, दिल्ली पुलिस के प्रतिनिधियों और दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल की बैठक में कोई समाधान नहीं निकल सका, जिसके चलते ये हड़ताल जारी रही।

नई दिल्ली

epaper.jansatta.com

				6. अपील सं. 704/ 252/ एन.डी./ 2019 आयकर अधिकारी वार्ड 4(4) बनाम आर.ओ.सी एंड भूपेन्द्र प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (पैनः AAECB3696G)		6		7. अपील सं. 777/252/एन.डी./2019 आयकर अधिकारी वार्ड 10(1) बनाम आर.ओ.सी. एंड जेम्स सेल्स प्राइवेट लिमिटेड (पैनः AADCG5533G)	2. विरेन्द्र ईश्वर डी.आई.एन.: 03121242	08.01.2020
आयकर अ कमरा सं. 162-ए, केंद्र	कार्यालय प्रायुक्त (न्यायिक), द्रीय राजस्व भवन, नई दिल्ल	ली		7 अपील सं. 703/252/एन.डी./2019 आयकर अधिकारी वार्ड 4(4) बनाम आर.ओ.सी. एंड भागीरथी कॉन्ट्रक्टस प्राइवेट लिमिटेड (पैनः AACCB8946M) 8 अपील सं. 705/252/एन.डी./2019	 नरेश कुमार शर्मा डी.आई.एन.: 00131319 ललित शर्मा डी.आई.एन.: 00131358 अरुण कुमार डी.आई.एन.: 03512883 	05.12.2019	13	3. अपील सं. 778/252/एन.डी./2019 आयकर अधिकारी वार्ड 14(1) बनाम आर.ओ.सी. एंड के.डी.के. फूड ग्रेन्स प्राइवेट लिमिटेड (पैनः AADCK5685M)	3. प्रतीक त्रिपाठी डी.आई.एन.: 07327157	
delhi.cit.judici फा. सं.– आयकर आयुक्त (न्या.)/एन.सी.एल.टी		/11/2019		आयकर अधिकारी, वार्ड 4(4) बनाम आर.ओ.सी. एंड भूमि प्रोप्मार्ट प्राइवेट लिमिटेड (पैनः AAECB8626L) 9 अपील सं. 796/252/एन.डी./2019		06.12.2019). अपील सं. 786/252/एन.डी./2019 आयकर अधिकारी, वार्ड 17(2) बनाम आर.ओ.सी. एंड मिशन भारत यात्रा प्राइवेट लिमिटेड (पैनः AAGCM2076H)	 हेमंत कुमार गुर्जर डी.आईएन.: 02146563 सुनील चड्ढा डी.आई.एन.: 02760468 	08.01.2020
	•	ण (NCLT),		आयकर अधिकारी, वार्ड 9(1) बनाम आर.ओ.सी. एंड फैशन वन इन्टरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड (पैनः AABCF9685J) अपील सं. 793/252/एन.डी./2019 आयकर अधिकारी, वार्ड 8(2) बनाम आर.ओ.सी.	डी.आई.एन.: 00769349 2. प्रशान्त रविन्द्र सावंत डी.आई.एन.: 07381762 1. पंकज बबन एचवर	06.12.2019). अपील सं. 785/252/एन.डी./2019 आयकर अधिकारी वार्ड 25(2) बनाम आर.ओ.सी. एंड थ्रिवेंट मेनेजमेंट कंस्लिटिंग प्राइवेट लिमिटेड (पैनः AADCT1800B)	2. राजीव कुमार डी.आई.एन.: 02545002	08.01.2020
क्रम मामला सं. एवं मामला शीर्षक सं. 1 अपील सं. 617/252/एन.डी./2019	पिछले ज्ञात निदेशकों के नाम 1. नीलम महेश डी.आई.एन.: 02722491 2. राजीव कुमार पाठक डी.आई.एन.: 03323617	सुनवाई की अगली तारीख 13.11.2019		जायकर आधकारा, वाड 8(2) बनाम आर.आ.सा. एंड एंचानटिंग डेस्टिनेशन टूर्स प्राइवेट लिमिटेड (पैनः AADCE2054J)	डा.आइ.एन.: 00387844 2. सुनील सेतुमाधवा मूकीलमारथूर डी.आई.एन.: 01278955 3. अब्दुल साजिद शेख डी.आई.एन.: 01310719 4. मौहम्मद आसिफ रियाज अहमद			. अपील सं. 783/252/एन.डी./2019 आयकर अधिकारी वार्ड 26(4) बनाम आर.ओ.सी. एंड विशाला एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (पैनः AADCV2807J)	 प्रवीन कुमार गोयल डी.आई.एन.: 02885960 अनीश सोंधी 	08.01.2020 08.01.2020
प्राइवेट लिमिटेड (पैनः AACCH5611B) 2 अपील सं. 693/252/एन.डी./2019	1. राजेश कुमार डी.आई.एन.: 02911362 2. संतोष रंजन डी.आई.एन.: 02944825	14.11.2019	31	ा अपील सं. 794/252/एन.डी./2019 आयकर अधिकारी, वार्ड 4(2) बनाम आर.ओ.सी. एंड बरसाना फेबटेक्स प्राइवेट लिमिटेड (पैनः AAECB5600L)	सिद्दकी डी.आई.एन.: 07474320 1. अनिल कुमार सिंघल डी.आई.एन.: 02789095 2. तरुण गोयल डी.आई.एन.: 03320709 3. यश सिंघल डी.आई.एन.: 07090509	06.12.2019		आयकर अधिकारी, वार्ड 9(1) बनाम आर.ओ.सी. एंड फैब एग्रोवेट प्राइवेट लिमिटेड (पैनः AAECR9499P)	डी.आई.एन.: 07559899 2. अमित वर्मा पैनः AFOPV0695K 3. साहिल सोंधी पैनः DQSPS1552N	
प्राइवेट लिमिटेड (पैनः AACS0507M) 3 अपील सं. 694/252/2019 आयकर अधिकारी, वार्ड 22(1) बनाम	1. प्रीतिपाल सिंह सबरवाल डी.आई.एन.: 01249381 2. विक्रम सिंह डी.आई.एन.: 01536980	14.11.2019		2 अपील सं. 797/252/एन.डी./2019	4. सुरेन्द्र कुमार गोयल डी.आई.एन.: 07453403 5. नरेन्द्र सिंह नागर डी.आई.एन.: 07460291 1. जमील डी.आई.एन.: 05113032	06.12.2019	63.	त. अपील सं. 819/252/एन.डी./2019 आयकर अधिकारी वार्ड 2(3) बनाम आर.ओ.सी. एंड अमिताश गैस सर्विसिस प्राइवेट लिमिटेड	धूम नाथ सिंह डी. आई.एन.: 08063717 1. अमित कुमार दास डी. आई.एन.: 03624093 2. आशा दास	08.01.2020
प्राइवेट लिमिटेड (पैनः AAKCS5686F) 4 अपील सं. 692/252/एन.डी./2019 आयकर अधिकारी, वार्ड 25(4) बनाम	1. संजय कुमार डी.आई.एन.: 01544694 2. ताराचंद शर्मा डी.आई.एन.: 01566429	14.11.2019	3:	आयकर अधिकारी वार्ड 25(2) बनाम आर.ओ.सी. एंड टी.एफ. सिक्योरिटी सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड (पैनः AACCT3514D) अपील सं. 770/252/एन.डी./2019 आयकर अधिकारी वार्ड 10(1) बनाम आर.ओ.सी.	1. राजीव कुमार सहाय	09.12.2019	64.	(पैनः AACFA8554P) . अपील सं. 780/252/एन.डी./2019 आयकर अधिकारी वार्ड 19(1) बनाम आर.ओ.सी. एंड ओम श्री आनन्दाप फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	डी.आई.एन.: 03624094 1. बैकुठ प्रसाद सिंह डी.आई.एन.: 00556458 2. सरला सिंह	09.01.2020
आर.ओ.सी. एंड ट्वेन्टी फोर सेवन सिक्योरिटी अर्थिस प्राइवेट लिमिटेड (पैनः AACCT7279B) 5 अपील सं. 691/252/एन.डी./2019	 ममता रानी डी.आई.एन.: 01647908 ब्रिजेशवर कुर्ल डी.आई.एन.: 01216426 	14.11.2019	32	एंड जियोजिकल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (पैनः AACCG8276D) 4 अपील सं. 680/252/एन.डी./2019	 हरेन्द्र सिंह डी.आई.एन.: 01667237 मुन्ना प्रसाद डी.आई.एन.: 07358711 	10.12.2019	65.	(पैनः AABCO0275B) 3. अपील सं. 779/252/एन.डी./2019 आयकर अधिकारी वार्ड 9(1) बनाम आर.ओ.सी. एंड फार पविलियन टूर्स एंड ट्रैवल्स प्राइवेट	2. सर्शा सिरु डी.आई.एन.: 00556515 1. शिव नानायण डी.आई.एन.: 03333637 2. सुरिन्द्र सिंह	09.01.2020
	 ब्रिज कुर्ल डी.आई.एन.: 01220351 तीपक कुमार जंगीद डी.आई.एन.: 03203812 	14 11 2019		आर.ओ.सी. एंड मैसर्स एम.के.टी.एस. इन्फ्राबिल्ड वेन्चर प्राइवेट लिमिटेड (पैनः AABC16701Q) 5 अपील सं. 498/252/एन.डी./2019 आयकर अधिकारी वार्ड 8(4) बनाम आर.ओ.सी.	डी.आई.एन.: 07368919) 1. मनोज कुमार जैन डी.आई.एन.: 06647011	10.12.2019	66	लिमिटेड (पैनः AAACF3611M) ज. अपील सं. 781/252/एन.डी./2019	डी.आई.एन.: 05145000 3. सुरेश कुमार अरोड़ा डी.आई.एन.: 05145523 1. मोहम्मद अकरम	09.01.2020
सहायक आयकर आयुक्त सर्कल 17(2) बनाम आर.ओ.सी. एंड मैसर्स मॉबवायर टेकनॉलोजीज प्राइवेट लिमिटेड (पैनः AAGCM7862B)	2. विक्रम सिलवाल डी.आई.एन.: 03203881		36	एंड एक्सपर्ट ऑयल एंड कॉस्मेटिक प्राइवेट लिमिटेड (पैनः AADCE4876E) 6 अपील सं. AAOCS8628R आयकर अधिकारी वार्ड 23(3) बनाम आर.ओ.सी. एंड मैसर्स श्री वासुदेव एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	 रोहित कुमार डी.आई.एन.: 06652305 योगेश गुप्ता डी.आई.एन.: 03626790 उ. ऊषा गुप्ता रानी डी.आई.एन.: 03629628 			आयकर अधिकारी वार्ड 1(1) बनाम आर.ओ.सी. एंड आर्गस टेक्नॉलोजी प्राइवेट लिमिटेड (पैनः AAHCA3735G)	डी.आई.एन.: 01885348 2. रामा कुमारडी.आईएन.: 02204630 3. शिवि बत्रा डी.आई.एन.: 02207319 1. अभिनव चतुर्वेदी	09.01.2020
7 अपील सं. 784/252/एन.डी./2019 आयकर अधिकारी वार्ड 26(4) बनाम आर.ओ.सी. एंड विजन एच.आर सर्विसिस प्राइवेट लिमिटेड (पैनः AADCV1647A)	1. गीता महोरी डी.आई.एन.: 01716904 2. आनन्द महोरी डी.आई.एन.: 01716705	14.11.2019		(पैनः AAOCS8628R) 7 अपील सं. 769/252/एन.डी./2019 आयकर अधिकारी वार्ड 25(2) बनाम आर.ओ.सी. एंड टेक्नो इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	3. निशांत गुप्ता डी.आई.एन.: 06700798 1. दानिश सिद्दकी त. डी.आई.एन.: 02090236 2. अदनान खुर्शीद	11.12.2019	68	आयकर अधिकारी, वार्ड 1(1) बनाम आर.ओ.सी. एंड एवी नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड (पैनः AAACA7692H) अपील सं. 732/252/एन.डी./2019 आयकर अधिकारी वार्ड 23(1) बनाम आर.ओ.सी.	 अरुण चौधरी डी.आई.एन.: 00515007 राकेश रंजन समदर्शी 	14.01.2020
8 अपील सं. 621/252/एन.डी./2019	1. हरिओम डी.आई.एन.: 02605391 2. राजरानी शर्मा डी.आई.एन.: 02605457	18.11.2019		(पैनः AACCT9065D)	डी.आई.एन.: 02115264 3. सैयद फारुक सलीम डी.आई.एन.: 02115437 4. शाहजाद अहमद खान डी.आई.एन.: 03534535	12 2010	69	एंड सेजुन टूर्स एंड ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड (पैनः AAJCS2061H) 3. अपील सं. 735/252/एन.डी./2019 आयकर अधिकारी वार्ड 23(1) बनाम	 शादाब सुल्तान डी.आई.एन.: 01352379 मौहम्मद जाहिद सिद्दीकी डी.आई.एन.: 02421182 	14.01.2020
9 अपील सं. 658/252/एन.डी./2019 आयकर अधिकारी वार्ड 7(1) बनाम आर.ओ.सी. एंड डी वे मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड (पैनः AADCD0422B)	1. इजरेयल राजा डी.आई.एन.: 02425498 2. विलियन बाँड डी.आई.एन.: 05204526	19.11.2019	39	8 अपील सं. 795/252/एन.डी./2019 आयकर अधिकारी वार्ड 8(2) बनाम आर.ओ.सी. एंड एन.के. बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड (पैनः AABCE016BB) 9 अपील सं. 753/252/एन.डी./2019	1. प्रबजीत सिंह डी.आई.एन.: 00152894 2. मनजीत सिंह डी.आई.एन.: 05223591 3. जसदीप सिंह डी.आई.एन.: 05223759 4. अमरदीप सिंह डी.आई.एन.: 05223547 1. रविन्द्र चौधरी (पैन:		70.	आर.ओ.सी. एंड सेवन वन्डर्स एंटरटेंनमेंट प्राइवेट लिमिटेड (पैनः AAPCS9107E)). अपील सं. 738/252/एन.डी./2019 आयकर अधिकारी, वार्ड 1(2) बनाम आर.ओ.सी. एंड आकर्षण ट्रेडिंग व्यू प्राइवेट लिमिटेड (पैनः	 मौहम्मद अरशद डी.आई.एन.: 03082011 अमित कुमार सक्सेना डी.आई.एन.: 05217775 मुकेश कुमार डी.आई.एन.: 05217878 	14.01.2020
	 गुरकरण सिंह डी.आई.एन.: 01713511 रमनज्योत सिंह धींगडा डी.आई.एन.: 01850248 मा सुनिता तत्वामासी एसपायर 	19.11.2019	40	आयकर अधिकारी वार्ड 25(2) बनाम आर.ओ.सी. एंड टी.जी.एन. सिक्युरिटी प्राइवेट लिमिटेड (पैनः AABCT9535D) 0 अपील सं. 754/252/एन.डी./2019 आयकर अधिकारी वार्ड 2(3) बनाम आर.ओ.सी.	. AFRPC3928D) 2. नीरज खोली (पैनः ALXPK3937G) 1. मनजोत सिंह डी.आई.एन.: 03643869 2. अमृतपाल सिंह	16.12.2019	71.	AAMCA0976G) . अपील सं. 739/252/एन.डी./2019 आयकर अधिकारी वार्ड 2(3) बनाम आर.ओ.सी. एंड एम साई स्टॉकिस्ट एंड ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड	1. अनिल बंसल डी.आई.एन.: 05323617 2. मौहम्मद मजीब अंसारी डी.आई.एन.: 05323621	14.01.2020
आयकर अधिकारी वार्ड 24(3) बनाम आर.ओ.सी. एंड सुलक्ष्मी कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड (पैनः AALCS5231M)	डी. आई.एन.: 01554340 2. दीपक अरोडा डी.आई.एन.: 01619054 3. इकबाल सिंह डी.आई.एन.: 01807948 4. हर्षित शर्मा एसपायर डी.आई.एन.: 01807998			एंड एमहर्स्ट लाइफासांइसिस प्राइवेट लिमिटेड (पैनः AALCA1440N) 1 अपील सं. 755/252/एन.डी./2019 आयकर अधिकारी वार्ड 2(3) बनाम आर.ओ.सी.	डी. आई.एन.: 05343382 1. आशुतोष ठाकुर डी.आई.एन.: 03014352	16.12.2019	72.	(पैनः AAKCA8683L) 2. अपील सं. 733/252/एन.डी./2019 आयकर अधिकारी वार्ड 2(3) बनाम आर.ओ.सी. एंड अमन मुस्कान कन्सट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	1. सीमावर्मा डी.आई.एन.: 02046741 2. जवाहर वर्मा डी.आई.एन.: 02046756	14.01.2020
आर.ओ.सी. एंड भूमि डिवेलपवैल प्राइवेट लिमिटेड (पैनः AAECB8626L)	1. हनीफ डी.आई.एन.: 05116593 2. हरून डी.आई.एन.: 05116601 3. नसरीन जहाँ डी.आई.एन.: 05221662	19.11.2019	42.	एंड एमहर्स्ट लाइफसांइसिस प्राइवेट लिमिटेड (पैनः AAICA7821Q) 2. अपील सं. 625/ 252/ एन.डी./ 2019 आयकर अधिकारी वार्ड 26(4) बनाम आर.ओ.सी		16.12.2019	73.	(पैनः AAGCA8307D) 3. अपील सं. 742/252/एन.डी./2019 आयकर अधिकारी वार्ड 22(1) बनाम आर.ओ.सी. एंड सांची इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड	1. हेम चंद्र शर्मा डी.आई.एन.: 02864670 2. सुनील कुमार डी.आई.एन.: 03064113	
13 अपील सं. 698/252/एन.डी./2019 उप आयकर अधिकारी सर्कल 13(2) बनाम 2 आर.ओ.सी. एंड जीवस केशकोव फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड (पैनः AACCJ4527C)	1. जोतिका सहगल डी.आई.एन.: 0289087 2. इराम मिर्जा डी.आई.एन.: 03157432	19.11.2019		एंड विशाखा पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड (पैनः AADCV0341D) 3. अपील सं. 758/ 252/ एन.डी./ 2019 आयकर अधिकारी वार्ड 7(2) बनाम आर.ओ.सी एंड डेजीटेक सिस्टम्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	 आनन्द जिन्दल डी.आई.एन.: 06610002 गौरव नाडकर्नी डी.आई.एन.: 02320310 गगन नाडकर्नी डी.आई.एन.: 02327556 	18.12.2019	74.	(पैनः AARCS0354D) . अपील सं. 740/252/एन.डी./2019 आयकर अधिकारी वार्ड 4(2) बनाम आर.ओ.सी. एंड बाम इन्वेस्टमेंट कन्सलटेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	1. सुरेन्द्र पाल सिंह डी.आई.एन.: 01794762 2. शिवीन्द्र सिंह डी.आई.एन.: 01813616	14.01.2020
14 अपील सं. 681/252/एन.डी./2019 आयकर अधिकारी वार्ड 25(4) बनाम आर.ओ.सी. एंड ट्रुथ ट्रेंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड (पैनः AADCT0871A)		20.11.2019	44.	(पैनः AABCD8658F) 4. अपील सं. 759/ 252/ एन.डी./ 2019 आयकर अधिकारी वार्ड 4(2) बनाम आर.ओ.सी एंड बैटन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (पैनः AAECB5214C)	1. रवी शंकर डी.आई.एन.: 02283990	18.12.2019	75.	(पैनः AAECB5214C) 5. अपील सं. 737/252/एन.डी./2019 आयकर अधिकारी, वार्ड 9(1) बनाम आर.ओ.सी. एंड फेव एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड (पैनः AABCF5127F)	1. नेहा भामरा डी.आई.एन.: 02265676 2. सरबजीत सिंह भामरा डी.आई.एन.: 02273472	14.01.2020
आयकर अधिकारी वार्ड 25(4) बनाम आर.ओ.सी. एंड तुषार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पैनः AABCT5018K) 16. अपील सं. 649/ 252/ एन.डी./ 2019	 सुभाष कुमार तिवारी डी.आई.एन.: 00855733 उमा शंकर डी.आई.एन.: 01313568 अशीन्द्र सिंह जैन डी.आई.एन.: 03294898 	26.11.2019	45.	5. अपील सं. 760/252/एन.डी./2019 आयकर अधिकारी, वार्ड 78(4) बनाम आर.ओ.सी. एंड यूनिवर्सल मेडी-एड सर्विसिस प्राइवेट लिमिटेड	3. सुनित अप्रवास डी.आई.एन.: 03405001 1. घनश्याम प्रसाद सुरेखा डी.आईएन.: 01644788 2. अजय सुरेखा डी.आई.एन.: 01644829 3. राजेश अग्रवाल	18.12.2019	76.	AABCF5127F) 5. अपील सं. 731/252/एन.डी./2019 आयकर अधिकारी, वार्ड 22(1) बनाम आर.ओ.सी. एंड एस.एच. ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड (पैन: AAICS6301D)	1. वीनस सागर गोसाई डी.आई.एन.: 02356555 2. श्रद्धा गोसाई डी.आई.एन.: 02365162	14.01.2020
आयकर अधिकारी वार्ड 7(1) बनाम 2 आर.ओ.सी एंड मैसर्स डी.एच.ए. गो ट्रेवल प्राइवेट लिमिटेड (पैनः AADCD6516A)	2. धीरज कुमार डी.आई.एन.: 03294901	28.11.2019	46.	(पैनः AAACU5036F) 6. अपील सं. 1122/252/एन.डी./2019 आयकर अधिकारी वार्ड 12(1) नई दिल्ली बनाम	डी.आई.एन.: 02598742 4. जितेन्द्र कुमार डी.आई.एन.: 02659626 1. सुजात हुसैन मलिक	07.01.2020	77.	7. अपील सं. 790/252/एन.डी./2019 आयकर अधिकारी, वार्ड 13(1) बनाम आर.ओ.सी. एंड जगन्नाथ मैनेजमेंट क्विक सर्विसिस प्राइवेट लिमिटेड	1. अनंता बारिक डी.आई.एन.: 05116822 2. कल्पना बारिक डी.आई.एन.: 05116831	16.01.2019
उप आयकर आयुक्त सर्कल 13(2) बनाम 2 आर.ओ.सी एंड ज्वरटैक्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (पैनः AACCJ2602A) 18. अपील सं. 715/ 252/ एन.डी./ 2019	 कुमारी छाया डी.आई.एन.: 03157432 शशांक अरोड़ा डी.आई.एन.: 02612921 	28.11.2019	47.	आर.ओ.सी. एंड आइबेक्स इनफोटेक प्राइवेट लिमिटेड (पैन: AACI6942E) 7. अपील सं. 726/252/एन.डी./2019 आयकर अधिकारी वार्ड 1(2) बनाम आर.ओ.सी. एंड आरके इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड	डी.आई.एन.: 02075390 1. संजीव आनन्द डी.आई.एन.: 00996029	07.01.2020	78.	(पैनः AACCJ3195Q) 3. अपील सं. 791/252/एन.डी./2019 आयकर अधिकारी, वार्ड 13(1) बनाम आर.ओ.सी. एंड जागृति टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड (पैनः AACCJ3195Q)	1. साहिल वत्स डी.आई.एन.: 02955508 2. रवि कुमार डी.आई.एन.: 02955519	21.01.2020
	1. मीना तनेजा डी.आई.एन.: 00429554	28.11.2019	48.	(पैनः AAHCA0350R)	1. अंकित सिंह डी.आई.एन.: 02736234	07.01.2020	79.	(पनः AACCJ3195Q)). अपील सं. 789/252/एन.डी./2019 आयकर अधिकारी वार्ड 25(2) बनाम आर.ओ.सी. एंड टेकफेमा प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड (पैनः AACCT6389A)	1. मनीष कुमार (पैनः ASVPK5277C) 2. फैजल तुफेल (पैनः ACEPT7839C)	21.01.2020
आयकर अधिकारी वार्ड 22(1) बनाम 2 आर.ओ.सी एंड एस.आर.डी. रियलटर्स प्राइवेट 2 लिमिटेड (पैनः AALCS8645P)	 संदीप तनेजा डी.आई.एन.: 00429608 धनेश चंद अग्रवाल डी.आई.एन.: 00580658 राज जैन डी.आई.एन.: 01065606 		49.	9. अपील सं. 727/252/एन.डी./2019 आयकर अधिकारी वार्ड 1(1) बनाम आर.ओ.सी. एंड आरका रिसोर्स मेनेजमेंट एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड (पैनः AAGCA2254F)	1. अजय कुमार डी.आई.एन.: 00202784 2. राशी अग्रवाल डी.आई.एन.: 01127855	5	80.). अपील सं. 483/252/एन.डी./2019 सहायक आयकर आयुक्त सर्कल 24(1) बनाम आर.ओ.सी. एंड सोलर अर्थ इको प्रोमोशन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	1. सुलेख दत्त डी.आई.एन.: 002968771 2. इन्द्र भूषण पोदार डी.आई.एन.: 03519728	22.01.2020
आयकर अधिकारी वार्ड 4(4) बनाम 2 आर.ओ.सी एंड भान टैक्सटाइलस प्राइवेट लिमिटेड (पैनः AACCB0385N) 21. अपील सं. 719/ 252/ एन.डी./ 2019	1. राम अयोध्या अग्निहोत्री	28.11.2019		 अपील सं. 728/252/एन.डी./2019 आयकर अधिकारी वार्ड 1(3) बनाम आर.ओ.सी. एंड एस. स्विचिंगयर्स प्राइवेट लिमिटेड (पैनः AALCA9595N) अपील सं. 725/252/एन.डी./2019 	 अनु कत्याल डी.आई.एन.: 06648787 रमेश पंचाल डी.आई.एन.: 06498733 	07.01.2020	81.	(पैनः AAPCS8384R) . अपील सं. 610/252/एन.डी./2019 आयकर अधिकारी वार्ड 23(2) बनाम आर.ओ.सी. एंड मैसर्स शिवनारायनी कन्सट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड (पैनः AANCS2221D)	1. विद्यार्थी अरविंद कुमार डी.आई.एन.: 02651794 2. अमोद कुमार यादव डी.आई.एन.: 03470636	21.01.2020
आयकर अधिकारी वार्ड 10(1) बनाम आर.ओ.सी एंड गगनदीप स्टील एंड एलोयस 2 प्राइवेट लिमिटेड (पैनः AADCG7909A)	डी.आई.एन.: 00651404	28.11.2019	52	आयकर अधिकारी वार्ड 22(3) बनाम आर.ओ.सी. एंड सशक्त सेल्स एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड (पैनः AASC8863J) 2. अपील सं. 723/252/एन.डी./2019	 2. मुकेश तोमर डी.आई.एन.: 06539639 3. देवेश चौधरी डी.आई.एन.: 07364862 4. कृष्ण कांत सिंघानिया डी.आई.एन.: 07364863 1. अब्दुल रज्जाक अब्दुल सुभान 			2. अपील सं. 682/252/एन.डी./2018 आयकर अधिकारी वार्ड 5(2) बनाम आर.ओ.सी. (मैसर्स बाईफोर्ड मोटर्स लिमिटेड के मामले मे)	 श्री भूपेन्द्र साहनी श्री रमेश पई श्री बलराज कृष्ण कपूर 	04.12.2020
सहायक आयकर आयुक्त सर्कल 7(2) बनाम 7 आर.ओ.सी एंड मैसर्स ड्रीम स्कैन प्राइवेट लिमिटेड (पैनः AADCD5721B)	2. राजीव रंजन सिन्हा डी.आई.एन.: 03146904		53.	आयकर अधिकारी वार्ड 9(1) बनाम आर.ओ.सी. एंड फाल्कन आई सिक्युरिटी सिस्ट्मस प्राइवेट लिमिटेड (पैनः AABCF6780G) 3. अपील सं. 729/252/एन.डी./2019 सहायक आयकर आयुक्त सर्कल 3(2) बनाम एंड	डी.आई.एन.: 03046572 2. यूसफ मुराद डी.आई.एन.: 03299149 1. अम्बे गणेश डी.आई.एन.: 02927488	07.01.2020	अ अ	प्त संबंध में, इस नोटिस के मा धिकारियों/निदेशकों को इसके ह निरोध किया जाता है कि वे अ	द्वारा सूचित किया जाता है। पने संबंधित मामलों में सु	और यह नवाई की
23. अपील सं. 699/ 252/ एन.डी./ 2019 उप आयकर आयुक्त सर्कल 13(2) बनाम 2 आर.ओ.सी एंड झांझरिया लाइफस्टाइल मल्टीट्रेड लिमिटेड (पैनः AACCJ6229P)	1. श्रवन सिंह डी.आई.एन.: 03556944 2. ज्योति डी.आई.एन.: 03556953	05.12.2019		आत्मन बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड (पैनः AAICA9001A) 4. अपील सं. 1188/252/एन.डी./2018 सहायक आयकर आयुक्त सर्कल 25(1) थ्रिवर्स फोरेक्स प्राइवेट लिमिटेड	1. क्लिंट जोसफ रोड्रिग्स डी.आई.एन.: 03392198 2. विश्वनाथन गोवरी	07.01.2020	(<u>1</u> ति	पर्युक्त तय तारीखों पर मानर्न NCLT) के समक्ष उपस्थित हो थियों में आप उपस्थित होने में ि	ों। कृपया ध्यान दें, यदि उव वेफल रहे, तो आपकी अनुप	त्त कथित
24. अपील सं. 702/ 252/ एन.डी./ 2019 आयकर अधिकारी वार्ड 22(1) बनाम आर.ओ.सी एंड एस.जे.के. स्टेट प्राइवेट लिमिटेड (पैनः AAKCS5491G)			55.	(पैनः AADCT7469A) 5. अपील सं. 776/252/एन.डी./2019 आयकर अधिकारी वार्ड 25(2) बनाम आर.ओ.सी. एंड थीटा एअर कॉन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	डी.आई.एन.: 03431931 1. सुधीर कुमार पटेल	08.01.2020	मा	ामले की सुनवाई होगी और फैस		भवदीय हस्ता./-
25. अपील सं. 701/ 252/ एन.डी./ 2019 आयकर अधिकारी वार्ड 25(4) बनाम 2 आर.ओ.सी एंड ट्रिडेन्ट ग्रीनटेक प्राइवेट 2 लिमिटेड (पैनः AADCT8718J)		05.12.2019		(पैनः AACCT4141Q) 6. अपील सं. 775/252/एन.डी./2019 आयकर अधिकारी वार्ड 2(3) बनाम आर.ओ.सी. एंड एक्स पावरट्रोनिक प्राइवेट लिमिटेड (पैनः AAECA8717H)	1. विनय कुमार डी.आई.एन.: 03146484 2. सुमित कुमार डी.आई.एन.: 03199632			avp 15403/11/0019/1920	आयंकरः	जीवन) अधिकारी ई दिल्ली
				(पैनः AAECA8717H)			u.	avp 15405/11/0019/1920	(म्यापप <i>ा ७</i> , क	५ ।५८८॥

* जनसता

तूफान से तबाही

क्रवाती तूफान 'बुलबुल' ने रविवार को पश्चिम बंगाल के बड़े हिस्से और बांग्लादेश के तटीय इलाकों में जिस तरह से कहर बरपाया है, उससे राज्य के आपदा प्रबंधन की पोल खुल गई है। ऐसा नहीं है कि यह चक्रवाती तूफान कोई अचानक आया हो, इसके बारे में मौसम विभाग पहले से ही संकेत दे चुका था। लेकिन समय रहते उन इलाकों को खाली नहीं कराया गया जहां तूफान से सबसे ज्यादा तबाही हुई है। अभी तक दस लोगों के मारे जाने की खबर है, लेकिन बेघरों की संख्या लाखों में है। सबसे ज्यादा तबाही तो दक्षिण चौबीस परगना जिले में हुई है, जहां मछुआरों की एक पूरी बस्ती ही तूफान में उड़ गई। इस चक्रवात ने राज्य के नौ जिलों को अपनी चपेट में ले लिया। ज्यादा तबाही इसलिए भी हुई कि तुफान शनिवार देर रात आया और रविवार तड़के उसने उग्र रूप धारण कर लिया। इसलिए रात को लोग बचाव के लिए कोई उपाय भी नहीं कर पाए। पश्चिम बंगाल में इस साल मई में तूफान 'फनी' आया था और तब भी भारी नुकसान हुआ था। तटीय राज्य होने की वजह से पश्चिम बंगाल को बंगाल की खाड़ी में उठने वाले तूफानों का अक्सर सामना करना पड़ता है। ऐसे में सवाल उठता है कि राज्य में आपदा प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए जाते?

इस वक्त तूफान पीड़ित जिलों में हालात खराब हैं और बड़े पैमाने पर राहत कार्यों की जरूरत है। पेड़ों और बिजली के खंभे गिरने से तबाही वाले इलाकों में पहुंचना भी मुश्किल भरा साबित हो रहा है। ज्यादा चिंता की बात यह है कि तूफान से बड़ी संख्या में मकानों को नुकसान पहुंचा है और इनमें भी कच्चे घरों की तादाद काफी है। हालांकि केंद्र सरकार ने भी राज्य को हरसंभव मदद देने की बात कही है। लेकिन अक्सर देखने में आता है कि ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के बाद दो-तीन दिन तक तो राहत काम चलते हैं, बस्तियों में नेताओं-मंत्रियों के चक्कर लगते हैं, तूफान पीड़ित इलाकों के हवाई दौरे होते हैं, लेकिन सरकारें फिर से पुराने ढर्रे पर लौट आती हैं और लोग राहत को तरसते रहते हैं। ऐसे में जिस तरह की जिम्मेदार सरकार और प्रशासन की लोगों को आस होती है वह नदारद दिखता है। हालांकि बंगाल की खाड़ी में एक जहाज से पचहत्तर लोगों को बचाया भी गया। अगर सरकार और प्रशासन समय पर चेते होते तो लोगों को हताहत होने से बचाया जा सकता था। ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए राज्यों के पास पुख्ता सूचना तंत्र, मौसम विभाग की सटीक सूचनाएं और आपदा प्रबंधन के पर्याप्त इंतजाम होने चाहिए। लेकिन ज्यादातर जगहों पर देखने में यही आता है कि सब कुछ हो जाने के बाद ही हमारी आंखें खुलती हैं। हालांकि चक्रवाती तूफान जैसी आपदा से निपटने में ओड़िशा से सबक लेना चाहिए जिसने कुछ महीनों पहले ही ऐसी आपदा से सुव्यवस्थित तरीके से निपटा था।

हालांकि भारत में अब मौसम विभाग की भविष्यवाणियां और चेतावनियां पहले के मुकाबले ज्यादा सटीक साबित होती हैं। बिगड़ते मौसम को लेकर मौसम विभाग आगाह कर रहता है। लेकिन अब मौसम चक्र में आए बदलाव और बढ़ते तापमान से चक्रवाती तूफान, तेज आंधी-बारिश जैसे जो चक्र चल रहे हैं वह मौसम विज्ञानियों के लिए भी एक चुनौती है। पिछले कुछ सालों में खासतौर से उत्तर भारत को जिस तरह की प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा है, उसमें मौसम तंत्र से जुड़ी कई घटनाएं ऐसी हुईं जो पहले कभी नहीं देखी गईं। मौसम अब एक तरह से चुनौती बन गया है। इसलिए प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के इंतजाम भी पुख्ता रखने की जरूरत है।

प्रांतभा का मदान

यह एक आम हकीकत है कि अगर अवसर का अभाव न हो तो प्रतिभाओं को खोजना बहुत मुश्किल नहीं होता। खासतौर पर खेल के मैदानों में यह अक्सर साबित होता रहा है कि किसी गुमनाम खिलाड़ी ने बहुत कम उम्र में ही अपने प्रदर्शन से दुनिया को चौंका दिया। पिछले दो दिनों में दो बार शेफाली वर्मा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जिस तरह का प्रदर्शन किया है, उसने न केवल सबका ध्यान खींचा है, बल्कि यह भारतीय क्रिकेट में भविष्य के लिए एक उम्मीद भी है। महज सोलह साल से भी कम उम्र की शेफाली ने अंतरराष्ट्रीय टी-20 मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलते हुए ताबड़तोड़ उनचास गेंदों में तिहत्तर रन बना लिए और फिर अगले ही दिन पैंतीस गेंदों पर उनहत्तर रनों की नाबाद पारी खेल कर भारत को जीत दिलाई। उनका यह प्रदर्शन इस लिहाज से ऐतिहासिक है कि इससे उनके हिस्से एक बड़ा रेकॉर्ड आया जो अब से तीस साल पहले क्रिकेट के एक मजबूत स्तंभ रहे सचिन तेंदुलकर ने बनाया था और अब तक उसे कोई तोड़ नहीं सका था। यानी इससे पहले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाले सचिन सबसे युवा खिलाड़ी थे, जिन्होंने अपना पहला टेस्ट अर्धशतक सोलह साल और दो सौ चौदह दिन की उम्र में बनाया था। जबकि शेफाली ने यह उपलब्धि पंद्रह साल, दो सौ पचासी दिन की उम्र में हासिल की।

शेफाली के इस प्रदर्शन के बाद स्वाभाविक ही उनकी तुलना सचिन तेंदुलकर जैसी प्रतिभा के साथ की गई है, क्योंकि वेस्टइंडीज जैसी आक्रामक क्रिकेट टीम के सामने उन्होंने जिस तरह ताबड़तोड़ रन बनाए और मैदान में टिकी भी रहीं, वह उनके प्रदर्शन को सामान्य से अलग ले जाकर खास बनाता है। निश्चित रूप से इस शानदार प्रदर्शन के बाद उनके नाम यह महत्त्वपूर्ण रेकार्ड आया है, लेकिन इससे ज्यादा अहम बात यह है कि क्रिकेट को जिस तरह एक कलात्मक खेल भी माना जाता है, उसमें उन्होंने अपनी क्षमता साबित की। गौरतलब है कि शेफाली हरियाणा के रोहतक इलाके की रहने वाली हैं। महिलाओं को लेकर एक जड़ धारणा वाले समाज से निकल कर शेफाली ने क्रिकेट की दुनिया में अपनी जो जगह बनाई है, उसके लिए उनकी तुलना सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग से की जाती है। पिछले महीने ही सूरत में दक्षिण अफ्रीका की टीम के खिलाफ अपने दूसरे ही टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में उन्होंने छियालीस रनों की शानदार पारी खेली थी। इसके अलावा, उन्हें अभी से मैदान में टिक कर खेलने और शानदार साझेदारी के लिए भी जाना जाने लगा है।

साफ है कि अगर उन्हें लगातार मौके मिलें तो आने वाले दिनों में वे भारतीय महिला क्रिकेट टीम की एक मजबूत स्तंभ के रूप में सामने आ सकती हैं, क्योंकि अवसर की निरंतरता ही किसी खिलाड़ी की प्रतिभा को निखारती है। यों भी अपने देश में महिला क्रिकेट की बड़ी उपलब्धियों को भी उस पैमाने की तवज्जो नहीं मिल पाती है, जितनी पुरुष टीमों की आम कामयाबियों को भी मिलती है। हालांकि यह एक तथ्य है कि प्रतिभाएं मौके की मोहताज होती हैं और उनकी पहचान कर अगर सही समय पर उन्हें मौका मुहैया कराया जाए तो ऐसे तमाम बच्चे-किशोर उभर कर सामने आ सकते हैं, जिनकी काबिलियत अवसर के अभाव में गुमनाम ही दम तोड़ देती है। जरूरत इस बात की है कि खेल संगठनों से लेकर संबंधित सरकारी महकमे तक सचेतन प्रयास करके दुरदराज के इलाकों में छिपी प्रतिभाओं की खोज करें, उन्हें सामने लाएं और हर स्तर पर जरूरी प्रशिक्षण और सुविधाएं देकर उन्हें निखारें।

कल्पमधा

खुशामदी आदमी इसलिए आपकी प्रशंसा करता है कि वह आपको अयोग्य समझता है, लेकिन आप उसके मुंह से अपनी प्रशंसा सुन कर फूले नहीं समाते। -टॉलस्टॉय

epaper.jansatta.com

संकट में पेरिस समझौता

सुविज्ञा जैन

अमेरिका के भीतर भी पेरिस समझौते से अलग होने का विरोध हो रहा है। ट्रंप प्रशासन के इस फैसले के बावजूद अमेरिका के कई राज्य, शहर, उद्योग, संस्थाएं इस फैसले के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। ऐसी करीब तीन हजार आठ सौ इकाइयों का समूह बन चुका है जिसका नाम रखा गया है- 'वी आर स्टिल इन' यानी हम अभी भी समझौते में हैं। इन उद्योगों-प्रतिष्टानों का इरादा अपने स्तर पर पेरिस समझौते के निर्देशों को लागू रखना है।

🍞 क दशक से जलवायु परिवर्तन का संकट बढ़ता 🕇 ही जा रहा है। इसी कालखंड में इस समस्या पर पर्यावरण कार्यकर्ताओं और विशेषज्ञों ने सबसे ज्यादा चिंता जताई। दुनियाभर में जागरूकता अभियान चले। फिर भी ज्यादा कुछ हो नहीं पाया, बल्कि धरती का तापमान पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ चला है। मौसम की चाल तेजी से बदलने लगी है। ग्लेशियर पिघलने लगे हैं। समुद्र का स्तर उठ रहा है। कई जीव-जंत नई परिस्थितियों से तालमेल नहीं बैठा पाने की वजह से लुप्त होने की कगार पर हैं। सूझ नहीं रहा है कि सात सौ सत्तर करोड़ आबादी वाले ग्रह की आबोहवा और तापमान सुधारने के लिए एकमुश्त क्या किया जाए? हालांकि इस बीच जो कुछ सूझा था, उसे करने की जी-तोड़ कोशिश भी की गई। मसलन, विश्वस्तर पर एक पहल चार साल पहले की गई थी, जिसे पेरिस समझौता कहते हैं। लेकिन इस समझौते पर भी इस समय संकट है।

संयुक्त राष्ट्र के तहत यह समझौता सन 2015 में हुआ था। दुनिया के एक सौ छियानवे देशों ने पेरिस समझौते की शर्तों पर सहमित जताई थी। इसका मुख्य मकसद जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार कार्बन उत्सर्जन की एक सीमा तय करना था, ताकि पृथ्वी के बढ़ते तापमान को रोका जा सके। पेरिस समझौते का लक्ष्य था कि 2025 तक हर साल जलवायु परिवर्तन रोकने के काम के लिए सौ अरब डालर जुटाए जाएंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाले देशों की सूची में पहले दो नंबर पर आने वाले अमेरिका और चीन की इस समझौते में भागीदारी से इस करार की कामयाबी की काफी उम्मीदें बंधी थीं। अमेरिका ने इस कोष के लिए तीन अरब डालर देने की पेशकश की थी। लेकिन सरकार बदलते ही अमेरिका ने पेरिस समझौते से खुद को अलग करने का फैसला कर लिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक जन, 2017 को एलान कर दिया की अमेरिका पेरिस समझौते में अपनी प्रतिभागिता खत्म कर देगा। इस फैसले का कारण यह बताया गया

कि अमेरिका का हित प्रथम है। तर्क दिया गया कि इस समझौते में बंधने से घरेलू उद्योग कारखाने एक सीमा में बंध गए हैं। इससे उत्पादन और रोजगार बढ़ाने में दिक्कतें आ रही हैं। इसके अलावा, कोष के लिए तीन अरब डालर की मदद को भी नई सरकार ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर एक

बोझ की तरह देखा। पेरिस समझौते को विश्व बिरादरी की एक

ऐतिहासिक पहल के तौर पर प्रचारित किया गया था। दुनिया के लगभग सभी देशों की भागीदारी और लंबे सोच-विचार के बाद समझौते का ढांचा बना था। पेरिस समझौते के से अंतरराष्ट्रीय समूह में उसकी पैठ कमजार पड़ नहीं कर सकता था। और उन तीन साल के बाद अलग होने की प्रक्रिया की समय अवधि एक साल की है। इसलिए 2016 से प्रभाव में आए इस समझौते से अलग होने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए ट्रंप सरकार को नवंबर, 2019 तक का इंतजार करना पड़ा। पेरिस समझौता लागू होने के तीन साल पूरे होते ही चार नवंबर को अमेरिकी प्रशासन ने इस समझौते से अलग होने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी। इस तरह चार नवंबर, 2020 को यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और अमेरिका इस समझौते से खुद को अलग कर लेगा। उसके बाद अमेरिका पर कार्बन उत्सर्जन नियंत्रित रखने की कोई बंदिश नहीं होगी, और न ही

अमेरिका को संयुक्त राष्ट्र के पास अपने यहां हुए कार्बन उत्सर्जन की मात्रा दर्ज करानी पडेगी।

यह मसला एक सौ छियानवे देशों में किसी एक देश के बाहर होने तक सीमित नहीं माना जाना चाहिए। दुनिया के सबसे ताकतवर देश के बाहर होने का असर दूसरे कई देशों पर पड़ना तय है। इस घटना को सिर्फ राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय राजनीति का मामला मानना भी समझदारी नहीं है। मसला पृथ्वी के भविष्य का है। सवाल यह है कि क्या अब वह गुंजाइश बची है कि कोई देश सिर्फ अपना हित देखे और खुद को वैश्विक खतरों से अलग रख सके? यह बात समझी जानी चाहिए कि इस समय विश्व के सामने जलवायु परिवर्तन से ज्यादा सार्वभौमिक क्या और कोई समस्या है?

बेशक अमेरिका हर क्षेत्र में बहुत ताकतवर है। लेकिन देर-सर्वर उसे भी सोचना पडेगा कि पर्यावरण का मसला सिर्फ आर्थिक वृद्धि में रुकावट तक सीमित नहीं है। इस समझौते से अलग हो जाने



अनुच्छेद-28 के तहत कोई भी देश समझौता लागू सकती है। मसलन, ऐसा करके उसने चीन और होने के तीन साल तक अपने आप को इससे अलग । यरोपीय यनियन को वैश्विक नेतत्व का मौका दे दिया है। चीन इन दिनों जिस तरह से स्वच्छ ऊर्जा पर जोर दे रहा है, उसे देखते हुए आगे यह आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि वह इस मसले पर दुनिया का नेतृत्व करता नजर आने लगे।

> बहरहाल, पूरी दुनिया में अमेरिका के इस कदम की आलोचना-समालोचना भी खूब हो रही है। अमेरिका के अंदर और दुनियाभर के जानकार ट्रंप के इस फैसले के पीछे के तर्क समझने में लगे हैं। एक बडा कारण यह समझा जा रहा है कि अमेरिका में फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री का वहां की राजनीति में बड़ा दबदबा है। इसी बीच, मीडिया में राष्ट्रपति ट्रंप, उपराष्ट्रपति पेन्स व अमेरिकी एनवायरनमेंटल

प्रोटेक्शन एजेंसी के अध्यक्ष स्कॉट पुइट और पेट्रोकेमिकल उद्योग के बीच विशेष संबंधों का जिक्र सुनने में आता रहा है। वैसे यह सभी जानते हैं कि पेरिस समझौते से अलग होने का सबसे ज्यादा फायदा कोयला, तेल, ऊर्जा आदि क्षेत्रों में लगीं अमेरिकी कंपनियों को होगा। बेशक एक राष्ट्र के रूप में अमेरिका के लिए यह मामला उसकी आर्थिक वृद्धि से जोडकर दिखाया जा सकता है। अमेरिका ही क्या, बाकी दुनिया पर भी यह बात लाग है। लेकिन यह बात भी दोहराई जानी चाहिए कि जान है तो जहान है। जलवायु परिवर्तन से दुनिया की जान पर बन आई है। आर्थिक वृद्धि और विकास की बातें इसके सामने बहुत छोटी पड़ रही हैं। ऐसा भी नहीं है कि इस बात को खुद अमेरिका के अंदर ही बहुत सारे तबके न समझ रहे हों। अमेरिका के भीतर भी पेरिस समझौते से अलग

होने का विरोध हो रहा है। ट्रंप प्रशासन के इस फैसले के बावजूद अमेरिका के कई राज्य, शहर, उद्योग, संस्थाएं इस फैसले के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। ऐसी करीब तीन हजार आठ सौ इकाइयों का समूह बन चुका है जिसका नाम रखा गया है- 'वी आर स्टिल इन' यानी हम अभी भी समझौते में हैं। इन उद्योगों-प्रतिष्ठानों का इरादा अपने स्तर पर पेरिस समझौते के निर्देशों को लागू रखना है। गौरतलब है कि अमेरिका की इन सभी इकाइयों का अमेरिकी सकल घरेलू उत्पाद में करीब सत्तर फीसद योगदान है। ये इकाइयां दो तिहाई अमेरिकी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह समूह इतना बड़ा है कि अगर वह एक अलग देश होता तो इसे विश्व की दूसरी सबसे बड़ी

अर्थव्यवस्था कहा जाता। अमेरिका में कई अलग शहरों के जनप्रतिनिधि और बड़ी कंपनियां अपने-अपने स्तर पर अपने क्षेत्रों में पेरिस समझौते को लाग रखने की तरफदार हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। खुद अमेरिका ही पिछले कुछ सालों में जलवाय परिवर्तन का शिकार बनने लगा है। चाहे वह कैलिफोर्निया के जंगलों की आग हो, मायामी में बढ़ता समुद्र का स्तर या ह्यूस्टन और पोर्टोरिको में भीषण तूफानों से हुई घरों और कारखानों की तबाही। ऐसी प्राकृतिक आपदाएं बढ़ने लगी हैं। वैज्ञानिक इसका सबसे बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन को बता रहे हैं। कुल मिलाकर समस्या की तीव्रता को लेकर कोई संशय नहीं है। न ही पेरिस समझौते की जरूरत को लेकर कोई विवाद था। लेकिन इधर इस समझौते पर संकट का मंडराना जरूर एक चिंता पैदा कर रहा है।

पैदल से पैदल तक

विप्रम

🔁 खा जाए तो हम पैदल चलने वालों से कुछ नहीं सीखते, बल्कि पैदल को कोई अहमियत भी नहीं देते। आता-जाता हर कोई उसे उसकी हैसियत या सीमा बता जाता है। जबिक ऐसा है नहीं। शतरंज के खिलाड़ी खूब जानते हैं 'पैदल' को। उसकी चाल किस-किस की राह रोक लेती है, यह गौर करने की बात है। इसके आगे बड़े-बड़े हाथी-घोड़े तक पानी भरते हैं। पैदल से एक मुहावरा बनता है। यह वैसे व्यक्ति पर विशेष रूप से लाग् होता है जो जानता तो कुछ नहीं, पर हर काम में टांग अड़ाता है। ऐसे में उसे कह दिया जाता है-'क्यों भई? क्या पैदल से हो?' मजे की बात यह है कि जो खुद 'पैदल से' होता है, आमतौर पर वहीं दूसरे को यह समझता है। ऐसे में कौन असली 'पैदल से' है और कौन नकली, उसकी पहचान के लिए एक तीसरे की खोज करनी पड़ती है।

जिया लाल शास्त्री हमारे पडोसी हैं जो एक स्कूल में शिक्षक भी हैं। उनका स्कूल तो दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में है, लेकिन वे बस से अक्सर दो किलोमीटर पहले उतर जाते हैं। एक दिन हमने

पृछा- 'मास्टरजी, आपको जामा मस्जिद बस स्टैंड पर उतरना चाहिए, पर आप उससे काफी पहले क्यों उतर जाते हैं ?' वे मुस्कराए, फिर बोल पड़े-'ये अपना स्टाइल है। हालांकि किराया बराबर ही लगता है, लेकिन असल में मैं पहले इसलिए उतर जाता हूं, ताकि कुछ दूर पैदल चल सकूं। पैदल चलने का एक अलग ही आनंद है। इधर-उधर देखते हुए चलो। रास्ते में कुछ पसंद आ जाए या

दिख जाए तो उसे खरीद लो।' इस क्रम में कई बार ऐसे मित्र-परिचित भी मिल जाते हैं

जो सालों से नहीं मिले। जिनका अता-पता नहीं था। चूंकि दोनों ही पैदल होते हैं, इसलिए मिल गए। यों भी, डॉक्टर साहब कहा करते हैं- 'आपका पेट बाहर आ रहा है। आप पैदल चला करें। कम से कम पांच किलोमीटर चलेंगे तो आपके लिए अच्छा है। वजन घटेगा और दवाइयां भी कम लेनी पडेंगी। जेब को आराम मिलेगा, वह अलग। खरीदारी की दिशा और दशा बदल जाएगी।' हम डॉक्टर साहब को देख कर मुस्करा उठे। उनकी ताकीद तो समझ में आ रही थी, पर यह हमारी समझ से परे था कि ये बातें वे खुद पर क्यों नहीं आजमाते! लेकिन मैं चुप रहा। डॉक्टर साहब से पंगा कौन ले!

हालांकि कहते हैं कि पैदल चलने वाले कभी मोटे नहीं होते, न ही उनका पेट बाहर निकलता है। गांधीजी की राह दौड़ते चला जाए, दुनिया पीछे भागेगी। इस 'भागने' का संदर्भ केवल दौड़ने से नहीं, अनुसरण करने से भी है। इसमें अगर पैदल चलना है तो यह जोड़ा जा सकता है कि पैदल के पंजे जमीन के समांतर चलें, ऊपर उठने न पाएं, वरना पैदल-राग अधूरा। जमीनी व्यक्ति और

हवाबाज व्यक्ति का चलन

हमेशा विपरीत होता है। उसी

के मुताबिक एक जमीन पर रह कर दूसरों को जमीन सुंघा सकता है। जबिक आसमान में उड़ने वाला जब भी जमीन पर आता है। तो उसके अंजर-पंजर सब हिले होते हैं। ऊपर से और यह कह दिया जाता है- 'जनाब, बड़ी देर कर दी आपने जमीं पर आते-आते।' एक जमाना था। हमारी सेना में पैदल सैनिक बहुत संख्या में थे। गांव भर के युवा जन सब सेना में कूच कर रहे होते थे। नए बच्चों को वैसे भी खेती से कम ही लगाव रहता

खेत होने से बिल्कुल भी डरते नहीं। यह तो अच्छा हो गया इस वैज्ञानिक युग में। आपस की लड़ाइयां अब पैदल की न होकर हवाई-

है। ये बच्चे महत्त्व देते हैं देश को। देश की खातिर

हवाई हो गई हैं। कुछ देश अपने आकार में बहुत छोटे हैं। लेकिन बात-बेबात पर बेलगाम होते रहते हैं। छोटे होने के बावजूद खुद को बहुत बड़ा तीसमार खां समझते हैं, अपने पास रखे हथियारों के बल पर। कहते हैं, कमजोर के हाथ कोई असलहा पड़ जाए तो वह अपने को बहुत बड़ा पहलवान समझने लग जाता है। जबकि असल में उसके हमदर्द देश समझाते हैं उसे। वे जानते हैं कि जो खुद 'पैदल से' है, वह क्या निकालेगा दूसरे की हवा! आज के समय में सब जान रहे हैं कि टकराव का अर्थ है युद्ध, बल्कि महायुद्ध। एक बटन दबा नहीं कि चारों तरफ धमाका और आग। इसलिए चलते रहना चाहिए पैदल। दूसरों को भी चलाते रहना चाहिए। पैदल का जमाना बहुत पुराना है और

आगे भी उसका जमाना आएगा। कभी हम दस किलोमीटर की दुरी भी पैदल तय कर लेते थे। तब पुराना जमाना था और नई उमर थी हमारी। आज हमारी उम्र नहीं रही और जमाना नया हो गया। पहले साधन सीमित हुआ करते थे, अब बिल्कुल सब नया-नया। दुनिया चांद पर पहुंच गई और हम 'पैदल से' खड़े हैं अपना सिर खुजाते। यानी आप कह सकते हैं कि हम अभी भी वहीं ठहरे हुए हैं- पैदल से पैदल तक।

जाति की जकड

छ दिन पहले उत्तर प्रदेश पुलिस ने गौतम अं बुद्ध नगर में सैकड़ों ऐसे वाहनों का चालान किया जिन पर अहंकार भरे जातिसूचक शब्द लिखे थे। पिछले कुछ समय से वाहनों पर जाति लिखने का चलन बढ़ता जा रहा है। आजादी के बाद से ही जाति बताने की यह प्रवृत्ति राजनीतिक रूप से फायदेमंद मान कर राजनीति में भी खूब चलती रही है। जाति का मसला दुनिया में अपनी तरह का अलग ही है। बाकी विश्व में ऊंच-नीच पर आधारित इस तरह की व्यवस्था शायद ही कहीं पाई जाती हो। जाति पर टिके भारतीय समाज में जातिवाद को समाप्त करने के जितने प्रयास हए उनमें बहुत ज्यादा ईमानदारी नहीं रही। सरकार के स्तर पर भी अधूरे मन से कोशिशें हुईं।

जाति आधारित समाज में जाति की समाप्ति का जो आधारभूत आंदोलन चलना चाहिए था, उसके लिए भी ईमानदारी से प्रयास ही नहीं किए गए क्योंकि आजादी के बाद राजनीति की धुरी जाति ही बनी। जाति के गुणा-भाग के हिसाब से राजनीतिक पार्टियां भी बनीं। जाति के गणित को देख कर टिकट बांटे गए, मंत्रालय दिए गए और पदों की बंदरबांट हुई। जाति के आधार पर ही वोट मांगे जाते रहे। मीडिया ने भी चुनावों को जाति के नजरिए से देखा। आज भी जातीय समीकरण देख कर चुनाव की खबरें लिखी जाती हैं। मीडिया चुनाव क्षेत्र में बाकायदा विभिन्न जातियों के मतदाताओं की संख्या को आधार बना कर गिन कर रिपोर्टिंग करता है।

हजारों साल के जातीय अहंकार की प्रदर्शनी पहले तो जाति सूचक उपनामों में ही दिखती थी, फिर दुकानों, घरों और प्रमाणपत्रों से होती हुई यह बीमारी वाहनों तक आ गई है, जहां बहुत आक्रामक

रूप में अत्यंत दर्प से भरे जाति के नाम राह चलते देखने को मिल जाते हैं। कल हो सकता है कि लोग अपने वस्त्रों पर भी जाति लिखवा कर चलने लगें!

समाज में वैज्ञानिक तरक्की का डिजिटल दौर भी इस जातीय अहंकार को बढ़ावा देने का औजार बन गया है। फेसबुक, व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया मंचों को भी लोगों ने जातिवाद का मंच लिया है। दरअसल, हम जितने आधुनिक साधनों से संपन्न होते जा रहे हैं उतने ही संकीर्ण जातिवादी सोच से ग्रस्त होते जा रहे हैं। वैज्ञानिकता, तार्किकता, संवैधानिक मूल्य सब जाति के नाम के आगे बेमानी हो जाते हैं। एक लोकतांत्रिक समाज में जाति सूचक की कोशिश में लगा है। भारत को पाकिस्तान के नापाक मंसुबों से सावधान रहना होगा।

• रवि प्रशांत, नई दिल्ली

सद्भाव का पाषण

कहते हैं कि मसला जितना गंभीर हो, उसे हल करने में उतना ही विस्तृत और समावेशी दुष्टिकोण अपनाना चाहिए। अयोध्या विवाद पर शीर्ष न्यायालय के निर्णय में वही दूरदर्शिता और विवाद का मूल से समाधान करने की पूर्णता नजर आती है जिसमें उच्च न्यायालय समन्वयकारी निर्णय के

फेर में कहीं चूक गया था।

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-८, सेक्टर-7, नोएडा २०१३०१, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

शब्द समानता और समरस समाज के निर्माण की राह में बाधक हैं। अब भी समय है कि जाति की संकृचित अहंकारी सोच पर रोक लगे और जाति की समाप्ति के सार्थक प्रयास भी किए जाएं।

• बिजेंद्र कुमार, आंबेडकर कॉलेज, दिल्ली

नापाक मंसूबे

करतारपुर गलियारे के होर्डिंग्स में पाकिस्तान ने तीन खालिस्तानी नेताओं को भी दिखाया जिससे उसकी मंशा साफ हो गई है। साफ है कि वह करतारपुर गलियारे की आड़ में खालिस्तान समर्थकों को उकसाने का काम कर रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस संदर्भ में एकदम सही कहा कि पाकिस्तान एक तरफ से प्यार जता रहा है और दूसरी तरफ से गड़बड़ करने

पूर्व की तरह शीर्ष न्यायालय ने भी इसे आस्था के बजाय जमीन विवाद का मसला मानते हुए विवादित हिस्से को मंदिर के निर्माण के लिए हिंदू पक्ष को देने और पांच एकड़ भूमि अयोध्या में किसी प्रमुख स्थान पर सुन्नी वक्फ बोर्ड को उपलब्ध कराने का निर्देश सरकार को दिया।

अपनी गरिमा के अनुरूप धार्मिक सौहार्द की व्यापक लकीर खींचते हुए एक तरफ शीर्ष न्यायालय ने कहा कि मस्जिद के पूर्व ही मंदिर का अस्तित्व था तो वहीं यह भी बताया कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने का कोई भी साक्ष्य नहीं है। न्यायालय के ये शब्द हिंदुओं और मुसलमानों, दोनों के ही जनसाधारण में व्याप्त दबी मगर कटु अवधारणा के मिथक को तोड़ते हैं और आपसी सद्भाव का पोषण करते हैं।

निस्संदेह सब्तों पर आधारित यह समन्वयकारी निर्णय बताता है कि किस प्रकार शीर्ष न्यायालय ने न केवल निर्णायक बल्कि दोनों धर्मों के अनुयायियों के लिए अभिभावक और समन्वयक की भूमिका का भी निर्वाह किया।

नवनीत सिंह 'शिवम', नई दिल्ली

प्रकृति पर्व

प्रकृति, स्वच्छता, संसार को प्रकाशित करने वाले सूर्यदेव, जीवनदायी जल और वायु को स्वच्छ रखने वाली हरियाली का पर्व है छठ। बांस के सूप, टोकरी, मिट्टी के दीये। कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको इस पर्व में जो प्रकृति के खिलाफ हो। खरना में गेहूं की रोटी, दुध-गुड़ की खीर का प्रसाद या फिर छठ में फलों का प्रसाद, गेहूं-गुड़-घी के ठेकुआ का प्रसाद, कहीं कुछ भी मिलावटी नहीं। निर्जला व्रतधारियों की जमीन पर सर्द मौसम के बावजूद पुआल के बिस्तर पर सोकर तपस्वी रूप में की जाने वाली यह पजा हरि अनंत हरि कथा अनंता की तरह है।

तलाशने से नहीं मिलता कोई और पर्व, जिसमें बेटी की कामना भी की जाती है। रुनकी-झुनकी यानी चंचल सी बेटी छठी मइया से मांगने का लोकगीत बहुत प्रचलित है। आपने भी सुना ही होगा, जिसमें बेटी होने का वरदान मांगने के साथ-साथ सुशिक्षित दामाद की भी कामना है- पढ़ल-पंडितवा दामाद। यहां हमारी सोच में होता है कि उगते सूरज को नमन किया जाता है, लेकिन छठ में आप जानते ही हैं कि उगते सूर्य के साथ-साथ अस्ताचल सूर्य को भी नमन करते हैं, जो अपना कर्तव्य पूरा कर डूब रहे सूर्य के प्रति आभार जताने का पर्व है। यह परंपरा हमें पूर्वजों के प्रति, घर के बड़े-बुजुर्गों के प्रति वैसी ही भावना रखने को प्रेरित करती है, जिस भावना के साथ हम उगते सूर्य को पूजते हैं।

मो ताबिश, जामिया मिल्लिया इस्लामिया

नई दिल्ली



12 नवंबर, 2019 7



जर्मनी के कोलोन में हर साल 11 नवंबर को कोलोन नहोउत्सव मनाया जाता है। इस मौके पर लोग खूब तैयार

होकर आते हैं।

जरा हट के

रोहिंग्याओं की दुर्दशा पर बहुत चिंतित हैं। म्यांमा की जिम्मेदारी है कि वह शरणार्थियों की सुरक्षित, गरिमापूर्ण और स्थायी वापसी के लिए अनुकूल माहौल बनाए। --एंतोनियो गुतारेस,

संयुक्त राष्ट्र प्रमुख

बल



विवाद

देश अराजकता बर्दाश्त नहीं कर सकता। सेना तटस्थ है और वह संविधान के अनुरूप निर्वाचित सरकारों का ही समर्थन करती है। -मेजर जनरल आसिफ गफूर, पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता





के-4 मिसाइल : समुद्र के भीतर से परमाणु वार की क्षमता

बडा कदम

पूर्व नौसेना प्रमुख एडिमरल

अरुण प्रकाश (सेवानिवृत्त) ने

इसे एक बड़ा कदम करार दिया

है, लेकिन उनके मुताबिक

जल्द ही आइएनएस अरिहंत

को 5000 किलोमीटर से

ज्यादा रेंज की अंतर प्रायद्वीपीय

मिसाइल (इंटर बैलेस्टिक

जनसत्ता संवाद

रत ने हाल में अपनी के-4 परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया। आठ नवंबर को आंध्र प्रदेश के तट से पनडुब्बी के जरिए प्रयोगिक तौर पर के-4 परमाणु मिसाइल दागी गई। रक्षा एवं अनुसंधान विकास संस्थान (डीआरडीओ) ने इसे तैयार किया है जिसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है। यह दो हजार किलोग्राम का आयुध (वॉरहेड) ले जा सकती है। इस

मिसाइल के परीक्षण के बाद भारत पनडुब्बियों से मारक क्षमता बढ़ा चुका है।

इस मिसाइल प्रणाली को अरिहंत श्रेणी की परमाणु पनडुब्बियों के लिए विकसित किया जा रहा है। ये पनडुब्बियां भारत में विकसित की जा रही हैं, जो समुद्री इलाके में परमाणु सुरक्षा छतरी का काम करेंगी। आइएनएस अरिहंत पनडुब्बी को एक बार में चार के-4 मिसाइल से लैस किया जा सकता है। कुछ साल में सेना, वायुसेना और नौसेना को के-4 की सेवाएं हासिल होगीं। अंतरराष्ट्रीय दबाव से के-4 का परीक्षण गुप्त रूप से किया गया और डीआरडीओ ने आधिकारिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की।

डीआरडीओ ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तट पर समुद्र के भीतर बनाए गए 'अंडरवॉटर प्लेटफॉर्म' से के-4 परमाणु मिसाइल दागी। के-4 के अलावा भारत अन्य एक परमाणु

मिसाइल प्रणाली बीओ-5 बना रहा है, जिसकी मारक क्षमता सात सौ किलोमीटर से ज्यादा है। कुछ हफ्ते में डीआरडीओ ने अग्नि -3 और ब्रह्मोस समेत कई और मिसाइलों के परीक्षण की योजना बना रखी है। के-4 मिसाइल प्रणाली पर काम तब शुरू हुआ, जब इसी तरह (के-4 की तरह) की क्षमताओं वाली अग्नि-3 मिसाइल को परमाणु चालित पनडुब्बी आइएनएस अरिहंत

में लगाने में तकनीकी समस्याएं खडी हो गईं। अरिहंत का व्यास 17 मीटर है, जिसमें अग्नि-3 फिट नहीं हो पाती। के-4 मिसाइल 12 मीटर लंबी है। इसका व्यास 1.3 मीटर का है। इसका वजन लगभग 17 टन है। ठोस ईंधन के रॉकेट से चलने वाला यह प्रक्षेपास्त्र लगभग दो टन भार का विस्फोटक ले जा सकता है। डीआरडीओ के अनुसार इस मिसाइल का लक्ष्य अचूक मारक क्षमता हासिल करना है।

के-4 के गैस प्रक्षेपक का 2010 में एक पंट्रन (छोटी पनडुब्बी) से सफलतापूर्वक

> परीक्षण किया गया। इसके बाद इसका परीक्षण 2014 में 30 मीटर की गहराई से हुआ था। परीक्षण सफल रहा था और मिसाइल हिंद महासागर में तीन हजार किलोमीटर तक पहुंची थी। इसके बाद सात मार्च 2016 को के-4 का एक बार फिर एक प्लेटफॉर्म (पंटून) से बंगाल की खाडी में परीक्षण किया गया। अप्रैल 2016 में फिर जानकारी आई कि इसका सफलतापूर्वक परीक्षण 31 मार्च 2016 को आइएनएस अरिहंत से विशाखापत्तनम के तट से 45 नॉटिकल मील की दूरी पर किया गया। परीक्षण में सभी मानकों पर खरी उतरी और शून्य त्रुटि के साथ लक्ष्य भेदने में सफल रही।

मिसाइल) से लैस करने की खास बात यह है कि जरूरत है, ताकि यह पनडुब्बी के-4 मिसाइल और भारतीय समुद्र के किसी भी अरिहंत पनडुब्बी दोनों को हिस्से में अपने लक्ष्य के लिए देश में ही बनाया गया है। खतरा साबित हो सके। के-4 की रेंज 3,500 किलोमीटर है, साथ ही यह

> दो हजार किलोग्राम गोला-बारूद साथ ले जाने में सक्षम है। के-4 मिसाइल का नाम पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है, जिसमें के-4 मिसाइल का कोड नेम है। इस परीक्षण के कामयाब होने के साथ ही भारत पानी के भीतर मिसाइल दागने की ताकत रखने वाला पांचवां देश बन गया है। इससे पहले यह तकनीक अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन के ही पास थी।



पर्यावरण परिवर्तन: फसलों पर दुष्प्रभाव

जनसत्ता संवाद



ल ही में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (एचएयू) में स्वर्ण जयंती अंतराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का विषय 'न्यू मिलेनिया एग्रीकल्चर नॉवल ट्रेंडस एंड फ्यूचर सिनेरियो' रहा। इस सम्मेलन में

शोधकर्ताओं ने पर्यावरण में हो रहे बदलाव और फसलों पर इसके दुष्प्रभाव से जुड़े तथ्यों को पेश किया। साथ ही वैज्ञानिकों ने कृषि के क्षेत्र में आगामी चुनौतियों को भी साझा किया। इस सम्मेलन में 25 से अधिक देशों के वैज्ञानिकों ने शोध पत्र प्रस्तुत किए।

इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मेसाच्यूसेट के वैज्ञानिक डॉ. बाओशेन जिग ने लंबे समय तक मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखने व वर्तमान में हो रहे जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बायोचर के महत्व पर व्याख्यान प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि 1960 में विश्व की जनसंख्या 3.03 अरब थी जोकि अब दोगुणा से ज्यादा हो गई है। जबकि कृषि योग्य भूमि में 12 फीसद की ही वृद्धि हुई। अभी प्राकृतिक संसाधनों पर मानव व पशु संख्या का भारी दबाव है जिसके लिए खाद्य आपूर्ति करना कृषि वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी चुनौती है।

डॉ. बाओशेन जिंग ने कहा कि कृषि में बायोचर के उपयोग से मृदा की जलधारण क्षमता में 9.82 फीसद तक बढ़ोतरी हुई है, जिससे यह सिद्ध होता है कि भविष्य में जल संरक्षण के लिए कृषि तकनीक में बायोचर का इस्तेमाल लाभदायक होगा। इसके अलावा बायोचर के उपयोग से मृदा की उत्पादन क्षमता व मृदा से पौधों को होने वाली पोषक तत्वों की उपलब्धता भी बढ़ती है। उन्होंने बताया कि बायोचर के इस्तेमाल से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भी कमी आती है। अतः यह तकनीक वायु और मुदा प्रदुषण से भी निपटने में सहायक होगी।

पर्यावरण में बदलाव लगातार फसलों पर दुष्प्रभाव छोड़ रहा है, जो कृषि के लिए एक बड़ी चुनौती है। इस स्थिति से जूझने के लिए वैज्ञानिकों ने ऐसी फसलों को विकसित करने पर बल दिया जो खराब पर्यावरण में भी अधिक पैदावार दे सकें।



प्रस्तुत शोध में ऐसे तथ्य सामने आए हैं कि पर्यावरण बदलाव लगातार फसलों पर दुष्प्रभाव छोड़ रहा है। इस स्थिति से जूझने के लिए वैज्ञानिकों ने ऐसी फसलों को विकसित करने पर बल दिया जो खराब पर्यावरण में भी अधिक पैदावार दे सकें। कनाडा के ग्वेल्फ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कलेरेनस जे सवेंटन ने बताया कि समय के साथ जलवायु में परिवर्तन आ रहा है, जिसमें मुख्य रूप से बढ़ती हुई गर्मी और वर्षा की अनिश्चितता भी है। इसकी वजह से हर साल किसानों को काफी नुकसान होता है। लिहाजा फसलों की ऐसी किस्मों को विकसित करना होगा हो जलवायु में आने वाले बदलाव को सहन कर सकें। उन्होंने सूखे और लवणीयता को सहन करने वाली किस्में विकसित करने पर बल दिया।

एचएयू के कुलपति प्रो. केपी सिंह ने कहा कि कृषि शोध में बदलाव की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में आ रही चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए कृषि शिक्षा व कृषि शोध में उपयुक्त बदलाव करने होंगे तांकि किसानों के समक्ष आ रही समस्याओं का समाधान किया जा सके। कृषि क्षेत्र की उन्नित के लिए भविष्य में नए आयाम जैसे कि नैनो तकनीक आधारित मॉनिटरिंग, नैनो फर्टिलाइजर, नैनो पेस्टीसाइड, डाटा माइनिंग, मार्केट आधारित कृषि उत्पादन, अधिक ऊर्जा वाली फसलों संबंधी

शोध, कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन, अन्न भंडारण की नई तकनीक, कृषि ज्ञान के प्रचार प्रसार की आधुनिक तकनीकों और समेकित कृषि प्रणाली की महत्ता पर बल देना होगा।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्व डीडीजी प्रो. गर्जेंद्र ने भविष्य में बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्यान आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कृषि शिक्षा एवं शोध की महत्ता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश में लगभग 800 विश्वविद्यालयों में से 71 कृषि विश्वविद्यालय हैं जिनमें होने वाले शोध कार्यों से कृषि क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों का समाधान करने में मदद मिलेगी।



पाक सेना ने प्रदर्शनकारियों को चेताया

रविवार, 3 नवंबर : पाकिस्तानी सेना ने शनिवार को आगाह किया कि देश में किसी को भी अराजकता उत्पन्न नहीं करने दी जाएगी। इससे एक दिन पहले ही धर्मगुरु एवं राजनीतिज्ञ मौलाना फजलूर रहमान ने प्रधानमंत्री के पद छोड़ने के लिए दो दिन की समयसीमा तय की थी।

रोहिंग्या की सुरक्षित वापसी तय हो : गुतारेस सोमवार, 4 नवंबर : संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंतोनियों गुतारेस ने म्यांमा से सैन्य अभियानों में निकाले गए रोहिंग्या शरणार्थियों की 'सुरक्षित' वापसी सुनिश्चित करने का रविवार को आग्रह किया। बैंकाक में दक्षिण पूर्व एशियाई नेताओं के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये कहा।

पाक की सुरक्षा शिकायतों की जांच होगी

मंगलवार, 5 नवंबर : पाकिस्तान ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए सोमवार को काबुल में अपनी वाणिज्यिक सेवाओं को बंद कर दिया जबकि एक अफगान अधिकारी ने कहा कि सरकार इसकी जांच करेगी।



माइक पॉम्पियो

अमेरिका पेरिस समझौते से हुआ अलग

बुधवार, 6 नवंबर : अमेरिका ने पेरिस जलवायु समझौते से अलग होने की सूचना औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र को दे दी है। इसी के साथ ही अब इस समझौते से अमेरिका के बाहर निकलने की प्रक्रिया शुरू होगी, जो कि एक साल लंबी है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने सोमवार को इसकी जानकारी दी।

इंटरनेट स्वतंत्रता मामले में पाक सबसे पिछडा गुरुवार, ७ नवंबर : इंटरनेट और डिजिटल मीडिया स्वतंत्रता के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया के दस बदतर देशों में से एक है। इंटरनेट की प्रहरी एक संस्था की तरफ से जारी रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट अधिकार समूह, 'द फ्रीडम हाउस' ने मंगलवार को 2019 के लिए अपनी 'फ्रीडम

ऑन द नेट' रिपोर्ट जारी की।

प्रदूषण के कारण बंद किए गए लाहौर के स्कूल शुक्रवार, 8 नवंबर : गंभीर वायु प्रदूषण के कारण पाकिस्तान की सरकार ने पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर के सभी स्कूल बंद कर दिए हैं। नजदीकी प्रांत में फसल जलने के कारण धुंध छाई है।

अमेरिका ने बढ़ाया एच1 बी वीजा का शुल्क शनिवार, 9 नवंबर : अमेरिका में काम करने के लिए एच-

1बी वीजा के आवेदन शुल्क के तौर पर अब दस डॉलर ज्यादा चुकाने होंगे। अमेरिका ने अपनी संशोधित चयन प्रक्रिया के तहत इस संबंध में घोषणा की। वहां काम करने वालों को शुल्क में पहले से 700 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे।

अब सरकार की बारी

कैसे आकार लेगा रामलला का मंदिर

दीपक रस्तोगी

दालत के फैसले के बाद अब राम मंदिर ट्रस्ट का इंतजार हो रहा है। ट्रस्ट के सदस्यों के चयन और मंजूरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका भी अहम हो सकती है। इसमें राम जन्मभूमि न्यास, निर्मोही अखाडा के सदस्य और विभिन्न धर्मों के धर्माचार्य शामिल किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद राम मंदिर से जुड़ी प्रगति पर नजर रख पाएं, इसके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से भी किसी को सदस्य बनाया जा सकता है। ट्रस्ट के हर सदस्य का कार्यक्षेत्र और जिम्मेदारी तय होगी।

67 एकड भूमि पर मंदिर

मंदिर निर्माण के लिए अधिगृहित की गई 67 एकड़ भूमि का इस्तेमाल होगा। मुख्य मंदिर का निर्माण 2.77 एकड़ में हो जाएगा, बाकी बची जगह पर अन्य तरह के निर्माण कराए जाएंगे। पर्यटन मंत्रालय ने इस स्थल को सरदार पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तर्ज पर बड़े पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की तैयारी की है। इसके तहत राम मंदिर तक पहुंचने के लिए रेल, सड़क, हवाई यातायात के बेहतर प्रबंध के लिए भी रोडमैप तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा अयोध्या के आधारभूत संरचना विकास के लिए भी जल्द भव्य रोडमैप तैयार किया जाएगा।

नागर शैली में मंदिर

मंदिर का नक्शा उत्तर भारत की नागर शैली पर बनाया गया है। 1989 में ही राममंदिर के लिए डिजाइन तैयार किया गया था। इसे गुजरात के चंद्रकांत सोमपुरा परिवार की तीन पीढ़ियों ने तैयार किया है। नागर शैली उत्तर भारतीय हिंदु स्थापत्य कला की तीन में से एक शैली है। इस शैली के मंदिरों की पहचान आधार से लेकर सर्वोच्च अंश तक इसका चतुष्कोण होना है। इसकी मुख्य भूमि आयताकार होती है जिसमें बीच के दोनों ओर क्रमिक विमान होते हैं जिनके कारण इसका पूर्ण आकार तिकोना हो जाता है। मंदिर के सबसे ऊपर शिखर होता है, जिसे रेखा शिखर भी कहते हैं। नागर शैली के मंदिरों में चार कक्ष होते हैं-गर्भगृह, जगमोहन, नाट्यमंदिर और भोगमंदिर। इन मंदिरों में लोहे और सीमेंट का इस्तेमाल नहीं होता है। खजुराहो और

क्या है जानकारों की राय





ये बहुत अच्छा होगा, अगर मस्जिद के लिए मिली पांच एकड़ जमीन पर अस्पताल बनवा

दिया जाए और इसे सभी समुदायों का समर्थन मिले। –जावेद अंख्तर, चर्चित शायर और गीतकार (टिवटर पर)



राम मंदिर का निर्माण राष्ट्र मंदिर के निर्माण की दिशा में सार्थक पहल है। यह देश राम–रहीम की परंपरा वाला देश है। ऐसे में निर्माण सिमित में भारतीयता की

झलक मिलनी ही चाहिए। हां, मंदिर में पूजा सनातन परंपरा के अनुसार होगी। -स्वामी जीतेंद्रनंद सरस्वतीं, अखिल भारतीयः संत समिति के महासचिव



लोगों ने काफीँ भला–बुरा भी कहा। -केके मुहम्मद, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक (उत्तर)

कोणार्क मंदिर भी नागर शैली में ही बनाए गए हैं।

मंदिर का शिलान्यास कब

संत समाज चाहता है कि हिंदू नववर्ष (25 मार्च को) या रामनवमी (दो अप्रैल) को मंदिर की नीव रखी जाए। विश्व हिंदु परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एकमत है। अखिल भारतीय संत समिति ने सर्वसम्मित से कहा कि मंदिर की नींव हिंदू नववर्ष (नव संवत्सर) या भगवान राम के जन्मदिन (रामनवमी) को ही रखी जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को लेकर संत समाज और संघ की भूमिका अहम मानी जा रही है।

टस्ट के गठन की तैयारी

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर राम मंदिर के लिए ट्रस्ट का गठन इसी महीने हो सकता है। संस्कृति मंत्रालय के अधीन बनने वाले इस ट्रस्ट के लिए सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का मॉडल अपनाए जाने की संभावना है। केंद्र और राज्य (उत्तर प्रदेश की) सरकार ट्रस्ट में सदस्यों को नामित कर सकेंगी। सरकार तिरुपति देवस्थानम और श्री माता वैष्णोदेवी श्राइन बोर्ड सहित दुसरे ट्रस्ट की बनावट और दस्तावेजों का अध्ययन कर रही है। संस्कृति मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक, राम मंदिर निर्माण और देखभाल के लिए सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट सबसे बेहतर उदाहरण है। यह ट्रस्ट सोमनाथ मंदिर की देखभाल करता है।

ट्रस्ट में कौन-कौन होंगे

सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनने वाला ट्रस्ट सोमनाथ मंदिर निर्माण ट्रस्ट (6 सदस्यीय) की तरह ही काम करेगा। गृह मंत्री या पर्यटन मंत्री को इसका अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसके सदस्यों की संख्या 20 से ज्यादा हो सकती है। ट्रस्ट में रामजन्म भूमि न्यास को वरीयता दी जाएगी। निर्मोही अखाड़े को प्रतिनिधित्व देने का आदेश सुप्रीम कोर्ट दे ही चुका है। यह तय नहीं है कि राम मंदिर ट्रस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे या नहीं, पर सदस्य नामित करने में उनकी अहम भूमिका होगी। ट्रस्ट में एक मुस्लिम समेत हर धर्म का प्रतिनिधि होगा।

काशी-मथुरा में मुकदमे के रास्ते बंद

अयोध्या पर फैसले के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने देश के तमाम विवादित धर्मस्थलों पर भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया। अदालत ने 11 जुलाई, 1991 को लागू हुए 'प्लेसेज ऑफ वर्शिप' (स्पेशल प्रोविजन) एक्ट, 1991 का जिक्र किया। यह साफ कर दिया कि काशी और मथुरा में जो मौजूदा स्थिति है वही बनी रहेगी। वर्ष 1991 में केंद्र की तत्कालीन नरसिंह राव की सरकार ने कानून पारित किया कि धार्मिक स्थलों पर इमारत ध्वंस जैसा कुछ न हो सके। उसी कानून का नाम था प्लेसेज ऑफ वर्शिप (स्पेशल प्रोविजन) एक्ट



भाकर: निशानेबाजी की नई रानी

जनसत्ता संवाद



हते हैं 'स्काई इज द लिमिट' पर भारतीय निशानेबाज मुन भाकर के लिए ऐसा नहीं है। सत्रह वर्षीय इस युवा

निशानेबाज ने हाल ही में दोहा में आयोजित एशियाई चैम्पियनशिप 2019 में महिलाओं की 10 मीटर एअर पिस्टल गेम में स्वर्ण पदक जीता है। भारत का चैम्पियनशिप में यह पहला

स्वर्ण पदक है। मनु भाकर ने एशियाई निशानेबाजी चैम्पियनशिप के फाइनल्स में 244.3 के स्कोर के साथ पहले स्थान पर रहते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) ने अपने आधिकारिक ट्विटर पर

इसकी जानकारी दी। देश की दिग्गज निशानेबाज मनु भाकर पहले ही तोक्यो ओलंपिक-2020 कोटा हासिल कर चुकी हैं। इस युवा खिलाड़ी ने इस साल मई में जर्मनी के म्युनिख में हुए विश्व कप निशानेबाजी टूर्नामेंट में महिलाओं की 10 मीटर एअर पिस्टल स्पर्धा में चौथे स्थान पर रहते हुए तोक्यो ओलंपिक का कोटा

हासिल किया है। 18 फरवरी 2002 को झज्जर, हरियाणा में जन्मीं मनु भाकर युवा भारतीय निशानेबाज हैं। चौदह साल की उम्र तक मुन ने विभिन्न खेलों जैसे मणिपुरी मार्शल आर्ट के साथ-साथ मुक्केबाजी, टेनिस और स्केटिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए, राष्ट्रीय खेलों के इन प्रतियोगिताओं में कई पदक जोड़े हैं। मन् अपने दादा रजकरन साहब से काफी प्रेरित थीं जो भारतीय सेना में एक सिपाही होने के साथ एक महान निशानेबाज भी थे। स्कूलिंग के दौरान मुन अपने स्कूल,

यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल गोरिया में एक छोटी

शूटिंग रेंज में ही निशानेबाजी का अभ्यास करती थीं। लेकिन इस खेल में उन्हें इतना मजा आने लगा कि वे छुट्टियों के दिन भी लगभग दस घंटे निशानेबाजी का अभ्यास करती। मनु का यह खेल, खेल से कहीं ज्यादा था। मनु ने पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता का स्वाद 2017 में एशियाई

जूनियर चैंपियनशिप में चखा था, इस चैंपियनशिप में उन्होंने रजत पदक जीता। फिर 2017 में केरल में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में, नौ स्वर्ण पदक अपने नाम किए। इसके बाद मैक्सिको में 2018 में आइएसएसएफ विश्व कप में दो स्वर्ण पदक जीते। वे

आइएसएसएफ विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय हैं। उन्होंने 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में

महिलाओं की 10 मीटर एअर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था, उस समय वह मात्र 16 वर्ष की थीं। इसके बाद वे जीतती चली गई। फरवरी 2019 में उन्होंने दिल्ली में 2019 आइएसएसएफ विश्व कप में 10 मीटर एअर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। इसी साल मई माह में वे तोक्यो ओलंपिक-2020 कोटा

हासिल कर चुकी हैं। निशानेबाजी में बेहतर प्रदर्शन करते हुए मनु ने अपनी पढाई जारी रखी है और इसी साल उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्री राम कॉलेज में दाखिला लिया है। वे राजनीतिक विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई करेंगी। मनु को शूटिंग करिअर की शुरुआत किए अभी ज्यादा समय नहीं हुए है लेकिन आज वह भारतीय शूटिंग का चमकता हुआ सितारा हैं। उन्हें श्टिंग क्वीन कहा जाने लगा है। 2020 में होने वाले ओलंपिक में देश को उनसे काफी उम्मीदें हैं। उनकी जीत ने देश की लड़िकयों को प्रेरित किया है।





नीतीश ने विशेष अभियोजक नियुक्त करने का निर्देश दिया

एससी-एसटी मामले तेजी से निपटाने की कवायद

पटना, 10 नवंबर (भाषा)।

बिहार के मुख्यमंत्री की नीतीश कुमार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) से जुड़े लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाए जाने की बात करते हुए सोमवार को निर्देश दिया कि इसके लिए विभिन्न विशेष अदालतों में विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति की जाए।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण (अत्याचार निवारण) नियम 1995 व संशोधन नियम-2016 के अंतर्गत राज्यस्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति की बैठक के दौरान कुमार ने निर्देश दिया कि विभिन्न विशेष अदालतों में आवश्यकता अनुरूप विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति विधि विभाग द्वारा की जाए। इच्छुक, योग्य व प्रतिबद्ध अधिवक्ताओं को दायित्व सौंपा जाए और अयोग्य विशेष लोक अभियोजकों को दायित्व से मुक्त किया जाए, ताकि लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी

लाई जा सके। कुमार ने कहा कि जिलास्तरीय सतर्कता व अनुश्रवण की नियमित बैठक आयोजित की जाए। महादलित के अलावा सभी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आवास रहित परिवारों को आवास भूमि उपलब्ध करायी जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत जिन लोगों को आवास का आबंटन हुआ है लेकिन उनके पास जमीन नहीं है, उन्हें जमीन खरीदने के लिए राज्य सरकार 60 हजार रुपए मुहैया करा रही है।

उन्होंने कहा कि सभी थानों में दर्ज मामलों की समीक्षा थानावार पुलिस महानिदेशक के द्वारा की जाए। बैठक में निर्णय लिया गया कि जनवरी माह में ही 26 जनवरी के बाद किसी दिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 एवं संशोधन नियम-2016 के अंतर्गत राज्यस्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति की फिर से बैठक होगी।

बैठक में जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी बातें रखीं तथा पीड़ित व्यक्तियों को यथाशीघ्र राहत देने के लिए अपेक्षित कार्रवाई का अनुरोध किया। इससे पूर्व बैठक में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के सचिव प्रेम कुमार मीणा ने विगत बैठक के संबंध में कार्यवाही अनुपालन की विस्तृत जानकारी दी।

बैठक में पुलिस महानिदेशक के स्तर पर दोष सिद्धि दर, पीड़ित व्यक्तियों को दी जाने वाली राहत, पुनर्वास सुविधाओं व उनसे जुड़े अन्य मामलों की भी समीक्षा हुई। जिलास्तर पर गठित निगरानी एवं अनुश्रवण समिति के कार्यकलापों की भी जानकारी दी गई। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री रमेश

जादू-टोने के शक में बुजुर्ग महिला पर हमले की जांच हो: महिला आयोग

नई दिल्ली, 11 नवंबर (भाषा)।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में जादूरोना करने के संदेह में 70 वर्षीय महिला पर हमले के मामले में सोमवार को त्वरित जांच की मांग की। पुलिस ने रविवार को बताया कि महिला को जादुरोना करने के शक में कथित तौर पर चेहरे पर कालिख पोतकर व जूतों की माला पहनाकर गांव में घुमाने के मामले में 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। घटना सरकाघाट उपसंभाग में गाहर पंचायत के तहत समाहल गांव में घटी।

घटना की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए आयोग ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर कहा है कि वह महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीरता से चितित हैं और कथित घटना से व्यथित हैं। आयोग की सदस्य श्यामला एस कुंडर ने पत्र में लिखा, 'मामले की गंभीरता को देखते हुए मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि मामले में तत्काल और त्वरित जांच कराई जाए व जल्द ही आयोग को इसकी विस्तृत रिपोर्ट भेजी जाए।'

कर्नाटक के अयोग्य घोषित विधायकों की याचिकाओं पर फैसला कल

नई दिल्ली, 11 नवंबर (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक में कांग्रेस-जद (सेकु) के अयोग्य घोषित किए गए विधायकों की याचिकाओं पर 13 नवंबर को फैसला सुनाएगा। इन विधायकों को विधानसभा के तत्कालीन अध्यक्ष के आर रमेश कुमार ने अयोग्य घोषित कर दिया था।

न्यायमूर्ति एन वी रमण, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी के तीन सदस्यीय पीठ ने इन अयोग्य घोषित विधायकों की याचिकाओं पर 25 अक्टूबर को सुनवाई पूरी की थी। विधानसभा अध्यक्ष रमेश कुमार ने विधान सभा में एच डी कुमारस्वामी सरकार के विश्वास प्रस्ताव से पहले ही 17 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था।

विधानसभा में विश्वास मत्र प्राप्त करने मे विफल रहने पर कुमारस्वमी की सरकार ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद, भाजपा के बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व में राज्य में नई सरकार का गठन हुआ। इन विधायकों को

अयोग्य घोषित किए जाने की वजह से 17 में से 15 सीटों के लिए पांच दिसंबर को उपचुनाव हो रहे हैं। अयोग्य घोषित किए गए विधायक इन उपचुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करना चाहते हैं। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 18 नवंबर है।

इन विधायकों ने हाल में शीर्ष अदालत में एक आवेदन दायर कर 15 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव की तारीख स्थगित करने का निर्वाचन आयोग को निर्देश देने का अनुरोध किया था। इन विधायकों का कहना था कि उनकी याचिकाओं पर न्यायालय का निर्णय आने तक निर्वाचन आयोग को इन सीटों पर चुनाव नहीं कराने चाहिए।

अयोग्य घोषित विधायकों की दलील थी कि सदन की सदस्यता से त्यागपत्र देना उनका अधिकार है और अध्यक्ष का निर्णय दुर्भावनापूर्ण है और इससे प्रतिशोध झलकता है। इन विधायकों में से अनेक ने सदन की सदस्यता से इस्तीफा देते हुए अध्यक्ष को पत्र लिखे थे।

वित्तीय मामलों पर संसद की स्थायी समिति के लिए मनमोहन नामित

पेज 1 का बाकी

सचिवालय द्वारा सोमवार को जारी बुलेटिन के अनुसार नायडू ने दिग्विजय सिंह को शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के लिए नामित किया है। वित्तीय मामलों पर स्थायी समिति के सदस्य के रूप दिग्विजय सिंह के इस्तीफे के बाद रिक्त हुए स्थान पर डा. सिंह को नामित किया गया है।

सूत्रों के अनुसार इस समिति में डा. सिंह की मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए ही दिग्विजय सिंह ने इस्तीफा दिया था। महत्त्वपर्ण है कि 1991 से 1996 तक देश के वित्त मंत्री रहे डा. सिंह सितंबर 2014 से मई 2019 तक राज्यसभा सदस्य के रूप में वित्त मामलों की स्थायी समिति के सदस्य रहे। डा. सिंह हाल ही में राजस्थान से राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं।

आस्टेलिया में तेजी से फैल रही आग, आपातकाल घोषित

पेज 1 का बाकी

और 150 से अधिक घरों के जल के खाक होने के बाद यह घोषणा की गई है।

न्य साउथ वेल्स राज्य के आपातकालीन सेवाओं के मंत्री डेविड इलियट ने कहा कि लोगों को संभवतः 'इस सप्ताह सबसे खतरनाक आग का सामना करना पड़ रहा है, जैसा देश में पहले कभी देखने को नहीं मिला।' आस्ट्रेलिया के सर्वाधिक आबादी वाले राज्य न्यू साउथ वेल्स में तेज हवाओं के कारण आग फैल गई। न्यू साउथ वेल्स की नेता ग-लैडीस बेरेजिक्लयन ने सिडनी में कहा, 'विनाशकारी मौसम का मतलब है कि चीजें तेजी से बदल सकती है।' अधिकारियों ने बताया कि चिकित्सकों और अन्य चिकित्सा सेवाओं ने आग से जलने वाले 100 से अधिक लोगों का इलाज किया है, जिसमें 20 अग्निशमन दल के लोग शामिल हैं। सप्ताह भर

देर से लौटे मानसून से आस्ट्रेलिया के जंगलों में आग

के आपातकाल की घोषणा से ग्रामीण

अग्निशमन सेवा को किसी भी सरकारी एजंसी

को किसी भी कार्य को करने या करने से

रोकने का निर्देश देने का अधिकार मिल जाता

है। न्यू साउथ वेल्स में आग की दशाएं और

बिगड़ने के अनुमान जताए गए हैं।

पेज 1 का बाकी

भारत में मॉनसून सीजन देर से खत्म होने से जोड़ कर देखने पर कुछ हद तक समझा जा सकता है। आस्ट्रेलिया का न्यू साउथ वेल्स राज्य इस साल की सबसे भयंकर आग से जूझ

पेनहम ने कहा, 'वैश्विक तंत्र सब आपस में जुड़े हुए हैं। हम उन्हें अलग कर नहीं देख सकते। लेकिन अगर आप किसी एक इलाके में हैं तो आपके लिए यह सोचना मुश्किल होगा कि 10,000 किलोमीटर दूर जो मौसम है, वह असल में यहां भी असर डाल रहा होगा।' उन्होंने कहा कि भारत में रेकॉर्ड बारिश पिछले महीने के मध्य तक भी नहीं थमी थी। पेनहम ने कहा, 'भारत में पिछले महीने के मध्य तक रिकॉर्ड तोड़ बारिश नहीं थमी थी जबकि एशिया में दक्षिण-पश्चिम मानसून हर साल जून से सितंबर के बीच खत्म हो जाता है और वे हवाएं फिर क्षेत्र से दक्षिण की तरफ बढ़ती हैं।' साथ ही उन्होंने कहा कि इस स्थिति की वजह से डार्विन (आस्ट्रेलियाई शहर) में अच्छी बारिश नहीं हुई और इसलिए पूर्वी तट शुष्क पड़ गया व आग की चपेट में आने का जोखिम बढ गया। पेनहम ने कहा, 'इस वक्त इन क्षेत्रों में सामान्य तौर पर जो बारिश होती है, वह दरअसल वैश्विक घटना के चलते नहीं हुई। इस वजह से ये क्षेत्र गर्म, शुष्क व तेज हवाओं के असर में रहे। भीषण आग के लिए ये सारी स्थितियां अनुकूल होती हैं जो कि इस वक्त हम देख भी रहे हैं।

ऋषिदेव सहित कई अन्य मंत्री, विधायकों सिहत संबंधित विभागों के सिचव और वरीय अधिकारी उपस्थित थे।

पेज 1 का बाकी

और उन्हें मुलाकात के लिए बुलाया गया है। प्रकट की'। उन्होंने बताया कि सोमवार को शाम साढे आठ बजे हमारे पास राज्यपाल का फोन आया। नेता आदित्य ठाकरे ने संवाददाताओं से कहा उन्होंने मुझे विधायक दल के नेता के तौर पर आमंत्रित किया है। मैं नहीं जानता कि किस कारण से मझे आमंत्रित किया गया है। बाद में शिवसेना नीत सरकार को सैद्धांतिक रूप से राकांपा के प्रमख प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा कि समझा जाता है कि राज्यपाल ने उनकी पार्टी को इसलिए आमंत्रित किया है क्योंकि 54 सीटों के साथ वह तीसरी सबसे बडी पार्टी है। राज्यपाल हमें जो पत्र देंगे उसके आधार पर हम कांग्रेस से वार्ता करेंगे... हम मंगलवार को अंतिम निर्णय करेंगे।

उधर, राजभवन ने एक बयान में बताया कि शिवसेना नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने की इच्छा प्रकट की लेकिन वे जरूरी समर्थन पत्र जमा नहीं कर सके। बयान के अनुसार शिवसेना ने समर्थन पत्र जमा करने के लिए तीन दिन का समय और मांगा था, लेकिन राज्यपाल ने इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। इसके अनुसार, शिवसेना समर्थन का जरूरी पत्र नहीं जमा कर सकी। उसने समर्थन पत्र जमा करने के लिए समयसीमा तीन दिन और बढ़ाने का अनुरोध करते हुए पत्र दिया था जो सोमवार शाम 7:30 बजे समाप्त हो गई। बयान में कहा गया,

'राज्यपाल ने और समय देने में असमर्थता ने दिन में यहां राकांपा अध्यक्ष शरद पवार से

शिवसेना नाकाम, अब राकांपा को आमंत्रण

राज्यपाल से मुलाकात के बाद शिवसेना कि उनकी पार्टी का सरकार बनाने का दावा अब भी कायम है क्योंकि दोनों दलों ने समर्थन की सहमति जताई है। उन्होंने कांग्रेस और राकांपा का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि हमने दोनों दलों से बातचीत शुरू कर दी है। दोनों दलों ने शिवसेना को सैद्धांतिक रूप से समर्थन व्यक्त किया है। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ने कहा कि हमने सरकार बनाने के लिए दावा पेश करने की अपनी इच्छा के बारे में महाराष्ट्र के राज्यपाल को सुचित किया। शिवसेना विधायक पहले ही लिखित में अपना समर्थन जता चुके हैं। उन्होंने कहा कि दोनों दलों (राकांपा तथा कांग्रेस) को उनकी प्रक्रिया पूरी करने के लिए कुछ और दिन चाहिए।

शिवसेना ने सोमवार की शाम को दावा किया था कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए अपना समर्थन देने वाले महत्त्वपूर्ण पत्र भेजे हैं। पार्टी के मुखपत्र 'सामना' के ऑनलाइन संस्करण में शाम छह बजकर 25 मिनट पर यह दावा किया।

इससे पहले, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे रुपए के आभूषण भी बरामद किए गए।

मुलाकात की और सोनिया गांधी को फोन कर महाराष्ट्र में सरकार गठन के लिए उनकी पार्टी के समर्थन का अनुरोध किया।

3,300 करोड़ के हवाला रैकेट का खुलासा

पेज 1 का बाकी

छापेमारी की गई। सीबीडीटी ने कहा कि सार्वजनिक बनियादी संरचनाओं पर खर्च की जाने वाली राशि में एंट्री ऑपरेटरों, लॉबिंग करने वालों तथा हवाला डीलरों के जरिए हेर-फेर किया गया। बयान में कहा गया कि पैसों का हेर-फेर करने में संलिप्त कंपनियां मुख्य तौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और मुंबई में स्थित हैं। इस तरह की एक अन्य कंपनी की तलाशी इस साल अप्रैल में ली गई थी।

की राशि का हेर-फेर किया गया वे प्रमख बनियादी संरचना तथा आर्थिक तौर पिछडी श्रेणी से जुड़ी परियोजनाएं हैं। छापेमारी में आंध्र प्रदेश के एक नामी गिरामी व्यक्ति को 150 करोड़ रुपए से अधिक का भूगतान करने के भी सब्त मिले हैं। इस छापेमारी में 4.19 करोड़ रुपए की अघोषित नकदी तथा 3.20 करोड़

सीबीडीटी ने कहा कि जिन परियोजनाओं

सीएनजी पंप पर युवक की हत्या

पेज 1 का बाकी

कहा है कि उसके ससुर मदन गोपाल कथूरिया का परिवार रोहतक के सुभाष नगर में रहता है। उनका इकलौता साला 32 वर्षीय जितन कथूरिया 2010 से उनके पड़ोस में किराए का मकान लेकर रह रहा था। एमबीए कर चुका जितन संबंध में परामर्श चल रहा है और अभी तक नोएडा की एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में काम करता है। 2016 में जितन की हिसार की एक युवती के साथ शादी हुई जिसके बाद पति-पत्नी यहां किराए के मकान में रह रहे थे। मृतक की बहन प्रवीन और जीजा सौरभ का कहना है। कि शादी के कुछ समय बाद जितन की पत्नी सेक्टर-21 सी में स्थित एक ब्यटी पार्लर में काम करने लगी। परिजनों का आरोप है कि शरुआत में सब सही था लेकिन बाद में उसके पार्लर संचालक राहल के साथ अवैध संबंध बन गए। राहल ने जितन को वॉट्सऐप पर अपनी और उसकी पत्नी की तस्वीरें भेजनी शुरू कर दी। आखिरकार जनवरी, 2019 में जितन व उसकी पत्नी ने आपसी सहमित से तलाक ले लिया।

सोमवार सुबह करीब पौने 10 बजे जितन आफिस जाने के लिए निकला था। मेवला महाराजपुर मोड़ पर स्थित पंप पर सीएनजी भरवाने के लिए उसके कार से उतरते ही मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे नकाबपोश बदमाश ने उसके सिर में गोली मार दी। इस दौरान बदमाश ने दो और गोलियां भी चलाईं।

सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू की

पेज 1 का बाकी

का विस्तार से अध्ययन करने को कहा गया है ताकि अदालत के निर्देश के अनुरूप ही ट्रस्ट का गठन किया जाए। उन्होंने कहा कि इस कोई फैसला नहीं हुआ है। एक अन्य अधिकारी ने हालांकि कहा कि अभी यह साफ नहीं है कि क्या अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए बनाए गए ट्रस्ट की नोडल इकाई गृह मंत्रालय या संस्कृति मंत्रालय में से कौन होगा।

शीर्ष अदालत के पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने शनिवार को ऐतिहासिक फैसले में अयोध्या में 2.77 एकड विवादित भूमि पर राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ कर दिया। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार को सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए एक प्रमुख स्थान पर पांच एकड़ जमीन देने को भी कहा।

शीर्ष अदालत ने 1045 पन्नों के फैसले में कहा कि केंद्र सरकार इस फैसले की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर 'अयोध्या में कुछ क्षेत्रों के अधिग्रहण से संबंधित अधिनियम, 1993' के तहत एक योजना बनाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना में एक ट्रस्ट के गठन का भी विचार शामिल होगा जिसमें एक न्यासी बोर्ड या अन्य कोई उचित इकाई होगी।

फीस वृद्धि: जेएनयू छात्रों का प्रदर्शन, कुछ देर फंसे रहे मंत्री

पेज 1 का बाकी

को तितर-बितर करने के लिए पानी की बौछार भी की। विद्यार्थियों के प्रदर्शन की वजह से एचआरडी मंत्री काफी देर तक एआइसीटीई सभागार से बाहर नहीं आ पाए। इसके बाद पुलिस ने जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष आइशी घोष और उपाध्यक्ष साकेत मून को मंत्री के लिए रास्ता दिए जाने के लिए विद्यार्थियों से बात करने को कहा। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से द्वार से हटने का अनुरोध किया लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। बाद में छात्र संघ के पदाधिकारियों ने एचआरडी मंत्री से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का उचित हल निकाला जाएगा। मंत्री और जेएनयू कुलपति दोपहर बाद एआइसीटीई परिसर से बाहर आए। इस दौरान छात्र संघ ने एक मांग पत्र भी मंत्री को सौंपा। मंत्रालय की ओर से किए गए ट्वीट में कहा कि एआइसीटीई परिसर में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जेएनयू विद्यार्थियों से उनकी समस्याओं को लेकर सकारात्मक चर्चा की। केंद्रीय मंत्री ने यह आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का शीघ्र उचित हल निकाल लिया जाएगा।

जेएनयू के निकट बड़ी संख्या में विद्यार्थी छात्रावास की फीस वृद्धि, ड्रेस कोड जैसे दिशानिर्देश के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। विद्यार्थी इसे प्रशासन की छात्र-विरोधी नीति बताते हुए एआइसीटीई

की ओर बढ़ना चाहते थे लेकिन गेट पर अवरोधक लगा दिए गए थे। जेएनयू से लगभग तीन किलोमीटर दूर एआइसीटीई के द्वारों को बंद कर दिया गया और सुबह शुरू हुए विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर परिसरों के बाहर सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया था। पुलिस के मुताबिक विद्यार्थियों ने जब बैरिकेड तोड़े तो कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया। विद्यार्थियों पर पानी की बौछारें भी की गईं। हाथों में तख्तियां लेकर विद्यार्थियों ने 'दिल्ली पुलिस वापस जाओ' जैसे नारे लगाए और कुलपति एम जगदीश कुमार के खिलाफ भी नारेबाजी की। एक छात्र ने बताया कि हमारे लिए यह ऐतिहासिक दिन है कि दीक्षांत समारोह तक पहुंचे और मंत्री से मुलाकात की।

उन्होंने कहा कि हमारा आंदोलन अभी समाप्त नहीं हुआ है। हम एचआरडी मंत्री से अनुरोध करते हैं कि वे कुलपति को कहें कि वे विद्यार्थियों से बातचीत करें। उन्होंने कहा कि एचआरडी मंत्री ने वादा किया कि छात्र संघ को बैठक के लिए मंत्रालय बुलाया जाएगा। विद्यार्थी कुलपति से मिलना चाहते थे और उनकी मांग थी कि छात्रावास नियमावली का मसौदा वापस लिया जाए जिसमें उनके अनुसार फीस वृद्धि और ड्रेस कोड जैसी पाबंदियों का प्रावधान है। विद्यार्थियों ने बताया कि यह प्रदर्शन छात्रावास की नियमावली के विरोध के अलावा छात्र संघ के कार्यालय को बंद करने के प्रयास के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों का ही हिस्सा था।

आठ साल की सबसे बड़ी गिरावट

पेज 1 का बाकी

साल पहले इसी महीने में इसमें 8.2 फीसद की वृद्धि हुई थी। खनन क्षेत्र के उत्पादन में सितंबर में 8.5 फीसद की गिरावट रही। गत वर्ष सितंबर में इस क्षेत्र में 0.1 फीसद की वृद्धि हुई थी।

निवेश का आइना माने जाने वाले पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन सितंबर 2019 में 20.7 फीसद घटा जबकि एक साल पहले इसी महीने में इसमें 6.9 फीसद की वृद्धि हुई थी। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं में आलोच्य महीने में क्रमशः ९.९ फीसद और निर्माण वस्तुओं के उत्पादन में 6.4 फीसद की गिरावट आई। हालांकि मध्यवर्ती वस्तुओं के उत्पादन में सितंबर महीने में 7 फीसद की वृद्धि हुई।

सितंबर महीने में आइआइपी में गिरावट से आर्थिक वृद्धि में निकट भविष्य में तेजी की उम्मीद को झटका लगा है। आर्थिक वृद्धि दर चालु वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में पांच फीसद रही जो छह साल का न्यनतम स्तर है।

जुलाई-सितंबर तिमाही में जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) आंकड़ा 29 नवंबर को आना है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के मुख्य अर्थशास्त्री देवेन्द्र कुमार पंत ने कहा, 'आइआइपी में काफी उतार-चढ़ाव रहा है और कुछ महीनों में जो तेजी दिखी थी, वह गायब हो गई।' उन्होंने कहा, 'भारतीय अर्थव्यवस्था फिलहाल वृद्धि के मामले में संरचनात्मक नरमी

से गुजर रही है। इसका कारण घरेलू बचत दर में गिरावट और कृषि क्षेत्र में वृद्धि में गिरावट है।' चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-सितंबर छमाही में आइआइपी वृद्धि मात्र 1.3 फीसद रही जबकि इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में इसमें

5.2 फीसद की वृद्धि हुई थी।

कांग्रेस ने नहीं खोले पत्ते

पेज 1 का बाकी

अध्यक्ष शरद पवार से बात की। महाराष्ट्र के मुद्दे पर कांग्रेस राकांपा से फिर बात करेगी।

महाराष्ट्र के मुद्दे पर फैसला करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक सोमवार सुबह हुई। इससे पहले रविवार को ही कांग्रेस के महाराष्ट्र के प्रभारी मल्लिकार्जुन खड़गे और संगठन के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने जयपुर में ठहरे पार्टी विधायकों से बातचीत करने के बाद पार्टी हाईकमान को यह बता दिया था कि ज्यादातर विधायक शिवसेना की अगुआई में बनने वाली सरकार को समर्थन देने के पक्ष में हैं। उसके बाद इस मुद्दे पर सोमवार सुबह कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक हुई लेकिन वह बेनतीजा रही। खड़गे ने कार्यसमिति की बैठक के बाद कहा कि हम शाम चार बजे फिर से बैठक करेंगे और राज्य के नेताओं के साथ बैठक के बाद इस मुद्दे पर फैसला लेंगे। कार्यसमिति की बैठक के बाद महाराष्ट्र के तीन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण और सुशील कुमार शिंदे, प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बालासाहेब थोराट जयपुर से दिल्ली आकर कांग्रेस अध्यक्ष गांधी से मिले। उसके बाद पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता एके एंटनी, अहमद पटेल, केसी वेणुगोपाल सहित कई अन्य नेताओं की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ बैठक हुई।

विकास में गंभीर बाधा था अनुच्छेद 35 ए'

पेज 1 का बाकी

हलफनामे में कहा गया है, 'विगत वर्षों में महसूस किया गया है कि यह व्यवस्था राज्य का अहित कर रही थी और आतंकवाद और अलगाववाद जैसी गंभीर समस्याओं में बड़ा योगदान दे रही थी।' न्यायमूर्ति एनवी रमण की अध्यक्षता वाले पांच न्यायाधीशों का संविधान पीठ विभिन्न याचिकाओं पर 14 नवंबर से सुनवाई करने वाला है। इसमें अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को समाप्त करने के केंद्र के फैसले की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। पांच अगस्त को केंद्र द्वारा जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को समाप्त करने के फैसले के परिणामस्वरूप अनुच्छेद 35 ए इतिहास बन गया। राष्ट्रपति के आदेश के जरिए 1954 में भारत के संविधान में शामिल अनुच्छेद 35 ए जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को विशेषाधिकार प्रदान करता था और राज्य के बाहर के लोगों को कोई भी अचल संपत्ति खरीदने से रोकता था। यह राज्य की महिला को राज्य के बाहर के व्यक्ति से शादी करने पर संपत्ति अधिकारों से वंचित करता था। यह प्रावधान ऐसी महिलाओं के उत्तराधिकारियों पर भी लाग होता था। हलफनामें में कहा गया है कि यह प्रावधान 'तत्कालीन राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक गंभीर बाधा साबित हुआ।' हलफनामे में कहा गया है कि इसने राज्य में निवेश को रोक दिया हैं और युवाओं के लिए रोजगार सृजन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, जिसके परिणामस्वरूप अन्य विकास संकेतकों पर भी बुरा प्रभाव पड़ा।

लता मंगेशकर आइसीयू में भर्ती

पेज 1 का बाकी

कराया गया। अस्पताल के सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 28 सितंबर को 90 साल की हुईं गायिका की स्थिति गंभीर बनी हुई है।

अस्पताल के एक सूत्र ने कहा कि उन्हें तड़के दो बजे अस्पताल लाया गया। उनकी हालत गंभीर है और वह आइसीय में हैं। मंगेशकर की बहन उषा ने कहा कि गायिका वायरल संक्रमण से पीड़ित हैं और उन्हें मंगलवार तक अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है।

उन्होंने कहा कि लता दीदी अस्पताल में हैं। वह चिकित्सकों की निगरानी में हैं। उनकी स्थिति में सुधार हो रहा है। उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई है। उन्हें मंगलवार तक अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। उषा ने कहा- हमने सोचा कि अस्पताल में उनका

इलाज कराना बेहतर है क्योंकि वायरल संक्रमण के कारण वह एक दिन के लिए वहां है।

हिंदी भाषा में 1,000 से ज्यादा गीतों को अपनी आवाज देने वालीं मंगेशकर को 2001 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मंगेशकर ने इस साल अपना आखिरी गीत रिकॉर्ड किया। 'सौगंध मुझे इस मिट्टी की' 30 मार्च को रिलीज हुआ था। उन्हें 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

अरविंद सावंत का इस्तीफा

पेज 1 का बाकी

आरोप लगाया है। सावंत ने दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि हमने विधानसभा चुनाव गठबंधन में लड़ा था। इसमें कुछ चीजों पर सहमति बनी थी। उन्होंने कहा कि इसमें मुख्यमंत्री पद सहित सीटों के 50-50 के अनुपात में बंटवारे का फार्मुला तय हुआ था लेकिन भाजपा अब इससे इनकार कर रही है।

शिवसेना नेता ने कहा कि वे इस झठ से आहत हैं और अब उनके बीच कोई विश्वास नहीं बचा है। इसलिए मैंने इस्तीफा देने का फैसला किया है। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा भेज दिया है। यह पूछे जाने पर कि क्या शिवसेना राजग से अलग हो गई है, सावंत ने कहा कि जब मैंने इस्तीफा दे दिया है तो आप समझ सकते हैं कि इसका क्या अर्थ है। इससे पहले, मोदी मंत्रिमंडल में शिवसेना के इकलौते मंत्री सावंत ने ट्विटर पर इस्तीफे संबंधी फैसले की घोषणा की। इससे एक दिन पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राज्य में उनकी पार्टी शिवसेना को सरकार बनाने का दावा पेश करने का निमंत्रण दिया था। सावंत ने ट्वीट किया कि शिवसेना

सच के साथ है। मुझे दिल्ली में झूठ के माहौल में क्यों रहना चाहिए? मैं केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले सत्ता और सीटों की साझेदारी पर एक फार्मूला तय हुआ था। शिवसेना और भाजपा दोनों इस पर राजी हुए थे।

उन्होंने अन्य ट्वीट में कहा कि लेकिन अब यह हैरान करने वाली बात है कि जो तय हुआ था, उससे इनकार किया गया और शिवसेना को इस तरह से पेश किया जा रहा है, जैसे वह झठ बोल रही है। यह स्तब्ध कर देने वाला है। यह राज्य के गौरव पर धब्बा है। भाजपा ने झूठ की हदें पार करके अपने रास्ते बदल लिए हैं। महाराष्ट्र में रविवार को भाजपा द्वारा सरकार बनाने से इनकार करने के कुछ घंटों बाद राज्यपाल ने शिवसेना को सरकार बनाने के लिए दावा पेश करने का निमंत्रण दिया। राज्य में 288 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी शिवसेना के पास सरकार बनाने का दावा जताने के लिए सोमवार को शाम साढ़े सात बजे तक का वक्त है। शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस सरकार गठन को लेकर बातचीत में लगी है।

नई दिल्ली

epaper jansatta com

1एमडीबी भ्रष्टाचार: मलेशिया में पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ चलेगा मामला

कुआलालंपुर, 11 नवंबर। मलेशिया की अदालत ने सोमवार को कहा कि अभियोजन पक्ष ने 1एमडीबी भ्रष्टाचार मामले में सुनवाई के लिए पर्याप्त आधार पेश किए हैं और इसके बाद अब पूर्व नेता नजीब रजाक के खिलाफ सुनवाई शुरू की जाएगी। (एएफपी)

🖞 एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

बैक ऑफिसः लक्ष्मी इंश्योरेंस बिल्डिंग, ऑसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002

कब्जा सूचना (अवल सम्पत्ति के लिए)

[(परिशिष्ट-IV) नियम 8(1) देखें]

एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि वित्तीय प्ररिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित

(डितीय) अध्यादेश, 2002 (2002 का अध्यादेश 3) के प्रवर्तन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के

नियम 9 के साथ पठित घारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एलआईसी हाउसिंग

फाइनेंस लिमिटेंड ने लेखाओं के अधीन वर्णित राशि को कथित सूचना की तिथि से साठ दिनों के भीतर

पुनर्भगतान करने के लिए एक मांग सूचना जारी की। कथित कर्जदार राशि का भगतान करने में असफल

रहें इसलिए एतद्द्वारा कर्जदार और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित

नियम के नियम-9 के साथ पठित कथित अधिनियम की घारा 13(4) के अंतर्गत अधिकारों का उपयोग करते

हुए प्रत्येक खाते कें सम्मुख तिथि को नीचे वर्णित सम्पत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है। विशेषकर

कर्जदारों और आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित सम्पत्ति के साथ कोई भी लेनदेन न करे

और सम्पत्ति का कोई भी लेनदेन एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार और उस पर आगे

अचल सम्पत्ति का विवरण

मकान नं.एफ-178, पीछे की ओर का 07.08.2019 04.11.2019

ब्याज के भुगतान के अधीन होगा। जिस सम्पत्ति का कब्जा लिया गया है उसका विवरण निम्नानुसार है:

बंधक/बार्ज्ड संपत्तियों का विवरण

भाग (सभी छत अधिकारों के साथ)

गाँव-बसई दारापुर, सुदर्शन पार्क

दिल्ली-110015 एवं कुल क्षेत्र परिमाप

50 वर्ग गज सम्पत्ति के सभी भाग एवं

कर्जदार का ध्यान प्रतिभृत परिसम्पत्तियों के विभोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम के

खसरा न.2559/645 का

उत्तरः अन्य सम्पत्ति (एफ-177)

हिस्से जो घिरा है:

उप-अनुच्छेद 13 के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

NEWAGE MARKETING LIMITED

Regd. Office: 59/17. Ground Floor, Bahuball Apartments

New Rontak Road New Delm 110005

Email Id: newagemarketing 1984@gmail.com Tel No.: +91 11 28711851

CIN: L51909DL1984PLC018695. Website: www.newagemarketing.in

Pursuant to regulation 29 of the Securities and Exchange Board of

India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation 2015.

("Listing Regulations") that a meeting of the Board of Directors of the

Company is scheduled to be held on Thursday, November 14, 2019.

at 05:00 P.M. inter-alia to Consider and approve the Financial Results

The said Notice may be accessed on the Company's website at

http://www.newagemarketing.in and may also be accessed on the

Stock Exchange websites at https://www.mser.in Pursuant to this,

the Company has decided that the close period (i.e. closure of trading

window) under the "Obde of Company to Regulate, Monitor and Report

Trading' would continue till the end of 48 hours after the results are

के अनुसार नीलामी करेगी। इच्छुक सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं।

1253, 1265, 1272, 1276, 1319, 1329, 1374, MWS-293, 370

विवरण

विशिष्ट नदीं आर / अधवा असाधारण सदी के पूर्व)

अवधि के लिये कर पूर्व निवल लाम (विशिष्ट

मदों और/अथवा असाधारण मदों के उपरात)

मदो और / असाधारण मदौ क लपरात)

इक्किटी शेयर पूजी (प्रत्येक ₹ 10 / -

प्रति शयर आय (प्रत्येक ₹ 10 /- का

अकित मूल्य) (वाषिकीकृत नहीं)

वम अंकित मूल्य)

अन्य इक्विटी

बंसिक (रै)

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 11 नवम्बर, 2019

खाइल्यूटिड (र)

कर पश्चात अवधि के लिये निपल लान (विशिष्ट

अविधि के कुल समग्र आय अविधि के लिये लाभ

(कर जपरात) और अन्य समग्र आय (कर जपरात)

(पुनंमूल्यांकित आरक्षित को ग्रांडकर आरक्षित)

अनुसार अनुमानित क्रीडिट हानि (ईसीएल) का प्रावधान किया गया है।

दिल्ली द्वारा विलीश परिणामां की सीमित समीक्षा की गई है।

कम शुद्धता के महनों की नीलामी (30.04.2019 की अवधि तक एनपीए खात)

of the Company for the Quarter ended September 30, 2019.

दक्षिणः अन्य सम्पत्ति.

पूर्वः शेष सम्पत्ति का भाग

पश्चिमः पैसेज 15 फीट

For Newage Marketing Limited

Company Secretary & Compliance Officer

(Kamlesh Kumar)

कर्जदार एवं गारटर का नाम

(लोन खाता सं.

312300003164)

कर्जदारः

(आवेदक)

(गारंटर)

312300003058 एवं

श्रीमती सुनीता देवी

श्री श्रवण कुमार

(सह-आवेदक) एवं

दिनांक: 04.11.2019

made public un November 14, 2019.

नीलामी की तिथि: 18.11.2019

नीलामी की तिथि: 18.11.2019

अतिरिक्त सूचनाएँ नहीं दी जाएंगी।

कुल प्रचालनों से आय

अवधि के लिये निवल लाम (कर,

Magri: MSL-4861, MWS-906

Place: Delhi

Date: 06.11.2019

स्थानः दिल्ली

श्री अजय कुमार सिंह

हांगकांग, ११ नवंबर (एएफपी)।

मॉग सूचना कब्जा की 13(2) सूचना के अनुसार

बकाया राशि

92,54,922.80

एव

अन्य शुल्को

के साथ।

प्राधिकृत अधिकारी

For Associated Finman Limited

Company Secretary & Compliance Officer

(Sandeep Jangir)

एलआईसी हाऊसिंग फाइनेंस लि.

ASSOCIATED FINMAN LIMITED

Regd. Office: 59/17, Ground Floor, Bahubali Apartments

New Rohtal, Road New Delhi-110005

Email Id: associatedimnan1984@gmail.com Tel No.: +91 1132953621

CIN: L65910DL1984PLC018871. Website: www.associates.net.in

Pursuant to regulation 29 of the Securities and Exchange Board of

India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation 2015

("Listing Regulations") that a meeting of the Board of Directors of the

Company is scheduled to be held on Thursday, November 14, 2019

at 12:00 Noon inter-alia to Consider and approve the Financial Results

The said Notice may be accessed on the Company's website at

http://www.associates.net.in and may also be accessed on the Stock

Exchange websites at https://www.insel.in Pursuant to this, the

Company has decided that the close period (i.e. closure of trading

window) under the "Code of Company to Regulate, Monitor and Report

Trading' would continue till the end of 48 hours after the results are

of the Company for the Quarter ended September 30, 2019

made public on November 14, 2019.

Place: Delhi

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सुचित किया जाता है कि हमारे क्लाइंट, मेसरी मुध्द फाईनान्स लि. (GSTIN 32AABCT0343B1Z7), पंजीकृत

कार्यालयः तल 2, मुथूट बेम्बर्स, बैनर्जी रोड, कोच्चि – 682018, केरल, मारत, CIN: L65910KL1997PLC011300,

दूरभाषः +91 484-2396478, 2394712, फिक्सः +91 484-2396506, mails@muthootgroup.com, www.muthootfinance.com ऋण

चुकाने में असफल ऋणियों के निरवी रखे सोने के गहनों (30.09.2018 की अवधि तक NPA खातों) की निम्नलिखित विवरणों

Udaipur: MAL-1593, MPL-193, MSL-21277, 21534, 22129, MUL-968, 1716, 1738, 1750, 1781, 1788, 1790, 1843, 1844, 1858, 1870, 1888

1896, 1908, 1912, 1916, 1919, 1920, 1933, 1936, 1937, 1939, 1940, 1951, 1953, 1960, 1968, 1971, 1993, 2000, 2006, 2047, 2054, 2058

2062, 2064, 2081, 2082, 2083, 2100, 2106, 2114, 2124, 2130, 2139, 2153, 2156, 2157, 2178, 2198, 2223, 2262, 2281, 2297, 2327, 2328,

2334, 2340, 2405, 2451, 2452, 2474, 2482, 2635, 2658, 2744, 2825, 2924, 3209, Chetak Marg: MUL-1638, 1644, 1657, 1673, 1682, 1703,

1734, 1742, 1760, 1785, 1805, 1842, 1846, 1874, 1910, 1852, 1969, 1978, 1988, 1999, 2025, 2030, 2031, 2047, 2107, 2183, 2194, 2198, 2279, 2335, 2336, 2338, 2506, 2579, 2619, 2697, 2700, 2825, 2947, Fatehpura: MSL-9754, 9862, MUL-1880, 1889, 1896, 1912, 1913,

1938, 1941, 1957, 1966, 1969, 1988, 1989, 2017, 2030, 2056, 2057, 2059, 2083, 2098, 2178, 2179, 2180, 2181, 2195, 2206, 2226, 2263,

2273, 2285, 2324, 2358, 2369, 2384, 2450, 2490, 2538, 2568, 2571, 2585, 2588, 2601, 2611, 2614, 2687, 2692, 2729, 2737, 2806, 2840

2868, 2921, 2942, 2979, 2984, 3042, 3217, 3231, 3253, 3255, 3422, 3645, Sunderwas; MAL-1180, MUL-1335, 1649, 1652, 1655, 1674 1707, 1729, 1730, 1731, 1771, 1778, 1822, 1836, 1840, 1856, 1875, 1885, 1888, 1957, 1969, 1987, 1988, 1993, 1994, 1997, 2059, 2118

2238, 2245, 2256, 2282, 2301, 2335, 2336, 2351, 2376, 2378, 2386, 2462, 2537, 2543, 2556, 2567, MWS-34, 53, 58, 72, Toran Bawri

MUL-770, 921, 942, 969, 971, 975, 983, 1001, 1017, 1035, 1070, 1073, 1074, 1096, 1108, 1122, 1125, 1127, 1173, 1276, 1416, 1449, Hiran

Magri: MGL-286, 397, 1421, 1422, MSL-5173, MUL-1263, 1278, 1281, 1306, 1348, 1364, 1367, 1368, 1394, 1397, 1437, 1453, 1456, 1464,

1466, 1490, 1491, 1522, 1532, 1533, 1546, 1552, 1583, 1611, 1638, 1668, 1689, 1694, 1742, 1749, 1778, 1806, 1892, 1906, 1911

MWS-21, 31, 62, 113, 141, 185, 212, 234, 411. Hiran Magri Sector-11: MUL-1048, 1052, 1058, 1088, 1101, 1110, 1123, 1163, 1191, 1198,

Udaipur-Rajasthan: MUL-2541,2597, Udaipur-Chetak Marg; MGL-1273, Udaipur-Sunderwas; MUL-2418, MWS-1248, Udaipur-Hiran

नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी।

हालाँकि, कृपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियाँ) में नीलामी पूरी नहीं हो जाती तो ऐसी स्थिति में यह संबंधित

नीलामी वहाँ दिनाक 19" 8 20" November, 2019 को क्रमश. नीलामी केंद्र First Floor, Shree Karni Complex, LL Fatehpura, Bedla

Road, Udalpur, Raiasthan में संचालित की जाएगी / जारी रहेगी। और ऐसी स्थिति में जहाँ इस सबके बावजद कथित गहनों की

नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई

कोहली एण्ड सोब्ती, एडवोकेट, ए 59ए, यहली मंजिल, लाजपत नगर-॥ नई दिल्ली - 110024

नोट: ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भूगतान करके अपने यहनों की गिरवी छड़ा सकते हैं

30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही / छमाही के लिये अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सार

पंजी. कार्या: चौचा तल, टॉवर-1 एनबीसीसी प्लाजा, पुष्प विहार, सैक्टर-४, साकेत, नई दिल्ली-110017

कोनः +91-11-29581180, फॅक्तः +91-11-29581171

ई-मेलः ho@tfclltd.com, वेबसाइटः www.tfclltd.com, सीबाईएनः L85910DL1989PLC034812

समाप्त तिमाही

(अंके कित)

6,267 55

2,958.42

2,958.42

2,293.42

2,278.54

8.071.67

2.84

2.84

ग्राहक ईमेल आईडी: auctiondelhi@muthootgroup.com या 7834886464, 7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

(अंकेक्षित)

8,033.91

2,502.50

2,502.50

1,857.50

2.118.61

8,071.67

2.30

2.30

। विद्रोकपूर्ण आरबीआई दिशानिवैशों और बोर्ड हाना अनुनोदित नीति, जो भी इंड एएस के बहर्गत गणना अनुसार ईसीएस से अधिक हो, के

१. भारतीय प्रतिभृति एव विनिमय बांर्ड ("सेबी") (सूचीकरण दायित्य एव प्रकटीकरण आवष्यकताए) विनिधम 2015 क विनिधम 33 के अनुसरण मे

3, उपरोक्त, सेबी (सूचीकरण दायित्व एव प्रकटीकरण आवश्यकताए) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टीक एक्सचेंजी

के पास वाखिल तिमाही वित्तीय परिणामी के विरत्तत प्रारूप का साराय है। अलेखायरीक्षित तिमाही वित्तीय परिणामी का पुरा

प्रारूप स्टॉक एक्सचेजों की वेबसाइट www.nseindia.com एवं www.bseindia.com और कम्पनी की वेबसाइट

30 सितम्बर 2019 को समाप्त तिमाही / छमाही के लिए साविधिक लेखापरीक्षकों मेससे श्रेष चन्द्र। एड एसोसिएटस चार्टर्ड एकाउटेटस नई

Date: 08.11.2019

आगे ब्याज.

हांगकांग में पिछले पांच महीने से लोकतंत्र के समर्थन में चल रहे प्रदर्शन के बीच सोमवार को पुलिस की गोलीबारी से एक प्रदर्शनकारी घायल हो गया। किसी प्रत्यशदर्शी ने फेसबुक

पर पुलिस की गोलीबारी का सीधा प्रसारण किया। वहीं, प्रदर्शन के दौरान एक व्यक्ति को आग लगा दी गई।

हांगकांग पुलिस की गोली से प्रदर्शनकारी घायल, हमले में एक झुलसा

सुबह में गोलीबारी की घटना के बाद प्रदर्शन कर रहे लोगों ने स्टेशनों, सड़कों और दुकानों में तोडफोड की। नकाब पहने हमलावर ने

व्यक्ति पर कुछ ज्वलनशील तरल पदार्थ छिड़क दिया और बहस बढने पर उसे आग लगा दी। दिल दहला देने वाली इस घटना का वीडियो त्रंत ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने आरोप लगाया कि काला नकाब पहने

उपद्रवियों ने हिंसक कार्रवाई की।

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे बलाईट, मेसर्स मुथूट फाईनान्स लि. (GSTIN 32AABCT0343B1Z7), पंजीकृत कार्यालय तल 2, मुधूट चेम्बर्स, बैनर्जी रोड, कोव्यि – 682018, केरल, भारत, CIN: L65910KL1997PLC011300, दूरमाष: +91 484-2396478, 2394712, फैक्स: +91 484-2396506, mails@muthootgroup.com, www.muthootfinance.com ऋण बुकाने में अराफल ऋणियों के गिरवी रखे सोने के गहनों (30.09.2018 की अवधि तक NPA खातों) की निम्नलिखित विवरणों के अनुसार नीलामी करेगी। इच्छक सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं। नीलामी की तिथि: 18.11.2019

Saharanpur-Court Road: MUL-1609, 1616, 1630, 1634, 1647, 1651, 1678, 1698, 1699, 1707, 1770, 1792, 1835, 1836, 1843, 1851, 1905, 1908, 1937, 1949, 1965, 1968, 2006 2027, 2029, 2046, 2085, 2090, 2091, 2113, 2168, 2183, 2259, 2272, 2350, 2363, 2431 2462, 2483, 2516, 2525, 2531, 2534, 2634, 2722, 2803, 2820, 2926, Saharanpur-Chakrata Road: MUL-1121, 1149, 1243, 1260, 1368, 1376, 1386, 1388, 1398, 1403, 1406, 1416, 1427, 1439, 1446, 1452, 1501, 1537, 1550, 1553, 1556, 1561 1566, 1587, 1608, 1626, 1659, 1665, 1678, 1689, 1710, 1723, 1727, 1741, 1742, 1749, 1758, 1759, 1774, 1782, 1823, 1887, 1909, 1913, 1916, 1932, 1964, 2000, 2025, 2035,

कम शुद्धता के गहनों की नीलामी (30.04.2019 की अवधि तक एनपीए खाते)

Date of Auction: 18.11.2019 Saharanpur-Chakrata Road: MUL-1897, 2413

2076, 2078, 2079, 2089, 2186, 2221, 2373, 2403, 2605, 2739

नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है कमशः उन्हीं शाखाओं में संवालित की जाएगी।

हालाँकि कपया यह ध्यान रखें कि बंदि निर्धारित तिथि (तिथियो) में नीलामी पूरी नहीं हो जाती तो ऐसी स्थिति में यह सर्वधित नीलामी वहाँ दिनांक 19" & 20" November, 2019 को क्रमशः नीलामी केंद्र Muthoot Finance Ltd., First Floor, Gill Colony, Opp. Prashavnath Plaza, Court Road, Saharanpur, UP - 247001 में संचालित की जाएगी / जारी रहेगी। और एसी स्थिति में जहाँ इस सबके बावजूद कथित गहनों की नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस सब्ध में कोई अतिरिक्त सूचनाएँ नहीं दी जाएगी।

कोहली एण्ड सोब्ती, एडवोकेंट, ए 59ए, पहली मंजिल, लाजपत नगर-॥ नई दिल्ली - 110024

नोटः ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भूगतान करके अपने गहना की गिरवी छुड़ा सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडी: auctiondelhi@muthoolgroup.com या 7834886464 7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

प्रपत्र बी सार्वजनिक उद्घोषणा [दिवाला तथा दिवालिया (परिसमापन प्रक्रिया)

विनियमन, 2016 के विनियमन 12 के अंतर्गत] यु.पी. इन्फ्राइस्टेट प्राईवेट लिमिटेड के स्टेकधारकों के ध्यानार्थ

JMT AUTO LIMITED An AMTEK Group Company od Office: 3-LS C Pamonsh Englavi Guru Nanak Mrkt, Opp L.S.C Market,

CIN: -L42274DL1997PLC270939 Phone: 0657-6626340 Email: jmt auto@amtek.com Web site www.jmtauto.com

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure) Requirements) Regulation, 2015 that a meeting of Board of Directors of JMT Auto Limited shall be held on Thursday, the 14th day of November, 2019 at the Registered Office at Delhi at 3, LSC Pampush Endave, Guru Nanak Market, Opo-SC Market New Delhi -110048 to consider. approve and take on record the Unaudited inancial Results of the Company for the quarter ended 30thSeptember.2019. This is to further inform that pursuant to SEBI (PIT) Regulations, 2015 notice is given hat the trading window shall remain close for all Specified Persons including employees, Directors, Promoters, Statutory Auditors and all corrected persons as per the Insider Trading Code of the Company from 8th November, 2019 and shall continue until the beginning of 49th hour after the public announcement of the financial results are made. The said

By Order of the Board of Directors FOR JMT AUTO LTD. Place: New Delhi

ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है का लिमिटेड लाएबिलिटी पहचान संख्या

इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया समापन की तिथि । ८ नवम्बर २०१९ 8. परिसमापक के रूप में कार्यरत इन्सॉल्वेन्स प्रॉफेशनल का नाम तथा पंजीकरण संख्या आईबीबीआई पंजी. नं. IBBI/IPA-002/IP-N00200/2017-2018/10586 नई दिल्ली-110001 dev_arora@hotmail.com

1203, 12वाँ तल, विजया बिल्डिंग, 17, बाराखम्बा रोड, कनॉट प्लेस होने वाला पता तथा ईमेल नई दिल्ली-110001 devinder.rp@gmail.com

एतदुद्वारा यू.पी. इन्फ्राइस्टेट प्राईवेट लिमिटेड के स्टेकधारकों को निर्देश दिया जाता है कि आइटम नं. 9 में वर्णित पर पर परिसमापक के पास 10 सितम्बर, 2019 को या उससे पूर्व अपने दावे का प्रमाण जमा करें। फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडीटर्स प्रमाण

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, इलाहाबाद पीठ ने 8 नवम्बर, 2019 को यू.प

के साथ व्यक्तिगत या डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।

तिथि: 11 नवम्बर, 2019 (यू.पी. इन्फ्राइस्टेट प्रा.लि. के परिसमापव स्थानः नई दिल्ली

पिंगांडिक दबेक SyndicateBank

सेक्टर-3 शाखा, फरीदाबाद, हरियाणा-121001 फोन: 0129-2212411, ईमेल: br.9251@syndicatebank.co.in

देविन्दर अरोड

प्राधिकृत अधिकारी: सिंडिकेट बैंक

इन्फ्राइस्टेट प्राईवेट लिमिटेड का परिसमापन शुरू करने का आदेश दिया है।

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये) [अधिनियम-नियम 8(1) के अंतर्गत परिशिष्ट IV] जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत सिंडिकेट बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधोहस्ताक्षरी ने मांग सुचना नीचे वर्णित तिथि को जारी कर नीचे वर्णित ऋणधारकों को उक्त सुचना की प्राप्ति की तिथि रं 60 दिनों के भीतर सुचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक/गारन्टर/सम्पत्ति के स्वामी इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतदृद्वारा ऋणधारक/गारन्टरों/सम्पत्ति के स्वामी तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 7 नवम्बर, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतदुद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित चल एवं अचल सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय नीचे वर्णित राशि तथा उस पर आगे के ब्याज, लागतों आदि के लिये सिंडिकेट बैंक

ऋणधारक/स्युरिटी/स्वामी का नाम	अचल सम्पत्तियों का विवरण	मांग सूचना के अनुसार राशि	माग सू तिथि
	श्रीमती रजनी अरोड़ा तथा मीनू अरोड़ा के स्वामित्व तथा कब्जे में जवाहर कॉलोनी, मौजा सारण,		4.7.20
	तहसील तथा जिला फरीदाबाद में स्थित खसरा नं. 62/17 के भाग में शामिल मकान सं. 863		
तिलंक राज अरोड़ा	(पुराना प्लॉट नं. 139-ए का पूर्वी भाग) माप 85 वर्ग यार्ड्स का सभी भाग तथा हिस्सा।	सतासी एवं पैसे अटठाईस मात्र)	सूचना
	सम्पत्ति की चौहद्दीः पूर्वः मकान सं. 864, पश्चिमः मकान सं. 863 बी, उत्तरः 15 फीट चौड़ा	के साथ उस पर आगे की लागत,	तिथि
	सड़क, दक्षिणः प्लॉट नं. 124ए	ब्याज तथा खर्चे आदि	7.11.2

(₹ लाख मे)

समाप्त वर्ष

(अंके बिता)

23,629,62

11.363.91

11,363,91

8,625,15

8,614,15

8.071.67

65,619.54

10.69

10.69

नोट :

समाप्त छमाडी

(अके बित्त)

10,927.26

4.968.82

4,968.82

3,618.82

3,621.92

8,071.67

4.48

4.48

(अंकेक्षित)

4,301.48

5,460.92

5,460,92

4,150,92

8,071.67

5.14

5.14

30.09.2019 30.06.2019 30.09.2018 30.09.2019 30.09.2018 31.03.2019

(अंके कित)

5,148 21

2.171.73

2.171.73

1,577.73

1,580.83

8.071.67

1.95

1.95

तिथिः 12.11.2019, स्थानः फरीदाबाद

भारत सीट्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 1, नेल्सन मंडेला रोड, वसन्त कुंज, नई दिल्ली-110070 सीआईएन : L34300DL1986PLCO23540

वेबसाइट : www.bharatseats.com, ई-मेल : seats@bharatseats.net दुरभाष : +91 9643339870-74; फैक्स : 0124-2341188

30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा छमाही हेतु अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम (प्रति शेयर आँकड़ों को छोड़कर रु. लाख में)

1.11			समाप्त तिमाही		समाप्त	छमाही	समाप्त वर्ष
क्र. सं.	विवरण	सितम्बर 30, 2019	जून 30, 2019	सितम्बर 30, 2018	सितम्बर 30, 2019	सितम्बर 30, 2018	मार्च 31, 2019
		(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
1	प्रचालनों से कुल आय	15,043.91	17,059.20	26,715.23	32,103.11	50,644.80	90,884.39
2	अवधि हेतु निबल लाभ (कर पूर्व, अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदें)	364.14	604.61	1,054.59	968.75	2,132.95	3,122.39
3	कर पूर्व अवधि हेतु निबल लाभ (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	364.14	604.61	1,054.59	968.75	2,132.95	3,122.39
4	कर पश्चात अवधि हेतु निबल लाभ (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	700.98	379.87	684.09	1,080.85	1,396.56	2,142.05
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाभ (कर पश्चात) तथा अन्य व्यापक (कर पश्चात) सहित]	706.33	383.94	679.27	1,090.27	1,386.98	2,158.38
6	इक्विटी शेयर पूँजी	628.00	628.00	628.00	628.00	628.00	628.00
7	अन्य इक्विटी (आरक्षियाँ) (पुनर्मूल्यांकन आरक्षी को छोड़कर) जैसा कि वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन पत्र में प्रदर्शित है						9,827.89
8	प्रति शेयर आय (रु. 2/- प्रत्येक) (सतत एवं असतत प्रचालनों हेतु) (रु. में)						-
М	(अ) मूल (रु.)	2.23	1.21	2.18	3.44	4.45	6.82
	(ब) डाइल्यूटेड (रु.)	2.23	1.21	2.18	3.44	4.45	6.82

(अ) उपर्युक्त सेबी (सूचीबद्धता एवं अन्य प्रकटन अपेक्षाएँ), विनियम 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दर्ज तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। तिमाही वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज(जों) की वेबसाइट www.bseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाइट www.bharatseats.com पर उपलब्ध है।

(ब) भारत सीट्स (''कम्पनी'') के उपर्युक्त वित्तीय परिणाम कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के नियम 3 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानक (इण्ड-एएस) 34 तथा कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2016 एवं उसके तहत निर्मित प्रासंगिक संशोधनों के अनुसार तैयार किये गये हैं। (स) उपर्युक्त परिणामों की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा तथा अनुमोदन निदेशक मण्डल द्वारा आयोजित 11 नवम्बर, 2019 को किया गया। 30

सितम्बर, 2019 को समाप्त अवधि/तिमाही हेतु ''भारत सीट्स लिमिटेड'' के उपर्युक्त वित्तीय परिणाम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा निर्गत स्टैण्डर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स (एसआरई) 2410 के अनुसार कम्पनी के विधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा का विषय हैं। निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से

स्थान : गुरुग्राम दिनांक : 11.11.2019

(रोहित रिलैन) चेयरमैन एवं प्रबन्ध निदेशक Date: November 11, 2019

नई दिल्ली

ईरान में यूरेनियम कणों का पता चला

वियना : अंतरराष्ट्रीय परमाण् ऊर्जा एजंसी ने कहा कि उसे ईरान में एक अघोषित स्थल पर यरेनियम स्थान के बारे में एजंसी को नहीं कण मिले हैं। रिपोर्ट में कहा. 'ईरान बताया गया थी। (एएफपी)

में एक जगह पर एंथ्रोपोजेनिक मृल के युरेनियम कर्णों का पता चला।

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे क्लाईट, मेसर्स मुग्रुट फाईनान्स लि (GSTIN 32AABCT0343B1Z7), पंजीकृत कार्यालयः तल 2, मुथूट चेम्बर्स, बैनर्जी रोड, कोच्चि - 682018, केरल, भारत, CIN: L65910KL1997PLC011300, दूरभाष: +91 484-2396478, 2394712, ઉપરા: +91 484-2396506, mails@muthootgroup.com. www.muthootfinance.com ऋण चुकाने में असफल ऋणियों के गिरवी रखे सोने के गहनों (30.09.2018 की अवधि तक NPA खातीं) की निम्नलिखित विवरणों के अनुसार नीलामी करेगी। इच्छक सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं। नीलामी की तिथि: 19.11,2019

Jammu: MAL-1403, MSL-22256, 22424, 22499, 22689, MUL-112, 264, 510, 559, 823, 864

910, 1109, 1159, Jammu-Karan Market: MAL-1108, MSL-19187, MUL-66, 596, 625, 1338,

1385, 1597, 1672, 1729, 1797, 1813, 1837, 1891, 1901, 1931, 1938, 2004, 2053, 2549, 2594, 2630, 2668, 2697; 2926, Jammu-Talab Tillo: MSL-12169, 12294, MUL-755, 756 765, 940, 962, 979, 994, 995, 996, 1166, 1418, 1447, 1451, 1540, 1547, 1580, 1761, 1831 Jammu-Satwari Chowk: MSL-15459, 15464, 15561, MUL-124, 494, 696, 853, 932, 1041 1045, 1236, 1276, 1392, 1587, 1618, 1659, 1829, 1928, 2039, Jammu-Janipur MSL-14906, 15246, 15299, 15336, 15600, 15738, 15746, 15848, 15859, 15970, MUL-294 515, 526, 958, 1272, 1363, 1368, 1465, 1544, 1627, 1788, 1798, 1823, 1826, 1834, 1887 1904. 2080, 2305, 2356. 2413, 2470, 2712, 2718. Jammu-Shastri Nagar; MAL-673. MSL-8685, MUL-670, 696, 1063, 1375, 1592, Jammu-Raj Tilak Road: MSL-6998, 6999. 7000, MUL-587, 1285, Jammu-R.S Pura; MAL-464, MSL-5487, 6161, MUL-22, 265, 671, 796, 923, 938, 952, 1057, 1153, 1156, 1377, 1475, 1484, 1491, 1651, 1677, 1694, Bari Brahmana (JK): MUL-289, 301, 336, 416, 475, 536, 568, 591, 662, 667, 825, 909, 935,

कम शुद्धता के गहनों की नीलामी (30.04.2019 की अवधि तक एनपीए खाते) नीलामी की तिथि: 19.11.2019

Jammu-Raj Tilak Road: MSL-7108 1614, Bari Brahmana(JK): MUL-1268 नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमश

1132, 1281, 1264, 1305

जन्ही शाखाओं में संचालित की जाएगी। हालांकि, कुपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियां) में नीलामी पूरी नहीं हो जाती तो ऐसी स्थिति में यह संबंधित नीलामी वहीं दिनांक 20" & 21" November 2019 को क्रमशः नीलामी केंद्र Premises No. A-309 & A - 311, Second Floor, Karan Market Complex, Jammu City - 180 001 में संचालित की जाएगी / जारी रहेगी। और

ऐसी स्थिति में जहीं इस सबके बावजुद कथित गहनों की नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी आमानी तिथियों में भी इसी रथान पर जारी रहेंगी। इस सबंध में कोई अतिरिक्त सचनाएँ नहीं दी जाएंगी कोहली एण्ड सोब्ती, एडवोकेट, ए 59ए, पहली मंजिल, लाजपत नगर-॥ नई दिल्ली - 110024 नोट: ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का मगतान

करके अपने गहनों की गिरवी छुड़ा सकते हैं। ग्राहक इंमेल आईडी auctiondelhi@muthootgroup.com या 7834886464, 7994452461 पर कॉल करके सपर्क कर

> Form G INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST

		f the Insolvency and Bankruptcy ss for Persons) Regulations, 2016
		PARTICULARS
1.	Name of the corporate debtor	JIYA AGRO PRIVATE LIMITED
2.	Date of incorporation of corporate debtor	18.10.2012
3	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	Registrar of Companies-Dalhi
4.	Corporate identity number / limited liability identification number of corporate debtor	U512190L2012PTC243800
5	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debter	Regd Dff: 17, 3RD FLOOR, RAMPURI KALKAJI NEW DELHI - 110019
6,	Insolvency commencement date of the corporate debtor	29,08.2019
7.	Date of invitation of expression of interest	12.11.2019
8	Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(b) of the Code is evailable at:	The Resolution Professional by email at: iprakesi J1 @gmail.com rakesi panca@rediffmail.com
H.	Norms of ineligibility applicable under	With Resolution Professional
	section 29A are available at:	Contact Detail same as S.No. 8
10.	Last date for receipt of expression of interest	27.11.2019
11.	Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	04.12.2019
12.	Lest date for submission of objections to provisional list	09.12.2019
13.	Date of issue of final list of prospective resolution applicants	16.12.2019
14.	Date of issue of information mamorandum evaluation matrix and request for resolution plans to prespective resolution applicants	11,12,2019,
15.	Manner of obtaining request for resolution plan, evaluation matrix, information memorandum and further information	With Resolution Professional Contact Detail same as S.No. 8
16.	Last date for submission of resolution plans	08.01.2020
17.	Manner of submitting resolution plans to resolution professional	Sealed envelope by post/ by hand to Resolution Professional at the correspondence address. If should also be submitted in electronic mode or a password protected pen drive.
18.	Estimated date for submission of resolution plan to the Adjudicating Authority for approval	07.02.2020
19.	Name and registration number of the resolution professional	Rakesh Kumar Jain Regd No: IBBI/ IPA-001/IP-P012/97/2018-19/12068
20	Name, Address and elemail of the resolution professional, as registered with the Board	1203/81, 1st Floor, Shanti Nagar, Tri-Nagar, New Delhi- 110035 rakeshjainca@rediffmail.com
21,	Address and email to be used for correspondence with the resolution professional	1670/120, Shanti Nagar, Tri-Nagar, Delhi- 110035
22.	Further Details are available at or with	With Resolution Professional Contact Detail same as S.No. 8
23.	Date of publication of Form G	12,11,2019
23.	Date of publication of Form G	

12,11,2019 RAKESH KUMAR JAIN Resolution Professional For JIVA AGRO PRIVATE LIMITED Regd Na: iBBI/ IPA-001/IP-P01297/2018 19/12068 Regd Address: 1203/81, 1st Floor, Shanti Nagar, Tri Nagar, New Delhi 110035

ANNOUNCEMENT TO THE EQUITY SHAREHOLDERS OF AMARNATH SECURITIES LIMITED

Date and Place:12/11/2019 and New Delhi

Registered Office: 1/104, Sarthak, Opp. C. T. Centre, B/H. Swastik Cross Road C. G. Road, Ahmedabad-380009 Gujarat India Phone No.: 079 30613939; /ebsite: www.amarnathsecurities.com; Email Id: amarnathsecurities@gmail.com CIN: L67120GJ1994PLC023254

This Announcement to Detailed Public Statement is being issued by CapitalSquare Advisors Private Limited, the Manager to the Offer ("Manager" or "CSAPL") for and on behalf of the Acquirer, in respect of the mandatory open offer to acquire up to 7,80,052 fully paid-up equity shares ("OPEN OFFER SHARES") of Face Value Of ₹10 (Rupees Ten) Each representing 26.00% Of The Equity Share Capital/Voting Capital of Amarnath Securities Limited (Hereinafter referred to as "Target Company" or "ASL"), from the equity shareholders, of the Target Company, at a price of ₹ 16.45/-(Rupees Sixteen and Forty Five Paisa Only) in terms of Regulations 3(1) and 4 read with Regulations 13(4) and 15(2) of The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and Subsequent Amendments Thereto ("SEBI (SAST) Regulations"). This Announcement should be read in conjunction with The Public Announcement in relation to this offer Dated July 23, 2019 ("PA") and Detailed Public Statement ("DPS") which was published in the Financial Express (English) (All Editions), Jansatta (Hindi) (All Editions), Mumbai Lakshadweep (Marathi) (Mumbai Edition) and Financial Express (Gujarati)

(Ahmedabad Edition) on July 30, 2019, This Announcement should be read in continuation of, and in conjunction with the Public Announcement dated July 23, 2019 ("PA"), Detailed Public Statement published on July 30, 2019 ("DPS") and the Draft Letter of Offer dated August 06,

Capitalized terms used but not defined in this Announcement shall have the meaning

assigned to such terms in the Draft Letter of Offer. The Public Shareholders of the Target Company are requested to note that the changes/amendments with respect to and in connection with DPS are as under: The aforesaid acquisition and change of management are subject to receipt of

prior approval from RBI under "Non- Banking Financial Companies (Approval of Acquisition or Transfer of Control) Directions, 2015" in terms of RBI Notification No. DNBR. (PD) 029/CGM (CDS)-2015 dated July 09, 2015 for transfer of management and control of Non- Banking Finance Company. However the Target Company has not received prior approval of Reserve Bank of India (RBI). In light of the above, the Acquirer will not be able to proceed with the Open Offer as

per the timeline of the SEBI (SAST) Regulation and final observation letter of SEBI. Once the prior approval of the RBI is received, the Acquirer will decide on the next steps and the Equity Shareholders will be intimated accordingly. The Acquirer accepts full responsibility for the information contained in this

"Announcement" and also for the obligations of the Acquirer laid down in the Regulations, as amended.

ISSUED BY THE MANAGER TO THE OFFER:

CAPITALS UARE Teaming tagether to create value

CAPITALSQUARE ADVISORS PRIVATE LIMITED 208, 2nd Floor, AARPEE Center, MIDC Road No 11, CTS 70, Andhen (E). Mumbai 400093, Maharashtra, India. Tel: +91-22-66849999,

Fax:+91-22-66849998 Website: www.capitalsquare.in Email Id: tanmoy.banerjee@capitalsquare.in/mbd@capitalsquare.in Contact Person: Mr. Tanmoy Banerjee

SEBI Registration No: INM000012219

FOR AND ON BEHALF OF ACQUIRER MR. SURESHBABU MALGE

Place: Mumbai

epaper jansatta com

www.tfciltd.com पर उपलब्ध है।

(अभिरंबन चक्रवती) प्रवध निर्देशक एवं सीईओं

बोर्ड के आदेशानुसार

कृते टूरिज्म फाइनेस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.

में प्रकाशित कैल्कॉम विजन लिमिटेड के 30.09.2019 को समाप्त तिमाही हेत्

अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों में कछ त्रुटियाँ थीं। बिन्दु सं. 6ठी पंक्ति के आँकड़े 1054.34, 1054.34, 1054.34 की बजाये 568.12, 568.12, 811.23 उल्लिखित हुए थे। त्रृटि के लिए खेद है।

शुद्धिपत्र

10.11.2019 को फाइनेंशियल एक्सप्रेस

(अंग्रेजी. समस्त संस्करण) तथा

11.11.2019 को जनसत्ता (हिन्दी, दिल्ली)

sefore Debts Recovery Tribunal-III, Delh Parliament Street, New Delhi-110001

Due to Banks and Financial Institutions Act. 1993 read with Rule 12 & 13 of the Debts Recovery Tribunal OA. 378/2019/DRT-III Mrs. Garima Kapoor & Ors.

I-6/11, 2nd Floor, Sec.-16, Rohini, Delhi-110089 Also at: M-24, Sai Apartments, Sec.-13, Rohini

Also at : Suntech Glass Traders E-5/25, 1st Floor, Sec-16, Rohini, Delhi-110089

S/o Sh. Mohinder Kapoor -6/11, 2nd Floor, Sec.-16, Rohini, Delhi-110089 Also at: M-24, Sai Apartments, Sec.-13, Rohini, New Delhi-110089 Also at : Suntech Glass Traders

E-5/25, 1st Floor, Sec-16, Rohini, Delhi-110089 s the above named applicant has instituted a case against you and whereas it has been shown to the satisfaction of the Tribunal that it is not possible to serve you in ordinary way. Therefore, this notice is given by advertisement directing you to make appearance in this Tribunal 13.11.2019 at 10.30 A.M. Take notice that in case of your failure to appear on the above mentioned day before this Tribunal, the case will be heard and decided in your absence.

Given under and hand and seal of this Tribunal of this 17th day of Oct. 2019 By Order of the Tribunal Date: 11-11-2019 Assistant Registra Place : Delhi DRT-III, New Delhi

New Delhi - 110048

information is also available on the Company's website www.jmtauto.com and on the website of NSE & BSE

Mona K Bahadur Date: 08.11.2019 Company Secretary

केनरा बैंक 🕁 Canara Bank किट्या सुवना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि, अद्योहस्ताक्षरी ने कॅनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी होते हुए दिलीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002. (2002 का सख्याक 54) की धारा 13(12) तथा प्रतिभृति हिंत (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अधीन प्रवर्त्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एक मांग पत्र निम्न प्रत्येक खाते के आगे वर्णित दिनांको को (विवरण निम्न वर्णित है) सम्बन्धित ऋणियों तथा सम्पत्ति के मालिकों से भुगतान की मांग करते हुये सबन्धित सूचना के अन्तर्गत राशि इस सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों मे भुगतान करने के लिये निर्मामेत किया। सम्बन्धित ऋणियों द्वारा राशि के भुगतान में असफल होने पर ऋणियों को तथा जन सामान्य को यह सूचना दी जाती है कि अधाहस्ताक्षरकर्ता ने प्रदत्त रावितयों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 13(A) तथा संगठित नियमों के नियम 8 व 9 के अन्तर्गत निम्नलिखित सम्गत्तियों का कब्जा ले लिया गया है। सम्बन्धित ऋणियों / मालिकों को विशेषता तथा जन सामान्य को सुचित किया जाता है कि उक्त सम्पत्तियों में काई व्यवहार न करें तथा उक्त सम्पत्तियों में किया गया कोई भी व्यवहार केनरा बैंक से संबन्धित राशि एवं ब्याज व अन्य खर्ची के अधीन होंगा।

410	का नाम	ऋणकर्ता का नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण	भाग नोदिस के तिथि और उसके अनुसार बकाया राशि	साकेतिक कब्जे के तिथि एवं स्थान
1.	बरेली	मैसर्स आरोग्य आयुर्वेद सदन (प्रोपराइटर- श्री अनूप भारद्वाज)	संपत्ति के सभी भाग न पासेल निर्मित दुकान संपत्ति और भूमि आई.वी.आर आई. रोड, उदरापुर खास (प्लॉट नंबर 5 का हिस्सा) बरेली संपत्ति श्री अनूप भारद्वाण पुत्र श्री राधेश्याम भारद्वाण क्षेत्रफल 11.24 मर्गेमीटर। सीमाये:—कलर: सडक (आई.वी.आर आई. रोड) दक्षिण प्लॉट का शेष माग, पूर्व: उदा नगर की दुकान पश्चिम: लक्ष्मी नारायण सिंह की दुकान	₩0 386240.95	06.11.2019 बरेली
2.	the same and the s	(पार्टनर श्री मोहम्मद	सपति के सभी भाग व पार्सल जिसमें आधासीय भवन प्लॉट नयर 2 (खसरा नवर 153 क) हिस्सा), मौदल्ला जगलपुर लाला बेगम, संपत्ति श्रीमती जहीत्रा बेगम पत्ति श्री नवी अहमद, क्षेत्रफल 200.00 वर्गमीटर सीमार्थ:- उत्तर प्लॉट नंबर 1 दक्षिण प्लॉट नंबर 3 पूर्व: सस्ता पश्चिम: प्लॉट नंबर 1 ए	₹0 3204870.00	06.11.2019 बरेली
3.	बरेली	और इलेविट्रकल्स	सपति के सभी माग और पार्सल वाणिज्यिक सह आवासीय सप्रति स्थित मकान ने. 1380 / 920, नेकपुर, सुभाष नगर, बरेली । संपत्ति श्री मतमोहन शर्मा पुत्र श्री घनश्याम गीड, क्षेत्रफल 54,00 वर्ग गज (45,14 वर्गमीटर) (सीमावें:- उत्तर: राम किशार का मकान दक्षिण सड़क पूर्व गणेशी प्रसाद का नकात पश्चिम: मीहन लाल का मकान		06.11.2019 बरेली

दिनाक:- 11.11.2019

स्थान:- बरेली

प्राधिकृत अधिकारी



दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम लिमिटेड 18ए, डीडीए, एसरीओ कॉम्पलंबस, डिफेन्स कॉलोनी, नई दिल्ली–1 10024 (सरकारी जपक्रम)

टेंडर नोटिस

कॉफी होम, कनॉट प्लेस में गरम (चाय, कॉफी, सूप), कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक्स की वेंडिंग मशीनों की स्थापना के लिए ई टेंडर आमंत्रित किया जा रहा है। नियम एव शर्तों के साथ ई-टेंडर दस्तावेज www.govtprocurement.delhi.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। रेंडर आईडी नंo 2019 DTTDC 183450 1. प्री-बिंड मीटिंग 20.11.2019 को दोपहर 3:00 बजे हैं और बिंड जमा करने की अन्तिम तिथि 29.11.2019 को दोपहर 3:30 बजे तक है। महाप्रबंधक

सार्वजनिक सूचना

सर्वसावारण को सूचित किया जाता है कि हमारे क्लाईट, मेसर्स मुथूट फाईनान्स लि (GSTIN 32AABCT0343B1Z7), पंजीकृत कार्यालयः तल 2, मुथूट चेम्बर्स, बैनर्जी रोड, कोव्यि — 682018, केरल, भारत, CIN: L65910KL1997PLC011300, दूरगाष: +91 484-2396478, 2394712, 吃年日: +91 484-2396506, mails@muthootgroup.com, www.muthootfinance.com ऋण चुकाने में असफल ऋणियों के गिरवी रखे सोने के गहनों (30.09.2018 की अवधि तक NPA खातों) की निम्नलिखित विवरणों के अनुसार मीलामी करेगी। इच्छुक सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं।

नीलामी की तिथि: 16.11.2019 Ajmer: MAL-755. MPL-21, MSL-13955, 13994, MUL-1744, 1749, 1890, Ajmer-Beawar Road: FBL-10, MDL-21, MUL-1205, 2057, 2071, 2213, 2247, 2600, 2741, 2769, 2771, 2846, Ajmer-Ramganj: MUL-550, 1045, 1099, 1146, 1202, 1246, 1295, 1330, 1387, 1692, Ajmer-Bajrang Circle: MAL-396, MBL-849, MUL-1398, 1404, 1619, 2035, 2054. Ajmer-Vaishali Nagar: MUL-1009, 1083, 1411, 1507, 1531, 1532, 1614, Ajmer-Adarsh Nagar: MAL-752, MUL-1387, 1411, 1413, 1432, 1504, 1514, 1523, 1531, 1637, 1690, 1709, 1730, 1776, 1919, 2063, 2209, 2293, 2365, 2741

कम शुद्धता के गहनों की नीलागी (30.04.2019 की अवधि तक एनपीए खाते) नीलामी की तिथि: 16.11.2019

Ajmer: MUL-1771, Ajmer-Vaishali Nagar: MSL-749, 764, 1014, 1050 नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी

हालाँकि क्रमया यह प्रयान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी पूरी नहीं हो जाती तो ऐसी स्थिति में यह संबंधित नीलामी वहाँ दिनांक 18" & 19" November 2019 की कमशः नीलामी केंद्र Muthoot Finance Limited, 1" Floor, Desouza Building, Near Martindale Bridge, Beawar Road, Ajmer - 305001 में संगालित जाएगी / जारी रहेगी। और ऐसी स्थिति में जहाँ इस सबके बावजूद कथित गहनों की नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस सबध में कोई अतिरिवत सुचनाएँ नहीं दी जाएगी।

कोहली एण्ड सोब्ती, एडवोकेट, ए 59ए, पहली मंजिल,

लाजपत नगर ॥ नई दिल्ली = 110024 नोट: ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का गुगतान करके अपने गहनों की गिरदी छड़ा सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडी: auctiondelhi@muthactgroup.com या 7834886464,7994452461 पर कॉल करके संपर्क



कब्जा सूचना नियम-8 (1) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के अन्तर्गत जबिक अधोहरताक्षरी ने विशीय परिसपतियां के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हिट अधिनियम 2002 (2002 का 54) के प्रवर्तन के अधीन **बैंक ऑफ बड़ौदा, साहिबाबाद शाखा (पूर्व** विजया बैंक), गाजियाबाद का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमवासी 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत ऋण धारक श्री जसवीर सिंह सोम पुत्र श्री मेघ राज और श्रीमती मीता पत्नी श्री जसवीर सिंह सोम और गारंटर श्री अमित पुत्र श्री सत्यवीर को मांग सूचना दिनांक 18.04.2019 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रू 52.06,322.24 (रु. बावन लाख छः हजार तीन सौ बाईस और पैसे चौबीस मात्र) और दिनांक 16.04.2019 से भविष्य का ब्याज और आकरिमक प्रभार उत्यादि सहित, उक्त सुचना की प्राप्ति की लिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भगतान करने करे कहा गया

ऋणधारक राशि का प्रतिभगतान करने में असकल हो गये हैं, इसलिए एसद्वहारा ऋणधारक तथा आम जनता को सुचित किया जाता है कि अबोहलाक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा। उवत अधिनियम की धारा (3(4), उवत नियमों के नियम 8 के साथ पहित के अधीन उन्हें प्रदत्त शवितयों के इस्तेमाल के अन्तर्गत 06.11.2019 को लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारक तथा जनसंखारण की एतदद्वारा उक्त संपत्तियों के साथ लेन-देन ग करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन हैंक ऑफ बड़ौदा, साहिबाबाद शाखा (पूर्व विजया बैंक), गाजियाबाद, के प्रभार वास्ते क 52,06,322.24 (रु. बावन लाख छः हजार तीन सौ बाईस और पैसे चौबीस मात्र) और दिनांक 16.04.2019 से मविष्य का **व्याज और आकस्मिक प्रभार** इत्यादि सहित के अधीन होगा

उधारकर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उम घारा (8) के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेंत् उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

सम्पत्ति पलैट नं. जी एफ -ए. भूतल, बिना छत के अधिकार, रिहायशी सम्पत्ति नं. केसी-73,

कवि नगर, गाजियाबाद, यू.पी में स्थित, कर्वेड क्षेत्रफल ११० वर्ग गज (९१.९७१ वर्ग मी.)

दिनांक : 06,11,2019, स्थान : साहिबाबाद, गाजियाबाद प्राधिकत अधिकारी, बैंक ऑफ बढ़ौदा

advertisement shall be published.

U.P. RAJKIYA NIRMAN NIGAM LTD. (U.P. Govt. Undertaking) Visheshwaraiya Bhawan Gomtinagar, Lucknow

NOTICE INVITING E-TENDER

SI.	Tender No.	Location	Est.Cost (in Lacs)	(in Lacs)	Last Date of Uploading
1	510/PM/TENDER/RUSA LIFT/RNN/2019, dt. 02.11.2019	RUSA, U.A.E. University	26.98	0;58	23.11,2019
2	517/PM/UNIT18/KGMU/LIFT/RNN/2019, df. 05.11.2019	Nurses Transit Hostel KGMU	70.00	1.40	23.11.2019
3	524/PM/UNIT-18/KGMU/LIFT/RNN/2019, dl 07 11 2019	New Hostel Block KGMU	320.00	6.40	28.11.2019

सार्वजनिक सूचना

criteria, corrigendum/amendments etc. if any, will be notified on atender.up.n/c.in only and no separate

General Manager, Elect Zone-I & IV

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे बलाईट, मेससे मुथूट फाईनान्स लि, (GSTIN 32AABCT0343B1Z7), पंजीकृत कार्यालयः तल 2, मुध्यूट वेम्बर्स, बैनर्जी रोड, कोव्यि — 682018, केरल, भारत, CIN: L65910KL1997PLC011300, दूरमाष: +91 484-2396478, 2394712, फिक्स: +91 484-2396506, mails@muthootgroup.com, www.muthootfinance.com ऋण चुकाने में असफल ऋणियों के गिरवी रखें सोने के गहनों (30.09.2018 की अवधि तक NPA खाताँ) की निम्नलिखित विवरणों के अनुसार त्तीलामी करेगी। इच्छक सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं। नीलामी की तिथि: 19.11.2019

Panchkula: MUL-495, 1029, 1047, 1049, 1050, 1063, 1106, 1108, 1131, 1148, 1160. 1187, 1192, 1214, 1240, Panchkula -Sec-20: MUL-1282, 1284, 1287, 1309, 1351, 1373, 1391, 1428, 1473, 1480, 1489, 1608, 1616, 1707, 1843, Panchkula-Sec-12-Ha): MUL-689, 698, 701, 709, 718, 736, 742, 757, 789, 804, 805, 821, 824, 829, 860 974. Panchkula-Sec-14-(Ha): MGL-724, MUL-935, 944, 1100, 1103, 1172, 1181, 1183,

कम शुद्धता के गहनों की नीलामी (30.04.2019 की अवधि तक एनपीए खाते) नीलामी की तिथि: 19.11.2019

Panchkula: MUL-1444, Panchkula-Sec-20: MUL-1626

नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता हैं क्रमश उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी।

हालाँकि, कपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियाँ) में नीलामी परी नहीं हो जाती तो ऐसी स्थिति में यह संबंधित नीलामी वहाँ दिनांक 20" & 21" November 2019 को क्रमशः नीलामी केंद्र First Floor, S.C.O.-333, Sector-9, Panchkula - 134109 में राचालित की जाएगी/जारी रहेगी। और ऐसी स्थिति में जहाँ इस सबके बावजुद कथित महनों की नीलामी सकलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएँ नहीं

कोहली एण्ड सोब्ती, एडवोकेट, ए 59ए, पहली मंजिल, लाजपत नगर-॥ नई दिल्ली - 110024 नोटः ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भूगतान करके अपने गहनों की गिरवी छुड़ा सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडी: auctiondelhi@muthootgroup.com या 7834866464, 7994452461 पर काल करके संपर्क

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda पूर्व विजया बैक अब बैक ऑफ बड़ौदा ए-35, सैक्टर-5, राजेन्द्र तगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद

कब्जा सूचना नियम-8 (1) प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमायली 2002 के अन्तर्गत जबकि अधोहस्ताक्षरी ने विलीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हिट अधिनियम 2002 (2002 का 54) के प्रवर्तन के अधीन **बैंक ऑफ बड़ौदा, साहिबाबाद शाखा (पूर्व** विजया बैंक), गाजियाबाद का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ प्रतित धारा 13(2) के अधीन प्रदत्त शक्तितयों के अंतर्गत ऋण धारक श्रीमती मीता पत्नी श्री जसवीर सिंह सोम और श्री जसवीर सिंह सोम पुत्र श्री मेघ राज और गारंटर श्री अमित पुत्र श्री सत्यवीर को मांग सूचना दिनांक 16.04.2018 को जारी किया था जिसमें सचना में उल्लेखित राशि रू 49.47,709.82 (रु. उनचास लाख सैतालीस हजार सात सौ नौ और पैसे ब्यासी मात्र) विनांक 18.04.2019 तक और विनांक 18.04.2019 से भविष्य का ब्याज और आकस्मिक प्रमार इत्यादि सहित. जयल सुचला की प्राप्ति की लिथि से 80 दिनों के अदर प्रति मुनलान करने को कहा गया था।

ऋणधारक राशि का प्रतिभगतान करने ने असफल हो गरी हैं, इसलिए एतदहारा ऋणधारव तथा आम जनता को सुचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी वे इसमें वीचे वर्णित संपत्ति का कबजा, जक्त अधिनियम की धारा 13(4), जक्त गिरामों के शियम 8 के साध पतित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत 06,11,2018 को लिया है।

विशेष रूप से अ.णधारक तथा जनसाधारण को एतदद्वारा उक्त संपंतिया के लाथ लेन-देन र करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संगति के साथ कोई भी लेन- देन **देव आँफ बड़ोदा**, साहिबाबाद शाखा (पूर्व विजया बैंक), गाजियाबाद, के प्रभार वास्ते रू 49,47,709.82 (क उनचास लाख सैतालीस हजार सात सौ नौ और पैसे ब्यासी मात्र) दिनांक 16.04.2018 तक और दिनांक 16,04,2019 से भविष्य का ब्याज और आकस्मिक प्रमार इत्यादि सहित के अधीन होगा।

तकारकर्ती का ध्यान एक्ट की धाल 13 की तप धारा (ह), के प्रायधानों के अंतर्गत सुरक्षित वरिसंपतियों के मुक्त करने हेतू उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है। सम्पत्ति पलैट नं. जी एफ-बी. भृतल. बिना छत के अधिकार. रिहायशी सम्पत्ति नं. केसी-73.

कवि नगर, गाजियाबाद, यू.पी में स्थित, कर्वड क्षेत्रफल 110 वर्ग गज (83,61 वर्ग मी.)

दिनांक : 06.11.2019, स्थान : साहिबाबाद, गाजियाबाद प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

जीडीपी का आधार वर्ष बदलने का फैसला दो-तीन महीने में: मुख्य सांख्यिकीविद्

कोलकाता, ११ नवंबर (भाषा)।

भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् प्रवीण श्रीवास्तव ने सोमवार को कहा कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि की गणना के लिए नया अधार वर्ष तय करने का निर्णय दो- तीन महीने में ले लिया जायेगा। केंद्र सरकार कुछ सर्वेक्षणों के परिणाम की प्रतीक्षा कर रही है।

श्रीवास्तव का यह बयान ऐसे समय आया है। जब कांग्रेस ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की इस बात के लिए आलोचना की है। वह जीडीपी वृद्धि की गणना के लिए आधार वर्ष को मौजूदा 2011-12 से बदलकर 2017- 18 कर रही है। श्रीवास्तव सांख्यिकीविद के साथ ही सांख्यकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव भी हैं। उन्होंने कहा- वर्ष 2017- 18 को आधार वर्ष के बारे में निर्णय 2016 में ही ले लिया गया था। हम कुछ सर्वेक्षणों के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उसके आधार पर ही इस बारे में निर्णय ले लिया जाएगा की आधार वर्ष क्या होना चाहिए। उन्होंने कहा- इस बारे में

श्रीवास्तव यहां दो दिन चलने वाले केंद्रीय और राज्य सांख्यिकीय संगठन की बैठक को संबोधित कर रहे थे।

श्रीवास्तव ने कहा- इसे (2017- 18 को आधार वर्ष) कभी भी अंतिम रूप नहीं दिया गया। सामान्य तौर पर हम इसे हर पांच साल में करते हैं। यदि हमें किसी आधार वर्ष को चुनना है तो उसके लिए हमें सर्वेक्षण के वास्ते समय चाहिए। वर्ष 2017- 18 में सर्वेक्षण शुरू करने के लिए पहले फैसला ले लिया गया था। अब सर्वेक्षण के आधार पर ही हमें निर्णय करना होगा कि यह आर्थिक लिहाज से अच्छा वर्ष रहा है अथवा नहीं। हमने इससे पहले तय किया था कि 2009-10 अच्छा वर्ष नहीं है लेकिन सर्वेक्षण किया गया। जब इसका परिणाम आया तो यह महसूस किया गया कि हमें आधार वर्ष को 2011- 12 में बदलना होगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने रविवार को जीडीपी वृद्धि की गणना के लिए आधार वर्ष

विशेषज्ञों का एक समृह विचार विमर्श करेगा को 2011-12 से बदलकर 2017-18 करने और दो से तीन महीने में फैसला किया जाएगा। की केंद्र सरकार की योजना की कडी आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि यह बहुत ही 'भयानक' विचार है।

जयराम रमेश ने मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि क्या यह कदम मोदी सरकार की दूसरी पारी को जीडीपी आंकड़ों के लिहाज से बेहतर दिखाने के लिए उठाया जा रहा है। रमेश ने यह भी सुझाव दिया था कि 2017-18 के बजाय 2018-19 को जीडीपी आधार वर्ष बनाया जाना चाहिए क्योंकि 2017-18 सामान्य वर्ष नहीं रहा है। यह साल नोटबंदी का फैसला लेने और जीएसटी को जल्दबाजी में लागू करने वाला साल रहा है। यह पूछे जाने पर कि क्या 2018-19 को आधार वर्ष बनाया जाना विचाराधीन है। इस पर उन्होंने कहा- 2018-19 संभव नहीं है। यह साल बीत चुका है और पीछे के वर्ष में सर्वेक्षण नहीं कर सकते हैं। सर्वेक्षण आगे के लिए होना चाहिए। हमारे लिए सबसे नजदीक 2020-21 का वर्ष है।

सूचकांक में मामूली बढ़त

मुंबई, 11 नवंबर (भाषा)।

उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में बंबई शेयर बाजार का सूचकांक सोमवार को मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। बैंकिंग शेयरों में लाभ से बाजार कुछ बढ़त दर्ज करने में सफल रहा। वैश्विक धारणा कमजोर रही। हांगकांग में गहराते राजनीतिक विरोध और अमेरिका-चीन व्यापार करार को लेकर अनिश्चितता के बीच एशियाई बाजारों में भारी गिरावट रही। इसका असर यहां भी दिखाई दिया।

बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों वाला सूचकांक दिन में कारोबार के दौरान 266 अंक के दायरे में घमने के बाद अंत में 21.47 अंक की बढ़त के साथ 40,345.08 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी स्थिर रुख के साथ 5.30 अंक की बढ़त के साथ 11,913.45 अंक पर बंद हुआ।

सचकांक की कंपनियों में येस बैंक 5.80 फीसद चढ गया। टाटा मोटर्स, आइसीआइसीआइ बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक और टाटा स्टील के शेयर भी बढ़त में रहे। दूसरी ओर हीरो मोटोकॉर्प, वेदांता, टीसीएस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एशियन पेंट्स, मारुति और महिंद्रा एंड महिंद्रा दो फीसद तक टूट गए।

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा- बाजार सीमित दायरे में रहा क्योंकि निवेशकों ने लार्ज कैप शेयरों में रुचि नहीं दिखाई। दूसरी तिमाही के नतीजों के आधार पर मिडकैप और स्मॉलकैप में कुछ लिवाली देखने को मिली। वाहन कंपनियों के लगातार खराब प्रदर्शन तथा अमेरिका-चीन व्यापार करार को लेकर फिर संदेह की स्थित पैदा होने से बाजार में सीमित दायरे में रहा। कारोबारियों ने कहा कि कमजोर वैश्विक रुख से निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई। विश्लेषकों ने कहा कि मुडीज इन्वेस्टर सर्विसेज द्वारा भारत के रेटिंग के परिदृश्य को कम करने से निवेशक सतर्क हए हैं। चीन का शंघाई, हांगकांग का हैंगसेंग, जापान का तोक्यो और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 2.62 फीसद नुकसान में रहे।

इस बीच, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह चीन के आयात पर शुल्कों को वापस लेने के पक्ष में नहीं हैं। इससे अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध समाप्त होने की संभावनाएं धुंधला गई हैं। अंतर बैंक विदेशी मद्रा विनिमय बाजार में दिन में कारोबार के दौरान रुपया 18 पैसे के नुकसान के साथ 71.47 रुपए प्रति डॉलर पर चल रहा था।

उद्यम पूंजी निवेश 3.31 अरब डॉलर पर स्थिर

मुंबई,11 नवंबर (भाषा)।

देश में उद्यम निवेश गतिविधियां सुस्त पड़ी हैं। मूल्य और मात्रा के हिसाब से अक्तूबर में उद्यम-पूंजी निवेश 91 सौदों में 3.31 अरब डॉलर रहा है। रीयल्टी क्षेत्र के खराब प्रदर्शन की वजह से उद्यम-पूंजी निवेश की गतिविधियां लगभग स्थिर रहीं।

सौदों पर परामर्श देने वाली कंपनी ईवाइ के अनुसार सितंबर में 98 सौदों में निजी इक्विटी और उद्यम पुंजी कोषों का निवेश 3.74 अरब डॉलर रहा था। अक्तूबर, 2018 में यह आंकड़ा 64 सौदों में 3.33 अरब डॉलर था। यह रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब जुन तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर घटकर छह साल के निचले स्तर पांच फीसद पर आ गई है। कुछ विश्लेषकों का यहां तक मानना है कि 2019-20 में यह 4.9 फीसद तक के निचले स्तर पर आ सकती है। ईवाइ के भागीदार विवेक सोनी ने कहा कि

वह गतिविधियों में गिरावट को लेकर अधिक परेशान नहीं हैं। उद्यम पुंजी गतिविधियों ने लगातार तीन अरब डॉलर के मासिक 'रन रेट' को कायम रखा है। यह चाल चाल के पहले दस महीनों में 16.5 अरब डॉलर बढ़कर 43.7 अरब डॉलर पर पहुंच गई हैं।

अलीबाबा ने तोडा बिक्री का रेकार्ड

हांगझोउ (चीन), 11 नवंबर (भाषा)।

ई-वाणिज्य कंपनी अलीबाबा ने सोमवार को सिंगल्स डे सेल्स अभियान में 17 घंटे से कुछ अधिक समय में ही पिछला रिकॉर्ड तोडते हुए 31.82 अरब डॉलर की बिक्री की। कंपनी ने सोमवाकर को एक बयान में यह जानकारी दी।

Before Debts Recovery Tribunal-III, Delh Parliament Street, New Delhi-110001 Due to Banks and Financial Institutions Act. 1993 read with Rule 12 & 13 of the Debts Recovery Tribuna

Procedure Rules) 1993 In the matter of OA. 381/2019/DRT-III Mr. Ravinder Saxena & ORS Applicant

S/o Sh. Karam Singh Saggu R/o D-105, Sec.-10, Noida, Gautam Budh Nag

Whereas the above named applicant has instituted case against you and whereas it has been shown t the satisfaction of the Tribunal that it is not possible to serve you in ordinary way. Therefore, this notice is ppearance in this Tribunal 13.11.2019 at 10.30 A.M. Take notice that in case of your failure to appear on the above mentioned day before this Tribunal, the case wil be heard and decided in your absence. Given under and hand and seal of this Tribunal of th By Order of the Tribuna Date: 11-11-2019 Assistant Registrar DRT-III, New Delhi

नई दिल्ली, 11 नवंबर (भाषा)।

सार्वजनिक क्षेत्र की एमएमटीसी ने 4,000 टन प्याज के आयात के लिए दो अलग-अलग निविदाएं निकाली हैं। प्याज की घरेलू आपूर्ति में सुधार और कीमतों पर अंकुश के लिए एमएमटीसी प्याज का आयात कर रही है। राष्ट्रीय राजधानी में कई स्थानों पर प्याज का खुदरा दाम सौ रुपए किलो की ऊंचाई पर पहुंच गया है। एमएमएटीसी को कुल एक लाख टन प्याज का आयात करने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने शनिवार को प्याज कीमतों पर

नियंत्रण के लिए इसका एक लाख टन का आयात करने का फैसला किया। व्यापार कंपनी एमएमटीसी जहां प्याज का आयात करेगी वहीं सहकारिता नाफेड घरेल बाजार में इसकी आपर्ति करेगी। सचिवों की समिति की शनिवार को हुई बैठक में यह फैसला किया गया। खाद्य व उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास

पासवान ने शनिवार को टवीट कर कहा कि सरकार ने एक लाख टन प्याज के आयात का फैसला किया है। एमएमटीसी से कहा गया है कि वह प्याज का आयात कर इसे 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच घरेलू बाजार के लिए उपलब्ध कराए। नाफेड को देशभर में प्याज की आपूर्ति का निर्देश दिया गया है। पासवान ने पिछले हफ्ते कहा था कि घरेलू उत्पादन 30 से 40 फीसद घटने की वजह से इसकी कीमतों में उछाल आया है।

महाराष्ट्र के प्याज व्यापारियों के परिसरों पर छापेमारी

नई दिल्ली, 11 नवंबर (भाषा)।

एमएमटीसी ने 4000 टन प्याज आयात

के लिए निविदा निकाली

आयकर विभाग ने सोमवार को महाराष्ट्र के कछ प्याज व्यापारियों के वाणिज्यिक परिसरों पर छापेमारी की। प्याज की कीमतें ऊंचाई पर पहंचने के बीच व्यापारियों द्वारा इसकी जमाखोरी की खबरें सामने आने के बाद विभाग ने यह कदम उठाया है।

अधिकारियों ने बताया कि आयकर अधिकारी अभी कुछ थोक व्यापारियों के स्टॉक पर खातों और कर बचाने के लिए खरीदारों को इसकी आपूर्ति की जांच कर रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि इन व्यापारियों के सिर्फ कारोबारी परिसरों की छानबीन की जा रही है।

🚺 सिंडिकेटबैंक

(शाखा कार्यालय : फरीदाबाद मेन ब्रांच) नीलम बाटा रोड, एन.आई.टी. फरीदाबाद — 121001 फोन सं. : 0129 - 2415882, 9898394461 ईमेल आईडी : br.8214@syndicatebank.co.in

सरफासी ऐक्ट, 2002 के तहत ई-नीलामी बिक्री सूचना

SYNB0008214

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री

एतद्द्वारा आम जनता को तथा विशेष रूप से ऋणधारकों/गारन्टरों को सूचित किया जाता है कि सिंडीकेट बैंक के पास गिरवी रखी गई अधोलिखित सम्पत्ति जिसका अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा किया गया है, की नीचे वर्णित रूप में अधोलिखित बकाये तथा लाग होने वाले ब्याज, चार्जेज तथा लागतों आदि की वसली के लिये ई-नीलामी द्वारा बिक्री की जायेगी।

(सम्पत्ति भौतिक कब्जे के अधीन)

प्रतिभति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली (यहाँ के बाद नियमावली के रूप में वर्णित) के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत नीचे वर्णित बकाये की वसली के लिये नीचे वर्णित सम्पत्ति की ''**जैसा है जहाँ है. जो कछ भी वहाँ है. तथा उपचार-रहित आधार** पर बिक्री की जाएगी।

(इंग्लंडी) एनईएफटी / आरक्षित मृत्य 兩. सुरक्षित ऋण आरटी जीएस के माध्यम से नी बे शाखा एवं संपर्क सं. कर्जदारों /गारंटरों का नाम संपत्तियों का विवरण ईएमडी पुनर्प्राप्त के लिए जिल्लाखित खाते में जमा बोली वृद्धि राशि किया जाएगा श्री चन्द्र शेखर कुकरेजा श्रीमती निशा कुकरेजा, मकान रु. 2,19,84,801.77 के साथ भुगतान की श्री चन्द्र शेखर कुकरेजा, पुत्र श्री चन्द कुकरेजा तथा श्रीमती निशा 🙃 2,29,00,000.00 खाता संख्या सिंडिकेट बैंक, फरीदाबाद ब्रांच, सं.-6671/ए तथा 6671/बी, जो खसरा नं. 1742 (7- तिथि तक आगे का ब्याज तथा लागत कुकरेजा, पत्नी श्री चन्द्र शेखर कुकरेजा के नाम मकान सं.-6671/ए 82143020000011 तथा 6671/बी, जो खसरा नं. 1742 (7-5) का भाग है, के 22,90,000,00 5) का भाग है, न्यू कॉलोनी, मैन रोड, पलवल, हरियाणा 48, भडाना भवन, नीलम बाटा रोड. सिंडिकेट बैंक उगाही खाता आईसीआईसीआई बैंक के सामने, न्यू कॉलोनी रोड, पलवल, हरियाणा क 1,00,000,00 में आईसीआईसीआई बैंक के सामने आईएफएस कोड : फरीदाबाद, ई मेल आईडी माप 505 वर्ग यार्डस।

नीलामी की तिथि । 17,12,2019 अप, 11,00 वर्ण में एवं, 01,00 वर्ण में एवं, 01,00 वर्ण में मध्य के विद्वार के मध्य के विद्वर के मध्य के मध्य के मध्य के विद्वर के मध्य के विद्वर के मध्य के मध्य

नियम एवं शर्ते

br.8214@syndicatebank.co.in

ईएमडी का भुगतान ऑन लाइन बोली जमा करने से पूर्व खाताओं के समक्ष ऊपर वर्णित खाता संख्या में क्रेडिट के लिये आरटीजीएस/ एनईएफटी/ निधि अंतरण द्वारा किया जायेगा। ईएमडी का भुगतान सिंडीकेट बैंक के पक्ष में देय फरीदाबाद में भुगतान योग्य पे आर्डर/ डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भी किया जा सकता है। इच्छुक बोलीदाता को प्राधिकृत अधिकारी, सिंडीकेट बैंक, फरीदाबाद शाखा, भड़ाना भवन नीलम बाटा रोड, एन.आई.टी. फरीदाबाद को संबोधित मुहरबंद लिफाफे में डीडी/ पीओ/ यूटीआर नं. का उल्लेख करते हुए एनईएफटी/ आरटीजीएस प्रेषण द्वारा ईएमडी के साथ विधिवत भरी गई बोली प्रपत्र (प्रपत्र साईट: https://syndicatebank.auctiontiger.net पर उपलब्ध प्रारूप) को इस तरह से जमा करना होगा ताकि वह 13.12.2019 (बोली जमा करने की अंतिम तिथि) को या उससे पूर्व पहुंच जाये। महरबंद लिफाफे के ऊपर अलग से ऊपर वर्णित खाता में ''ई-नीलामी बिक्री में भागीदारी के लिये बोली प्रपत्र''

बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि ई-नीलामी सूचना के विवरणों के लिये वेबसाईट https://syndicatebank.auctiontiger.net देखें जिसमें ई-नीलामी बिक्री के सभी नियम एवं शर्तें दिये गये हैं। बोलीदाता सेवा प्रदाता की वेबसाईट भी देख सकते हैं अथवा उनसे मै. ई-प्रॉक्योमेंट टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड (Auction tiger) हेल्पलाइन नंबर, श्री राम शर्मा एवं श्री कुशल कोठारी मो. 8000023297, 9978591888, लैंडलाइन नं. 079-41072409/41072410/ 411/ 412, up@auctiontiger.net, ramprasad@auctiontiger.net, Kushal@auctiontiger.net ई-नीलामी वेबसाईट प्लेटफार्म https://syndicatebank.auctiontiger.net से सम्पर्क कर सकते हैं। इच्छुक बोलीदाता के पास वैध डिजिटल हस्ताक्षर, सिक्रय ई मेल आईडी तथा पैन नम्बर होना चाहिये।

यह बिक्री अधिनियम में निर्दिष्ट नियमों एवं शर्तों तथा वेबसाईट में प्रकाशित विस्तृत नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी।

. विस्तृत विवरणों के लिये सम्पर्क करें: प्राधिकृत अधिकारी, सिंडीकेट बैंक, फरीदाबाद मैन शाखा, 48, भड़ाना भवन, नीलम बाटा रोड, एन.आई.टी. फरीदाबाद (हरियाणा), फोन नं. 0129–2415882, 9868394461

यदि वे सम्पूर्ण रूप से अपनी बकाया देयता का भुगतान नहीं करते हैं तो उपरोक्त तिथि एवं समय को उक्त बिक्री के आयोजन के संदर्भ में उपरोक्त प्रतिभूत ऋण के ऋणधारकों एवं गारन्टरों/ मार्जगैजरों के लिये भी प्रतिभूत हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के अंतर्गत कृपया इसे एक सूचना मानें इच्छुक बोलीदाताओं से आग्रह है कि नीलामी बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों जिसे इस विज्ञापन के अभिन्न भाग के रूप में पढ़ा जायेगा, के लिये बैंक की वेबसाईट देखें।

स्थान : फरीदाबाद तिथि : 11,11,2019

हस्ता/- प्राधिकत अधिकारी , सिंडिकेट बैंक

यात्री वाहनों की बिक्री में मामूली वृद्धि

नर्ड दिल्ली 11 नवंबर (भाषा)।

अक्तूबर महीने में मामूली 0.28 फीसद बढ़कर 2,85,027 वाहन रही। एक साल पहले इसी माह में घरेलू बाजार में ऐसे वाहनों की बिक्री 2.84.223 इकाई रही थी। भारतीय आटोमोबाइल विनिर्माता सोसायटी (सियाम) से जारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। इनमें कहा गया है कि अक्तूबर में घरेलू बाजार में कारों की बिक्री की अगर बात की जाए तो यह 6.34 फीसद घटकर 1,73,649 कार रही। अक्तूबर 2018 में यह 1,85,000 इकाई रही थी।

सियाम के मृताबिक पिछले महीने मोटरसाइकिलों की बिक्री एक साल पहले इसी महीने के मुकाबले 15.88 फीसद घटकर 11,16,970 इकाई रही। पिछले साल अक्तूबर यह 24,94,345 इकाई रही थी।

में 13,27,758 मोटरसाइकिलें बेचीं गईं। सियाम के उपलब्ध आंकड़ों के मृताबिक घरेलू बाजार में यात्री वाहनों की बिक्री अक्तूबर महीने में दुपहिया वाहनों की बिक्री भी 14.43 फासद घटकर 17,57,264 इकाइ रहा जो कि एक साल पहले इसी महीने में 20,53,497 इकाई रही थी। वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री भी इस दौरान 23.31 फीसद घटकर 66,773 इकाई रह गई।

सियाम के मुताबिक अक्तूबर महीने में यूटिलिटी वाहनों, यात्री वाहनों और क्वाड़ीसाइकिल के बिक्री आंकड़ों को छोड़कर अन्य सभी वाहन श्रेणियों में बिक्री में गिरावट रही है। सभी श्रेणी के वाहनों की बिक्री की अगर बात की जाए तो अक्तूबर 2018 में वाहन बिक्री 12.76 फीसद घटकर 21,76,136 इकाई रह गई। एक साल पहले इसी अवधि में

चेन्नई संस्थान की तलाशी में 350 करोड़ की अघोषित आय बरामद

नई दिल्ली, 11 नवंबर (भाषा)।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सोमवार को कहा कि आयकर विभाग ने चेन्नई प्राधिकृत अधिकारी को किसी भी बोली को स्वीकार या निरस्त करने अथवा बिक्री को स्थिगत/ निलंबित/ रद्द करने अथवा बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय बिक्री के लिये नियमों एवं शर्तों में संवर्धन/ डेलिट करने/ परिवर्तित करने का स्वामी, बोलीदाता, जनता आदि को बिना कोई कारण बताए सम्प्रभू के शैक्षणिक संस्थान पर छापे के दौरान 350 करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता लगाया। इसके अलावा एक करोड़ रुपए मूल्य के आभूषण और नकदी बरामद की गई है।

सीबीडीटी ने कहा कि चेन्नई और उसके उसके आसपास 30 साल से शैक्षणिक संस्थान

चलाने वाले न्यासियों के समृह के यहां तलाशी सात नवंबर को ली गई। हालांकि बोर्ड ने यह नहीं बताया कि तलाशी कहां ली गई पर सरकारी सत्रों के अनुसार यह समूह जेप्पियार है। सीबीडीटी के अनुसार समूह कई इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, डेंटल और निर्संग कॉलेज, अस्पताल व स्कूलों का परिचालन करता है। इसके अलावा समह मछली पकड़ने वाली नौकाओं के बंदरगाह, सीमेंट, दूध, बोतलबंद पानी, लोहा और इस्पात क्षेत्र से भी जुड़ा है।

झारखंड: जद (एका) को पहलो सुची

रांची, 11 नवंबर (भाषा)।

झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में 13 सीटों पर 30 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए जनता दल (एकी) ने अपने 11 उम्मीदवारों की पहली सूची सोमवार को यहां जारी कर दी।

जद (एकी) के झारखंड प्रदेश महासचिव श्रवण कुमार ने सोमवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन में पार्टी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की।

राज्य में 30 नवंबर को होने वाले जदयू ने राज्य की पहले चरण के मतदान के लिए सभी 81 सीटों पर प्रत्याशियों की सूची में पूर्व मंत्री सुधा अपने उम्मीदवार चैधरी छतरपुर से चुनाव लड़ेंगी। उतारने की घोषणा उनके अलावा बिशुनपुर से कृपालता देवी, मनिका से बुद्धदेव उरांव, पांकी की है।

से सुशील कुमार मंगलम, बिश्रामपुर से ब्रह्मदेव प्रसाद, भवनाथपुर से शकुंतला जायसवाल, हुसैनाबाद से आदित्य चंदेल तथा गढ़वा से पतंजलि केसरी को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा गुमला से प्रदीप उरांव, लोहरदगा से दीपक उरांव और डाल्टनगंज से शैलेंद्र कुमार शामिल हैं।

राज्य की कुल 81 विधानसभा सीटों में से प्रथम चरण में तेरह सीटों पर 30 नवंबर को मतदान होगा। जदयू ने राज्य की सभी 81 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है। 2014 में भी उसने अकेले बूते पर राज्य में चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे एक भी सीट हाथ नहीं लगी थी। 2014 के चुनाव राज्य में भाजपा ने आजसू और लोकजनशक्ति पार्टी के साथ मिलकर लड़ा था और बहुमत की सरकार का गठन किया था।

राजद ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की

रांची, 11 नवंबर (भाषा)।

राष्ट्रीय जनता दल ने झारखंड विधानसभा के चुनावों के लिए अपने पांच उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है जिसमें भाजपा से पांच माह पूर्व राजद में शामिल हुए पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी शामिल हैं। उन्हें चतरा विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा गया है।

राजद के प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह ने सोमवार को बताया कि राजद को महागठबंधन में सात सीटें मिली हैं जिनमें से पांच पर उम्मीदवारों का चयन कर लिया गया है। सूची के अनुसार, राजद ने सत्यानंद भोक्ता के अलावा पूर्व विधायक संजय सिंह यादव को हुसैनाबाद विधानसभा सीट से, पूर्व मंत्री सुरेश पासवान को देवघर सीट से, संजय प्रसाद यादव को गोड्डा सीट से तथा विजय राम को छतरपुर विधानसभा सीट से टिकट दिया है।

झारखंड मुक्ति मोर्चा एवं कांग्रेस के साथ राज्य में भाजपा के खिलाफ बने महागठबंधन में राजद को कुल सात सीटें मिली हैं।

कार-ट्रक टक्कर में सात लोगों की मौत

बीड, 11 नवंबर (भाषा)।

महाराष्ट्र के बीड जिले में सोमवार को सुबह एक एसयूवी के सड़क पर खड़े ट्रक से टकराने से एक बच्चे सिहत कम से कम सात लोगों की जान चली गई और अन्य तीन लोग घायल हुए हैं। पटोदा पुलिस थाने के सहायक निरीक्षक ए पठान ने बताया कि मृतकों में दो महिलाएं भी हैं।

उन्होंने बताया कि घटना सुबह करीब 10 बजे हुई जब एसयूवी के चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया था, जिसके बाद वाहन पटोदा तहसील के मंजूरसुबा मार्ग पर खड़े एक ट्रक से जा टकराया।

अधिकारी ने कहा, 'हादसे में सात लोगों की जान चली गई और अन्य तीन घायल हुए हैं।' उन्होंने बताया कि सभी मृतक बीड के वैदकिनी गांव के रहने वाले थे। हादसे के समय एसयूवी में चालक सहित करीब 12 लोग सवार थे। उन्होंने बताया कि कुछ स्थानीय लोगों ने घायलों को बीड के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने सात लोगों को मृत घोषित कर दिया। अधिकारी ने बताया कि मृतकों में से तीन की पहचान वैजनाथ ज्ञानोबा तंदले, बालू पंडरीनाथ मुंडे और केसरबाई बंसी मुंडे के तौर पर हुई है। उन्होंने बताया कि घायलों का सरकारी अस्पताल में इलाज जारी है।

मुखबिर के संदेह में नक्सलियों ने की ग्रामीण की हत्या

सुकमा, ११ नवंबर (भाषा)।

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में पुलिस का मुखबिर होने के आरोप में नक्सलियों ने एक ग्रामीण को मार डाला।

सुकमा जिले के पुलिस अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि जिले के जगरगुंडा थाना क्षेत्र के कामापारा गांव के पटेल (मुखिया) सुदाम हूंगा की नक्सलियों ने हत्या कर दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कामापारा गांव के पास हूंगा का शव मिलने की सूचना के बाद घटनास्थल के लिए पुलिस दल को रवाना किया गया था।

SKYLINE INDIA LIMITED

Regd. Office: 1E/4, Jhandewalan Extension, New Delni-110055

Email Id: skylineindia96@gmeil.com; Tel No.: +91 11 23541110

CIN: L51909DL1996PLC075875. Website: www.skylineindia.co.in

A meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be

a) Consider and approve the Financial Results of the Company for the

Pursuant to this, the Company has deciden that the close period (i.e.

closure of trading window) under the "Code of Company to Regulate,

Monitor and Report Trading" would continue till the end of 48 hours after

For Skyline India Limited

(Dinesh Kumar Shindi)

Company Secretary & Compliance Officer

neld on Thursday, November 14, 2019 at 02:00 PM inter-alia to

Quarter ended September 30th, 2019

he results are made public on November 14, 2019.

प्रपत्र सं. आईएनसी-26

(कम्पनीज (निगमन) नियमों, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)

एक राज्य से दूसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को बदलने के लिए समाचार

पत्र में प्रकाशित किए जाने वाला विज्ञापन कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की

उप-धारा (४) और कम्पनी (निगमन) नियमी 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के

अनुच्छेद (ए) के मामले में क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

कनव साहिबा एस्टेट्स प्राइवेंट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय

एच-2. बेसमेंट, सुनेजा चैम्बर, अलकनन्दा कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स.

अलकनन्दा, नई दिल्ली-110019 के मामले में

आम जनता को एतदहार। सूचित किया जाता है कि कम्पनी दिनांक 25 शितम्बर, 2019

को समान्न असाधाराण सामान्य आम बैठक में पारित विशेष सकल्प के सबंध में कम्पनी के मेमोरडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव की पुष्टि करने हेंत् कम्पनी अधिनियम, 2013

ही धारा 13 के अंतर्गत क्षेत्रीय निदेशक को आयेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखती है

ताकि यह कम्पनी, अपने पजीकृत कार्यालय को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" रं

'हरियाणा राज्य'' में स्थानातरित कर सके। कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित

श्यानान्तरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होने की सम्भावना हो तो वह या तो

रमसीए—21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत ग्रपत्र को भरकर या

कारण उल्लिखित करके भेजे या एक शपथपत्र जिसमें अपने हित का प्रकार उल्लिखित

हो द्वारा समर्पित आपत्तिया इस सुचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के अदर

प्रदायगी या पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित कर सकते हैं और उराकी एक प्रतिलिपि आवेदक

कृते एवं कनव साहिबा एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड

कम्पनी को उसके पते पर उनके वंजीकृत कार्यालय में भी भेजना होगा।

दिनांक: 11.11.2019

स्थानः नई दिल्ली

Place: Delhi

Date: 06.11.2019

उपचुनाव में टिकट नहीं मिलने पर भाजपा के पूर्व विधायक का इस्तीफा

बंगलुरु, 11 नवंबर (भाषा)।

उपचुनाव में टिकट नहीं मिलने पर भाजपा के पूर्व विधायक राजू कार्ग ने पार्टी छोड़ने और कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा की।

कागवाड से चार बार विधायक रह चुके कागे ने दावा किया कि कांग्रेस नेतृत्व ने उपचुनाव में बेलगावी जिले की विधानसभा सीट से उन्हें टिकट देने की बात कही है। कागे ने यहां संवाददाताओं से कहा, '13 नवंबर को मैं पार्टी कार्यालय में कांग्रेस में शामिल होऊंगा। मैं मंगलवार भाजपा की सदस्यता से इस्तीफा दुंगा। मैंने कांग्रेस के सभी नेताओं से बातचीत की है और मुझे 18 नवंबर को कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में नामांकन पत्र भरने की हरी झंडी मिल गई है।' उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस में इसलिए शामिल हो रहे हैं क्योंकि भाजपा ने उन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया और उनका अपमान किया।

राजनीतिक गतिविधियों से जयपुर का रिसोर्ट बना आकर्षण का केंद्र

जयपुर, ११ नवंबर (भाषा)।

महाराष्ट्र के कांग्रेसी विधायकों के पड़ाव ने यहां के एक रिसोर्ट को लोगों की नजर में ला दिया, जो तीन दिन से राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है। महाराष्ट्र के नवनिर्वाचित विधायक पीली तलाई के इस रिसोर्ट में शुक्रवार को आए। महाराष्ट्र के विधायकों के इस रिसोर्ट में आने के बाद से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके कई मंत्रियों के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का इस रिसोर्ट में आना जाना लगा रहा है। इसका फायदा स्थानीय लोगों को भी हुआ क्योंकि इस रिसोर्ट को जोड़ने वाली सड़क नई बन गई। इलाके की साफ सफाई भी हो गई और सरकारी अमला भी यहां मुस्तैदी से तैनात है।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उरांव ने लोहरदगा से नामांकन किया

लोहरदगा, ११ नवंबर (भाषा)।

लोहरदगा विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉ रामेश्वर उरांव ने सोमवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उरांव ने अपने सैकड़ों कांग्रेस समर्थकों के साथ नामांकन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जनता की बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर वह जनता के बीच जा रहे हैं।

इंदौर की अदालत में ओवैसी के खिलाफ शिकायत

इंदौर (मप्र), 11 नवंबर (भाषा)।

अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर एआइएमआइएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की विवादास्पद बयानबाजी पर जिला अदालत में सोमवार को शिकायत दायर की गई। अदालत ने इस शिकायत का संज्ञान लेते हुए पुलिस से नौ दिन के भीतर जांच रिपोर्ट तलब की है।

प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) एके गुप्ता ने शहर के जूनी इंदौर थाने के प्रभारी को आदेश दिया कि वह एआइएमआइएम प्रमुख के खिलाफ दायर शिकायत पर जांच करें और इसकी रिपोर्ट 20 नवंबर तक पेश करें। यह शिकायत स्थानीय नागरिक सुनील वर्मा ने दायर की, जो पेशे से वकील हैं। वर्मा ने आरोप लगाया है कि ओवैसी ने अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणियां करते हुए शीर्ष अदालत का अपमान किया और लोगों की धार्मिक भावनाएं भडकाने का प्रयास किया।

RattanIndia

रतनइंडिया पावर लिमिटेड (CIN: L40102DL2007PLC169082)

यंजीकृत कार्यालय : ए-४९, तल मॉजल, रोड नं. ४, महिपलपुर, नई दिल्ली - 110037

फोन : 011-46611666 फैक्स : 011-46611777 वेबसाईट: www.rattanindia.com, ई-मेल: ir@rattanindia.com

असाधारण आम बैठक (ईजीएम) और ई-वोटिंग की सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है, कि रतनइंडिया पावर लिमिटेड (कंपनी) की असाधारण आम बैठक (ईजीएम) मंगलवार, दिनांक 3 दिसम्बर 2019 को सुबह 10:00 बजे, मैपल एमरल्ड, रजोकरी, एनएच-८, नई दिल्ली 110038 पर आयोजित की जा रही है, जिसमें ईजीएम के नोटिस में निर्दिष्ठ सभी ब्यवसायों को निष्पादित किया जाएगा । ईजीएम की सुचना के साथ उपस्थिती की पर्ची और प्रॉक्सी फार्म जिनका ई-मेल पता डिपॉजिटरी द्वारा उपलब्ध किया गया है, या कंपनी के मास उपलब्ध है उन्हें इलेक्ट्रोनिक माध्यम से भेज दी गई है । ईजीएम की सूचना के साथ उपस्थिती की पर्ची तथा प्रॉक्सी फार्म की भौतिक प्रतिलिपी उन सदस्यों को जिनका ई-मेल पता पंजिकृत नहीं है, उन्हें भेज दी गई है । ईजीएम नोटिस का प्रेषण 9 नवम्बर से 11 नवम्बर 2019 तक पुरा कर लिया गया है ।

सदस्यों को यह भी सुचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 तथा कपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2015 के नियम 20 के अनुसार तथा भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियम 2015, के विनियम 44 और इस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सामान्य बैंटक (एसएस-२) पर सचिवीय मानक के अनुसार कंपनी, रजिस्ट्रार और स्थानांतर एजंट, कार्वी फिनटेक प्राईवेट लिमिटेड (कार्वी) के द्वारा नेटिस में सूचिबद्ध व्यवसाय पर मतदान के लिए, ई-मतदान की सुविधा पदान करवा रही हैं । इलेक्ट्रोनिक वोटिंग कास्ट करने के लिए या असाधारण आम बैठक में शेयरधारकों की पात्रता रेकॉर्ड करने लिए कट ऑफ तिथि मंगलसार, दिनांक 26 नवम्बर, 2019 रहेगी । ईजीएम नोटिस www.rattanindia.com तथा https://evoting.karvy.com (यह वेबसाईड दूरस्थ मतदान के लिए कार्वी द्वारा प्रदान की गई है) पर भी उपलब्ध है । ई-मतदान शनिवार, दिनांक 30 नवम्बर, 2019 को सुबह 10.00 बजे शुरू होगा और सोमवार, दिनांक 2 दिसम्बर, 2019 को शाम 5.00 बजे समाप्त होगा तत्पश्चात दूरस्थ ई-मतदान कार्जी के द्वारा अक्षम कर दिया जाएगा । ई-मतदान करने वाले सदस्यों को फिर से एजीएम में मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी । यदि कोई व्यक्ति सूचना के प्रक्षण के बाद तथा कर ऑफ तिथि तक कंपनी का सदस्य बना है तो वह evoling@karvy.com पर अनुरोध करके युजर आयडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है ।

एक निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से इलेक्ट्रोनिक बोटिंग प्रक्रिया करने के लिए मेसर्स एस. खाडेलवाल एन्ड कंपनी के अभ्यासक कंपनी सचिव श्री.संजय खांडेलवाल को नियुक्त

करने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

सदस्य, जिन्होंने ई-मतदान का प्रयोग नहीं किया हो, वे ईजीएम में मतपत्र के माध्यम से भी मतदान

इलेक्ट्रोनिक मतदान की प्रकिया ईजीएम सूचना के साथ ही https://evoting.karvy.com पर

ई-मतदान की सुविधा से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए सदस्य श्रीमती सी शोभा आनंद, महायक-महाप्रबंधक, कार्वी फिनटेक प्राईवेट लिमिटेड, से टोल फ्री नं 1-800-3454-001 तथा evoting@karvy.com पर संपर्क कर सकते है तथा वे श्रीमती सी शोभा आनंद को कार्ती फिनटेक प्राईवेट लिमिटेड, (यूनिट : रतनइंडिया पावर लिमिटेड) कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गाचीचावली, वित्तीय जिला, नानकरामगृहा, हैदराबाद -500 032 पते पर लिख भी सकते हैं ।

स्थान : नई दिल्ली ललित नारायण मठपति कपनी सचिव दिनांक : 11,11,2019

पौड़ी में सीतामाता देहरादून, 11 नवंबर (जनसत्ता)। सर्किट बनाने की शुरुआत

उत्तराखंड में राज्य सरकार ने गढ़वाल मंडल के मुख्यालय पौड़ी में सीता माता सर्किट की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि सीता माता सर्किट पौड़ी के विकास में बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा।

SHIVALIK BIMETAL CONTROLS LIMITED Regd. Office: 16-18, New Electronics Complex Chambaghat, District Solan (Himachal Pradesh) - 173213 CIN: L27101HP1984PLC005862 EXTRACT OF UNAUDITED (STANDALONE AND CONSOLIDATED) FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2019 (₹ in lakhs, except EPS)

SL			Standalone			Consolidate	d
Nb.	Particulars	Quarter Ended 36.09.19	Half Year Ended 10.09.19	Quarter Ended 30,03,13	Quarter Ended 30,09,19	Half Year Ended 30.09.19	Quarter Ended 30,69,18
U		Unaudited	Unaudited	Unavdited	Unaudited	Unaudited	Unaudited
4:	Total Income from operations	4.704,78	9.892.76	5,102.47	4.704.78	9.892.76	5,102.47
2	Net Profit for the period (before Tax. Exceptional and)	300.0	20.20	(*A)		10.00	Service.
	or Extraordinary items)	368,81	791,40	792.59	403,21	880,26	836.74
3	Net Profit for the period, before Tax (after	1000	10000	100	1000	1000	10
	Exceptional and / or Extraordinary (terns)	394.61	317.40	792,59	425,21	906,26	836.74
4	Net Profit for the period, after Tax/ after Exceptional	2.5	772.4	2000	100	1000	inght.
	and / or Extraordinary items)	335,63	629,54	556,27	376,80	722.97	592.55
5	Total Comprehensive Income for the period	12.00	1000	1000	100	1	1 500004
	[Comprising Profit for the period (after lax) and	1.5	2.2	12.21		257	1
	Other Comprehensive Income (after tex);	320.68	614.59	563.17	362,64	708.81	599.45
6	Equity share capital	1000	100	26.00		1000	2.000
	(Face Value of the Share 2 2/- Each)	768 06	768.06	768.08	768.06	768.06	768.08
7	Other Equity (excluding Revalual on Reserves) as	100		4000			1
	per audited balance sheet of previous year				8	-	
8	Earnings Per Snare) Face value of the share ₹ 2/- each)(not ennualised)	1			ΠŢ		
	a) Basic	D.83	7.60	1.47	0.95	1.85	1.56
	b) Diluted	0.83	1.60	1.47	0.95	1.85	1.56

The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended 30th September, 2019 filed with the Stock Exchange under Regulation- 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Regulrements) Regulations, 2015. The full format of Unaudited financial results for the quarter and half year ended 30th September, 2019 are available on the websites of the Stock Exchange (www.bseindia.com) and the company's website (www.shivalikbimetais.com). The above financial results were reviewed by the Audit Committee in their meeting held on 11th November 2019 and approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on 11th November, 2019. The Statutory Auditors have expressed an unmodified report on the above results. For and on Behalf of Board of Directors

Place: New Delhi Date: 11/11/2019

(N.S.Ghumman) Managing Director DIN: 00002052

OSBI

(मोती नगर एवं जखीरा के बीच) 23, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली-110015

टेली.: 011-25419177, 25108667, फैक्स: 011-25413434, ईमेल: sbi.05169@sbi.co.in

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक, (मोती नगर एवं जखीरा के

बीच), 23, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली–110015 के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 3.7.2019, भारतीय स्टेट बैंक, शाखा विकास मार्ग, दिल्ली द्वारा उक्त अधिनियम के अंतर्गत जारी कर ऋणधारक श्रीमती स्वाती वधेरा, पत्नी श्री पुष्प वधेरा, फ्लैट नं. पी-1702, अहिंसा खंड-2, जयपुरिया सनराइज ग्रीन, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद, (उ.प्र.)-201014, साथ हीः मकान सं. 12, काली जानीजम्मू 180001 एवं श्री पुष्प वधेरा, फ्लैट नं. पी-1702, अहिंसा खंड-2, जयपुरिया सनराइज ग्रीन, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद, (उ.प्र.)–201014, (सहःऋणधारक) (यहा के बाद ऋणधारक तथा सह–ऋणधारक सामृहिक रूप सं ''ऋणधारक'' वर्णित) को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर सूचना में वर्णित राशि 03.7.2018 को रु. 67,00,068/- (रुपये सङ्सट लाख अङ्सट मात्र) के साथ सभी अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज आदि के साथ अनुबंधित दर पर उक्त राशि पर आगे का ब्याज वापस लौटाने का निर्देश दिया था। ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, गारन्टरों तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 7.11.2019 को अधोहस्ताक्षरी

ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह

का व्यवसाय 03.7.2018 को रु. 67,00,068/- (रुपये सड़सठ लाख अड़सठ मात्र) के साथ सभी अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज आदि के साथ अनुबंधित दर पर उक्त राशि पर आगे का ब्याज के लिये भारतीय स्टेट बैंक के चार्ज के अधीन होगा

ऋणधारक/गारन्टर/मार्टगैजर का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है। अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति फ्लैट नं. पी-1702, 17वाँ तल, टाइप-10, ब्लॉक-पी, जयपुरिया सनराइज ग्रीन, अहिंसा खंड-II, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद का इक्विटैबल मार्टगैज।

तिथिः 7.11.2019 प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक स्थानः नई दिल्ली एसएआरबी (मोती नगर एवं जखीरा के बीच), 23, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली-110015

CIN:L27204DL1991PLC046120

पंजीकृत कार्यालय: 1/24, बंसी हाउस, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002 फोन नं.: 011-23234316, ई-मेल: mewatzinc@gmail.com, वेबसाईट: www.mewatzinc.com 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा छमाही के लिए अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विवरणों का सार

(रु. लाखों में

क्रम	विवरण		समाप्त तिमार्ह	Ì	समाप्त	तिमाही	समाप्त वर्ष
सं.		30.9.2019 (अनंकेक्षित)	30.6.2019 (अनंकेक्षित)	30.9.2018 (अनंकेक्षित)	30.9.2019 (अनंकेक्षित)		31.3.2019 (अंकेक्षित)
1.	परिचालनों से कुल आय	47.09	33.40	38.01	80.49	130.18	201.20
2.	अविध के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एंव/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	2.54	0.27	0.00	2.81	1.97	5.10
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	2.54	0.27	0.00	2.81	1.97	5.10
4.	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं अथवा असाधारण मदों के बाद)	1.88	0.20	0.00	2.08	1.48	3.76
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ/(हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद) से शामिल	1.88	0.20	0.00	2.08	1.48	3.76
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
7.	आरिक्षत (पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र के अनुसार पुनर्मूल्याकंन आरिक्षतों के अतिरिक्त आरिक्षत)						(45.74)
8.	आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिये)						17.71
	मूलः	0.05	0.00	0.00	0.05	0.04	0.09
	तरलः	0.05	0.00	0.00	0.05	0.04	0.09

कनव आनन्द

निदेशक

।. उपरोक्त सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचैंज में दाखिल की गई 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा छमाही ^ह वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाही तथा छमाही वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारुप स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट https://www.bseindia.com तथ कम्पनी की वेबसाईट www.mewatzinc.com पर उपलब्ध है।

. उपरोक्त परिणामों की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई 11 नवम्बर, 2019 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किये गये। . कम्पनी के सांविधिक लेखा–परीक्षकों ने सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अनुसार 30 सितम्बर, 2019 को समाप

तिमाही तथा छमाही के वित्तीय परिणामों की सीमित समीक्षा की है। ।. जहाँ भी जरुरी हुआ, पूर्व तिमाही/छमाही के आँकड़े पुनर्वर्गीकृत/पुनर्समूहीकृत किये गये हैं।

तिथि: 11 नवम्बर, 2019 स्थानः नई दिल्ली

मेवात जिंक लिमिटेड के लि जे.पी. गुप्त प्रबंध निदेशव

DIN: 00253529

एबीएम इन्टरनेशनल लिमिटेड

CIN NO. L51909DL1983PLC15585 पंजी. कार्यालयः 10/60, इंड. एरिया, कीर्ति नगर, नई दिल्ली-110015 फोनः 011-41426055, **इंमेलः** vkgandhi@abmintl.in, वेबसाईट: www.abmintl.in 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा छमाही के स्टैंडएलॉन तथा समेकित अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विवरणों का सार

(रु. लाखों में पूर्व वर्ष विवरण समाप्त तिमाही समाप्त पूर्व वर्ष समाप्त समाप्त छमाही तिमाही छमाही 30.6.2019 31.3.2019

	अनंकेक्षित	30.6.2018 अनंकेक्षित	31.3.2019 में समाप्त तत्स्थानीय 3 महीने अंकेक्षित	30.6.2019 अनंकेक्षित	30.6.2019 अनंकेक्षित	में समाप्त तत्स्थानीय 3 महीने अंकेक्षित
		स्टैंडएलॉन			समेकित	
कुल राजस्व	897.58	3709.84	626.59	857.58	3709.84	626.59
विशिष्ट एवं असाधारण मदों तथा कर से पूर्व				1 1 1 1		
लाभ/(हानि)	(1.13)	(16.97)	(80.43)	(1.13)	(16.97)	(80.43)
एसोसिएट्स के लाभ/(हानि) का शेयर	-	-	-	(0.72)	(0.72)	-
असाधारण मदों एवं कर से पूर्व लाभ/(हानि)	(1.13)	(16.97)	(80.43)	(1.85)	(17.69)	(80.43)
कर से पूर्व लाभ/(हानि)	(1.13)	(16.97)	(80.43)	(1.85)	(17.69)	(80.43)
अनवरत प्रचालनों से अवधि के लिये						
लाभ/(हानि)	(1.13)	(16.97)	(80.43)	(1.85)	(17.69)	(80.43)
मदें जो लाभ अथवा हानि में पुनर्वर्गीकृत की						
जायेगी		-	-			-
अवधि के लिये कुल अन्य व्यापक						
आय/(हानि)	-	-	-	-		-
अविध के लिये कुल व्यापक आय/(हानि)	(1.13)	(16.97)	(80.43)	1.85	(17.69)	(80.43)
प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी	1176.00	1176.00	1176.00	1176.00	1176.00	1176.00
अन्य इक्विटी						
आय प्रति इक्विटी शेयर (रु. 10/- प्रति का)ः						
1) मूल (रु. प्रति शेयर)	(0.01)	(0.14)	(0.68)	(0.02)	(0.16)	(0.68)
2) तरल (रु. प्रति शेयर)	(0.01)	(0.14)	(0.68)	(0.02)	(0.16)	(0.68)
िरिव्यणी:		-				

1. उपरोक्त अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों की ऑडिट किमटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 9 नवम्बर, 2019 को अयोजित उनकी बैठक में बोर्ड द्वारा अनमोदित किये गये।

2. 30.09.2019 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों की सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उदघाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत वांछित रूप में सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा की गई है।

3. इन वित्तीय परिणामों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट इंड ए एस के प्रावधानों अनुसार तैयार किया गया है।

4. अलग से विवरण देने योग्य कोई खंड नहीं है। 5. आय कर तथा आस्थिगित कर समायोजन जो भौतिक नहीं है, के प्रावधान का विचार वर्ष के अंत में किया जायेगा। 6. जहाँ भी जरूरी हुआ, पूर्व वर्ष/तिमाही के आँकड़े पुनर्वर्गीकृत/पुनर्व्यवस्थित किये गये हैं।

निदेशक मंडल के लिये तथा उसकी ओर से

एबीएम इन्टरनेशनल लिमिटेड

(विरेन्दर कुमार गांधी)

तिथि: 9.11.2019 अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक स्थानः नई दिल्ली **DIN**: 00244762

तनावग्रस्त परिसम्पत्ति वसूली शाखा **OSBI**

(मोती नगर एवं जखीरा के बीच) 23, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली-110015

टेली.: 011-25419177, 25108667, फैक्स: 011-25413434, ईमेल: sbi.05169@sbi.co.in

परिशिष्ट-IV

कब्जा सूचना (प्रतिभित हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत) जैसा कि. वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभतिकरण एवं पनर्निर्माण तथा प्रतिभति हित प्रवर्तन अधिनियम. 2002 के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक (मोती नगर एवं जखीरा के बीच)

23, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली-110015 के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सुचना तिथि 30.03.2019, भारतीय स्टेट बैंक, शाखा एसएमई, आसफ अली रोड, नई दिल्ली–110002 द्वारा उक्त अधिनियम के अंतर्गत जारी कर ऋणधारक मै. हाना मोटर प्लाजा प्रा.लि., पता-ए-30, मथुरा रोड, मोहन कोआपरेटिव इंडस्ट्रियल इस्टेट, नई दिल्ली-110044 (पर्सनल गारन्टर): 1) श्री गिरीश भाटिया, पुत्र स्व. श्री प्राणनाथ भाटिया, 2) श्रीमती रीतु भाटिया, पत्नी श्री गिरीश भाटिया, पताः डी–878, प्रथम तल, न्यू फ्रैंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली–110065, 3) श्री राजेश कुमार, पुत्र श्री ओम प्रकाश शर्मा, मकान सं. 39/16, लखपत सिटी, बदरपुर, नई दिल्ली–110044, 4) श्री रामचन्द मदान, सी–234, विकासपुरी, नई दिल्ली–110018 (ऋणधारक तथा सह–ऋणधारक यहां के बाद सामृंहिक रूप से ''ऋणधारक'' वर्णित) को उक्त सुचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सुचना में वर्णित राशि 29.3.2019 को रु. 8,48,91,970.40 (रुपये आठ करोड़ अड़तालिस लाख इक्यानवे हजार नौ सौ सत्तर तथा पैसे चालिस मात्र) के साथ सर्भ अनुषांगिक खर्चे. लागत चार्जेज आदि के साथ अनुबंधित दरों पर उस पर आगे का ब्याज वापस लौटाने का निर्देश दिया था। ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, गारन्टरों तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 6 नवम्बर, 2019 को

अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतदुद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह

का व्यवसाय 29.3.2019 को रु. 8,48,91,970.40 (रुपये आठ करोड़ अड़तालिस लाख इक्यानवे हजार नौ सौ सत्तर तथा पैसे चालिस मात्र) के साथ सभी अनुषांगिक खर्चे, लागत चार्जेज आदि के साथ अनबंधित दरों पर उस पर आगे का ब्याज के लिये भारतीय स्टेट बैंक के चार्ज के अधीन होगा। ऋणधारक/गारन्टर/मार्टगैजर का ध्यान प्रतिभृत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों

के प्रति आकृष्ट की जाती है। अचल सम्पत्ति का विवरण प्लॉट नं. 74, पॉकेट 27, सेक्टर-24, रोहिणी, नई दिल्ली-110085 में आवासीय सम्पत्ति माप 207.00 वर्ग मी. जो श्री आर.सी. मदान के स्वामित्व में है। प्राधिकत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक स्थानः रोहिणी, नई दिल्ली एसएआरबी (मोती नगर एवं जखीरा के बीच), 23, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली-110015

(अचल सम्पत्ति के लिये)

(प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार) जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत लक्ष्मी विलास बैंक लि. फरीदाबाद शाखा के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 20.5.2019 जारी कर ऋणधारक मै. पर्फेक्ट एलॉयज लि. को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 30.4.2019 को रु. 1,35,77,444.02 (रुपये एक करोड़ पैंतीस लाख सतहत्तर हजार चार सौ चौआलिस एवं पैसे दो मात्र) तथा 01.5.2019 से चार्ज की जाने वाली आगे के ब्याज तथा लागतों वापस लौटाने का निर्देश दिया था

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, गारन्टर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 8 नवम्बर, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का सांकेतिक कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथ इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 30.4.2019 को रु. 1,35,77,444.02 (रुपये एक करोड़ पैंतीस लाख सतहत्तर हजार चार सौ चौआलिस एवं पैसे दो मात्र) तथा उस पर ब्याज के लिये द लक्ष्मी विलास बैंक लि., फरीदाबाद शाखा के चार्ज के अधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

ऋणधारक द्वारा गिरवी रखी गई सम्पत्तियों का विवरण

1. श्री महिन्दर कुमार मदान के स्वामित्व में प्लॉट नं. 2 के/43 (उत्तरी-पश्चिमी भाग), ब्लॉक के, एनएच-2, एनआईटी, फरीदाबाद हरियाणा, माप 75 वर्ग यार्ड्स का इक्विटैवल मार्टगैज तथा वास्तविक चौहद्दी इस प्रकार है: उत्तर: एच.नं. 2-के/42, पूर्व: अन्य भाग दक्षिणः शेष भाग, पश्चिमः रोड

2. श्री जैनीश मदान के स्वामित्व में प्लॉट नं. 1995, दुसरा तल, छत के अधिकार के साथ, अरावई विहार आवासीय योजना, सेक्टर 49, फरीदाबाद, हरियाणा का इक्विटैवल मार्टगैज, चौहद्दीः उत्तरः प्लॉट नं. 2032, पूर्वः प्लॉट नं. 1996, दक्षिणः रोड, पश्चिमः प्लॉट नं. 1994

स्थानः फरीदाबाद, हरियाणा तिथि: 8 नवम्बर, 2019

epaper jansatta.com

द लक्ष्मी विलास बैंक लि.

(प्राधिकृत अधिकारी)

सदस्य ई-मतदान करने के बाद भी ईजीएम में भाग ले सकते हैं, परन्तु उन्हें फिर से एजीएम में मतदान

कर्ते रतनइंडिया पात्रर लिमिटेड

नई दिल्ली

तनावग्रस्त परिसम्पत्ति वसूली शाख

परिशिष्ट-[] कब्जा सूचना (प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत

पंजाब नैशनल बैंक

किन्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि, पंजाब नैशनल बैंक की तरफ से प्राधिकृत अधिकारी ने सिक्युरिटाईजेंशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑप फाइनेंशियल एसेट्स एण्ड इनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी ईटरेस्ट एक्ट 2002 के नियम र के साथ पठित धारा 13 (12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सिक्योरिटी इटरेस्ट 2002 के साथ 60 दिनों के भीतर नोटिस में निहित रकम की अदायगी हेत एक डिमांड नोटिस जारी किया था ऋणी के द्वारा रकम की अदायमी न करने के कारण निम्नलिखित ऋणकर्ता एवं जन साधारण को नोटिस दी जाती है कि अधिहरताक्षरी ने प्रत्येक खाते के समक्ष अकित तिथि को उक्त नियमा वे नियम 8 के साथ पठित एक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-चारा (A) के तहत प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अधीलिखित सम्पत्ति का साकेतिक कब्जा दिनाक 08, नबम्बर, 2019 को ले लिया है। विशेषतः ऋणी एवं जन साधारण को एतद हारा सतक किया जाता है कि वे संबंधित वरिसम्पत्ति की खरींद फरोख्त न करे तथा इन परिसम्पत्ति के किसें भी क्रय विक्रय के लिए यहाँ नीचे खाते के समक्ष रकम उस पर देय ब्याज के लिए पंजाब नेशनल बेंक के प्रभार अधीन होंगे। कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों का छुड़ान के लिए, उपलब्ध समय

奄 0	शाखा का नाग	खाते का नाम और पता	ऋणकर्ता का नाम और पता	बंधक सम्पत्ति का विवरण	ति/अगर विकास विकास विकास अमुक्ता स्थाप एके	भौतिक कब्जे की तिथि	श्राधिकृत अधिकारी का नाम
1.	पांडे नगर, मेरठ	12 वीं मंजिल सं बी-4-1202 सुपरटेक मेरठ स्पोर्ट्स सिटी ग्राम	12 वीं गंजिल सं बी-4-1202 सुपरटेक, मेरठ स्पोर्ट्स सिटी ग्राम सिवाया जमुल्लापुर दुल्हेडा बौहान, रुड्की रोड तहसील	जमुल्लापुर दुल्हेडा चीठान, रुवळी रांख तहसील	₹ 3716865,00	08.11.2019 सांकेतिक कब्जे की तिथि 24.06.2019	श्री अविनाश कुमार, 9771430208
10	देनांक:-	11.11.2019	स्थ	नः— मेरठ		प्राधि	कृत अधिकारी

हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.

शाखा : कार्यालय सं. 7 और 8, पांचवीं मंजिल, गोंदरेज इंटेरनिया सी, विंग बी, वाक्डेवाडी, शिवाजीनगर, पुणे-411005 कॉर्पोरेट पहचान संख्या : एल७०१००एमएच१९७७पीएलसी०१९९१६, वेबसाइट : www.hdfc.com

माग स्चना

प्रतिभृति हित (क्रियान्वयन) विनियम, 2002 के नियम 3 के साथ पाँडेत वितीय संपत्ति प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्संरचना एवं प्रतिभृति हित क्रियान्वयन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 13 (2) के अधीन।

अधोहरताक्षरी ने वित्तीय संपत्ति प्रतिभृतिकरण एवं पुनररियना एवं प्रतिभृति हित क्रियान्वयन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत **हाउसिंग डिवेलपर्गेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचडीएफसी लिमिटेड)** के अधिकृत अधिकारी के रूप में निम्नलिखित विवरणों के अनुसार और प्रतिभृति हित (क्रियान्वयन) विनियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13 (12) के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कथित अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत यहां सूचीबद्ध ऋणी (याँ) / कानूनी उत्तराधिकारी(यों) / कानूमी प्रतिनिधी(यों) को माग सूचनाएं देते हुए संबंधित सूचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर माग सूचना में उल्लिखित राशियों का भुगतान करने का आग्रह किया। कथित सूचनाओं की प्रतिया अघोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध हैं और कथित ऋणी (याँ) / कानूनी उत्तराधिकारी(याँ) / कानूनी प्रतिनिधी(याँ), यदि इच्छक हो अधोहस्ताक्षरी से संबंधित प्रति किसी कार्य दिवस में सामान्य कार्य अवधि में प्राप्त कर सकता है।

उपरांक्त के सदर्भ में कथित ऋणी (यों) / कानूनी उत्तराधिकारी(यों) / कानूनी प्रतिनिधी(यों) को पुनः यह सूचना दी जाती है कि ऋण करार और ऋणी के क्रियान्वित्र लिखित अन्य दस्तावेजों, यदि कोई हो, के अनुसार इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंदर उनके नाम उल्लिखित राशियों के साथ–साथ निम्नलिखित कॉलम (म) में उल्लिखित तिथियों से भुगतान और / या प्राप्ति की तिथि तक 18% सालाना की दर से माग सूचनाओं में उल्लिखित व्याज की राशि का **एचडीएफसी लिमिटेड** की भुगतान कर दें। ऋण का नियत पुनर्भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कथित ऋणी की **एचडीएफसी लिमिटेड** के वास क्रमशः निम्नलिखित प्रतिभूत संपत्ति गिरवीं रखी हैं। ऋणीं (यों)/कानूनी उत्तराधिकारी(यों)/कानूनी प्रतिनिधी(यों) का ध्यान प्रतिभूत संपत्ति/संपत्तियों को वापस हासिल करने के लिए उपलब्ध समय की ओर कथित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्रे. सं.	ऋणी (यो)/कानूनी उत्तराधिकारी (यों)/कानूनी प्रतिनिधी(यों) का नाम		मांग सूवना की तिथि	प्रतिभूत सम्पत्तियों / अचल सम्पत्तियों का विवरण
(20)	(থ্ৰ)	(71)	(8)	(3)
1.	श्री. उपाध्याय संदीप कुमार ए	31 अगरेत. 2019 को रुपये 42,32,986 /-*		पत्नैट नं. सी2—1402, 13वीं मंजिल, विक्टौरी ऐस, टॉक्र सी2, प्लॉट मं जीएच—02, सैक्टर—143, नोएडा, गीतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश

*साथ ही, 18% सालाना ब्याज जैसा कि लागू है, संबंधित खर्च, हर्जाना, शुल्क आदि जो पूनर्भुगतान और / या प्राप्ति तक दिए गए। यदि इसके बाद भी ऋणी **एवडीएफसी लिमिटेड** को उपरोक्त राशि का भुगतान करने में असफल रहता है तो एचडीएफसी लिमिटेड उपरोक्त प्रतिभूत संपत्ति / अचल संपत्ति पर कथित अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत कार्यवाही शुरू करेगी और संबंधित नियम लगाएगी जिसके किसी जीखिय जैसे खर्च और दुध्धरिणाम क लिए कवल ऋणी (यों) / कानुनी उत्तराधिकारी(यों) / कानुनी प्रतिनिधी(यों) जिम्मेदार होगा।

कथित अधिनियम के तहत एचडीएफसी लिमिटेड की लिखित अनुमति के बिना ऋणी (याँ) / कानूनी उत्तराधिकारी(याँ) / कानूनी प्रतिनिधी(याँ) के लिए बिक्री, लीज या अन्य किसी माध्यम से प्रतिभूत संपत्ति / अचल संपत्ति हरतांतरित करने पर प्रतिबंध है। इस अधिनियम के प्रावधानों या इनके अंतर्गत बने निवमों का खुद उल्लंघन करने था उन्लंघन को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार केंद्र और / या जुर्माना किया जा सकता है। कते हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.

दिनांक : 12 नवम्बर, 2019 स्थान : नई दिल्ली

कर्जदार / गारंटर

हस्ता./-प्राधिकत अधिकारी

020 25505000 पंजीकृत कार्यालय : रेमन भवन, एचटी पारेख मार्ग, 169, बैकवे रिक्लेमेशन, चर्चगेट, गुम्बई - 400020 राम्पर्क कार्यालय : कार्यालय सं. 7 और 8, पांचवीं मंजिल, गोंदरेज इंटरेनिया सी, विंग बी, वाक्डेवाडी, शिवाजीनगर, पूर्ण-411005

पंजी. कार्या. शॉप नं. 21, आशियाना सिनेमा के निकट, बदरपुर,

रेजीडेन्सी, चौधरी धरमबीर मार्केट, सेबेल नई दिल्ली-110044

साका लिमिटेड

नियुक्ति से पहले त्रिपुरा हाई

कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश

CIN NO. L32101DL1981PLC012700

एतद्द्वारा सुचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशव मंडल की एक बैठक शुक्रवार, 15.11.2019 को 3 बजे अप. में आयोजित की जायेगी जिसमें 30.9.2019 को समाप्त तिमाही (क्यू 2) के लिये कम्पनी के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार कर उसे अभिलेख में लिये साका लिमिटेड के लिए

स्थानः नई दिल्ली (राजीव सक्सेना तिथि: 8.11.2019

Sircor

SIRCA PAINTS INDIA LIMITED CIN: L24219DL20D6PLC145092 Regit & Corporate Office:

District 10042 Tel. +91:11-42:8:013

Statement of Deviation(s) or Variation(s)

Russiant to Regulation 32 rest -Requisition 47 of SEBI (Listing Chings in and Disclosures Requirements (Regulation) 2015, we flowby spile that there has been no Diviation(s) / Variation(s) = 5 0 index as on 30th September, 2018 - 20 resid from the Initial Public Offer (750) has ean utilized for its objectives mind Prospective 22 22rd May 2018

for Further Distance Pressure and the animals of his Company (www.a.rcapa.hts.cam) and Valional Stock Exchange of India Ltd (www.mseiridia.com).

For SIRICA PAINTS INDIA LIMITED Date: 11/11/2018 Sanjay Agarwali (BIN: 01303471)

Chairman cum Managing Director

Bank of Baroda (A Govt. Of India Undertaking)

स्वामित्व और

बैक आफ़ बड़ादा (भारत सरकार का उपक्रम)

धारा 13(2) के अंतर्गत

मांग सूचना की तारीख

ई-नीलामी सूचना

-नीलामी तिथि एवं समय

जेडओएसएआरबी, 13वीं तल, बैंक ऑफ़ बड़ौदा भवन, 16, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, फोन = 011-23441330, मो.- 9584317482, ई-मेल : armdel@bankofbaroda.com

अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेत् ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाला और प्रत्याभृति – दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अवल सम्पत्तियां जो प्रतिभृत लेनदार के पास बंधक / प्रभारित है, का **सांकेतिक कब्जा**, प्रतिभृत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को 'जहाँ हैं, जैसा है और जो कुछ भी हैं' के आधार पर नीचे निम्नवर्णित कर्जदारों / गारंटर्स को प्रत्यामूत – दाता बैंक ऑफ बड़ाँदा से – प्रतिभूत लेनदार की नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनाक 20.12.2019 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि नीचे वर्णित रूपए होगी।

	0 0	and offering any survival	श्रदाहर दाहा	4 4 4 4 4
का नाम	सम्पत्ति का विवरण	बकाया राशि	वोली वृद्धि राशि	खाता नं. और IFSC कोड
1. मैसर्स मॉर्डन ओवरसीज	साम्यिक वंधक सम्पत्ति जोकि खाता गं. 119, खसरा गं. 2692, क्षेत्रफल 1-18-0	18-01-2019	₹ 330.00 लाख	20-12-2019
प्रा. लि., 11027-ए, मोतिया खान, दिल्ली	Pukhta of part of ¼ measuring 0-4-10 Pukhta lagni about 63 paise गाँव डासना, परगना डासना, एनएच 24 भूर गढ़ी, तहसील और जिला गाजियाबाद यूपों में रिथत, यह सम्पत्ति मैससे मॉर्डन ओवरसीज पा लि. के नाम पर है।	बकाया राशि	₹ 33.00 लाख	को अर्पाह 01,00 बजे से अर्पाह 03.00 बजे तक
- 110055 2. मो. सईद, 11027-ए, मोतिया खान, दिल्ली -110055 3. मो. सलीम, 11027-ए, मोतिया खान, दिल्ली -110055 4. मो. नईम, 11027-ए, मोतिया खान, दिल्ली -110055	खसरा मं 2695 क्षेत्रफल 0,240 एचए (19 बिस्वा युख्ता) खसरा मं 2695 (के) क्षेत्रफल 0,215 एचए या (17 बिस्वा युख्ता) कुल मं 2 खसरा 01 बीघा 16 बिस्वा युख्ता गाँव डासना, परगम डासना, एनएव 24 भूर गढ़ी, तहसील और जिला गाँजियाबाद, यू पी में रिखत, यह सम्पत्ति मेंससे मॉर्डन ऑवरसीज़ प्रा. लि. के नाम पर है। खाता नं. 438. खसरा नं. 2697, क्षेत्रफल 0–19–0 पुख्ता (0.240 एचए) बिस्वा पुख्ता गाँव डासना, परगमा डासना, एनएच 24 भूर गढ़ी, तहसील और जिला गाँजियाबाद यू पी में रिखत, यह सम्पत्ति मैससे मॉर्डन ऑवरसीज़ प्रा. लि. के नाम पर है। खाता नं. 1127, खसरा न. 2698 (कएच.) क्षेत्रफल 1–1–0 पुख्ता क्षेत्रफल 0–10–10 पुख्ता का ½ भाग और खरारा नं. 2699 क्षेत्रफल 0–6–0 पुख्ता, क्षेत्रफल 0–3–0 पुख्ता का ½ भाग, कुल भूगि क्षेत्रफल 2 खसरा क्षेत्रफल 0–13–10 पुख्ता कbout Lagani 5.40Ps गाँव डासना, परगमा डासना, एनएच 24 भूर गढ़ी, तहसील और जिला गाँजियाबाद, यू पी में रिखत, यह सम्पत्ति मैससे मॉर्डन ऑवरसीज़ प्रा. लि. के नाम पर है। खाता नं. 1127 खसरा नं. 2698 (के एच) क्षेत्रफल 0.266 एचए (१ बीधा १ विस्वा पुख्ता) क्षेत्रफल 0.133 एचए का ½ भाग (10 विस्ता 10 बिस्तारी पुख्ता) और खसरा नं. 2699 क्षेत्रफल 0.076 एचए या (६ निरवा गुख्ता), क्षेत्रफल 0.038 एप ए का ½ भाग (३ बिस्वा पुख्ता) कुल क्षेत्रफल 13 बिस्वा 10 बिरवासी पुख्ता गाँव डासना, परगना डासना, एनएच 24 भूर गढ़ी, तहसील और जिला गाजियाबाद, यू पी में रिखत, कुल मूमि क्षेत्रफल 13072 वर्ग गज, यह रामी सम्पत्ति मैससे मॉर्डन ऑवरसीज प्रा. लि. के नाम पर है।	पिच्चासी हजार आठ सौ बीस मात्र) दिनांक 29-07-2016 तक (एनपीए की तिथि) प्लस (दिनांक 01.07.	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	खाता नं. 00950200000743 बँक ऑफ बड़ौदा बी—3, क्नॉट प्लेस, नई दिल्ली—110001 IFS कोड BARB0CONNAU दस्तावेज जमा करने की अंतिम -2019 को सायं 04.00 बजे तक प्राधिकृत अधिकारी और सम्पर्क नं. श्री यश पाल चावला मो.

सम्पत्ति का निरीक्षण की तिथि एवं समय : 06.12.2019 से 18.12.2019 को पूर्वा. 11.00 बजे से अर्पा. 4.00 बजे तक

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कपया बैंक की वेबसाइट अर्थात www.bankofbaroda.com पर दिए गए लिंक को देखें।

घरोहर राशि व वस्तावेज जना करने की अंतिम तारीख प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष अंकितानुसार बिक्री नीचे वर्णित नियमों और शर्तों के अधीन होगी :

नोटः आरक्षित मूल्य से कम या उसके बराबर की बोली स्वीकार्य नहीं होगी।

 ई—नीलामी का प्रस्ताव सांकेतिक कब्जा के आघार पर ''जहाँ हैं, जैसा है और जो कुछ भी है'' प्रस्तावित किया जा रहा है। यह बोली लगाने वाले की जिम्मेदारी होगी कि वह परिसंपत्तियों और विशिष्टताओं के बारे में स्वंय निरीक्षण करे और स्वयं को संतुष्ट करे। यह ई-नीलामी विज्ञापन किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता नहीं करता है और इसे किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता या बैंक के किसी भी प्रतिनिधित्व की प्रतिबद्धता नहीं माना जाएं।

नीलामी – सह बिक्री का आयोजन https://bob.auctiontiger.net के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ई-नीलामी पद्धति द्वारा होंगी यहां ऊपर अनुसूची में प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के पर्याप्त विवरणों को शामिल करने का प्रयास किया गया है। इस उद्योषणा में किसी बुटि, कमी अथवा गलत विवरणों के लिए प्राधिकृत अधिकारी उत्तरदायी नहीं होंगे।

4. इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि अपनी बोली जमा करने तथा ई—नीलामी बिक्री में भाग लेने से पूर्व ई—नीलामी के विस्तृत नियमीं एवं शर्तों के लिए पोर्टेल https://bob.auctiontiger.net देखें तथा उपरोक्त वर्णित संबंधित सम्पत्तियों के लिए संबंधित प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क करें।

सुचार कर आपस में बोली करने के लिए स्वतंत्र होंगे। घरोहर राशि (ईएमडी) का भुगतान की अंतिम तारीख (दिनांक 19.12.2019) को अर्पा. 04.00 तक पिनिर्दिश्ट खाता जिसका विवरण अधेलिखित हैं, प्रत्येक सम्पत्ति के समझ अंकितानुसार एनईएफटी / आरटीजीएस / डिमांड ड्राफ्ट हारा

5. प्रतिभूत परिसम्पत्ति की बिक्री आरक्षित मूल्य से नीचे या उसके बराबर की राशि में नहीं की जाएगी। नीलामी आरक्षित मूल्य से ऊपर एक इन्क्रीमेन्ट पर शुरू होगी तथा बोलीदाता यहां ऊपर वर्णित न्यूनतम बोली राशि से अपने प्रस्ताव में

(दिल्ली में देय होगा) उपर वर्णित तालिका के अनुसार, where 5th character of IFSC Code is '0' (Zero).

ईएमडी जमा किए होने वाले इच्छ्क बोलीदाता पोर्टल में उपलब्ध कॉलम / फिल्ड्स के अनुसार आधिकारिक पोर्टल https://bob.auctiontiger.net पर प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष अंकितानुसार निम्न दस्तावेजों दिनांक 19.12.2019 को या उससे पहले अपलोड करें:

क) ईएमडी जमा करने का प्रमाण ख) पूर्ण रूप से गरें प्रस्ताव फार्म

ग) इच्छक बोलीदाता के कोटोग्राफ तथा आवासीय पते तथा पैन कार्ड से शामिल पहचान का प्रमाण की स्वः प्रमाणित प्रति । इन दस्तावेजों का ऑरिजिनल संबंधित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा । घ) बॉली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए लागिन आईडी तथा पासवर्ड जारी करने के लिए अनुरोध

वेंबपोर्टल https://bob.auctiontiger.net तथा सम्पत्ति से सम्बंधित किसी भी पूछताछ के लिए आप उपर वर्णित सम्पत्ति के प्राधिकृत अधिकारी से किसी भी कार्य दिवस को कार्याविधि के दौरान सम्पर्क कर सकते हैं।

इच्छुक बोलीदाता पोर्टल https://bob.auctiontiger.net पर लॉगईन आईडी तथा पासवर्ड बना सकते हैं। यदि लॉगईन आईडी, पासवर्ड बनानें, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ईबोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि के लिए इच्छुक बोलीदाता को सहयोग की आवश्यकता हो तो वे मैलर्स ई-प्रक्योरभेन्ट देवनोलॉजील लि., बी-704-5, वॉल स्ट्रीट-2, ऑरिएंट क्लब के विपरीत, मुजरात कॉलेंज रोड, एलिल बिज, अहमदाबाद, श्री राम शर्मा - 06351896834 ईमेल delhi@auctiontiger.net, ramprasad@auctiontiger.net, औ नितिश द्वां, 7982880393, हेल्प लाईन : 079-61200595/520/548, हेल्प लाईन ईमेल: support@auctiontiger.net से सम्पर्क करें। ऑनलाईन अपलोखिंग के लिए

केवल ऐसे बोलीयाताओं को ही ऑनलाइन ई-नीलामी में भाग लेने की अनुमति वी जाएगी जिनके पास वैध यूजर आईडी तथा पासवर्ड एवं एनईएफटी / आरटीजीएस द्वारा ईएमडी के मुगतान का निश्चित प्रमाण होगा। 10. प्राधिकृत अधिकारीं को किसी या सभी बोलियों को स्वीकार या निरस्त करने का अधिकार प्राप्त है। पूनः, प्राधिकृत अधिकारीं को उसका कोई भी कारण बताये बिना नीलामी प्रक्रिया की पूर्णता से पूर्व किसी भी समय नीलामी को निलंबित या

रद्र या स्थापित या जिस्कंटीन्यू करने अथवा नीलामी की शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है तथा इस संदर्भ में उनका निर्णय अंतिम होगा।

 यदि कोई बोली नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनट में प्रस्तुत की जाती है तो समापन का समय अगले 5 मिनट के लिए आगे बढ़ जाएगा। यदि बोली प्रक्रिया की समाप्ति पर अन्य कोई बोली प्राप्त नहीं होती है तो उच्चतम राशि कोट करने वाले बोलीदाता (आरक्षित मूल्य से कम अथवा बराबर नहीं) को सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा। सफल बोलीदाता को तत्काल

अथवा अधिकतम अगले कार्य दिवस तक) उनके पक्ष में बिक्री की घोषणा होने पर 25% क्रय मूल्य का भूगतान करना होगा, अन्यथा ईएमडी राशि जब्त कर ली जाएगी।

कंवल 25% बिक्री का भुगतान कर देने मात्र से ही सफल बोलीदाता अपने यक्ष में बिक्री की पुष्टि करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे। यह बिक्री ई—नीलामी के नियमों एवं शतौँ तथा इस आशय के लिए प्रतिभूत क्रेडीटर की पुष्टि के अधीन.

 यहां ऊपर क्रम सं. 12 के अनुसार राशि के भुगतान के बाद सफल बोलीदाता को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री की पुष्टि के 15 (पंद्र ह) दिनों के गीतर प्राधिकृत अधिकारी के पास शेष बिक्री मृत्य का भुगतान करना होगा। यदि वे उक्त राशि के भगतान में विफल होते हैं तो उनके द्वारा जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी तथा प्राधिकृत अधिकारी सम्पत्ति के संदर्भ में अधिनियम की धारा 15(4) के अनुसार उन्हें उपलब्ध एक या अधिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र

वि सभी लागतों, चाजैंज तथा ऋणधारकों अथवा गाएंटरों की ओर से बैंक द्वारा वहन किए गए खर्चे के साथ बैंक की बकाया का बिक्री के लिए निर्धारित तिथि को या उससे पूर्व किसी भी समय भुगतान कर दिया जाता है तो कोई बिक्री

(6) सभी सांविधिक वेयताओं / एटेन्डेन्ट चार्जज / पंजीकरण शुक्क, स्टाम्प शुक्क, कर आदि सहित सभी बकाये का वहन सिर्फ क्रेता को ही करना होगा ।

 बिक्री प्रमाणपत्र उस नाम से जारी किया जाएगा जिसमें बोली जमा की गई हो। 18, बैंक ने उसे ज्ञात अधिभारों को प्रकट कर दिया है। प्राधिकृत अधिकारी अथवा बैंक ई—नीलामीकृत सम्पत्तियों के संदर्भ में किसी चार्ज, लियन अथवा सरकार या किसी अन्य के किसी बकाये के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। इच्छक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि सांविधिक देयताओं, सम्पत्ति कर के बकाये, बिजली के बकाये आदि सहित सम्पत्ति के अधिभारों के संदर्भ में अपनी स्वतंत्र जांच कर लें।

19. बोलीदाता उपयुक्त इंटरनेट कनैविटविटी, पावर बैंक अप आदि की व्यवस्था कर लें। इंटरनेट व्यवधान, पावर फैल्योर अधवा तकनीकी कारणों अधवा ई—नीलामी को प्रभावित करने वाले कारण / आकस्मिकताओं के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं

20. यदि उपयुक्त हुआ तो बैंक किसी भी एक या अधिक संपत्तियों को बोली लगा सकता है।

ई-नीलागी से सम्बंधित जानकारी ई-नीलामी टैब www.bankofbaroda.com के तहत बैंक की वेब साइट के होम पंज पर उपलब्ध है। कर्जदार / गारंटर / बंबककर्ता के लिए 30 दिनों की सोविधिक बिक्री सुधना

कर्जदार / गारटरों को एतदद्वारा नीलामी की तिथि से पूर्व उपरिवर्णित राशि अद्यतन किए गए ब्याज और अनुषंगी व्ययों सहित अदा करने हेत् अधिसूचित किया जाता है जिसमें विफल रहने पर सम्पत्ति की नीलामी / बिक्री की जाएगी और शेष देवताए यदि कोई. ब्याज और लागत सहित वसल की जाएंगी

दिनांक : 12-11-2019, स्थान : नई दिल्ली

epaper.jansatta.com

प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

न्यायमूर्ति करोल बने पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश

पटना, 11 नवंबर (भाषा)।

न्यायमूर्ति संजय करोल ने सोमवार को पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राजभवन में राज्यपाल फागू चौहान ने करोल को पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। उन्होंने न्यायमुर्ति अमरेश्वर प्रताप साही का स्थान लिया है जिन्हें मद्रास हाई कोर्ट में स्थानांतरित किया गया है।

न्यायमर्ति करोल पटना हाई कोंर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी

नगर निगम अधिशासी अभियंता (एम)-॥/एनजीजेंड का कार्यालय,

कारगिल अपार्टमेंट के सामने, सेक्टर-12, द्वारका, नई विल्ली-110078 एनआईटी सं.: ईई एम-III/एनजीजैंड/टीसी/19-20/13 विनांक: 08.11.2019 निविदा हेत् प्रैस सूचना

आयुक्त/वक्षिणी दि.न.नि. की ओर से इंडें (एस)-।।।/एनजीजैंड द्वारा दि.न.नि. के उचित वर्ग के पंजीकृत ठेकेदारों से ऑनलाइन प्रतिशत दर निविदाएं आमंत्रित को जाती हैं। निविदाएं समय सारणीं के अनुसार स्वीकार की जाएंगी एवं डिवीजन ईई (एस)-111/एनजीजैंड के कार्यालय में दिनांक 29:11:2019 को 15:30 बजे खोली जाएगी। दर वैधता अवधि एनआईटी के खुलने की तिथि से 05 माह तक होगी तथा समझौता वार्ता को स्थिति से समझौता वार्ता को तिथि से होगी। इन निविदाओं से संबन्धित संशोधन, त्यष्टीकरण, शुद्धि-पत्र, परिशिष्ट, समय विस्तार आदि सभी विवरण, यदि कोई होगा, तो केवल दक्षिणी दि.न.नि. वेबसाइट पर ही अपलोड की जाएंसी तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किए जाएंसे। यह फर्म/बोलीदाता की जिम्मेदारी हैं कि वे वेबसाइट के माध्यम से स्वयं को अपडेट रखें। वेबसाइट पर किसी सूचना के उपलब्ध न होने की दक्षिणी दि.न.नि. की जिम्मेदारी नहीं है।

निविवा वस्तावेज डाउनलोड करने की अंतिम तिथिः 27,11,2019 को 15:00 बजे, बोली जमा करने की अंतिम तिथि: दिनांक 27,11,2019 को 15:01 बजे, निविदा मूल्य एवं धरोहर राशि डी,डी, जमा करने की अंतिम तिथि: दिनांक 29.11.2019 को 15.00 बजे तथा वित्तीय बोली खुलने की तिथि: विनांक 29,11,2019 को 15,30 बजे। निविदा लाइन सं. । के विवरण दक्षिणी दि.न.नि. वेबसाइट https://www.

tenderwizard.com/SOUTHDMCETENDER पर देखे जा सकते हैं। अधि, अभियंता (एम-॥) आरओ सं.: 99/डीपीआई/दक्षिण/19-20 एनजीजैंड/वक्षिणी वि.न.नि.

उत्तर प्रदेश पावर ट्रॉसमिशन

कारपोरेशन लिमिटेड

ई-निविदा सूचना

इस कार्यालय के द्वारा निम्नलिखित

कार्य /सामग्री की आपूर्ति सम्पादन

हेतु अनुभवी, दक्ष एवं जी.एस.टी.

2019-20 में आमन्त्रित की जाती

है जिसका विस्तृत विवरण ई-टेन्डर

www.etender.up.nic.in

site पर उपलब्ध है। ई-निविदा

संख्या- ईटी-131/ विद्युत प्रेषण

खण्ड प्रथम कानपुर के अन्तर्गत

132 के.वी. पनकी पुखरायां पर

सफाईं आदि का कार्य। ई-निविदा

संख्या- ईटी-132/ विद्युत 400

के.वी. उपकेन्द्र पनकी के अन्तर्गत

245 के.वी. बस आईसोलेटर की

डिस्मैन्टलिंग आदि का कार्य। ई-

निविदा संख्या- ईटी-133/ विद्युत

प्रेषण खण्ड प्रथम के अन्तर्गत 132

के.वी. उपकेन्द्र आजाद नगर पर

ईटी-134/ विद्युत प्रेषण खण्ड

प्रथम के अन्तर्गत 132 के.वी.

जैनपुर-रनियां लाइन एवं 132

के.वी. पनकी-आजाद नगर लाइन

की टेन्शन फिटिंग के जम्पर कोन

बदलने का कार्य । ई-निविदा

संख्या- ईटी-135/ विद्युत 400

के.वी. उपकेन्द्र पनकी पर लान

मेन्टीनेन्स का कार्य। ई-निविदा

संख्या- ईटी-136/ विद्युत प्रेषण

खण्ड प्रथम के अन्तर्गत 132

के.वी. रसूलाबाद-बिल्हौर डीसी

लाइन की पेट्रोलिंग आदि का कार्य

ई-निविदा संख्या- ईटी-137

अन्तर्गत 132 के.वी. उपकेन्द्र

सिकन्दरा पर 132 के.वी. डीसी

रसूलाबाद – सिकन्दरा लाइन को

132 के.वी. सिकन्दरा पर जोड़े

जाने सम्बन्धी समस्त कार्य। ई-

निविदा संख्या- ईटी-131 से 133

तक दिनांक 26.11.2019 एवं

अल्पकालीन ई-निविदा सं. 134

दिनांक 18.11.2019 एवं ई-

निविदा संख्या- ईटी-135 से 137

तक दिनांक 29.11.2019 को

खोली जायेगी । हस्ता./- अधीक्षण

अभियंता विद्युत पारेषण मण्डल

प्रथम पनकी कानपुर ''राष्ट्र हित में

बिजली बचाएं" उपभोक्ता सेवा

सम्पर्क

www.etender.up.nic.in

विप्रेम.प.(का./टी.-1

पत्रांक:

11.11.2019

विद्युत प्रेषण खण्ड प्रथम

अल्पकालीन ई-निविदा

का

कार्य

संख्या-

अनलोडिंग

ठेकेदारों

ई–निविदा

पंजीकृत

निम्नलिखित

बेवसाईट

लोडिंग

एमएमदीसी MMTC louching lives, adding raise CIN No: L51909DL1963GOI004033 पजीकृत कार्यालयः कार-१, स्काप कॉम्प्लेंक्स, १, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003, मारत

FOR: +91 11 24364587 प्याज के आयात के लिए ई-निविदा दिगाका ८ गडम्बर २०१९

फान नं. 491 11 24362200, 24360527

निविद्या दरलावेज की प्रति उप गराप्रबंधक (एसा)

बद होने की तिथिः 14 नवम्बर, 2019 को 1500 बर्ज (आईएसटी) एमएनटीसी प्याज के आयात के लिए प्रस्ताव आगंजित करता है। हे—जिवदा एमएमटीसी ई—प्रामधीरमेंट वेनलाइट https://mmte.abcprocure.com ार उपलब्ध है

राभी प्राप्त की जा सकती है था हमारी वेबसाइट www.mmtclimited.gov.in.gu https://eprocure.gov.in/epublish/app से डाजनलाड की जा सकती है।

कार्यालय अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण मण्डल-कानपुर विद्युत देहात दक्षिणांचल वितरण निगम लि.. कानपुर अल्पकालीन निविदा सूचना निविदा) क्र.सं.: 1, निविदा संख्या: 54, विविमंकादे/19-20 विवरणः विद्युत वितरण खण्ड-रनियाँ, कानपुर, देहात हेतु विद्युत सामग्री की आपूर्ति। सम्पूर्ण विवरण ई.-निविदा ँ की वेबसाईट https://etender.up.nic.in देखें। किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु निम्न ई-मेल पर प्रेषित करेः 1. seedckanpurdehat@gmail.com मुफ्त हेल्पलाइन नम्बर-1912 राष्ट्र हित में बिजली बचाएं हस्ता./-अधीक्षण अभियंता संख्या

0353/विविमंकादे./प्रकाशन

11.11.2019

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल-कानपुर दक्षिणांचल वितरण निगम लि. कानपुर देहात अल्पकालीन निविदा सूचना (ई-निविदा क्र.सं. 1 निविदा संख्या 39/विविमंकादे 19-20 कार्य/क्रय का विवरण कार्यालय विद्युत वितरण खण्ड- रनियां, कानपुर देहात के अन्तर्गत 33/11 के.वी. विद्युत उपकेन्द्र-रनियां, रायपर एवं जैनपर के अन्तर्गत रनिंग आधार पर सरकारी एवं जमा योजना के नये संयोजनों को निर्धारित अवधि में ऊर्जीकृत करने का कार्य। क्र.सं. 2 निविदा संख्या 40/विविमंकादे/ 19-20 कार्य/क्रय का विवरण कार्यालय विद्युत वितरण खण्ड-रनियां, कानपुर देहात के अन्तर्गत 33/11 के.वी. विद्युत उपकेन्द्र- गौसगंज, सरवनखेडा एवं गजनेर के अन्तर्गत रनिंग आधार पर सरकारी एवं जमा योजना के नये संयोजनों को निर्धारित अवधि में ऊर्जीकृत करने का कार्य। क्र.सं. 3 निविदा संख्या 41/विविमंकादे/19-20 कार्य/क्रय का विवरण कार्यालय विद्युत वितरण खण्ड-रनियां, कानपुर देहात के अन्तर्गत 33/11 के.वी. विद्युत उपकेन्द्र- बारा, न्यू बारा एवं बनीपारा के अन्तर्गत रनिंग आधार पर सरकारी एवं जमा योजना के नये संयोजनों को निर्धारित अवधि में ऊर्जीकृत करने का कार्य। क्र.सं. 4 निविदा 42/विविमंकादे/19-20 कार्य/क्रय का विवरण कार्यालय विद्युत वितरण खण्ड-रनियां, कानपुर देहात के अन्तर्गत 33/11 के.वी. विद्युत उपकेन्द्र- डेरापुर देहात एवं डेरापुर तहसील के अन्तर्गत रनिंग आधार पर

सरकारी एवं जमा योजना के नये संयोजनों

को निर्धारित अवधि में ऊर्जीकृत करने का

कार्य। सम्पूर्ण विवरण हेतु ई.-निविदा की

वेबसाइट https://etender.up.nic.in

पर देखें। किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु

निम्न ई-मेल पर प्रेषित करें- 1- seedck-

हेल्पलाइन नम्बर-1912 **राष्ट्र हित**

अभियन्ता संख्याः 0353 वि.वि.मं.का.दे.

anpurdehat@gmail.com

बिजली बचायें हस्ता./-

प्रकाशन दिनांक 11.11.19

थे। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और अन्य मंत्री, पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से कानून में डिग्री प्राप्त करने वाले न्यायमूर्ति करोल ने एक वकील के रूप में 1986 में अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी और 7 मार्च 2007 को उनकी नियुक्ति हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में हुई थी। उन्होंने 25 अप्रैल 2017 को डेढ साल के लिए हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के कार्यवाहक मख्य

न्यायाधीश के रूप में भी कार्यभार ग्रहण किया। न्यायमर्ति करोल ने 14 नवंबर 2018 को त्रिपुरा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी।

हाई कोर्ट ने बंगाल सरकार से डेंगू पर रिपोर्ट मांगी

कोलकाता, ११ नवंबर (भाषा)।

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और उसके आसपास के जिलों में डेंगू फैलने का संज्ञान लेते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार इस बीमारी पर नियंत्रण के लिए की गयी कार्रवाई पर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश टीबीएन

और न्यायमूर्ति राधाकृष्णन

अरिजीत बनर्जी के पीठ ने राज्य सरकार और कोलकाता नगर निगम (केएमसी) को डेंगू फैलने एवं उस पर नियंत्रण पाने के लिए की गयी कार्रवाई पर 22 नवंबर तक रिपोर्ट मांगी। पीठ ने कहा कि इस मामले में अब 22 नवंबर को सुनवाई होगी। वकील बिकास

भट्टाचार्य और रविशंकर चटर्जी ने सोमवार को अलग अलग याचिकाएं दायर करते हुए

कहा था कि इस साल 40 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। याचिका में कहा गया कि करीब 45 हजार लोग उसकी चपेट में आ चुके हैं तथा ज्यादातर मामले दुर्गापूजा के बाद आए दिनांक:

हैं। उन्होंने दावा किया कि हाई कोर्ट ने 2017 में राज्य सरकार और केएमसी को निर्देश दिया था कि हर साल खासकर मानसून और उसके बाद फैलने वाली इस बीमारी के रोकथाम के लिए कदम

> उठाए। गुलमर्ग में हिमस्खलन के बाद दो कुली लापता

श्रीनगर, 11 नवंबर (भाषा)।

कश्मीर के जिले में नियंत्रण रेखा पर सोमवार को हिमस्खलन होने से दो कुली लापता हो गए। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि उत्तरी कश्मीर के गुलमर्ग सेक्टर में

यह घटना

घटी।

अधीक्षण

नई दिल्ली

1006/

दिनांकः

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज ब्राजील जाएंगे प्रधानमंत्री

नई दिल्ली, 11 नवंबर (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 13-14 नवंबर को ब्राजील में होंगे। इस सम्मेलन का विषय 'अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक वृद्धि' है। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी बयान में बताया गया है कि मोदी छठी बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। पहली बार उन्होंने 2014 में ब्राजील के फोर्टालेजा में शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था। सूत्रों ने कहा कि वह मंगलवार की दोपहर ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया के लिए रवाना होंगे।

दौरे में भारत से उद्योगपतियों का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद रह सकता है। यह प्रतिनिधिमंडल ब्रिक्स बिजनेस फोरम में विशेष रूप से शिरकत करेगा जहां सभी पांच देशों का व्यावसायिक समुदाय मौजूद रहेगा। प्रधानमंत्री रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमिर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी चिनिफग से भी अलग से मुलाकात करेंगे।

हरियाणा में पंचायत की मंजूरी के बिना नहीं खुलेंगी शराब की दुकानें

हिसार: हरियाणा के उपमुख्यमंत्री संबंधित क्षेत्र के अंतर्गत अपने गांवों इष्यंत चौटाला ने सोमवार को कहा की मंजुरी के बिना राज्य के किसी भी गांव में शराब की दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी। जो पंचायतें

में शराब की दुकानें नहीं चाहती हैं, कि अगले वित्तीय वर्ष से पंचायत - उन्हें इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित करना होगा और अगले साल फरवरी के पहले सरकार को इसे सुपूर्व करना होगा। (**भाषा**)

लिट्टे पर पांच और साल के लिए प्रतिबंध की पुष्टि

नई दिल्ली, 11 नवंबर (भाषा)।

सरकार द्वारा गठित एक न्यायाधिकरण ने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तिमल ईलम (एलटीटीई) पर केंद्र द्वारा लगाए गए पांच साल के प्रतिबंध की पष्टि कर दी है। दिल्ली हाई कोर्ट के सत्रों के मुताबिक न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सिंघल की अध्यक्षता वाले न्यायाधिकरण ने सात नवंबर को लिट्टे पर प्रतिबंध की पृष्टि की और इस बारे में आदेश सीलबंद लिफाफे में अधिसूचना जारी करने के लिए केंद्र के पास भेज दिया गया।

न्यायाधिकरण ने एमडीएमके नेता और राज्यसभा सांसद वाइको समेत सभी पक्षकारों का पक्ष सुनने के बाद यह फैसला लिया। वाइको लिट्टे के प्रति सहानुभूति रखने वाले हैं। गैरकानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम (यूएपीए) के तहत बनाए गए न्यायाधिकरण ने 27 मई को अपने गठन के बाद दिल्ली

और चेन्नई में सुनवाई की। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 1991 में हत्या के बाद भारत ने लिट्टे पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद से, हर पांच साल बाद इस संगठन पर प्रतिबंध को बढ़ा दिया जाता है। इस आतंकी संगठन को 2009 में श्रीलंका में

सैन्य शिकस्त का सामना करना पडा था। इससे पहले संगठन पर 2014 में पांच साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया था। लिट्टे पर प्रतिबंध की अवधि बढ़ाते हुए गृह मंत्रालय ने अपनी 14 मई की अधिसूचना में कहा था कि संगठन लगातार हिसक और विध्वंसक गतिविधियों में लिप्त है और भारत की अखंडता व संप्रभृता को लेकर पूर्वाग्रह रखता है। वह लगातार भारत विरोधी रुख अपनाता रहा है और भारतीयों की सुरक्षा के लिये गंभीर खतरा बना हुआ है। इस न्यायाधिकरण का गठन प्रतिबंधित संगठन को अपना पक्ष रखने का मौका देने के लिए 27 मई को किया गया था।

'चुनाव प्रचार के दौरान प्लास्टिक इस्तेमाल पर हो निगरानी'

नई दिल्ली, 11 नवंबर (भाषा)।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने चुनाव आयोग और सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को प्लास्टिक खासकर उसके बैनरों एवं होर्डिंग के इस्तेमाल के खिलाफ जारी परामर्श के अनुपालन पर निगरानी रखने का निर्देश दिया है।

एनजीटी का फैसला तब आया है जब उसे

बताया गया कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और मुख्य चुनाव अधिकारियों से चुनाव अभियानों के दौरान उसके विकल्पों का इस्तेमाल करने को कहा है। मंत्रालय ने कहा कि उसने उन्हें पत्र लिखकर अपघटित हो जाने वाले प्लास्टिक, प्राकृतिक रेशे, पुनर्चक्रित कागज और अन्य पर्यावरण अनुकूल सामग्री का इस्तेमाल करने को कहा है।

विक्रय के विषय में कर्जदार को सूचित करने की सूचना (30 दिवसीय सूचना) [प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 का नियम 6(2)/8(6)] सूचना की रु. 33,60,000/− 03.08.2019 . भूमि तथा भवन : खसरा नं. 7626/121 गली नं. 3, संलग्न रेलवे लाइन, जय विहार, राजेन्द्र पार्क, गुरुग्राम पर स्थित लगभग 440 वर्ग फीट 01.03.2019 का आवासीय। सीमा : पर्व : रेलवे लाइन, पश्चिम : गली नं. 3. उत्तर : श्री मकेश का मकान, दक्षिण : श्री चन्द्र देव का मकान म.नं. 223/74, गली नं. 3, जय विहार, राजेन्द्र पार्क गुरुग्राम 12.03.2019 श्री पंकज गप्ता पत्र श्री कंज बिहारी गप्ता (सम्पत्ति के मालिक) से सम्बद्ध गृह सम्पत्ति, मकान नं, एफसीए 60 पर स्थित माप 120 वर्ग गज (1) पिनैकल इण्टरट्रेड प्रा.लि. भूतल, प्लॉट सं. 4, बाटा कॉलोनी-ए, एनआईटी जो ब्लॉक ई गली नं. 4, आदर्श नगर मलेरना रोड, मौजा ऊँचा गाँव, तहसील बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद पर स्थित है। सीमा : पूर्व : प्लॉट सं. 59, पश्चिम : प्लॉट सं 61, उत्तर : सड़क, दक्षिण : अन्य की सम्पत्ति फरीदाबाद-121001 (2) पंकज गुप्ता पुत्र कुंज बिहारी गुप्ता पिनैकल इण्टरट्रेड प्रा.लि. से सम्बद्ध भूमि इसके निदेशक श्री गंगा राम पुत्र श्री बाल किशन (सम्पत्ति के स्वामी) के माध्यम से, मौजा मीट्रोल, एफसीए 60, गली नं. 4, आदर्श नगर, बल्लभगढ़-121004 तहसील होडल, जिला पलवल पर स्थित खेवट/खाता सं. 100/105, रेक्ट सं. 51, किला सं. 3/1/3/3(2-0), 8/1/1/2/1(0-9) का भाग (3) गंगा राम पुत्र बाल किशन, डी-27, 49/2, पलवल-121102 निर्मित करने वाली सम्पत्ति माप 2 कनाल 9 मरला (1482 वर्ग गज) पर स्थित। सीमा : पूर्व : 33 फीट रोड, पश्चिम : अन्य का प्लॉट, उत्तर 33 फीट रोड, दक्षिण : अन्य का प्लॉट। 03.04.2019 खसरा नं. 940, ग्राम नवादा, ब्लॉक ए, राम नगर, ओम विहार, उत्तम नगर, दिल्ली-110059 में से आवासीय फ्लैट सं. प्लॉट सं. 42, तृतीय मंजिल (सामने की ओर)। सीमा : पूर्व : प्लॉट सं. 43, पश्चिम : प्लॉट का भाग, उत्तर : 20 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण : 10 फीट चौड़ी गली। 01.12.2018 श्रीमती पारुल, प्लॉट सं. 42, ततीय मंजिल (सामने की ओर), राम नगर, ओम विहार उत्तम नगर, दिल्ली-110059 सह-आवेदकः श्री रवीन्द्र कुमार प्लॉट सं. 42, तृतीय मंजिल (सामने की ओर), राम नगर, ओम विहार, उत्तम नगर,

जबिक उपर्युक्त तिथियों के अनुसार धारा 13(2) के तहत माँग सूचना के माध्यम से मेरे/बैंक द्वारा माँग किये जाने के बावजूद आपकी ओर बकाया अदा करने में आपसे चूक हुई है। अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में प्रत्येक खाते के सम्मुख उल्लिखित तिथियों के अनुसार उपर्युक्त सम्पत्तियों का कब्जा ले लिया गया है। सम्पत्ति पर कब्जा करने के बावजूद, आपने अपनी ओर आन्ध्रा बैंक के बकाये का भुगतान नहीं किया। अतः इस सुचना की तिथि से 30 दिनों के पश्चात ई-नीलामी के आमन्त्रण द्वारा निम्नलिखित सम्पत्ति को बेचना अनिवार्य हो गया। नीलामी की तिथि तथा समय एवं सेवा प्रदाता का विवरण एक विक्रय सूचना के माध्यम से सूचित किया जायेगा जिसे अलग से निर्गत किया जायेगा और सम्पत्ति को उच्चतम मूल्य प्रस्तावित करने वाले व्यक्ति को बेच दिया जायेगा। चूँकि सम्पत्ति निजी विक्रय द्वारा भी बेची जा सकती है अथवा व्यक्तियों से कोटेशन भी प्राप्त किया जा सकता है, बशर्ते नियम एवं शर्तें हम दोनों को स्वीकार्य हों। यदि आपके पास किसी व्यक्ति को अथवा कोटेशन प्राप्त करके सम्पत्ति को बेचने का कोई प्रस्ताव है तो इसे इस पत्र/सूचना की प्राप्ति की तिथि से 7 दिनों के भीतर मुझसे सम्पर्क किया जाये। जिसमें असफल होने पर यह माना जायेगा कि आपके पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है और मैं निविदा आमन्त्रण/सार्वजनिक नीलामी/ई-नीलामी/निजी सन्धि द्वारा सम्पत्ति/मशीनरी की विक्रय प्रक्रिया को आगे बढ़ाऊँगा। पुनः, कृपया ध्यान दें कि यदि आप आज की तिथि तक अथवा उपर्युक्त विक्रय हेतू निर्धारित तिथि से पूर्व बैंक की लागत तथा व्ययों सहित भावी ब्याज के साथ माँग सूचना में निर्दिष्ट राशि अदा करते हैं तो अनुसूची में उल्लिखित सम्पत्ति के विक्रय हेतू आगे कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 11.11.2019

मुख्य प्रबन्धक, अधिकृत प्राधिकारी, आन्ध्रा बैंक

ongc ओएनजीसी

पूर्वी अपतट आस्ति, काकीनाडा (आ.प्र.) रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई)

ओएनजीसी, ईओए, काकीनाडा पूर्वी तट में केजी-डीडब्ल्यूएन-98/2 क्लस्टर-II फील्ड में तेल, गैस एवं जल इंजेक्शन कूपों के विकास हेतु अपटतटीय कूपों में सरलीकृत लैण्डिंग स्ट्रिंग सेवाएँ प्रावधानित करने में अनुभवी तथा विशेषज्ञ सम्भावित प्रतिष्ठित संविदाकारों से ईओआई आमन्त्रित करता है। कार्य का नाम : सरलीकृत लैण्डिंग स्ट्रिंग सेवाओं का प्रावधान। ईओआई बैठकः 18.11.2019 को 15:00 बजे। स्थानः कॉन्फ्रेंस हॉल, चौथी मंजिल, एनवीआर कॉम्पलेक्स, सामने अपोलो अस्पताल, मेन रोड, काकीनाडा-533001 (आ.प्र.) दस्तावेज जमा करने की अन्तिम तिथिः 15.11.2019. अधिक विवरण के लिए कृपया https://tenders.ongc.co.in देखें



दिनांक 03.11.2019 को इस समाचार पत्र के दिल्ली संस्करण में छपे विज्ञापन ई—नीलामी बिक्री सुचना के संदर्भ में आम जनता को सुचित किया जाता है कि बैंक शाखा शालीमार बाग के खाता कर्जादार : मैसर्स दीप्ति पेपर सेल्स (सम्पत्ति नं, 28) की सम्पत्ति की ई-नीलागी दिनांक 19.11.2019 को होनी थी। हम इस सम्पत्ति की ई-नीलागी को निरस्त

	रते है। अन्य सभी खातों / विवरण उपरोव अनुसार रहेगीं।	तानुसार अखबार में छपे ई—नीलामी सूचना प्राधिकृत अधिकारी, कार्पोरेशन येक
	FORM G - INVITATION FOR E	on Insolvency and Bankruptcy
-	Unsolvency Resolution Process for Co	
1	RELEVANT PA Name of the corporate debtor	Silika Pagers Private Limited
ż	Date of incorporation of corporate debtor	21st September 1984
3	Authority under which corporate debter is	Registrar of Companies, Delhi, under The
-	incorporated / registered	Companies Act, 1956
å	Corporate identity number / limited liability identification number of corporate debtor	V21012011984V1C128665
5	Address of the registered office and principal office (If any) of Corporate Debtor	Registered Office: Shop No. 4, Vishair Bhawan 22; Sarai Junesa, Jamia Nagar, New Friends Colony . New Delta-130025
б	Insolvency commencement date of the corporate debtor	24th April 2019
7	Date of invitation of expression of interest.	12th November, 2019
200	Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at:	Details are available at www.sunresolution.in or can be obtained by sending an enrail to orp.sikkapapers@gmail.com
ā.	Norms of meligibility applicable under section 29A are available at:	Details are available at www.sunresolution.in or can be obtained by sending an email to cirp.sikiapapers@gmail.com
M	Last date for receipt of expression of interest	27th November, 2019
11	Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	30th November, 2019
12	Last date for submission of objections to provisional list	5th December 2019
13	Date of Issue of final list of prospective resolution applicants	7th December ,2019
1	Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants	5th December, 2019
15		Eligible prospective resolution applicants set out at per S No. 8 and after executing the Non-Oschosure Agreement/undertaking can get an request by email in electronic form.
16	Last date for submission of resolution plans	4th lanuary , 2019
	Manner of submitting resolution plans to resolution professional	By Post or by hand delivery in sealed envelope followed by an email confirmation
18	Estimated date for submission of resolution plan to the Adjudicating Authority for approval	As soon as approved by the CoC
19	Name and registration number of the resolution professional	Ajit Kumar IBBN/IPA-008/IP-N00062/2017-18/10548
20	Name, Address and e-email of the resolution professional, as registered with the Board	Ajit Kumar IA, Sanskrif Apartment GH-23, Sector Sil, Gurugram, Haryana 122011 Email:emaajityna Symail.com
21	Address and email to be used for correspondence with the resolution professional	Ajir Kumar 83. National Media Centre, Shankar Chowk, Nr. Ambrance Mall/DLF Cyber City, Gusugram, Haryane = 122002 Email: orp.s.skapapers@gmail.com
22	Further Details are available at or with	Can be obtained by sending email at cirp.sikilapapers@gmail.com
-	Date of publication of Form G	12th November, 2019

Ajit Kumar

Resolution Professional

Sikka Papers Private Ltd.

Date: 11th November, 2019

epaper.jansatta.com

IBB)/IPA-003/IP-N000062/2017-18/10548

1A, Sanskritt Apartment GH-22, Sector 56, Gurugram, Harvana - 122011

इण्डियन ओवरसीज बैक पक्का बाग बिजनीर रोड, अमरोहा हा हिल्ली कि कि पक्का बाग बिजनीर रोड, अमरोहा Email: iob2980@iob.in

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए) (नियम 8 (1))

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के साथ परते हुए अनुखंद 15(12) के अन्तर्गत प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इण्डियन ओबरसीज वैंक वें प्राधिकृत अधिकारी ने सम्बन्धित ऋणी/ ऋणिबों/ बंधककर्ता को प्रत्येक के नाम के सामने दर्शायें गयें खाते में उनके नामों के सामने दी गई तारीकों पर नोटिस की तारील / उकत नोटिस की तारीख से 60 दिनों में बकाया राशि अदा करने के लिए माग नोटिस जारी किया गया था। ऋणी/ ऋणियों द्वारा राशि अदा करने में असफल रहने पर ऋणी/ ऋणियों और जन सामान्य को नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकत अधिकारी ने खाते के सामने दी गई तारीस को उपत नियमों के नियम-8 के साथ पढ़ते हुए उकत अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत उन्हें प्रदल शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई सम्पत्ति। सम्पत्तियों का कन्ना 06 नवन्नर 2019 ले लिया है। ऋणी/ ऋणियों को विशेष कप से एवं जन समान्य कप से यह चंतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्ति/ सम्पत्तियों के सम्बन्ध में किसी प्रकार का लेन-देन न करे। इन सम्पत्ति/ सम्पत्तियों से किसी प्रकार का लेन-देन इण्डियन ओवरसीज बंक, को देव राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज एवं अन्य बार्ज के पूर्ण मुगतान के पश्चात ही किया जा सकता है। माग गोटिस जारी करने के बाद गुगतान की तारीखा. अगर कोई हो, की मांग नोटिस में उत्लेखिन तारीख से कब्जा लेने की तारीख के अनुसार देव बकाया अनुबंध की दरों पर और ब्याज , शुल्य आदि, मगतान की तिथि तक देव राशि के साथ देव है।

ऋणकर्ताओं का ध्वान अधिनियम की घारा 13 के उप-धारा (८) के प्रावधानों के लिए आमंत्रित किया जाता है, जो उनके लिए उपलब्ध समय के सबंध में

ऋणी / बंधककर्ता व मारन्टर	बंधक सम्पत्ति का विवरण	गाग नाटिस	कब्जा नोटिस	के अनुसार
का नाम व पता		की तारीख	की तारीख	बकाया राशि
थी डालचंद पुत्र स्वर्गीय बसंता (खसरा नंबर 242, शास्त्री नगर, मोहल्ला किशनगढ़, अमरोहा -244221)	संपत्ति के सभी भाग और पार्सन रिधत ख़सरा नंबर 242. शास्त्री नगर, मीहल्ला किशनगढ़ अनराहा 244221. क्षेत्रफल 70.35 वर्ग मीटर। संपत्ति श्री डालचंद पुत्र स्वर्गीय बसंता के नाम। सीमायः— उत्तर अनीस की संपत्ति, दक्षिण: अनीस की संपत्ति, पूर्व पंडित जी की संपत्ति, पश्चिम रास्ता 4.26 मीटर बीडा	16.08.2019		

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे क्लाईट, मेसर्स मृथ्रुट फाईनान्स लि. (GSTIN 32AABCT0343B1Z7), पंजीकृत कार्यालयः तल 2, मुथूट चेम्बर्स, बैनर्जी रोड, कोच्चि – 682018, केरल, भारत, CIN: L65910KL1997PLC011300, दूरमाषः +91 484-2396478, 2394712, फैक्सः +91 484-2396506. mails@muthootgroup.com, www.muthootfinance.com अस्प चुकाने में असफल ऋणियों के गिरवी रखे सोने के गहनों (30.09.2018 की अवधि तक NPA खातों) की निम्नलिखित विवरणों के अनुसार मीलामी करंगी। इच्छुक सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं। नीलामी की तिथि: 18.11.2019

Delhi-Rajouri Garden (Bali Nagar): MAL-1608. MSL-37753, 37821, 37898, MUL-1277, 1296, 1329, 1382, 1385, 1450, 1467, 1732, 1805 2262, 2403, 2435, 2498. MWS-87, 120, 390, 418, Mayapuri: MAL-921, 1060, MUL-705, 749, 768, 1004, 1011, 1012, 1025, 1030, 1031 1052, 1213, 1298, 1323, 1331, 1511, Janakpuri: MOS-43, MUL-79, 225, 510, 541, 574, 587, 629, 657, 910, 937, Tilak Nagar: MAL-990, 1029, 1064, MSL-27919, 27927, MUL-397, 724, 940, 966, 1095, 1162, 1301, 1426, Utham Nagar: MSL-18438, 18470, 18472, MUL-322, 363, 583, 669, 633, 851, 860, 942, 953, 992, 993, 1040, 1043, 1049, 1070, 1103, 1197, 1278, 1297, 1344, 1373, 1374, 1458, 1487, 1539, 1586, 1613, 1703, Jail Road(Jankpuri-II): MAL-1336, 1473, MSL-24595, 24614, MUL-62, 369, 425, 535, 658, 1366, 1400, 1577, 1671 1732, 1750, Main Najafgarh Road (Tilak Nagar): MAL-643, MBL-1622, MSL-15577, 15636, MUL-589, 691, 733, 779, 839, 922, 927, 987, Rajouri Garden: MSL-9829, 9859, MUL-286, 514, 587, 781, 810, 831, 844, 1000, 1144, 1170, 1185, 1282, 1364, 1398, 1419, 1748, 2107 Vasahisht Park Janakpuri: MAL-472, 650, MSL-10082, 10354, 10398, 10455, 10487, MUL-115, 194, 788, 873, 880, 950, 994, 1003, 1109, 1194, 1215, 1239, 1318, 1350, 1519, 1551, 1677, 1712, 1923, Kirti Nagar: MSL-10354, 10403, MUL-876, 1043, 1077, 1135, 1200, 1220, Milap Nagar: MAL-1596, MBL-4102, MSL-23153, 23210, 23244, 23299, 23300, 23351, 23481, 23495, 23554, 23616, MUL-427, 625, 642, 672, 1209, 1254, 1410, 1469, 1499, 1547, 1551, 1555, 1716, 1781, 1794, 1808, 1919, 1961, 1988, MWS-52, 112, 140, 579, 627, 656, 947, 1012, 1132, 1248, Mahavir Nagar: MUL-346, 795, 803, 874, 945, 968, 1010, 1015, 1085, Tagore Garden: MSL-14521, 14828, MUL-3, 1158, 1159, 1325, 1393, 1876, 1878, 1880, 2027, 2036, Hari Nagar Ghantaghar, MAL-471, MGL-420, MSL-11282, 11389, MUL-426, 526, 561, 761, 823, 909, 1049, 1091, 1283, 1347, Vishnu Garden: MPL-4, MSL-13724, MUL-430, 603, 1017, 1135, 1230, 1259, 1273, 1291, 1299, 1381, 1398, 1427, 1435, 1456, 1536, 1561, 1613, 1661, 1731, 1854, MWS-97, 121, Ganesh Nagar; MSL-9671, 9875, MUL-44, 338, 461, 521, 532, 578, 599, 636, Mansarovar Garden: MSL-6694, MUL-221, 589, 765, Ramesh Nagar: MAL-631, MOS-51, MPL-39, MSL-8411, MUL-243, 395, 582, 597, 668, 697, 709, 742, 854, 959, Naraina: MBL-1536, MGL-765, 1380, MSL-9178, MUL-637, 661, 700, 841, 978, 1008, 1017, 1038, 1104, 1109, 1156, 1216, 1284, 1292, 1596, 1698, 2074, Moti Nagar; MUL-340, 388, 505, 605, 608, 1004, 1061, 1129, 1176, 1273, 1303, 1348, 1377, 1395, 1433, 1474, 1605, 1609, 1629, 1659, 1662, 1735, 1878, 1920, 2424, Indrapuri: MAL-940, 996, MSL-14000, MUL-704, 811, 926, 938, 1024, 1119, 1121, 1126, 1132, 1139, 1154, 1207, 1244, 1246, 1252, 1253, 1276, 1310, 1358, 1379, 1570, 1586, 1672, 1697, 1791, Subash Nagar: MUL-353, 422, 423, 649, 670, 989, 1078, 1132, 1323, 1432, 1617, 1672, Mukhram Garden: MAL-875, 920, MUL-744, 786, 841, 872, 1040, 1044, 1048, 1155, 1227, 1283, 1415, 1531, 1573, 2104, Minakshi Garden: MBL-634, MUL-281, 349, 370, 405, Old Tilak Nagar: MAL-679, 707, MSL-6741, MUL-674, 823, 843, 918, 984, 1048, 1052, 1063, 1075, 1078, 1173, 1196, 1241, 1251, 1295, 1339, 1444, 1490, Santparth;MAL-1256, MSL-10024, MUL-538, 585, 652, 813, 1258, 1305, 1335, 1358, 1384, 1402, 1409, 1453, 1455, 1546, 1558, 1668, 1783, 1818, 1864, 1910, 1971, 1998, 2193, 2233, 2626, Karampura: MUL-388, 398, 414, 430, 432, 439, 490, 512, 717, 737, Khayala Road: MAL-550, 556, MSL-4421, MUL-144, 312, 336, 437, 466, 517, 522, 587, 700, 701, 703, 795, 807, 827, 841, 1053, 1120

कम शुद्धता के गहनों की नीलामी (30.04.2019 की अवधि तक एनपीए खाते) नीलामी की तिथि: 18.11.2019

Delhi-Mayapuri: MUL-1523, Main Najafgarh Road (Tilak Nagar): MUL-371,1345,1395, Mahayir Nagar: MUL-1560,1562,2105, Ramesh Nagar: MUL-2245,2473, Old Tilak Nagar: MUL-1502

नीलामी नीबे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेंच में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्हीं शाखाओं में संवालित की जाएगी। हालांकि, कृपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियाँ) में नीलामी पूरी नहीं हो जाती तो ऐसी स्थिति में यह सबधित नीलामी वहाँ दिनाक 19" 8 20" November, 2019 को क्रमशः नीलामी केंद्र The Muthoot Finance Limited, A-33/34, 1" Floor, Ring Road, Rajouri Garden, Delhi - 110027 में सवालित की जाएगी / जारी रहेगी। और ऐसी स्थिति में जहाँ इस सबके बावजूद कथित गहनों की नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस सबध में कोई अतिरिक्त सचनाएँ नहीं दी जाएंगी।

कोहली एण्ड सोब्री, एडवोकेट, ए 59ए, पहली मंजिल, लाजपत नगर-॥ नई दिल्ली - 110024 नोट: ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइट की बकाया राशि का गुगतान करके अपने गहनों की गिरवी छुड़ा सकते हैं. ग्राहक ईमेल आईडी: auctiondelhi@muthootgroup.com या 7834886464, 7994452461 पर कींल करके संपर्क कर सकते हैं।



इण्डियन ओवस्सीज् बैंक

मक आईमा शाखा : 171, स्टेशन रोड, मक आईमा, इलाहाबाद- 212507

कब्जा संघना (स्थावा सम्पत्ति हेत)

अधोहस्ताक्षरी ने जो विलीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन इण्डियन ओवरमीज बैंक का प्राधिकृत अधिकारी है, प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 8 के साथ पठिन धारा 13(3) के अधीन प्रदल्त शक्तियाँ को प्रयोग करते हुए, निम्न उधारकर्ताओं एवं गार्रटीकर्ताओं को इनके नाम के माधने दिये गये रकम तथा व्याज को मुखना जारी करते हुए 60 दिनों के अन्दर्भ दिल्लमिबत राजि तथा ब्याज के पर-भगतान हेत् सुचित किया था ।

चुकि उधारकतो इम रक्य का प्रतिदाय करने में असफल रहे, अतः उधारकतो । गारीकतो और जनसाधारण को यह सुचना दी जाती है कि अभोहरताक्षरी ने उन्न नियम के नियम है व 9 के साथ विस्तीय आस्तियों का प्रतिभत्तिकरण एवं मुनर्गठन तथा प्रतिभमि हित का प्रवर्तन (अधिनियम) को भारा (3(4) के अधीन उसे प्रदत्त शांकरण का प्रयोग करते हुए नीचे चांगीत संपत्ति का कल्ला ले लिया है : उधारकर्ता (गार्रटोकर्ता और विशिष्ट रूप से जनसाधारण को इसके द्वारा आवधान किया जाता है कि वह नीचे बांधार संपाल के सम्बन्ध में व्यवहार च करें और संपुल्ति में किसी भी प्रकार का व्यवहार प्रणित्रचन ओशरसीज बैंक के प्रभार के अधीन होंगा ।

अवारकता/गारहाकता का गाम आह पता	GHU an Idated	मामिनामा का (बक्राम)
धी राम मिलन पुत्र धी अधर नाथ, मुल्तानपुर खास, मऊ आईमा, जिला : इलातबाद (अब प्रयागराज) - 212507। गारण्टर : 1, निर्मेला देली पत्नी श्री अपर नाथ, मुल्तानपुर खाम, पऊ आईमा, जिला : इलाहाबाद (अब प्रयागराज) - 21250, 2, ज्याम मिलन पुत्र श्री अमर नाथ, मुल्तानपुर खास, मऊ आईमा, जिला : इलाहाबाद (अब प्रयागराज) - 212507	याँग सूचना विनांक 18,03,2019 वकाचा राशि क. 1,71,568.77 + ब्याज एवं अन्य प्रभार 18,03,2019 में	क्ल क्षेत्रफल 47.10 वर्ग मीटर, आवामीय प्रकान व जमीन स्थित चाम- मक आहमा, परगना/तहसील सोगंब, जिला: इलाहाबाद (अब प्रयासात)। चाहती : उत्तर : कृष्ण पाल का जमीन, दक्षिण : औ मृन्दरलाल का प्लॉट, पूर्व : 3.0 मीटर चाड़ा साह की टंकी से मोदस्तपुर, पश्चिम : राम राज का जमीन। कुल क्षेत्रफल: 47.10 वर्ग मीटर
दिनांक : 11.11.2019 स्थान : मऊ आईमा		प्राधिकत अधिकारी, इण्डियन आवरमा न बैंक

केवारा बेक A Canara Bank ई-नीलामी क्षेत्रीय कार्यालय : एटा

सूचना

ण्ततदारा यह सचना दो जाती है कि निम्न विवरणित अंचल सम्पत्तियों का प्रतिभृति ब्याज अधिनियम 2002 एवं प्रतिभृति प्रवर्तन नियम 2002 की वित्तीय आरितयो एवं प्रवर्तन के प्रतिभृतिकरण तथा पुनर्गटन के प्रावधानों के तहत कब्जा से लिया गया है। तथा इन्हें निम्न नियम एवं शर्तो पर ई-नीलामी द्वारा बेचा जायेगा। ई-नीलामी वेबसाइट www.bankeauctionwizard.com द्वारा सेवाप्रदात मेसर्स Antares Systems Ltd.,Bangalore, Ms. Rekha Yadav, Contact No. 09453308405 के द्वारा प्रतिवर्धित है। बिकी की विस्तुत की नियम एवं शर्तों हेतु केनरा बैंक की वेबसाइट www.canarabank.com में प्रकाशित लिंक देखें।

ऋणी/गारन्टर का नाम	वाहनों का विवरण	आरक्षित मृल्य	ई-एमडी खाते	
व पता	जाहुना का जिन्दरम	अग्र-धनराशि	का विवस्ण	
शाखा : धुमरी, एटा, सम्पर्क करें : श	ाखा प्रबन्धक, फोन : 8192800029,ई-मेल	cb0398@ca	narabank.com	
ऋणी-चंद्रपाल पुत्र मोहनलाल, पताः गाँव		1,45,000/-	A/c No.	
एवं पो० बरोलिया, जिला-एटा, गारंटर-	A CONTRACT OF THE PROPERTY OF	14,500/-	3024296000001	
विनोद कुमार पुत्र लाला राम, पता: गाँव एवं पोo बरोलिया, जिला-एटा।	इंजन नंबर : 30CR401JXY658386 चेसिस नंबर : MAT446248C9J38684 मॉडल : डीजल 2014		IFSC Code: CNRB0000398	

निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि व समय : 16,11,2019 सायं 5,00 बजे तक ई-ऑक्शन का दिनांक व समय : 18.11,2019 प्रात: 11.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक (प्रत्येक 5 मिनट की अवधि के विस्तार के साथ नीलामी की समाप्ति तक)

ई-नीलामी के नियम व शर्तों की विस्तृत जानकारी हेतु कृपया केनरा बैंक की वेबसाइट www.canarabank.com में दिये लिंक "E-Auction" पर जाएँ अथवा सम्बन्धित शाखाओं से किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय के दौरान सम्पर्क कर सकते हैं। दिनांक : 12-11-2019 स्थान : एटा

प्राधिकृत अधिकारी

earc 🗘

एनकोर असेट रिकन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड (एनकोर एआरसी)

एनकोर एआरसी कार्यालय पता: 5 वां तल,प्लॉट नं. 137 सेक्टर 44 गुरुग्राम -122002 हरियाणा

विक्रय हेत् सार्वजनिक सूचना

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पहित वित्तीय आस्तियों का प्रतिमृतिकरण और पुतर्गठन तथा प्रतिभृति हित का प्रवर्त अधिनियम 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय रेत नीलामी विक्रय सचना आम लोंगो को तथा विशेष रूप में ऋणियों और जमानतटारों की यह सुवित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो एनकोर एआरमी (प्रतिभृति लेनदार) के पास बंधक/गिरबी है, का भौतिक कबता प्रतिभृति लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है, 'जेसी है और जो कुछ भी है " के आधार पर ऋणी पेससे रेड

चेरं इप्येक्स प्राईबेट लिमिटेड (ऋणी) एवं १. औ पोइम्पर इम्लाम पुत्र भी लियाकत अली, २. भी नाफिस अङ्गयर पुत्र भी लियाकत अली (जपानतराते) से एनकोर एआसी (प्रतिभृति लेनदार) के बकाया क. 14.77 करोड़ (चोदह करोड़ सत्तहतर लाख मात्र) दिनोंक 10,12,2018 तक व वसूली होने तक स्वोकृत दर से आगे का ब्याज व अन्य नागु लागते व खर्जी की वसुली हेंत बेजा जाएगा। आरक्षित मुख्य एवं अग्रेहर राष्ट्रि जापा का विवरण निम्न तालिका अनुसार है:-अचल सम्पत्ति (प्रतिभूत आस्ति) का विवरण :-

ऋणी / जमानतदार का नाम	प्रतिभूत आस्ति का विवरण	जमा धरोहर राजि (ईएमडॉ) (रूपचे में)	आरक्षित मूल्य (रूपये में)
प्रहणीः रेड चेरी इस्पेक्स प्राईबेट लिमिटेड जमानतदारोः १. श्री मीहस्मद इस्लाम पुत्र श्री लियाकत अली 2. श्री नाफिस अहमद पुत्र श्री लियाकत अली	मोहम्पर इस्लाम पुत्र श्री लियाकत अली (जमानतदार) के नाम से मकान सम्पत्ति अवांत् तृतीय तल छत अधिकारों सहित, व्लॉक-डी, गांच तमूर नगर, खिजराबाद, जोगबाई, किलोकरी, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली-110035 में स्थित जिसका कवर्ड एत्या का क्षेत्रफल 168 89 वर्गमीटर, आनुपातिक, अविभाजित, अविभाज्य सहित एवं निष्पक्ष स्वामित्व अधिकार में फ्रीहॉल्ड भूमि का क्षेत्रफल 492 वर्गगज, न 978, व्लॉक डी में। सीमाएं पूर्व में: 80' चोड़ी रोड़, एश्चिम में: 15' सर्विस लेन, उत्तर में: फ्रांट नं. 979, दक्षिण में: फ्रांट नं. 977	32,50,000/- (क्तीस लाख पचास हजार मात्र)	३,25,00,000/- (तीन करोड पन्डीस लाख मात्र)
	C		

अ) बोली दस्तावंत्र जिसमें प्रतिभृत आम्तियों का विवरण तथा विक्रय की नियम व शतों का वर्णन इस विक्रय का पहले का हिस्सा एनकोंग् एआरसी के कार्यालय प्रांचवा तल-पनींट 137, सेक्टर-44, गुरुआप-122002, हरियाणा से दिनोंक 12.11.2019 से 10.12.2019 प्रातः 10 वजे से साथ 5 वजे के मध्य रूपये 2000/- (आरेप) के डोटी/पीओ हारा "EARC-EOT-001-Trust-SAB-Collections A/C" के पक्ष में गृहगांव पर देव के जरिये प्राप्त किये जा सकते है। (ब) उच्छक पक्ष प्रतिपुत आस्तियों का दिनांक 25.11.2019 से 11.12.2019 प्रात: 10 को से सार्य 5 बजे के मध्य निरीक्षण कर सकते हैं। (स) इच्छुक बोलीवाना अपनी खोलीयां धरोहर राशि के डोडी/पीओ हात "EARC-EOT-001-Trust-SAB-Collections A/C" के पक्ष में गुड़गांव पर देय प्राधिकृत अधिकारी को दिनांक 11, 12,2019 को दोपहर 1 बजे तक या उस से पूर्व एनकोर एआरमी पांचवा तल, प्लॉट 137, सेक्टर 44, गुरुप्राम-122002, हरियाणा में जमा करा सकेतें। (ट) बोलीयो एनकोर एआरमी के प्राधिकत अधिकारी द्वारा दिनोंक 12.12.2019 को रोपहर 3.00 को एनकोर एआसी. पांजवा तल, प्लॉट 137, सेक्टर 44, गुरुआय-122002, हरियाणा में कोलीदाताओं अथवा वश्रोचित अधिकृत्ता के साथ उनके प्राविद्धत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जायेगी। सप्पत्तियां आरक्षित मृत्य से कम पर नहीं बेची जायेगी। (य) प्राधिकृत अधिकारी किसी एक अधवा समस्त बोलीयों को स्वीकृत अथवा निस्त अथवा नीलामी को बिना कोई कारण बताये स्थणित, आणे बढ़ाने वा रदद करने का अपना अधिकार आरक्षित रखता है। (१) प्राधिकृत अधिकारी को बोलीदालाओं के मध्य उच्चनम पूल्य प्राप्त करने के लिये पारस्पतिक बोली प्रक्रिया का आयोजन काने का अधिकार आमक्षित है। (ल) सफलनम -बोलीदाला -की धरोहर गाँश को विक्रय प्रतिकल के दिस्से के रूप में ग्रेक लिस जायेगा गया असफल बोलीदानाओं की धराहर गाँश नीलामी की दिनांक मे 7 कार्य दिवसों के भीतर लीटा दी जायेगी। थरोहर राशि पर कोई च्याज टेंस नहीं होगा सफलतम योलोटाना को विक्रय मुख्य का 25 प्रतिशत पूर्व में भुगतान की गई धरोहर राशि को समायोजित करते हुये तुरन विक्रय की पुष्टि होने पर तथा विक्रय मृत्य का प्रोध 7.5 प्रतिशत विक्रय की पुष्टि की दिनांक में 1.5 दिवसों के भीतर अध्या प्राधिकत अधिकारी की नहमति से निवित में की गई समयबद्धि के भीतर जमा कराना होगा। (ब) इस नोटिस को जर्णायों/जमानतदारों/ बन्धककताओं हेतु प्रतिसृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियमसानी के नियम 8(6) तथा निवम 9(1) के अन्तर्गत 30 दिवस का नोटिस माना जावें। समस्त इच्छक पक्षों का सरफंसी अधिनियम की धारा 13 उपधारा 8 के प्रावधानों के संदर्भ में उपलब्ध समय के अनार्गत प्रतिभूत आस्त्रियों के पोचन हेतु ध्यान आकर्षित किया जाता है। इच्छुक पक्ष भी सचिन चयाज एनकीर एआरसी के प्राधिकत अधिकारी मो. नं. 9891474870 से सम्पर्क कर सकते हैं। विक्री के नियम व शतों की अधिक जानकारी के लिए कृपया प्रतिभृति लेनदार की बेचसाईट में प्रदान लिक http://www.encorearc.com/ को देखें।

दिनांकः 12-11-2019 म्बान गृहगांव

एनकोर एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड

Off. 8, Industrial Area, Sikandrabad - 203205, UP Corporate off: Iris House, 16 Business Centre, Nangal Raya, New Delhi 110046 Tel.: +91-11-47119100, Email: customercare@orientbell.com, Website: www.orientbell.com

Statement of (Standalone & Consolidated) Unaudited Financial Results for the Quarter and Six Months Ended September 30, 2019

	17			Standalone		
SI. No.	Particulars	For the Quarter Ended on 30-89-2019	For the Quarter Ended on 30-06-2019	For the Quarter Ended on 30-09-2018	For the Half Year Ended on 30-09-2019	For the Half Year Ended on 30-09-2018
di	Total income from Operations	12,281	12,068	14,769	24,349	26,791
2	Net Profit for the penod (before Tax and Exceptional Items)	106	50	683	155	793
3	Net Profit for the period (before Tax after Exceptional items)	106	50	683	155	793
4	Net Profit for the period (after Tax after Exceptional items)	70	34	433	101	506
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the Period after Tax and Other Comprehensive Income after Tax)	86	51	454	133	548
6	Paid up Equity Share Capital (Face value of Rs.10/- each)	1,428	1,426	1,425	1.428	1,425
7	Earnings Per Share (of ₹ 10/- each) (For continuing and discontinued operations) (Not Annualised) 1. Basic 2. Diluted	0,49 0.49	0.24 0.24	3,04 3,04	0.71 0.76	3,65 3,55
				Consolidated	d	
		Contha	Cartha	Can Man	Farther !	English

	discontinued operations) (Not Annualised) 1. Basic 2. Diluted	0,49 0.49	0.24 0.24	3,04 3,04	0.71 0.70	3.55 3.55
П				Consolidated	1	
SI.	Particulors	For the Quarter Ended on 30-09-2019	For the Quarter Ended on 30-06-2019	For the Quarter Ended on 30-09-2018	For the Half Year Ended on 30-09-2019	For the Half Year Ended on 30-09-2018
1	Total income from Operations	12,281	12,068	14,769	24,349	26,791
2	Net Profit for the period (before Tax and Exceptional items)	141	66	691	206	784
3	Net Profit for the period (before Tax after Exceptional items)	141	66	691	206	784
4	Net Profit for the period (after Tax after Exceptional items)	105	50	441	153	497
5	Total Comprehensive Income for the period. (Comprising Profit for the Period after Tax and Other Comprehensive Income after Tax)	121	67	462	185	539
6	Paid up Equity Share Capital (Face value of Rs.10/- each)	1,428	1,426	1,425	1,428	1,425
7	Earnings Per Share (of ₹ 10/- each) (For continuing and discontinued operations) (Not Annualised) 1. Basic 2. Diluted	0.49 0.49	0.35 0.35	3,04 3,04	0.71 0.70	3,55 3,65

Note:

Place: New Delhi

1. The above results were reviewed and recommended by the Audit Committee and then approved by the Board of Directors at their meeting held on 11" November, 2019. The financial results for the quarter and Six Months ended September 30-2019 have been limited reviewed by the Statutory Auditors of the Company.

2. The above is an extract of the detailed format of quarterly/ half yearly financial results filed with the stock exchanges under regulation 33. of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format, of the quarterly financial results is available on the stock exchange websites. (URL-www.nseindia.com and www.bseindia.com) and also on above mentioned Company's website at hitps://www.orientbell.com.

3. There is no change(s) in accounting policies which impact on net profit / loss, (otal comprehensive income or any other relevant Exceptional items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules.

नई दिल्ली

orientbel

for and on behalf of the Board of Directors of **Orient Ball Cimited** Madhur Daga Managing Director

Date : 11" November 2019

खबर कोना



लंदन : एटीपी फाइनल्स में दिग्गज रोजर फेडरर को पराजित करने के बाद डोमिनिक थीम।

थीम से हारे फेडरर, जल्द बाहर होने का खतरा

लंदन, ११ नवंबर (एएफपी) ।

डोमिनिक थीम से हार के कारण रोजर फेडरर के लिए एटीपी फाइनल्स के अंतिम चार में पहुंचने का रास्ता मुश्किल हो गया है जबिक नोवाक जोकोविच ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा। टूर्नामेंट के पहले दिन छह बार के चैंपियन फेडरर को थीम ने 7–5, 7–5 से हराया जबकि

जोकोविच ने इससे पहले ब्योर्न बोर्ग ग्रुप में मैटियो बेरेटिनी को आसानी से 6-2, 6-1 से पराजित किया। प्रत्येक ग्रुप से दो खिलाड़ी आगे बढ़ेंगे। फेडरर को अब जोकोविच से भिड़ना है। खिताब के अन्य प्रबल दावेदार राफेल नडाल को आंद्रे अगासी ग्रुप में रखा गया है। उनका पहला मुकाबला मौजूदा चैंपियन अलेक्सांद्र जेवरेव से होगा।

भारत के लक्ष्मण सिंह ने जीती हिमालयन दौड़

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 11 नवंबर ।

29वी अंतरराष्ट्रीय हिमालयन रन एंड ट्रेक स्पर्धा दार्जिलिंग परिक्षेत्र में माउंट एवेरेस्ट व कंचनजंघा के साए में आयोजित की गई। दौड़ का आयोजन नवंबर के प्रथम सप्ताह में किया गया। 9 नवंबर को सभी धावकों को हिमालयी परिक्षेत्र से विदाई दी गई। डायरेक्टर सीएस पाण्डेय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार इस बार रेस में जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका आदि विभिन देशों के धावकों ने भाग लिया। विज्ञप्ति के अनुसार पांच दिनों की 160 किलोमीटर की यह हिमालयन दौड़ पांच चरणों में पूरी हुई। पुरुष वर्ग में

भारत के लक्ष्मण सिंह ने 16 घंटे व 49 मिनट का समय लेकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। इंग्लैंड के जॉन व्हीटलेय ने 23 घंटे व 34 मिनट का समय लेकर दूसरे स्थान पर और इंग्लैंड के पॉल होलिस ने 24 घंटे लेकर तीसरे स्थान पर रहे। महिला वर्ग में इंग्लैंड कि अमांडा स्टर्लिंग 25 घंटे 27 मिनट पर प्रथम, इंग्लैंड की क्लेयर स्मॉलवुड दूसरे स्थान पर रहीं।

रैली ऑफ आस्ट्रेलिया में हिस्सा लेंगे गौरव गिल

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 11 नवंबर

भारत के शीर्ष रैली चालक गौरव गिल इस सप्ताहांत रैली ऑफ आस्ट्रेलिया में हिस्सा लेंगे। यह प्रतिष्ठित एफआए विश्व रैली चैंपियनशिप का अंतिम राउंड है। तीन बार के एशिया पैसेफिक रैली चैंपियन और हाल ही में अर्जुन पुरस्कार हासिल करने वाले गौरव ने डब्लूआरसी2 में हिस्सा लिया था और उस रैली में उन्होंने सराहनीय प्रदर्शन किया था। गौरव ने बताया कि 14 से 17 नवंबर तक होने वाली रैली ऑफ

आस्ट्रेलिया के लिए वह पूरी तरह तैयार हैं। इंटरनेशनल प्लेटफार्म पर जेके टायर के रंगों में दिखाई देंगे। गौरव ने रैली ऑफ टर्की के साथ डेब्यू किया था और टॉप–5 में स्थान बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहे थे। चार दिनों की रैली में तकरीबन हर दिन तकनीकी खराबी के कारण हालांकि वे लक्ष्य से भटक गए और उनके हाथ से वैश्विक स्तर पर अपनी छाप छोडना का मौका निकल गया। अंतिम दिन फिनिश

लाइन से पांच किलोमीटर दूर उनकी आर5 डब्ल्यूआरसी2 काल का गियरबॉक्स फेल हो गया और इस कारण गौरव को निराशा झेलनी पड़ी थी। रैली ऑफ वेल्स में वह हिस्सा नहीं ले सके थे।

टी-20 में रेकार्ड प्रदर्शन का इनाम

रेकिंग में चाहर की लंबी छलांग

दुबई, 11 नवंबर (भाषा)

बांग्लादेश के खिलाफ सात रन के एवज में छह विकेट लेकर विश्व रेकार्ड स्थापित करने वाले भारतीय तेज गेंदबाज दीपक चाहर अपने इस शानदार प्रदर्शन के दम पर 88 पायदान की लंबी छलांग लगाकर आइसीसी टी-20 में गेंदबाजों की रैकिंग में 42वें स्थान पर पहुंच गए हैं।

इस सूची में हालांकि धीमी गति के गेंदबाजों का दबदबा है। चोटी के पांच गेंदबाज और शीर्ष नौ में से आठ गेंदबाज स्पिनर हैं। न्यूजीलैंड के मिशेल सैंटनर अफगानिस्तान के राशिद खान के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे और अंतिम मैच में चाहर इस सबसे छोटे प्रारूप में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने। इससे भारत इस सत्र में घरेलू सरजमीं पर पहली टी-20 शृंखला जीतने में सफल रहा। भारत के अन्य गेंदबाजों में क्रुणाल पंड्या (संयुक्त 18वें) ने छह, युजवेंद्र चहल (25वें) ने नौ और वाशिंगटन सुंदर (27वें) ने 21 पायदान



दीपक गेंदबाजों की रैकिंग में 88 पायदान की लंबी छलांग लगाकर पहुंचे 42वें स्थान पर

की छलांग लगाई है।

रोहित शर्मा भारत के शीर्ष बल्लेबाज बने हुए हैं। वह पहले की तरह सातवें स्थान पर कांबिज हैं जबिक केएल राहुल रविवार को अर्धशतक जमाने के दम पर एक पायदान ऊपर आठवें स्थान पर पहुंच गए हैं।

खेलने के बाद संवाददाताओं से कहा, उन्होंने

(टीम प्रबंधन) मुझे साफ कर दिया है कि 'आप

नंबर चार पर बल्लेबाजी करोगे, इसलिए खुद पर

भरोसा रखो।' उन्होंने कहा, मेरे लिए नंबर चार

पर मानदंड स्थापित करने के लिए पिछली कुछ

शृंखलाएं वास्तव में महत्त्वपूर्ण रही। इस नंबर के

लिए हम सभी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। टीम के दो

प्रमुख बल्लेबाजों कप्तान विराट कोहली और उप

कप्तान रोहित शर्मा के जल्दी आउट होने के बाद

अय्यर 'फिनिशर' की भूमिका निभाने वाले

खिलाड़ियों में भी शामिल होंगे। इस 24 वर्षीय

बल्लेबाज ने कहा, यहां तक कि अगर कोहली

और रोहित आउट हो जाते हैं कि तो हमें कोई ऐसा

बल्लेबाज चाहिए जो आखिर तक बल्लेबाजी कर

सके। यही नंबर चार की भूमिका है।

पिछले कुछ समय से रन बनाने के लिए जूझ रहे शिखर धवन 12वें, इस शृंखला में नहीं खेलने वाले विराट कोहली 15वें और खराब फार्म में चल रहे ऋषभ पंत 89वें स्थान पर खिसक गए हैं। इंग्लैंड के डेविड मलान ने बल्लेबाजी सूची में तीसरे स्थान पर जगह बनाई है। इस सूची में पाकिस्तान के बाबर आजम शीर्ष पर और आस्ट्रेलिया के आरोन फिंच दूसरे स्थान पर हैं। बांग्लादेश के बल्लेबाज मोहम्मद नईम संयुक्त 38वें स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने इस शृंखला के तीन मैचों में 143 रन बनाए थे। आलराउंडरों की सूची में ग्लेन मैक्सवेल के नहीं खेल पाने के कारण अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी इस आस्ट्रेलियाई को हटाकर शीर्ष पर पहुंच गए हैं जबिक ओमान के जीशान मकसूद छठे स्थान पर काबिज हो गए हैं।


टीम रैंकिंग में पाकिस्तान 270 अंक लेकर शीर्ष पर बना हुआ है लेकिन आस्ट्रेलिया तीन मैचों की शृंखला 2-0 से जीतने के बाद उससे केवल एक अंक पीछे है। इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और भारत अगले तीन स्थानों पर हैं।



इंदौर, 11 नवंबर (भाषा) ।

भारत और बांग्लादेश की टीमें दो टैस्ट मैचों की शृंखला के 14 नवंबर से शुरू होने वाले पहले टैस्ट मैच के लिए सोमवार को यहां पहुंचीं। बांग्लादेश की टीम क्रिकेट के किसी भी अंतरराष्ट्रीय प्रारूप में यहां होलकर स्टेडियम में अपना पहला मैच खेलेगी।

मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ (एमपीसीए) के एक अधिकारी ने बताया कि दोनों टीमें नागपुर से विशेष विमान के जरिए देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डे पहुंचीं। फिर इन्हें शहर के अलग-अलग होटलों में ठहराया गया।



फिल्म '83' में नटराज शॉट के लिए कपिल देव ने रणवीर की तारीफ की नई दिल्ली, 11 नवंबर (भाषा) ।

भारतीय क्रिकेट टीम को विश्व कप जिताने वाले पूर्व कप्तान कपिल देव ने सोमवार को अभिनेता रणवीर सिंह की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने आगामी फिल्म '83' में उनके प्रसिद्ध 'नटराज शॉट' की हूबहू नकल की है। सिंह कबीर खान द्वारा निर्देशित इस फिल्म में कपिल देव का किरदार निभा

रहे हैं। उन्होंने ट्विटर पर इस फिल्म का चित्र शेयर किया। अभिनेता ने चित्र के साथ लिखा, नटराज शॉट रणवीर एज कपिल। देव ने इस फिल्म के लिए सिंह को प्रशिक्षित किया है। उन्होंने रणवीर की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने वन-लेग्ड हुक शॉट एकदम सही तरह से लगाया। देव ने सिंह के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा, रणवीर आपको सलाम! क्रिकेट विश्व कप 1983 में जिंबाब्वे के खिलाफ देव के नटराज शॉट को आज भी याद किया जाता है। इस मैच में उन्होंने शानदार 175 रन बनाए थे और उनकी इस पारी की वजह से ही भारतीय टीम सेमी फाइनल में पहुंच सकी।

INDIAN

EXPRESS

GROUP

शेफाली, दीप्ति ने दिलाई भारतीय टीम को बड़ी जीत

टीम प्रबंधन ने कहा है, मैं ही नंबर चार पर खेलूंगा: अय्यर

ग्रोस आइलेट, 11 नवंबर (भाषा) ।

नागपुर, 11 नवंबर (भाषा) ।

की भूमिका निभाएंगे।

प्रतिभाशाली बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को

टीम प्रबंधन ने नंबर चार पर कई प्रयोग किए

भारतीय टीम प्रबंधन ने बता दिया है कि सीमित

ओवरों की क्रिकेट में वही नंबर चार बल्लेबाज

लेकिन उसे लगातार असफलताएं मिली। इंग्लैंड

में खेले गए 50 ओवरों के विश्व कप से पहले

भी कई खिलाड़ियों को इस नंबर पर आजमाया

गया लेकिन कोई भी अपनी जगह पक्की नहीं कर

पाया। क्रिकेट महाकुंभ में विजय शंकर पर भरोसा

दिखाया गया लेकिन यह प्रयोग भी असफल रहा।

अय्यर ने बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे टी-20

अंतरराष्ट्रीय में 33 गेंदों पर 62 रन की पारी

गेंदबाजी के बाद युवा शेफाली वर्मा के लगातार दूसरे अर्धशतक से भारतीय महिला टीम ने र्विवार को यहां दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय ने स्टंप आउट करवाया। सलामी बल्लेबाज

क्रिकेट मैच में वेस्ट इंडीज पर दस विकेट से बड़ी जीत दर्ज की। इस जीत के साथ मेहमान टीम ने पांच मैचों की शृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। तीसरा टी-20 अंतरराष्ट्रीय गयाना के प्रोविडेन्स स्टेडियम में 14 नवंबर को खेला जाएगा।

पंद्रह वर्षीय शेफाली ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा तथा 35 गेंदों पर नाबाद 69 रन बनाए जिसमें दस चौके और दो छक्के शामिल हैं। दूसरी

दुबई, 11 नवंबर (भाषा) ।

कांस्य पदक जीता है।

नाबाद रहीं। भारत ने 10.3 ओवर में बिना किसी नुकसान के 104 रन बनाकर पांच मैचों की शृंखला में 2-0 की बढ़त बनाई। इससे पहले दीप्ति ने दस रन देकर चार विकेट लेकर अपने करिअर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और वेस्ट इंडीज को सात विकेट पर 103 रन ही बनाने दिए। वेस्ट इंडीज ने टास जीतकर पहले

सुंदर सिंह गुर्जर ने कंधे की चोट के

बावजुद विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के

पुरुषों के एफ 46 भाला फेंक में अपने खिताब

का सफलतापूर्वक बचाव करने के साथ कांस्य

पदक विजेता अजीत सिंह और रिंकू के साथ

तोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए कोटा भी

हासिल किया। भारत ने अब तक इस चैंपियनशिप में दो स्वर्ण, एक रजत और एक

गुर्जर ने 61.22 मीटर भाला फेंककर शीर्ष

स्थान हासिल किया। यह इस सत्र का उनका

सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी है। अजीत सिंह ने 59.46

मीटर भाला फेंका और तीसरा स्थान हासिल

किया। रिंकू चौथे स्थान पर रहे। अंतरराष्ट्रीय

पैरालंपिक समिति के नियमों के अनुसार विश्व

बल्लेबाजी का फैसला किया। शिखा पांडे ने स्टैसी एन किंग (सात) को आउट करके भारत आफ स्पिनर दीप्ति शर्मा की शानदार को पहली सफलता दिलाई। विकेटकीपर बल्लेबाज शेमाइन कैंपबेल (शून्य) भी आते ही पवेलियन लौट गई। उन्हें स्पिनर राधा यादव

हेली मैथ्यूज (23) और चेडीन

नेशन्स (32) ने वेस्ट इंडीज की

टी-20 पांच मैचों की शृंखला में वेस्ट इंडीज पर बनाई 2-0 की बढ़त शेफाली वर्मा ने लगाया लगातार दूसरा अर्ध्शतक दीप्ति ने चार विकेट लेकर किया सर्वश्रेष्ठ

चैंपियनशिप में दो पदक

जीतने वाले दूसरे भारतीय बने सुंदर

पारी संवारने की कोशिश की लेकिन वे 32 रन ही जोड़ पाए। पूजा वस्त्राकर ने मैथ्यूज को आउट करके यह साझेदारी तोड़ी। इसके बाद दीप्ति हावी हो गई जिन्होंने आखिरी चार ओवरों में चार विकेट लिए। नताशा मैकलीन (17) दोहरे अंक में पहुंचने वाली तीसरी कैरेबियाई बल्लेबाज थी। अंतरराष्ट्रीय

क्रिकेट में सबसे कम उम्र में अर्धशतक जड़ने सलामी बल्लेबाज स्मृति मंदाना 30 रन बनाकर के सचिन तेंदुलकर के रेकार्ड को तोड़ने वाली शेफाली ने अपनी शानदार फार्म जारी रखी। इस किशोरी के साथ मंदाना ने केवल सहायक की भूमिका निभाई। उनकी 28 गेंद की पारी में चार चौंके शामिल हैं। वेस्ट इंडीज की कप्तान अनीसा मोहम्मद ने सात गेंदबाजों को आजमाया लेकिन इसका भारतीय सलामी जोड़ी पर कोई असर नहीं पड़ा।

NxtGen presents



HONOURING THE FINEST **DISTRICT MAGISTRATES IN INDIA**

CALL FOR ENTRIES

The Indian Express announces the second edition of The Indian Express Excellence in Governance Awards. The award celebrates District Magistrates across the nation who have been the agents of progress and change.

AWARD CATEGORIES

- Agriculture
- Border Districts
- Child Development
- Community Involvement
- Education
- Energy
- Entrepreneurship
- Health
- Implementation of Central Schemes
- Inclusive Innovation
- Jammu & Kashmir District
- Left Wing Extremism Districts
- North East Districts
- Skill Development
- Social Welfare
- Technology Implementation
- Water Management
- Women Development

To apply visit eigawards.indianexpress.com LAST DATE FOR ENTRIES | DECEMBER 31, 2019



IndianExpress.com/apps



f facebook.com/IndianExpress

पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 में प्रत्येक खिताब का बचाव किया बल्कि वह विश्व स्पर्धा में शीर्ष चार में रहने वाले एथलीटों को चैंपियनशिप में दो पदक जीतने वाले दूसरे तोक्यो 2020 पैरालंपिक खेलों के लिए कोटा भारतीय बने। देवेंद्र झाझरिया ने 2013 लियोन स्थान भी मिलेगा। तेईस वर्षीय गुर्जर ने यहां न और 2015 दोहा में स्वर्ण व रजत पदक जीते थे।

संदर सिंह गुर्जर विश्व पैरा एथलेटिक्स

चैंपियनशिप में एफ ४६ भाला फेंकते हुए।

सिर्फ लंदन विश्व चैंपियनशिप 2017 के अपने

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 36, अंक 358, हवाई शुल्क: इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, गुवा

2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज*,** *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रैस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमित लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता